खण्ड-430, अंक-2
बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(17 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ–च
— थाना मानीपुर में छोटा नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा एक महीने से हिरासत में लिए जाने से सम्बन्धित सूचना को उठाये जाने का प्रयास	1
— प्रश्नोत्तर	1–123
— प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	124–127
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	127
— जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
— जनपद जालौन के खण्ड विकास महोबा के कतिपय ग्रामों के परिषदीय विद्यालयों के भवन निर्माण, में की गयी कथित धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128–129
— जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत धमना माइनर की पट्टी पर रोड निर्माण हेतु मानक के अनुरूप मिट्टी का कार्य न कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
— होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
— जनपद आगरा के कस्बा मझारा व डौकी में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130–131
— जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत आंकिक घाट पर गंगा नदी में एवं कल्याणी नदी पर पूरनामऊ व करवा में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
— जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हसनपुर रसकूपा में होटल मालिक द्वारा की गयी नौकर की कथित हत्या की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131–132
— पेंशन प्राप्त करने हेतु कोषागार तक जाने में अक्षम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा अन्य किसी माध्यम से पेंशन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग	132–133
— औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	133
— मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठकें न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	133–135

— प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे सोमवार दि० 8-3-99 के तारांकित प्रश्न संख्या-1 और चौथे गुरूवार दिनांक 11-3-99 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 135–137

— जिला योजना के अन्तर्गत सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय में अधिकारियों द्वारा हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 137–138

— शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के अनुसार किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर न करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 138–139

— कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 139–140

— उत्तर प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 1998 (सदन के पटल पर रखी गयी) 140

— उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली, 1998 (सदन के पटल पर रखी गयी) 140

— उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक विवरण (वर्ष 1979-80 से वर्ष 1992-93 एवं 1996-97 तक) (सदन के पटल पर रखे गये) 140

— बद्दोपुर (जौनपुर) पुलिस गोलीकाण्ड, दिनांक 6 जनवरी, 85 की जांच आयोग रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) 140–141

— उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 1997-98 के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा(सदन के पटल पर रखा गया) 141

— जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा के मुख्यालय क्योलड़िया में उप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।) 141

— जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरी के ग्राम भदपुरा में महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थूलाल गंगवार तथा अन्य, निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।) 141

— जनपद बरेली के ग्राम वहिर जागीर के निकट देवहा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीनारायन तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 141–142

— जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया भगवन्तपुर में अफसरैहा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 142

— जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र-मल्लावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र दीक्षित, निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)– 142

— विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा निर्मित बड़ी गैवी आवासीय योजना में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री गायत्री देवी तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 142

— औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 142–143

— बजट सत्र के दौरान नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने तथा बैठक कराने से निर्वाचन एवं बैठक में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रनाथ सिंह द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 143–144

— सत्र के दौरान सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा दिये जाने तथा फिल्म सिटी बनाये जाने सम्बन्धी लिये गये नीति सम्बन्धी निर्णय की सूचना सदन में न देकर बाहर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 144–145

— उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण 145–146

— आबकारी अनुज्ञापनों के शुल्क तथा अभिकर की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के सम्बन्ध में आबकारी मंत्री का वक्तव्य 146–147

— कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 147–165

— व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास 165–169

— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) स्वीकृत वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), (स्वीकृत) 169–232

— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) 232

— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत) 232–233

— वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन 233

— उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के भर्त्तों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन 233

— प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये की स्थिति तथा एक निश्चित अवधि के उपरान्त गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन 233

— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) 233–237

— उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (पारित) 237–256

— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 256–257

— जनपद अम्बेडकर नगर की नगरपालिका परिषद् टाण्डा में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 258–259

— जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य 259–260

— प्रदेश में राशन की दुकानों से चीनी का कोटा प्रतिमाह प्रति यूनिट पूर्ववत करने तथा होली/ईद की अतिरिक्त चीनी प्रति कार्ड यथावत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य 260–261

— प्रदेश में विद्युत की अनियमित एवं अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामऔतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 261–262

— जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 263–264

— आगरा पश्चिम के क्षेत्र नौबस्ता, राजीव नगर के नालों की सफाई तथा धंसी जमीन पर मिट्टी भरने की व्यवस्था के सम्बन्ध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 265–270

— नत्थियां 271–274

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अक्षैयवर लाल, श्री	बहराइच	छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला		जगपाल, श्री	सहारनपुर
भइया, श्री	गोण्डा	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
अजय राय, श्री	वाराणसी	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	बावन सिंह, श्री	गोण्डा
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	मस्तराम, श्री	उन्नाव
काजिम अली खां उर्फ नवेद		महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
मियां, श्री	रामपुर	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
		मुस्लिम,डा०	रायबरेली
चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद

रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राज रानी सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लाखी राम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सन्तराम सिंह, श्री	जालौन
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि प्रसाद उर्फ बमड़ा, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

थाना मानीपुर में छोटा नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा एक महीने से हिरासत में लिए जाने से सम्बन्धित सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय, मानीपुर में एक छोटा नामक व्यक्ति को पुलिस ने एक महीने से कस्टडी में लेकर रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

शून्य प्रहर में देख लेंगे। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लिख कर दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय, किसी भी समय उसका एनकाउन्टर किया जा सकता है। माननीय उस थाने के थानेदार के खिलाफ 304, 302 और 307 के मुकदमे दर्ज हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा देता हूं। आप लिख कर दे दें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण के निजीकरण करने की रूप-रेखा के विवरण की जानकारी

**1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री राम औतार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के निजीकरण का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो कब और इसके कार्यान्वयन हेतु क्या कोई रूपरेखा बनायी गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री लल्लू सिंह)-

जी हां, प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था के निजीकरण के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक निर्णय दिसम्बर, 1997 में लिया गया। तदोपरान्त नोयडा एवं कानपुर (केसा) के वितरण व्यवस्था के निजीकरण के कार्यान्वयन का निर्णय सितम्बर, 1998 में लिया गया। प्रथम चरण में नोयडा तथा कानपुर (केसा) के विद्युत वितरण के निजीकरण के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है तथा नोयडा तथा कानपुर (केसा) के विद्युत वितरण के निजीकरण

के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त शासन को प्रस्तुत करने के लिए क्रमशः मुख्य कार्यवाहक अधिकारी नोयडा तथा आयुक्त, कानपुर मण्डल को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत रोजा तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना तथा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित हो रही है जिनका विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 7 लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा 22 तीन मेगावाट से कम की अति लघु जल विद्युत परियोजनायें निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही प्रगति पर है। प्रदेश में विद्युत पारेषण के निजीकरण की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने उत्तर भाषण में कहा है कि रोजा तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना तथा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो कार्यान्वित हो रही है जिनका अनुबन्ध हस्तगत किया जा चुका है मैं जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को देने की क्या शर्तें तय की गयी है। यदि शर्तें तय की गई है तो क्या हैं?

श्री लल्लू सिंह-

माननीय पाण्डेय जी, इस सम्बन्ध में अभी 9 तारीख से हमारे विभाग में मीटिंग चल रही है। अगर आपको यह जानना है तो आप हमारे आफिस आ जाये मैं अधिकारियों से पूछ कर बता दूंगा।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी आपसे हम सभी सदस्य संरक्षण चाहते हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि चैम्बर में आकर पूछ ले, तो यह कोई गोपनीय बात तो है नहीं। सारी जनता इसके बारे में जानना चाहती है। मुझे भारी आशंका हो रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के निजीकरण का जो निर्णय लिया है उससे क्या इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावनायें नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष-

जहां तक मुझे स्मरण है, यह प्रश्न दूसरे रूप में आया था।

श्री राम औतार शाक्य-

जैसा कि अनुभव है कि निजी क्षेत्र में जो भी निगम हैं, जैसे नलकूप निगम है, जैसे सीमेन्ट निगम है ये जितने भी निजी क्षेत्र के निगम हैं, ये हमेशा घाटे की

स्थिति में रहे हैं और बदतर स्थिति उनकी रही है, तो उस कटु अनुभव को देखते हुए जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या इससे घाटा नहीं होगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

श्रीमन् रिफार्म जिस तरह किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। जो आशंका है, उचित है, उसका समाधान हो जायेगा।

श्री राम जग-

मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है और बहुत महत्वपूर्ण मामला है और विद्युत विभाग के निजीकरण का मामला है। क्या किसानों को मिलने वाली सुविधा जारी रहेगी, क्या भविष्य में बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा और परियोजनाओं में जो एक-एक पैसा खर्च हुआ है, श्रीमन् कौड़ी के मोल बेचकर जनता का कितना भला कर पायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जैसा पहले भी बताया है उसको फिर स्पष्ट कर रहा हूं। बिल लागू होने के बाद उसी दर पर यह बिजली इसी रेट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

माननीय मंत्री जी, बजट लाने के बाद आज विद्युत व्यवस्था और खराब होती चली गयी। मान्यवर, आपने वितरण को और जो भी किया है, व्यवस्था बनायी है, उसमें आपने सोच-समझ कर किया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों है, आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है और जिन-जिन सरकारी दफ्तरों में बिजली का बिल और पैसा आपका बाकी है, उसकी वसूली के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो विद्युत व्यवस्था में सुधार की बात कही गयी है तो प्रति वर्ष 15 प्रतिशत हमारी मांग बढ़ रही है और नये पावर स्टेशन न लगने के कारण कटौती हो रही है। आनपरा-बी की हमारी एक इकाई खराब हो गयी है उसके लिये जापान से इंजीनियर्स आये हैं जो उसको ठीक कर रहें हैं। राज्य सरकार ने विद्युत परिषद् को 44 करोड़ रुपये दिये हैं बिजली खरीदनें के लिये ताकि अघोषित कटौती से नगरीय क्षेत्र मुक्त र, सकें। हमने सेन्ट्रल पूल से एक्स्ट्रा बिजली खरीदने की मांग की थी लेकिन वह अवेलेबल नहीं हो पायी क्योंकि उनकी कुछ यूनिट बन्द पड़ी हैं। हमारा प्रयास है कि हम कटौती बन्द करके जनता को राहत दें।

श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री. राम जग-

मान्यवर, मंत्री जी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने उस दिन कहा था कि हम सुधार बिल आज नहीं लायेंगे लेकिन ले आये। सरकार भ्रष्टाचार का सहारा लेकर निजीकरण कर रही है जो जनता के हित के विपरीत है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम जग ने अपने दल के सदस्य के साथ सदन का त्याग किया)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है विद्युत वितरण के निजीकरण के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है तथा नोयडा और कानपुर (केसा) के विद्युत वितरण के निजीकरण के लिये प्रस्ताव प्राप्त करके निजी हाथों में इसको देने पर विचार करेंगें। अन्त में मंत्री जी ने यह भी बताया है कि प्रदेश में विद्युत पारेषण के निजीकरण की सम्प्रति कोई योजना नहीं है। मान्यवर, अब तक राज्य विद्युत परिषद् जो बिजली की चोरी होती थी उसको छीजन दिखाकर बचता रहता था उसके लिये क्या योजना है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नोयडा और केसा की प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद है कि उसके अच्छे परिणाम रहेंगें। जहां तक अन्य नगरों की बात है, हमने मुरादाबाद के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है। हम कहीं पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और कहीं पर राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहें और विद्युत उपलब्ध हो सकें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लघु जल विद्युत परियोजनओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरी हो जायेगी और इसके अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं?

(इस समय 11 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पी0पी0ए0 साइन हो गया और हमने इस सम्बन्ध में एक बैठक भी 30 तारीख को बुलायी है। जिस दिन विद्युत का बजट था उस दिन मैंने एक-एक योजना को क्लियर कर दिया था। सरकार की प्रतिबद्धता है कि निजी क्षेत्र में योजनायें लगें जिससे विद्युत में सुधार हो सके। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया उसमें कहा कि नोयडा में कोई निजीकरण नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है बजट के समय माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नोयडा में एक करार हुआ था जिसके तहत विद्युत वितरण का कार्य एक प्राइवेट कम्पनी को दिया गया था। राष्ट्रपति शासन काल में मोतीलाल बोरा जी के समय में एग्रीमेन्ट हुआ था। क्या उपरोक्त कम्पनी ने समस्त समझौतों का पालन किया और अगर समझौते का पालन नहीं किया तो उसका अनुबन्ध दोबारा क्यों किया गया? दूसरी जो निजीकरण की बात चल रही है, जो हमारी ओबरा और आनपारा जैसी संस्थायें चल रही हैं, उनको निजी क्षेत्र में देने के पहले वितरण व्यवस्था में जो जनता की कमाई का धन लगा है, उसको बुक-वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगें या उसकी जो भी कीमत होगी बुक-वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर होगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् मैं चाहता हूं कि वह बातें दोबारा न आयें। ग्रेटर नोयडा का प्रकरण इससे सम्बन्धित नहीं है इसलिए इसे दोबारा न लाया जाये। बजट के दिन इस बारे में काफी कुछ आ गया था। अगर प्रोसीडिंग पढ़ लेगें तो उत्तर मिल जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर आपने मेरा प्रश्न स्वीकार कर लिया है तो उत्तर देना पड़ेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रक्रिया यह रही है कि जो एक बार उत्तरित हो जाता है दोबारा उसका उत्तर नहीं दिया जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर सदन में आ चुका है और पूरी तरह से आ चुका है। उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने दूसरे दिन भी रूलिंग दी थी। हमको दोबारा उत्तर देने के लिए बाऊण्ड नहीं किया जा सकता।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय, मैंने प्रश्न पूछा और आपने स्वीकृति दे दी है तो उत्तर देना मंत्री जी की बाध्यता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् कटुता वाली बातों को मैं पुनः नहीं लाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर स्थानान्तरित करेंगें?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियामक आयोग बना है, कान्सलटेंट नियुक्त होंगें। हम ओबरा और आनपारा को निजीक्षेत्र में नहीं देने जा रहे हैं। हम कारपोरेशन बनाकर निजी क्षेत्र में रखने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

नोयडा वाले प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता-

मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मेरा अनुरोध है विशेष परिस्थितियों में इसमें आधे घण्टे की चर्चा लगा दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं नियम-49 में लिखकर दे रहा हूं, आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजिए, मैं विचार कर लूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मंत्री जी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में कटौती न करने के निर्देश दिए गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो गांवों का प्रदेश है गांवों में बिजली की कटौती हो रही है। छात्रों की 23 मार्च से परीक्षाएं होने वाली हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह मूल्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अवधेश प्रसाद के जमाने में जो शेड्यूल था वही आज भी शेड्यूल चल रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं नियम 49 में लिखकर दे रहा हूं इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है विचार कर लिया जाएगा।

बाढ़ नियंत्रण हेतु नीति एवं पूर्वान्चल में आई बाढ़ की पुनरावृत्ति रोकने हेतु योजना एवं आवंटित धनराशि की जानकारी

**2-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियंत्रण हेतु सरकार की क्या नीति है? गत वर्ष प्रदेश के पूर्वान्चल में आई भीषण बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये क्या कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा इसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

प्रदेश में विशेषतया पूर्वी भाग में गत वर्ष आयी भीषण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनायें बनायी गयी हैं।

गत वर्ष प्रदेश में 56 तटबन्ध टूटे अथवा काटे गये हैं जिनमें से 54 तटबन्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। अल्पकालिक योजनाओं के अन्तर्गत इस तटबन्धों की पुर्नस्थापना मई, 1999 तक की जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य क्षतिग्रस्त तटबन्धों की पुर्नस्थापना भी आगामी वर्षाकाल से पूर्व की जानी है।

तटबन्धों की पुर्नस्थापना का कार्य शुरू हो चुका है और अनुश्रवण किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के तटबन्धों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये 11 वें वित्त आयोग को रु0 597.32 करोड़ की योजना वित्त पोषण हेतु भेजी गयी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलप्लावन समस्या के निदान हेतु रु0 738.59 करोड़ की जलप्लावन नियन्त्रण योजना थी। 11 वें वित्त आयोग को धन उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी है। नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु लगभग 100 करोड़ की योजनायें प्रस्तुत की जा रही हैं।

भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ समस्या के निराकरण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया जाये। भारत सरकार द्वारा यह समिति गठित की जा चुकी है। भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि नेपाल राष्ट्र में बांधों के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करे जिससे बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु जलाशय बनाये जा सकें।

भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि प्रदेश के अत्यन्त सीमित संसाधनों की स्थिति में कुछ बाढ़ परियोजनायें केन्द्र पोषित हैं जिन पर केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के पूर्ण होने तक धन आवंटन आश्वस्त रहें।

दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत रु0 10 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा रु0 30 करोड़ भारत सरकार द्वारा भी प्रदान किया गया है।

उपरोक्त धनराशि से क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापना/पुर्ननिर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के अन्तिम भाग में पूछा था यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है? पूरे उत्तर में कितना धन आवंटित किया गया है इसकी चर्चा नहीं की गई है। जैसा कि उत्तर में लिखा है कि 56 तटबन्ध टूटे हैं, उनकी मरम्मत के लिए उनके पुर्नस्थापन के लिए आगणन बनाया गया है? आगणन कितना है? क्या वर्षा काल से पहले ठीक कराने की योजना है? इस पर अब तक कितना धन आवंटित कर दिया गया है? इसके अलावा 11 वें वित्त आयोग एवं नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु योजना भेजने का उल्लेख किया गया है। तो किस-किस तारीख को यह भेजी गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत 10 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा रु0 30 करोड़ भारत सरकार द्वारा भी प्रदान किया गया है? कुल 53 करोड़ की आवश्यकता होगी। जिसमें 32 करोड़ जो 56 तटबन्ध टूटे हैं उनके लिए रखा गया शेष की व्यवस्था की जा रही है। बिना आगणन कराए कोई कार्य नहीं होता है। 10 बांध पूरे हो चुके हैं। 41 बांध मार्च में पूरे हो रहें है बाकी अप्रैल में पूरे हो जायेंगे। 32 करोड़ 56 टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत पर लगेगा शेष जो मामूली क्षति हुई है उस पर शेष पैसा खर्च होगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि दो स्थानों पर 11 वें वित्त आयोग को रिपोर्ट की गई है। 597.32 करोड़ की योजना वित्त पोषण हेतु भेजी गई है? इसके अलावा जलप्लावन समस्या के निदान हेतु रु0 738.59 करोड़ की जलप्लावन नियंत्रण योजना भी 11वें वित्त आयोग को धन उपलब्ध कराने हेतु भेजी गई है। नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु लगभग 100 करोड़ की योजनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह उत्तर में है। तो किन-किन तारीखों को यह योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं? क्या मंत्री जी अनुभव करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिल्टिंग के कारण बराबर बाढ़ आती रहती है। इसके बारे में कोई योजना बनाई है? भगीरथ के समय से सिल्टिंग की सफाई नहीं हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी भगीरथ बनकर दिखाएगें और सिल्टिंग हटाएगें?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, भगीरथ के एक अंश बनने की क्षमता तो इस नादान में नहीं है और न ही ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। यदि डंग साहब इस दिशा में कुछ बनना

चाहते हैं तो उनको हमारी शुभकामनायें हैं और हम उन्हें सहयोग देंगे। मान्यवर, जहां तक बाढ़ की बात है यह एक दैवी आपदा है। इसी बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कुल प्रदेश का 73.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है जिसमें से सर्वेक्षण के आधार पर 58.72 लाख हेक्टेयर को बचाया जा सकता है, परन्तु इन 50 सालों में केवल 15.4 लाख हेक्टेयर को ही बचाया जा सका है। कुल प्रभावित क्षेत्र जो बचाया जा सकता है वह 58.72 लाख हेक्टेयर है जो लगभग 26 प्रतिशत होता है। कुल तटबन्ध 2900 कि0मी0 के बनाये गये हैं जबकि 8400 कि0मी0 तटबन्ध को बनाने की आवश्यकता होगी जिस पर 13 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है। बाढ़ को कम करने के लिए तीन तरह के उपाय करने पड़ेंगे। बांध बनाना, जलाशय बनाना और तटबन्ध बनाना। बांध और जलाशयों का तो चयन किया गया है और नदियों पर उनका चयन कर लिया गया है लेकिन इसके अलावा उसके अर्न्तगत जो अन्य चीजें हैं उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। यमुना पर लखवाड का प्रस्ताव किया गया है जिस पर कार्य 1992-93 में बन्द हो गया। टौंस पर किसाऊ है, गंगा भागीरथी पर टिहरी व कोटली भेल, पर कार्य प्रगति पर है, घाघरा पर रखाली बांध, शारदा पर पंतेश्वर बांध, राप्ती पर भालू भांग बांध और गण्डक पर बिनई बांध ये चारों बांध नेपाल राज्य के अन्तर्गत हैं और उस पर केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि इन पर बांध बनाने और जलाशय बनाने के सम्बन्ध में वार्ता कर निस्तारित करने की कृपा की जाय। मान्यवर, हम तो माननीय सदस्य जी को कुछ इन्फारमेंशन देना चाहते हैं कि प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए शासन क्या प्रभावी योजनायें चला रहा है परन्तु माननीय सदस्य तारीख जानना चाहते हैं। तारीख की सूचना मेरे पास अभी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को और आपको भी आज ही तारीख की सूचना दे दूंगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने बहुत साफ-साफ सवाल पूछा जिन तीन मदों को ।। वें वित्त आयोग के सामने रखा गया उसमें से दो मदें तो आयोग को और एक नाबार्ड को लिखी गयी। इन प्रस्तावों की तारीख क्या है? भले ही माननीय मंत्री जी इन तारीखों के महत्व को न समझें परन्तु यह सदन उसे समझता है। दूसरा सिल्टिंग को बाढ़ का कारण माना जाता है तो उसे हटाने के लिए माननीय मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर देकर अपना काम कर दिया। माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट देने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिल्टिंग को भी एक मामला माना जाता है परन्तु सिल्टिंग की सफाई को अभी तक व्यवाहारिक नहीं माना गया है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं और बाढ़ और सूखे का सबसे बड़ा कारण सिल्टिंग माना गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय सदस्य ध्यान से सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। मैंने यह कहा कि सिल्टिंग ही बाढ़ का एक कारण माना जाता है सिल्टिंग की सफाई अभी तक व्यवहारिक नहीं है।

डा0 कौशल किशोर-

हमारा जनपद खीरी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें सिंचाई खण्ड-2, 3 को स्थानान्तरित करके बस्ती ले जाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में क्षय रोगियों के निःशुल्क इलाज की योजना

*1.-श्री राम ललित चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इन रोगियों के निःशुल्क इलाज के लिये क्या सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या उक्त रोग की सभी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

राज्य में क्षय रोग का पता लगाने हेतु किये गये किसी सर्वेक्षण के अभाव में निश्चित निष्कर्ष देना कठिन है। क्षय रोगियों के निःशुल्क इलाज हेतु राज्य सरकार की निश्चित योजना है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के क्षय रोगियों को जिला क्षय रुजालयों एवं अस्पतालों में निःशुल्क निदान एवं चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। क्षय रोगियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी औषधियों से कम अवधि में रोग मुक्त किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कतिपय जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से परियोजना भी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैंने बहुत छोटा सा सवाल किया था कि क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ी है या घटी है। मंत्री जी

का जवाब आया है कि यह बड़ा मुश्किल काम है। अगर यह मुश्किल काम है कि संख्या बढ़ी है या घटी है, बताना क्योंकि यह सर्वेक्षण नहीं करवा सकते हैं। जिसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है उससे सम्बन्धित सवाल करता हूं प्रदेश स्तर पर टी0बी0 के कितने मरीजों की दवा कराई गई और कितने रोगियों को दवा उपलब्ध कराई गई? क्या सरकार अलग से इस रोग के निदान के लिये क्षय रोगियों की संख्या का आकंलन करके दवा की व्यवस्था करायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, वर्ष 1997-98 में, 3,02, (829) मरीजों को वाह्य सेवा के द्वारा उपचारित किया गया था तथा 20,412 मरीजों को भर्ती कर उपचारित किया गया। इस प्रकार कुल 3,23,241 मरीजों को उपचारित किया गया। वर्ष 98, 99 में अब तक 2,63,746 रोगी को वाह्य सेवा द्वारा उपचारित किया गया तथा 15,900 मरीजों को भर्ती कर उपचारित किया गया। कुल 2,76,646 मरीजों का अब तक उपचार किया गया।

भारत सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था और उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश में बीच-बीच में जो हम करवाते हैं उसके आंकड़े हमारे पास हैं 94 से 98 तक के बीच के इसमें क्षय रोगियों की संख्या बढ़ी नहीं हैं।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैंने सवाल कुछ पूछा और उत्तर दूसरा दिया जा रहा है। क्या सरकार अलग से इस रोग के निदान के लिये क्षय रोगियों की संख्या का आंकलन कर दवा की व्यवस्था करायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, क्षय रोगियों के निदान के लिये हमारे जिला अस्पताल में और प्रदेश के 57 जिलों में यह सारी व्यवस्थाएं पहले से उपलब्ध हैं। अलग से व्यवस्था कराने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी आंकड़े दिये कि हमारे जिला असपतालों में जो क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र है वहां पर जो पेशेन्ट रजिस्टर्ड हैं उनको बताये। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि क्या पेशेन्ट्स के अनुपात में आपको जो दवा की जरूरत होती है क्या वह दवा पर्याप्त है या दवा के अभाव में कुछ मरीज बीच में इलाज करवाना छोड़ देते हैं?

श्री रमापति शास्त्री-

दवा के अभाव में नहीं छोड़ते हैं। कुछ अपने आप थोड़ा सा आराम मिल जाने के बाद बन्द कर देते हैं। दवा का अभाव नहीं है।

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मानीनय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्षय रोगियों को जिला अस्पतालों से कौन-कौन सी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं?

श्री रमापति शास्त्री-

उनकी जांच की जाती है, बलगम के टेस्ट, एक्स-रे की सुविधा और दवा मुफ्त दी जाती है।

(प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मंत्री जी का जबाव अभी तक संतोषजनक नहीं आया है वह सदन को आश्वस्त कर दें कि टी0बी0 के मरीज प्रदेश में जो हैं उनके लिए सरकार सचेष्ट है और उनके इलाज के लिए नि:शुल्क व्यवस्था कर रही है।

श्री रमापति शास्त्री-

उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों के लिए पूर्ण रूप से सचेष्ट है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह कहते हैं पूरी तरह सचेष्ट हैं जबकि दवा के अभाव में मरीज मर रहे हैं इस सरकार की मरीजों के प्रति उदासीनता को देखते हुए, मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

श्री श्रीराम पाल जी आप प्रश्न करें।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, शान्त तो कराइये।

श्री रामजग-

यह सरकार मरीजों के इलाज की सही व्यवस्था नहीं कर रही है मरीजों के प्रति उदासीन है इसलिए मैं सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(श्री रामजग ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

प्रदेश में संचालित ट्राइसेम, आई0आर0डी0पी0 एवं डवाकरा प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को ही बैंक ऋण अनुदान दिलाने की योजना की जानकारी

*2-श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में संचालित ट्राइसेम तथा आई0आर0डी0पी0 एवं डवाकरा योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को ही बैंक ऋण/अनुदान प्राथमिकता के आधार पर दिलाने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

आई0आर0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत यथा आवश्यकता तथा ट्राइसेम एवं डवाकरा के अन्तर्गत अनिवार्यतः प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को बैंक ऋण/अनुदान दिलाये जाने का प्राविधान है, किन्तु उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण/अनुदान दिलाने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री श्रीरामपाल-

मान्यवर, प्रदेश में लाखों लाख नौजवान बेरोजगारी के कगार पर हैं मैंने प्रश्न पूछा ट्राइसेम तथा आई0आर0डी0पी0 एवं इवाकरा के लाभार्थियों को बैंक ऋण अनुदान देने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

अधिष्ठाता महोदय माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तो प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं है उन्हें ऋण जरूर मिलना चाहिए।

श्री श्रीरामपाल-

मान्यवर, एक ब्लाक में 100 को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है किसी बलाक में 100 पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तो क्या उन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण अनुदान देने की योजना बनाई है?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-.

अधिष्ठाता महोदय तीन योजनायें हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा आई0आर0डी0पी0, ट्राइसेम और इवाकरा, ट्राइसेम और इवाकारा में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह स्व-रोजगार में जाना चाहेंगे तो ऋण की व्यवस्था की जाएगी अनुदान दिया जाएगा। आई0आर0डी0पी0 में ऐसा नहीं है ऋण लें। अगर प्रशिक्षित हैं तो ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं आपने जो जवाब दिया है, प्रश्न कुछ और है, प्रश्न है कि आई0आर0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत यथा आवश्यकता तथा ट्राइसेम एवं डवाकरा के अन्तर्गत अनिवार्यत: प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों को बैंक ऋण अनुदान दिलाये जाने का प्राविधान है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वे कह रहें हैं "अनिवार्यता" बैंक ऋण/अनुदान दिलाये जाने का प्राविधान है और वही दूसरी तरफ कहते हैं प्राथमिकता के आधार पर ऋण/अनुदान दिलाने का कोई प्राविधान नहीं है। तो यह दो चीजें कैसे हैं?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मौर्य जी बहुत विद्धान हैं। इसमें प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। प्रश्न है प्राथमिकता का। मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है जो डवाकरा, ट्राइसेम प्रशिक्षण प्राप्त है, स्वरोजगार देने में बैंक ऋण दे यह अनिवार्यत: है। प्राथमिकता का प्रश्न किया, प्रश्न के उत्तर को ठीक से समझ लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आई0आर0डी0पी0, डवाकरा और ट्राइसेम योजना के माध्यम से जो लाखों लोग, जो प्रशिक्षित नौजवान हैं, उनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए यह सरकार बाध्य कर रही है। इस सरकार की कोई नीति नहीं है। एक तरफ तो यह अनिवार्यता कहती है और वही दूसरी तरफ कह रहें हैं कि कोई ऐसी योजना नहीं है। यह जो शासनादेश है उसके विरुद्ध कार्य कर रही है इसलिए विरोध में हमारा दल और हम सदन का वहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु कानून बनाने की मांग

*3-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में चिकित्सक सेवा करने में रुचि नहीं रखते हैं? क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था पंगु होती जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु कोई प्रभावशाली कानून बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। पर्वतीय उप-सम्वर्ग के गठन के पूर्व पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी

संवर्ग के चिकित्सक तैनात किये जाते थे, जिनमें सेवा करने में पर्याप्त रुचि नहीं पायी जाती थी। वर्तमान समय में अधिकांशतः पर्वतीय उप संवर्ग के लिये पृथक से चयनित चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त/तैनात किया गया है, जिनके सेवा करने में रुचि न रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से ही पर्वतीय उप संवर्ग का गठन किया गया है और इस संवर्ग के अन्तर्गत पृथक से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय भत्ता चिकित्सकों को अनुमन्य है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पर्वतीय उप संवर्ग के गठन के पूर्व पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक तैनात कर दिये गये थे। आज भी दूरस्थ चिकित्सालयों में डाक्टरों का वहां पर अभाव है और वह चिकित्सालय बन्द हैं। पिछले वर्ष पर्वतीय उप संवर्ग में कितने डाक्टरों को नियुक्त किया गया था, कितने डाक्टरों ने ज्वाइन किया और जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, श्रेणी-1 के 97 तथा श्रेणी-2 के 382 पद रिक्त थे। जिसके विरुद्ध लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजकर 324 पुरुष चिकित्सकों की तैनाती के आदेश दे दिये गये जिसमें से 96 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 96 चिकित्सकों ने ज्वाइन किया है और बाकी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जबकि पर्वतीय संवर्ग के गठन होने के उपरान्त तैनाती की आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि बहुत से डाक्टरों ने नियुक्ति परिवर्तित कराके मैदानी संवर्ग में नियुक्त ले ली है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, पिछली बार शिथिलता बरतने वाले ऐसे 56 लोगों के विरुद्ध

कार्यवाही की गई 12 को निलम्बित किया गया और 6 अन्य पुरुष चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री मुन्ना चौहान-

क्या माननाय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले डाक्टरों को अतिरिक्त कोई सुविधा देने पर विचार करेगें?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, अब तो पर्वतीय उप संवर्ग ही अलग बना दिया गया है और अलग से उसमें नियुक्तियां की जाती हैं इसलिए अलग से कोई सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें डाक्टरों की कमी है। क्या इसको पूरा करने का कोई उपाय करेगें?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी थी 1998 में एक हजार छः सौ बानवे पदों के सृजन के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, जिसमें हमारे पास से 933 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर दिये गये हैं कुछ और लोग आ रहें हैं ज्वाइन करने के लिए हम उनको भेज रहें हैं।

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर, क्या डाक्टर लोग एक दिन सप्ताह में ड्यूटी देने के लिए और बाकी दिन दुकान पर बैठने के लिए तैनात हैं?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में शुद्ध जल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

*1. -डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रदूषित हुए जल से महामारी फैलने का भय उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध जल की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु ऐसे स्थानों पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के आदेश दिनांक 19-8-98 को ही दिये जा चुके थे कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक प्रभाव से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशानुरूप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित ग्रामीणों के लिये जल निगम द्वारा निम्नानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	हैण्डपम्प सी संख्या
1	2	3
1	खीरी	सात
2	लखनऊ	पांच
3	पीलीभीत	दो

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हरदोई में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हरदोई में 1-7-98 से 31-10-98 तक 282 हैण्ड पम्प लगाये गये। अभी तक इस वर्ष में कुल 1613 हैण्डपम्प लगाये गये।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, हमारे यहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मल्लावां में कितने हैण्डपम्प लगाये गये?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

वर्ष 1995 से 1998 के मध्य मण्डल के संस्थाओं/कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में की गयी अनधिकृत नियुक्तियों में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*2-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डल के कतिपय

जिला प्रोबेशन अधिकारियों/प्रोबेशन अधिकारियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति प्राधिकार न होने के बावजूद उनके द्वारा मण्डल की विभागीय संस्थाओं/कार्यालयों में कतिपय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जनवरी, 1995 से दिसम्बर, 1998 के मध्य नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो अनधिकृत नियुक्तियों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-(महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री)-

जी हां, 3 जनपदों में कतिपय नियुक्तियां किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं।

सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कौन-कौन अधिकारी हैं, उनके क्या नाम हैं जिन्होंने अनियमित नियुक्तियां की, कब की और कब जांच के आदेश हुए जांच पूरी हुई या नहीं?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, उल्लिखित तिथि में सीतापुर में श्रीमती नकबी यह प्रोबेशन अधिकारी थी, मेरठ में एम0एल0साहू प्रोबेशन अधिकारी थे तीसरा-हरिद्वार में शारदा गोयल, प्रोबेशन अधिकारी थी। इन तीन जनपदों का मामला है, तीन में से दो के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित होने के किनारे है, आरोप-पत्र दे दिये गये हैं तीसरे प्रकरण में अभी सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी है प्रयास जारी है जैसे ही उपलब्ध हो जायेगी निश्चित कार्यवाही होगी। जहां तक तिथि का प्रश्न है, सीतापुर में 6-12-97 को, मेरठ में 10-3-99 को आरोप पत्र दिये गये।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी लीला जायसवाल जिनके पास मण्डल अधिकारी का चार्ज था, उन्होंने श्री अब्बास अली को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जब कि यह लखनऊ का मामला है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, लखनऊ से संदर्भित कोई सूचना हमारे पास नहीं है माननीय सदस्य यदि उपलब्ध करायेंगे तो यदि नियम के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होगी।

टिहरी बांध परियोजना के पूर्व प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों को आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने की जानकारी

*3-श्री लाखीराम जोशी-(अनुपस्थित)-

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि टिहरी बांध परियोजना के पूर्ण प्रभावित क्षेत्र के ग्राम बागी (सारज्यूला) के पास विस्थापितों को शासनादेशानुसार पुनर्वास स्थल बंजारावाला में अन्य एकड़ कृषि भूखण्ड व आवासीय प्लाट दिनांक 18-7-89 व 21-9-89 को टिहरी बांध परियोजना की भूमि आवंटन समिति के निर्णयानुसार पुनर्वास निदेशक टिहरी बांध परियोजना ने अपने पत्र संख्या-1058/पुनिवांपरि/आवंटन/89, दिनांक 17 जनवरी, 1990 के आदेश द्वारा आवंटन किया गया था? यदि हां, तो क्या आवंटित भूमि का कब्जा सम्बन्धित ग्रामीणों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। कृषि भूखण्ड व आवासीय प्लाट इस शर्त के साथ आवंटित किये गये थे कि सम्बन्धित विस्थापित व्यक्तियों को उनके ग्रामों की भूमि का बैनामा या भूमि के हस्तांतरण हो जाने पर ही पुनर्वास स्थल पर आवंटित प्लाटों का कब्जा नियमानुसार दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, क्योंकि अभी तक कब्जा नहीं दियां गया है। ग्राम बागी के प्रभावित परिवारों का पुनः निर्धारण किया जा रहा है और भूमि आवंटन/प्रतिकर का भुगतान पुनर्वास नीति के अनुसार किया जायेगा।

जनपद भदोही, ज्ञानपुर के कतिपय ग्रामों के नाली निर्माण में अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही की मांग

*1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में नलकूप नाली निर्माण में 1997-98 में कितना धन किस मद में अवमुक्त किया गया? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों में व्यापक पैमाने पर धांधली की गयी? क्या ग्राम सभा गांधी, पिंडरा, शेरपुरा तथा गोल खरा ग्राम के नलकूप की नालियों के निर्माण में भी अनियमितता की गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र, ज्ञानपुर में वर्ष 1997-98 में गूलों के जीर्णोद्धार हेतु विभिन्न मदों में निम्न प्रकार धन आवंटित हुआ:-

(1) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त धनराशि:-

(क) दस लाख कूप योजना से वर्ष 1997-98 में नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही में 4.68 लाख रुपया 15 जनवरी, 1998 को प्राप्त हुआ। समय अवधि कम होने के कारण यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में कराना सम्भव नहीं था, अतः धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जनवरी 1998 में ही समर्पित कर दी गयी थी।

(ख) नलकूप संख्या-29, ग्राम वेरला पहाड़पुर की नालियों में जीर्णोद्धार हेतु रुपया 1.20 लाख की धनराशि नलकूप खण्ड-ज्ञानपुर के पक्ष में 5-12-97 को अवमुक्त हुई। खण्डों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उक्त धनराशि का चेक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को 20-12-97 को वापस करते हुए इसे नलकूप अनुरक्षण खण्ड-भदोही के पक्ष में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया परन्तु उक्त धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।

(2) नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0-3 योजना :-
इस योजना के अन्तर्गत जनपद संतरविदास नगर में नलकूपों की नालों के जीर्णोद्धार हेतु कुल धनराशि रु0 11.94 लाख अवमुक्त हुई।

(3) जनपद योजना वर्ष 1997-98 में कुल रुपये 31.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी।

वर्ष 1997-98 में उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों में हुयी किसी धांधली का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

वर्ष 1997-98 में ग्राम सभा गांधी पिण्डरा शेरपुरा तथा गोलखरा ग्राम के नलकूपों की नालियों का कोई कार्य नहीं कराया गया है। अतः अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया है और जब 15 जनवरी को मुझे यह प्रश्न मिल गया तो मैंने अधिकारियों को कहा कि इसमें जांच की जाय और जिसके खिलाफ दोष सिद्ध होंगे [illegible] कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप की नालियां 50 प्रतिशत से अधिक ध्वस्त हो गयी हैं, किसान परेशान है और धन अवमुक्त होने के बावजूद ढाई-तीन महीने में जो काम हो सकते थे वे नहीं कराये गये हैं और उस धन का उपयोग नहीं किया गया है, तो क्या यह लापरवाही नहीं है इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सम्बन्धित प्रश्न मिलते ही जब हमने हस्ताक्षर किये तो सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दे दिया था, इसलिए जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही से कार्य नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जांच कराकर मंत्री जी कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें मंत्री जी ने उत्तर पहले ही दे दिया है।

प्रदेश में शुगर उद्योग के श्रमिकों को अंतरिम राहत दिये जाने का निर्णय

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

*2-क्या मन्त्री विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के शुगर उद्योग के श्रमिकों को 1998 मार्च में अंतरिम राहत देने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो कब तक अंतरिम राहत दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

चीनी उद्योग के श्रमिकों का वेतन निर्धारित शुगर वेज बोर्ड के संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। दिनांक 3 सितम्बर, 1998 को मा0 श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के विभिन्न प्रतिनिधि संगठन व चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1351/36-2-98-210(एस0एम0)/92, दिनांक 19 सितम्बर, 1998 निर्गत की गई। इसके अनुसार एक सितम्बर, 98 से अगले चार वर्षों के लिए चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों को वर्तमान में भुगतान किये जा रहें वेतन के अतिरिक्त रु0 150/- प्रति माह की दर से नियत भत्ते का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। तद्नुरूप ही चीनी उद्योग द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि श्रमिकों को जो 150 रुपया प्रति माह बढ़ा है जिसके भुगतान मालिकों को करना है तो वह बढ़ा हुआ पारिश्रमिक चीनी मजदूरों को दिया जा रहा है कि नहीं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह दिया जा रहा है।

वर्ष 1992 में यूपिका एवं हथकरघा निगम में जनता धोती घोटाले में दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की मांग

श्री राजधारी-

* 3-क्या वस्त्र उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1992 में यूपिका एवं हथकरघा निगम में हुए जनता धोती घोटाले की जांच का कार्य क्या पूरा हो चुका है? यदि हां, तो क्या उक्त घोटाले में अधिकारियों के दोषी होने का कोई पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुआ है? क्या केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लाखों रुपयों की सब्सिडी के भुगतान पर रोक लगा दी है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

जी हां-

जांच आख्या में कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की गयी है।

जी हां।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजधारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी इस तरह योजनाओं का करोड़ों रुपये का घपला करते हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जनता धोती घोटाला हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जनता धोती घोटाले में जांचोपरान्त कितने रुपये का घोटाला प्रकाश में आया है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इसमें कितनी सब्सिडी बन्द कर दिया है और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी और कार्यवाही कब तक करेगी?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा चलायी हुई जनता स्कीम के दो लाभ थे। एक तो बुनकरों का माल खरीदें और दूसरे उसे गरीबों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करायें। मान्यवर, भारत सरकार का इसमें पैसा लगा था वह निर्देशित करते थे कि किस तरह कार्य किया जाय। लेकिन दिसम्बर, 92 से इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया और इसका जो उद्देश्य था वह न होकर बड़े-बड़े दक्षिण के लोगों को लाभ पहुंचाया गया और यह फिर घोटाला पकड़ा गया। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले की किसी ने जांच नहीं कराई और जब हमारी सरकार बनी तो हमने इसमें श्री खण्डेलवाल से जांच कराया था लेकिन बाद में उनका स्थानान्तरण हो गया तो वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी श्री विजय शंकर पाण्डेय से जांच करायी

गयी और जांच में लगभग 1.70 करोड़ रुपये का घोटाला प्रकाश में आया। इसमें मुख्य रूप से जो दोषी पाये गये हैं उनके नाम है श्री आर0के शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक, इनको निलम्बित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी और बाद में उनके खिलाफ अपराधिक वाद दायर किया गया। दूसरे अधिकारी श्री वाई0 के0 जैन को दोषी पाया गया और तीसरे अधिकारी हैं श्री ए0के0 सिंह बघेल जो यूपिका में वरिष्ठ अधिकारी हैं इनको निलम्बित कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी है तथा नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त चौथे अधिकारी श्री आई0डी0 गुप्ता, महाप्रबन्धक, उद्योग विभाग के हैं जिन्हें निलम्बित कर एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर उन्हें दण्डित करने की संस्तुति की गयी है। निगम में जो प्रबन्ध निदेशक थे श्री पी0डी0 सुधाकर यह आई0ए0एस0 अधिकारी हैं और इनके अलावा श्री सुधीर कुमार जो एम0डी0 यूपिका में थे उनको चेतावनी दे दी गयी है।

श्री राजधारी-

मान्यवर मेरा मूल प्रश्न है कि इस योजना की जो मूल भावना थी साधारण आदमी को, किसान को सब्सिडी उपलब्ध कराना, उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ। इसके बजाय कपड़ा थोक में बेच दिया गया। मद्रास की पार्टी को, दिल्ली की पार्टी को बेच दिया गया। मंत्री जी ने कहा कि थोक में बिक्री बड़े अधिकारियों के टेलीफोन पर हुई। आपने इस भ्रष्टाचार के लिए दण्ड दिया छोटे-छोटे अधिकारियों को जिन अधिकारियों की मुख्य भूमिका थी, जो यूपिका के डाइरेक्टर थे जो एम0 डी0 थे उन्हें केवल चेतावनी ही दी गई। मोटी मछली बची रही और छोटी मछलियों को दबोच रहे हैं। जब मोटी मछली प्रकाश में आ गई है तो फिर उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है।

श्री सरदार सिंह-

अधिष्ठाता जी, यह तो प्रकृति का नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हमारे एम0डी0 स्तर के जो अधिकारी थे उनका काम सुपरविजन का था। इसमें जो लोग डाइरेक्ट इनवाल्व थे उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की है और सुपरविजन में जो असावधानी बरती गई उसके लिए उनको चेतावनी दी जा चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट तो उनके समक्ष आ ही गई होगी, इसके बाद उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। जब जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि श्री सुधीर कुमार और श्री एस0 के0 सिंह का यह कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति का है तो फिर ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुझे याद है कि शायद मंत्री जी ने सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने की कोई संस्तुति या आदेश भी दिये थे। मान्यवर

केरल में, आन्ध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और दिल्ली में इसका सौदा हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच क्यों नहीं करायी जा रही है। मैं चाहता हूं कि सी0बी0आई0 से इसकी जांच करायी जाये। दूसरे, सवाल यह नहीं है कि बड़ी मछली को छोड़ दिया गया, बल्कि सवाल यह है कि ऐसे लोगों को बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करके कार्मिक और नियुक्ति सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी गई। ऐसे संवेदनशील पद पर इस सरकार ने उनको इसलिए पुरस्कृत कर दिया कि इसमें सरकार की भागीदारी तो नहीं है। बजाय दण्डित करने के इस सरकार द्वारा ऐसे लोगों को पुरस्कृत कर दिया गया। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इतना सब होने के बाद भी क्या इन लोगों को सर्वोच्च नियुक्ति के पद से हटाकर उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी?

श्री सरदार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी जब यह भ्रष्टाचार हुआ वर्ष 1992-93 में तब से कितनी ही सरकारें आई हैं। माननीय सदस्य की सरकार भी आई। हमारे सदस्य को तो इसकी प्रसंशा करनी चाहिए कि हमने इस भ्रष्टाचार पर नजर पड़ते ही सबसे वरिष्ठ व ईमानदार आई0ए0एस0 विजय शंकर पाण्डे को जांच के लिए नियुक्त किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिसे आप ईमानदार अधिकारी मानते हैं उसकी जांच रिपोर्ट पर और इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करायें, सी0बी0आई0 से जांच करायें।

श्री सरदार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, विजय शंकर पाण्डेय के बाद यह जांच मुख्य सचिव स्तर से करायी गयी और जो रिपोर्ट आई और उसमें कुछ बिन्दु ऐसे थे जो पहली जांच से डिफर कर रहे थे और जिन बिन्दुओं को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला जो भी अनियमितता हुई उसमें वे सीधे रूप से जिम्मेदार नहीं थे। जो विजय शंकर जी की रिपोर्ट थी और मुख्य सचिव ने उसके बाद जो जांच की, उसमें उनका दोष कम पाया गया, इसलिए उनको चेतावनी दे दी गयी।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मैं माननीय मंत्री जी को घोटाले की जांच कराने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक बार जांच हो गयी और जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गयी तो दुबारा जांच कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस घोटाले के कारण यूपिका को एक करोड़ 60 लाख रुपये की सब्सिडी की हानि उठानी पड़ी माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है किन्तु जो बड़े अधिकारी उसमें है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, केवल चेतावनी दे दी गयी है, मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही करायी जाये।

मान्यवर, 26 जून, 98 को यह जांच निष्कर्ष मिल गये। उसके बाद उन पर फिर जांच करायी गयी और जो दोषी व्यक्ति हैं उसको नियुक्ति सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है जिससे वह अपने आदमियों को भेज कर अपने इस घोटाले को दबवाने का काम करेगा। जनता के पैसे का जिन चीनी मिल मालिकों ने भुगतान नहीं किया था उसको मन्त्री जी ने जेल भेजने का काम किया है तो फिर जनता के पैसे का छत्तापहरण करने वाले इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता करने वाली नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो एफ0आई0आर0 करायी जायेगी और जेल के सीखचों में भेजा जायेगा किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह गंभीर प्रकरण है जिसमें घोटाले को सरकार ने खुद स्वीकार किया है। इस अधिकारी को सम्मानित करने का काम सरकार ने किया है जिससे मान्यवर, मेरी मांग है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेजने की कृपा करें। मैं लिखकर भी दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह गंभीर प्रश्न है। जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने बताया यह स्पष्ट है इस मामले में घपला किया गया और इसमें केवल चेतावनी दी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट कब आयी और इस मामले में केवल चेतावनी दे देने को क्या मंत्री जी पर्याप्त मानते हैं?

श्री सरदार सिंह-

मेरा निवेदन है कि मुख्य सचिव सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्होंने स्वयं जांच की, जांच के बाद जो निष्कर्ष निकले और उन्होंने जो संस्तुति की उसके अनुसार कार्यवाही की गयी। इसको प्रश्न सन्दर्भ समिति को भेजने का औचित्य नहीं है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आपने एक जांच करवा ली और आपकी सरकार जिसको ईमानदार अफसर मानती है, श्री विजय शंकर पाण्डेय को उनसे जांच करायी गयी और उन्होंने जांच रिपोर्ट दी तो फिर बाद में कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी कि उसको एक जिम्मेदारी की जगह पर बैठा दिया जाय। वह जांच को प्रभावित करने के लिये अपने भ्रष्ट

लोगों को वहां लगा देगा। सुधीर कुमार प्रदेश के बड़े-बड़े अफसरों से पैसा लेने का काम कर रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है। कौन सा व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया जिसकी वजह से आप इसमें कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुधीर कुमार के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भिजवाया जायेगा?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, जैसा मैंने कहा माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी से समझौता करने के लिये तैयार नहीं है।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, निष्पक्ष जांच हो गयी है। जांच में जो बिन्दु आये हैं, जिसकी जितनी गलती है उसको उतना ही दण्ड दिया जा रहा है और उसके लिए कार्यवाही हो गयी है। कोई भी दोषी अधिकारी जेल जाने से बच नहीं पायेगा। एम0डी0 की स्लैकनेस पायी गयी है, उनको चेतावनी दे दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान शोर)

* 4-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

* 5-डा0 सरजीत सिंह डंग-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।)

प्रदेश के मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी बनाने हेतु पदों के सृजन एवं बजट के निहित अधिकार के विवरण की जानकारी

श्री केशो मेहरा-

* 6-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजों को शासन के आदेश पर स्वायत्तशासी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त स्वायत्तशासी इकाइयों में पदों के सृजन एवं बजट का अधिकार निहित किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

जी हां।

नोट:- नत्थी (घ) के तारांकित, प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी नहीं। स्वायत्तशासी मेडिकल कालेज समितियों में पदों का सृजन पूर्व की भांति शासन के अनुमोदन से किया जायेगा क्योंकि कालेज पूर्णतया स्वावलम्बी नहीं है और वेतन/भत्तों के लिए शासन पर निर्भर है। शासन द्वारा जो वर्तमान में मेडिकल कालेजों को आयोजनागत व आयोजनेत्तर पक्ष में बजट दिया जा रहा है, वह पूर्व की भांति दिया जाता रहेगा। आयोजनेत्तर अनुदान को दो ब्लाक में बांट दिया जायेगा। एक ब्लाक में बचनबद्ध आइटम्स, जिनमें वेतन व भत्ते शामिल होंगे, आयेगें तथा दूसरे ब्लाक में अन्य मदें आयेंगी। प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि उसी ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली मदों में धनराशि पुनर्विनियोग कर सकें।

*7-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(09 वें शुक्रवार में ता0 प्र0 स0 -7 के अर्न्तगत स्थानान्तरित)

सहकारी गन्ना समिति छितौनी (कुशीनगर) के कास्तकारों से कर्ज की वसूली न करने तथा गन्ने मूल्य का भुगतान, विषयक जानकारी

*8-श्री दीपलाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति, छितौनी, (कुशीनगर) घाटे में है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 में गन्ना कास्तकारों से बिना कर्ज वसूली किये ही गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है? क्या इससे घाटा अत्यधिक बढ़ जायेगा? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन-कौन हैं? क्या दोषी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

वर्ष 1998-99 में गन्ना कास्तकारों से कर्जा वसूल किये बिना उनको कोई भुगतान नहीं किया गया।

घाटा बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं के पुनर्वास जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के प्रान्तीयकरण के बाद पुनर्गठन के प्रस्ताव की जानकारी

*9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीयकरण के बाद जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की भू0पू0 सैनिकों/उनकी विधवाओं के पुनर्वास को ध्यान में रखकर उसके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी नहीं।

शासन के संसाधनों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

सिंचाई खण्ड (द्वितीय) लखीमपुर खीरी को विघटित करने का प्रस्ताव एवं बाढ़ पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना की स्थिति

*10-डा0 कौशल किशोर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय लखीमपुर खीरी को विघटित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद खीरी के बाढ़ग्रस्त होने के कारण बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिये क्या कोई योजना बनायी जा रही है? यदि हां, तो क्या सिंचाई खण्ड द्वितीय को विघटित करने के स्थान पर बाढ़ नियंत्रण खण्ड बनाकर बाढ़ समस्या के समाधान के लिये सिंचाई खण्ड द्वितीय को लखीमपुर में ही रखा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

पर्याप्त कार्य न होने के कारण शासनादेश सं0:सअ-586/99-27-सि-8-7अ/99, दिनांक: 9 मार्च, 99 द्वारा सिंचाई खण्ड-2, लखीमपुर-खीरी के पुनर्गठन से सम्बन्धित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

जी हां।

जी नहीं।

बाढ़ समस्या के समाधान के लिए सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर-खीरी पूर्व से ही कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(7 वें मंगलवार में ता0 प्र0स0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के प्रस्ताव भी विधायकों की सहमति से लेने की जानकारी

*12-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना का प्रस्ताव क्या विधायकों द्वारा लिया जाना बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो

क्यों? क्या सरकार पहले की भांति विधायकों से भी जवाहर रोजगार योजना का प्रस्ताव लेने का निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद को आवंटित निधियों का 70 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों में एवं 15 प्रतिशत अंश क्षेत्र पंचायतों में आवंटित किया जाता है। शेष 15 प्रतिशत निधियां जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के उपयोगार्थ आवंटित की जाती है। प्रश्नगत योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार कार्यों का अनुमोदन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य माननीय विधायक भी हैं जिसमें प्रस्ताव मा0 सदस्य द्वारा भी दिये जा सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव माननीय विधायक एवं अन्य सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन के उरई में आयोजित नेत्र शिविर में 4 लोगों के आंखों की रोशनी चले जाने सम्बन्धी प्रकरण पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*13-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के उरई में सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्थान समिति द्वारा दिनांक 5-03-98 को एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था? उक्त शिविर द्वारा किये गये नेत्र आपरेशन में अनेक व्यक्तियों की आंखो की रोशनी चले जाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर क्या निदेशालय स्तर से निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) द्वारा की गयी जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट में दो डाक्टरों एवं नेत्र सहायक के विपरीत कठोर कार्यवाही किये जाने एवं एक डाक्टर को निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।
जी हां।
जी हां।

निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) की जांच आख्या प्राप्त होने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की जांच रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निम्नलिखत कार्यवाही की गयी:-

(1) जिला अन्धता नियंत्रण समिति के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक डा0 एम0पी0 श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया।

(2) नेत्र शिविर आयोजित करने वाली संस्था-सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उत्थान समिति, उरई को काली सूची में डाल दिया गया तथा उसका समस्त भुगतान रोकते हुए भविष्य में उक्त संस्था द्वारा आपरेशन नहीं कराये जाने के निर्देश दे दिये गये थे।

(3) डा0 एन0 के0 सक्सेना, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा, जालौन को शिथिलता बरतने के लिए निलम्बित किया जा चुका है।

(4) डा0 एम0 के0 जैन, नेत्र शल्यक, जिला सचल इकाई, जालौन को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए उरई जनपद से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(5) श्री हरचरण लाल वर्मा, नेत्र सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा को निलम्बित किया जा चुका है।

चूंकि निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में मुख्य आरोपी समान पाये गये एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को दण्डित किया जा चुका है। अतः पुनः निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) की जांच आख्या के आधार पर उन्हीं आरोपियों को पुनः दण्डित किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

रेशम निदेशालय की साज-सज्जा हेतु क्रय की गई सामग्री में हुई अनियमितता की जांच

*14-श्री लाल सिंह वर्मा-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि रेशम निदेशालय की साज-सज्जा हेतु क्रय की गयी सामग्री में हुई अनियमितताओं की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या सरकार जांच रिपोर्ट में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हां।
जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
जी हां।
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्।
प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के ज्ञापन पर लिये गये निर्णय की जानकारी

*15-श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश द्वारा कोई ज्ञापन दिनांक 28-12-98 को सात सूत्रीय मांगों सहित माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कोई निर्णय लिया गया? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में बुनकर कालोनियों का निर्माण

*16-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कतिपय बुनकर बाहुल्य जनपदों में बुनकर कालोनी निर्मित कराये जाने हेतु वर्ष 1997-98 में भारत सरकार से प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह स्थान कौन-कौन हैं जहां बुनकर कालोनी निर्मित कराने पर सरकार विचार कर रही है ? उन कालोनियों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि जनपद सीतापुर तथा बनारस में भूमि उपलब्ध हो चुकी है फिर भी कालोनी का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह-

जी नहीं। वर्ष 1997-98 में बुनकर कालोनी के निर्माण के लिये भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1997-98 से पूर्व भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से जनपद सीतापुर में भूमि उपलब्धता के आधार पर 100 आवासों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें अब तक 70 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इसी प्रकार जनपद वाराणसी/मिर्जापुर में भूमि उपलब्ध है जिस पर आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

*17-श्री राम औतार शास्त्र-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)।

वर्ष 1998 से विकलांगों को पेंशन का भुगतान न होने के कारणों की जानकारी

*18-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में विकलांगों को

मासिक पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी? क्या यह सही है कि माह जुलाई, 1998 से विकलांगों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हां।

रुपया 100/- प्रति माह। इस सम्बन्ध में किसी भी जनपद से भुगतान न करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लागू नहीं।

एक्सरे टैक्नीशियन की भांति फार्मेसिस्ट को पदोन्नति दिये जाने की मांग

*19-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्सरे टैक्नीशियन को दिये जा रहे वेतनमान में, फार्मेसिस्ट की तरह सेवाकाल में दो पदोन्नति किये जाने के प्राविधान को लागू करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के कर्मचारी संगठन की मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

वित्तीय उपाशय निहित है। इस सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर यथा-समय नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद टूण्डला, ब्लाक-नारखी, ग्राम-मिलिख में खारे पानी से हुई बीमारियों के निदान की मांग

*20-श्री शिव सिंह चक-

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में स्थित ग्राम मिलिख में भयंकर खारे पानी के प्रयोग से बच्चे, जवान, बूढ़ों के हाथ पैर अपाहिज एवं कूबड़ की बीमारियां हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निदान हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

उक्त बीमारी के उपचार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए:-

(1) दिनांक 3-11-98 को उक्त ग्राम में उपचार हेतु एक दल भेजा गया था, वहां विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद 44 व्यक्ति फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित पाए गए, उन्हें उपचारित किया गया।

(2) उपचार दल द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से उक्त ग्राम में फ्लोराइड युक्त जल का प्रयोग न करने हेतु कहा गया है।

(3) ग्राम सिलिख के नजदीकी ग्राम कायथा में उपलब्ध शुद्ध पेय जल की आपूर्ति हेतु जिला अधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-सीतापुर, तहसील-सिधौली, ग्राम पंचायत कमलापुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर चीनी मिल का निर्माण

1-श्री श्याम लाल रावत-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कमलापुर की भूमि पर चीनी मिल का निर्माण कराने के लिये दिल्ली की प्राइवेट फर्म मैग्ना एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को केन्द्र सरकार ने लाइसेन्स दिया है? क्या उक्त फर्म मिल का निर्माण कमलापुर के बजाय अम्बेडकर ग्राम पंचायत दाऊदपुर और उसके मजरा नजीराबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की जाने वाली ग्राम पंचायत की प्रस्तावित भूमि और वहीं की गरीबी सीमा से बहुत नीचे जीवन यापन कर रहे 31 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की 34 एकड़ भूमि पर चीनी मिल का निर्माण करा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि को मुक्त कराकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वापस करायेगी और मिल मालिकों या प्रबन्धकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

चीनी मिल का निर्माण कमलापुर से लगभग 3 कि0मी0 दूर स्थित मौजा छरासी की 2.254 हेक्टेयर भूमि व दाऊदपुर की 31.073 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा है, जिसमें 15.690 हेक्टेयर भूमि गांव सभा की नियमानुसार पुनर्ग्रहण करके तीस वर्षीय पट्टे पर दी गयी है तथा शेष भूमि काश्तकारों की है, जिसका बैनामा सम्बन्धित मिल ने काश्तकारों से सीधे कराया है। इसमें अनुसूचित जाति के कुल 70 खातेदार तथा 39 किता क्षेत्र 12.916 हेक्टेयर भूमि भी शामिल है। शेष भूमि अन्य काश्तकारों की है। प्रश्नगत गांव सभा की भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित नहीं थी।

जी नहीं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छा से मिल के पक्ष में

बैनामा किया है, इसलिये उनकी भूमि वापस दिलाने या मिल मालिकों अथवा प्रबन्धकों के विरुद्ध किसी वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बरेली के कृषकों को वर्ष 1997-98 में डीजल इंजन पम्पिंग सेट हेतु अनुदान के दुरुपयोग रोकने के उपाय

2-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जिला-बरेली में कितने कृषकों को डीजल इंजन/पम्पिंग सेटों के खरीदने हेतु अनुदान दिया गया है? क्या यह सही है कि जिन कृषकों को अनुदान दिया गया है उनके द्वारा उक्त इंजन न खरीदकर धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सुनिश्चितता हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

वर्ष 1997-98 में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत 1016 कृषकों को डीजल इंजन/पम्पसेट खरीदने हेतु अनुदान दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही एवं गरीबी रेखा जीवनयापन लोगों को उक्त आवास उपलब्ध कराने की जानकारी

3-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-3/16534/मथुरा/98, दिनांक 24-9-98 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उक्त आवासों को गरीबी रेखा पर जीवन यापन करने वालों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। कृत कार्यवाही की जानकारी की जा रही है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को वरीयताक्रम में इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

बांदा में डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा कतिपय वर्षों में कृषकों को मिलने वाले अनुदान पर ब्याज में छूट की स्थिति

4-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सीमान्त कृषक योजना (एस0एम0एफ0पी0) अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग पर स्थापित पम्प सेटों पर वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 शाखा कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा लाभान्वित कृषकों को डी0आर0डी0ए0, बांदा द्वारा क्या अनुदान देना शेष है ? क्या सरकार लाभान्वित कृषकों को समय से न मिलने वाली अनुदान धनराशि पर लगने वाले ब्याज पर कोई छूट देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

जी हां,

वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 के सभी लाभान्वित कृषकों को अनुदान की सुविधा डी0आर0डी0ए0 बांदा द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 1992-93 के लाभान्वित कुछ कृषकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना शेष है। वर्ष 1992-93 के 20 कृषकों को अनुदान डी0आर0डी0ए0 बांदा द्वारा उपलब्ध कराया जाना शेष है।

जी नहीं,

शासन द्वारा समय से न मिलने वाली अनुदान की धनराशि पर लगने वाले ब्याज पर छूट देने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

जनपद चित्रकूट वर्ष 1994-95 में जवाहर रोजगार योजना सम्पर्क मार्गों के कार्य की मजदूरी एवं खाद्यान्न विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

5-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में 1994-95 के वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत भौंरों से हरदौली सम्पर्क मार्ग में (विकास खण्ड मानिकपुर) मिट्टी का कार्य कराया गया था? क्या काम के बदले खाद्यान्न के कूपन लगभग 70 कुन्तल मजदूरों के पास शेष हैं ? क्या उक्त भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28-11-97 को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को मस्टररोल एवं अवशेष कूपनों की छाया प्रतियां उपलब्ध करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मजदूरों को खाद्यान्न दिलाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त खाद्यान्न कब तक दिलाया जायेगा?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य जवाहर रोजगार योजना के बजाय सुनिश्चित रोजगार योजना के

अर्न्तगत कराया गया था।

जी नहीं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मात्र 28 कुन्तल के कूपन मजदूरों के पास शेष हैं।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत मस्टररोल एवं अवशेष कूपनों की छाया प्रतियां उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

जी नहीं।

जिलापूर्ति अधिकारी, बांदा को खाद्यान्न वितरण हेतु धन उपलब्ध कराया गया था, परन्तु जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, बांदा द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध न कराये जाने के कारण खाद्यान्न वितरण नहीं कराया जा सका है।

जिलापूर्ति अधिकारी, बांदा एवं जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, बांदा द्वारा खाद्यान्न/धनराशि प्राप्त होने पर वितरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में ट्रेप केस में गिरफ्तार कर्मचारियों के स्थानान्तरण विषयक निदेशक स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

6-श्री राम नक्षत्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में दिनांक 04-1-97 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रेप का आयोजन कर कुछ कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था? क्या ट्रेप केस के अभियुक्तों द्वारा ट्रेप केस के गवाहों को नाना प्रकार से परेशान करने के कारण पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपने पत्रांक एस0टी0/कम्प-शासन-15/98(66/383) दिनांक 18-7-98 और अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक अ0नि0/जांच 98-99/5642, दिनांक 9 अगस्त, 1998 द्वारा निदेशक, प्रशासन स्वास्थ्य भवन, उ0 प्र0, लखनऊ को ट्रेप केस के अभियुक्तों को सिद्धार्थनगर से बाहर तत्काल स्थानान्तरित करने हेतु पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 14-1-97 को नहीं, बल्कि दिनांक 4-1-1997 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रेप का आयेजन कर दो कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था।

एक शिकायती-पत्र की जांच के सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर एवं अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा उक्त संस्तुतियां की गयी थी। महानिदेशक के आदेश दिनांक 15 मार्च, 1999 द्वारा जारी निलम्बित लिपिकों को जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर से मुख्य चिकित्साधिकारी,

कार्यालय, बस्ती से सम्बद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के लैब टेक्निशियनों द्वारा अधिक वेतन लेने की वसूली पर कार्यवाही की मांग

7-श्री राम नक्षत्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में कार्यरत दो लैब टेक्निशियनों जो कि शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान न लेकर अधिक वेतनमान में वेतन लेने के कारण शासन के चिकित्सा अनुभाग-7 के पत्रांक 939/5-7-आठ/98, दिनांक 17-4-98 के परिप्रेक्ष्य में अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांचोपरान्त अपने पत्रांक अ0नि0/जांच/98-99/1445। दिनांक 30 दिसम्बर, 1998 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त वेतनमान से अधिक जो वेतन लिया गया है उसे वसूली करने एवं निर्धारित वेतनमान में ही वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जांचोपरान्त अधिक वेतन की वसूली फरवरी 1999 से प्रारम्भ कर दी गई है और इन कर्मचारियों को देय वेतनमान रु0 4000-6000 में वेतन निर्धारित कर दिया गया है। जी हां, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर पुवायां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष/महिला डाक्टर की नियुक्ति

8-श्री चेतराम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के प्रा0 स्वा0 केन्द्र में कुल कितने डाक्टरों की तैनाती शासन से स्वीकृत है तथा वर्तमान समय में कितने डाक्टर कार्यरत हैं? क्या शासन द्वारा स्वीकृत चिकित्सकों से तैनात चिकित्सकों की संख्या कम हैं? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत डाक्टरों की तैनाती की जायेगी? क्या सरकार प्रा0 स्वा0 केन्द्र पुवायां में एक महिला डाक्टर की भी तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुवायां वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुवायां के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है जिसमें चिकित्साधिकारी के सात पद स्वीकृत हैं तथा पांच पद भरे हुए हैं। जी हां। दो पद रिक्त हैं।

शहजहांपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 21 नव-नियु चिकित्सकों को तैनात किया गया है। एक महिला चिकित्सक की तैनाती की चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सेफ्टी नेट योजना सिफसा में व्यापक भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पक्ष पर कृत कार्यवाही की मांग

9-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 1-9-मा0 मंत्री जी तथा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को तथा संयुक्त निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्य लखनऊ को जनपद शाहजहांपुर में सेफ्टी नेट योजना सिफसा में व्यापक भ्रष्टाचार गबन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों?

परिवार कल्याण मातृ शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह-

जी हां।

शिकायती बिन्दुओं की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

(दिनांक 17-2-99 को अता0प्र0सं0 64 द्वारा उत्तरित)।

जनपद बलरामपुर पचपेड़वा के कतिपय मार्गों के निर्माण की जांच विषयक प्रश्नक के पक्ष पर कार्यवाही की जानकारी

11-श्री बिन्दु लाल-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे विकास खण्ड पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर में बरगधई से तिरकोलिया मार्ग व धवाई मानपुर व मैसड़ी विकास खण्ड में जिगनिहवा से कनेहईडीह मार्ग बनाने के वर्ष 1996-97 व 1997-98 में धन स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या इन मार्गों कार्य पूर्ण हो गया है? क्या इसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने कई बार लिखित व मौ रूप से जिला योजना व डी0आर0डी0ए0 की मीटिंग में की है? क्या इसकी कराई गई? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हां।

जी नहीं। विकास खण्ड पचपेड़वा में सम्पर्क मार्ग वरगदही से तिरकोलिया पर 4 पुलिया तथा धवाई से मानपुर पर दो पुलिया का कार्य अवशेष हैं।

जी हां।

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में वर्ष 1995-98 तक कराये गये कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

12-श्री बिन्दु लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0आर0डी0ए0 गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में किन-किन कार्यदायी संस्था को जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा व गैसड़ी विकास खण्डों में किन कार्यों हेतु धनराशि दी गयी थी? क्या वह कार्य पूरे हो गये? क्या यह सही है कि उसमें बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में जिन-जिन कार्यदायी संस्थाओं को जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा व गैसड़ी विकास खण्डों में जिन कार्यों हेतु धनराशि दी गयी थी, उनके विवरण क्रमशः संलग्न-1 एवं-2 पर अंकित हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। कतिपय कार्य धनराशि के अभाव में अधूरे हैं, जिन्हें धनराशि की उपलब्धता पर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 267 पर)

जनपद बहराइच में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दवा एवं बचाव मद में उपलब्ध/व्यय धनराशि की जानकारी

13-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दवा एवं अन्य बचाव मद में कितनी धनराशि खर्च की गयी है? क्या उक्त धन के अतिरिक्त सरकार द्वारा बचाव एवं अन्य खर्च हेतु कोई धनराशि उपलब्ध कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद बहराइच में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दवा एवं अन्य मद

(औषधि एवं रसायन मद) में वित्तीय वर्ष 1998-99 में आवंटित धनराशि रुपया 7,19,300 में से रुपया 5,23,300 व्यय किया जा चुका है एवं रुपया 1,96,000 अवशेष है।

उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त दैवी आपदा राहत निधि से रुपये 3.00 लाख औषधि/विसंक्रमक/कीटनाशक मद में तथा रुपये 1.00 लाख मोबाइल/संचार/मेडिकल टीम इत्यादि से उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, चीनी मिल न्यौली के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा गन्ना किसानों की मांगो पर जांच एवं परिणाम की जानकारी

14-श्री नेतराम सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले के चीनी मिल न्यौली के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ गन्ना किसानों का 8 सूत्रीय शिकायती-पत्र गन्ना आयुक्त को माह दिसम्बर, 1998 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन अधिकारी थे? जांच के परिणाम क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जिलाधिकारी, एटा द्वारा जांच की जा रही है। जिलाधिकारी को नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर में नलकूप की स्थापना बिना जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

15-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना शासी निकाय तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के मिर्जापुर जनपद के कौन विकास खण्ड में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मिर्जापुर द्वारा नलकूप की स्थापना की गयी है? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा विकास खण्ड कोन के ग्राम नेवढ़िया गोहानी की सीमा पर एक नग नलकूप का निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता के

अनुरोध पर जनहित में दिनांक 13-7-98 को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की स्वीकृति से कराया गया है। उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जांच करायी जा रही है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा टेलीफोन पर विगत तीन वर्षों में व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

16-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1997 से सितम्बर, 1998 तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा टेलीफोन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है? गत 3 सालों में कितनी धनराशि व्यय की गयी थी? क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों के अनुपात में उससे अधिक धनराशि टेलीफोन के उपयोग में व्यय की गयी है? यदि हां, तो क्या दोषी को कोई दण्ड दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा माह अक्टूबर, 1997 से सितम्बर, 1998 तक टेलीफोन कालों पर कुल रु0 95,579.00 व्यय किया गया। गत तीन वर्षों में व्यय का विवरण निम्नांकित है:-

(1) अक्टूबर, 94 से सितम्बर, 95 तक रु0 89,326.00

(2) अक्टूबर, 95 से सितम्बर, 96 तक रु0 1,47,913.00

(3) अक्टूबर, 96 से सितम्बर, 97 तक रु0 2,63,611.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा वाहनों पर डीजल, पेट्रोल हेतु व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

17-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1997 से सितम्बर, 1998 तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर में लगभग 10 लाख रुपये वाहनों को चलाने हेतु डीजल एवं पेट्रोल इत्यादि पर खर्च किया गया है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इसी अवधि में कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों की अपेक्षा अधिक धनराशि व्यय की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा माह अक्टूबर, 1997 से माह सितम्बर, 1998 तक रु0 6,08,033.00 लाख वाहनों को चलाने हेतु डीजल एवं पेट्रोल इत्यादि पर व्यय किया गया है। गत तीन वर्षों में व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित है:-

(1) अक्टूबर, 94 से सितम्बर, 95 तक रु0 6,81,557.00

(2) अक्टूबर, 95 से सितम्बर, 96 तक रु0 5,92,339.00

(3) अक्टूबर, 96 से सितम्बर, 97 तक रु0 6,51,528.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1997-98 गन्ना समितियों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के धन से कर्मचारियों को वेतन देने एवं बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कार्यवाही की जानकारी

18-श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गन्ना समितियों ने घाटे के कारण गन्ना मूल्य भुगतान के धन से अपने कर्मचारियों का वेतन दे दिया है क्या उन समितियों से पिछले सत्र 1997-98 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। वर्ष 1997-98 के चीनी मिलों से प्राप्त गन्ना मूल्य का समस्त भुगतान कृषकों को किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में नहरों की देखरेख हेतु बेलदारों की नियुक्ति के पश्चात् नहरों के अनुपयोगी होने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

19-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में स्थित नहरों की देख-रेख हेतु कितने अस्थाई (दैनिक) बेलदारों को नियुक्त किया गया है और उनको प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है? क्या यह सही है कि नहरों की सफाई व मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि को अस्थाई बेलदारों को वेतन में दिया जा रहा

है और नहरें अनुपयोगी होती जा रही हैं? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

गंगा घाटी संगठन के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के वर्षाकाल में नहरों की देख-रेख हेतु तीन माह के लिए रु0 35 प्रतिदिन की दर पर 103 दैनिक बेलदारों को रु0 3.09 लाख का पारिश्रमिक दिया गया है, इसके अतिरिक्त 47 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जो 240 दिन से अधिक अवधि के हैं, को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह रु0 0.93 लाख वेतन के रूप में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 340 कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी रखा गया है, जिन पर प्रतिमाह रु0 8.20 लाख व्यय हो रहा है।

आंशिक रूप से नहरों पर लगाए गए दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों व कार्यप्रभारित कर्मचारियों को अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि से वेतन दिया जा रहा है। अनुरक्षण मद में स्वीकृत सामान्य प्राक्कलन की तुलना में आवंटन कम होने के कारण नहरों के रख-रखाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस दिशा में सुधार हेतु सरकार जागरूक है।

जनपद हरदोई, गौतरा तथा नसीरपुर माइनरों की खोदाई एवं सफाई करा कर पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

20-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गौतरा माइनर की सफाई व खोदाई न होने के कारण पानी टेल तक न पहुंचने के कारण कृषकों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पर रही है? क्या सरकार कृषकों के हित में उक्त माइनर की सफाई व खोदाई करवाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

जी हां। माइनर के पुर्नस्थापना का कार्य यथासम्भव मार्च, 99 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

21-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नसीरपुर माइनर की सफाई व खोदाई न होने के कारण पानी टेल तक न पहुंचने के कारण कृषकों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या सरकार कृषकों के हित में उक्त माइनर की सफाई व खोदाई करवा कर सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि

नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

जी हां। नहर की सफाई का कार्य मार्च, 1999 के अन्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई मल्लावां के ग्राम हैवतपुर की जलमग्न भूमि पर ड्रेन की ठीक प्रकार से खुदाई न करने तथा साइफन ध्वस्त होने के कारण जल निकासी न होने से आवागमन पर प्रभाव

22-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 - मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हैवतपुर में लगभग एक हजार एकड़ भूमि जलमग्न है? क्या उक्त भूमि के जलमग्न होने के कारण लालपुर कन्हरी ड्रेन, मोना ड्रेन हैवत पुर ड्रेन व जलवाखेड़ा ड्रेन को ठीक प्रकार से खुदाई न करना है? क्या मोना ड्रेन पर साइफन भी पूर्ण रूप से ध्वस्त होने के कारण जानता का आवगमन अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार इन ड्रेनों की मानक के आधार पर खुदाई कराकर जलमग्न भूमि से जल निकासी तथा साइफन ठीक कराकर जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी, नहीं।

जी हां।

मोना ड्रेन व जलवा खेड़ा ड्रेन का सुधार कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है। गत वर्ष हैवतपुर ड्रेन के 1.2 कि0मी0 भाग में सफाई का कार्य कराया गया था, इस वर्ष इसकी सफाई का कोई प्रस्ताव नहीं है। लालपुर कन्हरी ड्रेन के सुधार कार्य का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। मोना ड्रेन पर क्षतिग्रस्त साइफन के बनाये जाने का प्रस्ताव इस ड्रेन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद गोरखपुर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर स्थानान्तरण कर कार्य मुक्त किये जाने की जानकारी

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक, चिकित्सा एवं एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर में कार्यरत स्टेनों, वरिष्ठ लिपिक व एकाउन्टेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत पर ए0डी0एम0, गोरखपुर द्वारा जांच में सही पाये जाने पर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संस्तुति पर स्थानान्तरणोपरान्त कार्यमुक्त किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कर्मियों को कार्यमुक्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित आशुलिपिक को अपर निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, गोरखपुर के आदेश दिनांक 22-9-98 द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है। शासनादेश दिनांक 9-9-98 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक एवं एकाउन्टेंट का स्थानान्तरण आदेश निरस्त हो जाने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा के विरुद्ध विधायक कोष्ठक के पक्ष पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजकुमार त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा, नहर आगरा के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक:सी0एम0/वि0को0/एम-3/1124/मथुरा/98, दि0 25-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी मिर्जापुर के सभा कक्ष पर आई0आर0डी0पी0 की मद से व्यय धनराशि पर जांच की मांग

25-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास की आपत्ति के बावजूद मिर्जापुर में जिला अधिकारी के सभा कक्ष पर रुपये 2.60 लाख आई0आर0

डी0पी0 मद से व्यय किये गये? यदि हां, तो क्या यह खर्च नियमित है? यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद मिर्जापुर में जिलाधिकारी के सभाकक्ष की साज-सज्जा हेतु आई0आर0डी0पी0 की अवस्थापना मद से 2.00 लाख रुपये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मिर्जापुर की शासी निकाय की बैठक दि0 9-3-98 द्वारा अनुमोदित किया गया था। आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र दिनांक 3-8-98 द्वारा सभागार की साज सज्जा हेतु एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की अवस्थापना मद के स्थान पर किसी अन्य अनुमन्य मद से व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गये थे। आई0आर0डी0पी0 के प्रशासनिक मद से जिलाधिकारी मिर्जापुर के सभाकक्ष पर कुल 1.73 लाख रुपये व्यय किया गया है जो नियमानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान द्वारा विधवा, वृद्धा तथा विकलांग पेंशन को फर्जी तरीके से निजी खाते में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिए गये पत्र पर जांच तथा कार्यवाही की जानकारी

26-श्री तेजभान सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्यामपती बेवा बद्री प्रसाद उर्फ जिलातीत ग्राम बगिया गांव ब्लाक-जयसिंहपुर, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 22-12-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम प्रधान गंगासरन के विरुद्ध विधवा, वृद्धा विकलांग पेंशन को फर्जी तरीके से अपने निजी खाते में स्थानान्तरित करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या इसमें विभागीय कर्मचारी भी लिप्त पाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरिश जी"-

जी हां, मा0 विधायक श्री तेजभान सिंह द्वारा अग्रसारित शिकायतकर्ता का उक्त प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है।

मामले की जांच खण्ड विकास अधिकारी जयसिंहपुर द्वारा की गयी। प्रथमदृष्टया जांचोपरान्त किसी विभागीय कर्मचारी की बदनीयती नहीं पायी गयी। मामलें में वृद्धावस्था पेंशन के चेक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लाभार्थी को सीधे न देकर ग्राम प्रधान को लाभार्थी को उपलब्ध कराने हेतु दी गयी जिन्होंने उक्त चेक को व्यक्तिगत खाते में जिला सहकारी बैंक जयसिंहपुर में जमा कराने को प्रस्तुत किया किन्तु बैंक द्वारा चेक को वापस कर दिया गया। अतः किसी धनराशि का व्यवहरण नहीं हो पाया तथापि मामलें में ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जनपद देहरादून में कुत्ते के काटने के इन्जेक्शन की आपूर्ति, केन्द्रों की संख्या तथा वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

27-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में कुत्ते काटने के इन्जेक्शन लगवाने के कितने केन्द्र हैं? प्रत्येक केन्द्र पर इंजेक्शन की मांग कितनी है? क्या मांग के आधार पर सरकार द्वारा पूर्ण आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो सरकार ने इसकी क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद देहरादून में कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगाने का केन्द्र जिला चिकित्सालय, देहरादून है। वर्ष 1998-99 (6-03-99) में चिकित्सालय की मांग 15, 000 एम0एल0 के सापेक्ष 6,450 एम0एल0 की आपूर्ति की गयी।

उक्त इंजेक्शन प्रदेश के बाहर से भी क्रय किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में 24.50 लाख रुपये की धनराशि सामान्य बजट के अतिरिक्त राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडोगर नैनीताल, जिनके द्वारा प्रदेश में ए0आर0बी0 का उत्पादन किया जाता है, को स्वीकृत की गयी है।

जनपद देहरादून सिंचाई विभाग में नीति विरुद्ध तैनात अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

28-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग में कार्यरत अभियंताओं के स्थानान्तरण की कोई नीति है? देहरादून जनपद में विभिन्न खण्डों में कितने अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता नीति विरुद्ध तैनात हैं? क्या मंत्री जी नीति विरुद्ध कार्यरत अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम. प्रकाश सिंह-

जी हां।

वर्ष 1997-98 में शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के अनुसार देहरादून जनपद में विभिन्न खण्डों में निम्नानुसार अभियंता नीति विरुद्ध तैनात है:-

(1) सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)-9
(2) अवर अभियंता (सिविल/यांत्रिक)-43

स्थानान्तरण सत्र, 1999 में उक्त अभियंताओं के स्थानान्तरण की कार्यवाही पर वर्ष 1999 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में की गयी अनियमितता की जांच

29-श्री राजधारी-

29-क्या समाज कल्याण मंत्री वर्ष 1996-97 और 1997-98 में बलिया जनपद के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा करायेगें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"

जी हां, इस प्रकरण में जांच करा ली गई है।
प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय स्वास्थ्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय वरुआपिना शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो राजकीय स्वास्थ्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय वरूआपिना जनपद शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से दि0 16-11-97 को उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त "ओझा"-

जी हां।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी शाहजहांपुर ने अपने आदेश संख्या-1681(1)-(111) दिनांक 31-12-97 द्वारा फार्मेसिस्ट के विरुद्ध शिकायत पर जांच हेतु चिकित्साधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया था, किन्तु जांच अधिकारी के स्थानान्तानण होने के फलस्वरूप जांच नहीं हो पायी। पुनः जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 लागू होने के पश्चात् नियुक्तियों की जानकारी

31-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 लागू है? यदि हां, तो उक्त सेवा नियमावली लागू होने के पश्चात् अब तक कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं? क्या यह नियुक्तियां सेवा नियमावली-91 के प्राविधानों के अनुसार की गयी हैं यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां-

उक्त नियमावली लागू होने के पश्चात् 4 नियुक्तियां कनिष्ठ लिपिक के पद पर तथा एक आशुलिपिक के पद पर की गयी है।

जी नहीं। दो पदों पर पेड अप्रैन्टिस के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को नियुक्त किया गया तथा एक पद पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्ति की गयी है। शेष अनियमित नियुक्तियां वर्ष 1992 में समाप्त कर दी गयी थी, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी मा0 उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे, जिनके अनुपालन में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया गया।

वर्ष 1991-92 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की अनियमित नियुक्ति में दोषी जनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

32-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में वर्ष 1991-92 में कुछ कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो क्या इन नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को अनियमित मानकर उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था? क्या यह सही कि इनमें से कुछ कर्मचारियों को मा0 न्यायालय के आदेशों के आधार पर बिना प्रति शपथ-पत्र दाखिल किए पुनः कार्यभार ग्रहण करा लिया गया था? क्या अब प्रति शपथ-पत्र दाखिल करके अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त हेतु कार्यवाही की जायेगी? अनियमित नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में कौन कर्मचारी उत्तरदायी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।
जी हां।
जी हां।

मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रथम दृष्टया तत्कालीन निदेशक दोषी थे।

अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में डा0 शिवराज सिंह तत्कालीन निदेशक को वर्ष 1992 में निलम्बित किया गया था दिनांक 17-4-97 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1991-92 में आयुर्वेदिक यूनानी सेवा निदेशालय द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की अनियमित नियुक्तियों को समाप्त करने की मांग

33-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में वर्ष 1991-92 में चयनित कुछ कनिष्ठ लिपिकों द्वारा निदेशालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था किन्तु वर्तमान में उन्हें निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात कर वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या ऐसी अनियमित नियुक्तियों को समाप्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में वर्ष 1991-92 में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु कोई चयन नहीं हुआ था। तत्कालीन निदेशक द्वारा बिना किसी चयन के 4 कनिष्ठ लिपिकों की तदर्थ रूप से नियुक्तियां निदेशालय में की गयी थी जिन्हें निदेशालय में कार्यभार न ग्रहण कराकर अधीनस्थ कर्यालयों में सम्बद्ध/तैनात किया गया। उनमें एक कर्मी का वेतन निदेशालय से तथा तीन कर्मियों का वेतन अधीनस्थ कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है।

प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण पृथक-पृथक किया जा रहा है।

प्रकरणों के परीक्षणोपरान्त यथा-स्थिति निर्णय लिया जायेगा।

जनपद फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को निशुल्क बोरिंग हेतु आवंटित अनुदान राशि के सही उपयोग का निरीक्षण एवं कार्यवाही की मांग

34-श्री मुरलीधर-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि लघु सिंचाई योजना में जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषक व लघु कृषि सीमान्त कृषकों की वित्तीय वर्ष 1997-98 में नि:शुल्क बोरिंग पर कितना अनुदान दिया गया? क्या अनुदान राशि का सही प्रयोग हुआ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थल निरीक्षण कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हां।

वर्ष 1997-98 में जनपद-फतेहपुर में अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क बोरिंग हेतु रु0 68.90 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

जी हां,

1378 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर किशुनपुर जल निगम निर्माण शाखा द्वारा मनावां सरकारी मार्ग निर्माण की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा कराने की मांग

35-श्री मुरलीधर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 282-किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में मनावां सरकण्डी मार्ग निर्माण का कार्य जल निगम निर्माण शाखा को दिया गया है? यदि हां, तो क्या मानक के अनुसार गिट्टी नहीं डाली गयी? क्या सरकार इस मार्ग की टी0ए0सी0 जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।
जी नहीं।
कोई शिकायत नहीं है। अतः जांच का औचित्य प्रतीत नहीं होता।
प्रश्न नहीं उठता।
अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

जनपद सीतापुर में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद को भरने की मांग

36-श्री रमेश राही-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में गन्ना विभाग में अधिशासी अभियन्ता का पद अक्टूबर, 1997 से रिक्त है? यदि हां, तो इस पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद सीतापुर में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता का कोई पद स्वीकृत नहीं है और न ही उस पद पर इस जनपद में कभी कोई तैनाती की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।
प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय मथुरा कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के विरुद्ध विधायक कोष्ठक के पक्ष पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, मथुरा द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक:सी0एम0/वि0को/एम-3/15725/मथुरा/98, दि0 1-9-98 प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रकरण की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा, से करायी गयी। जांच रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त जांच आख्या से संतुष्ट न होने पर उक्त प्रकरण की पुनः जांच निदेशक (महिला) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद मथुरा की कार्यवाहक महिला चिकित्सालय अधीक्षिका को बर्खास्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की कार्यवाहक महिला चिकित्सालय अधीक्षिका, सन्तोष राजवंशी को बर्खास्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांकःसी0एम0/वि0को/एम-।472।/मथुरा/98, दिनांक ।-9-98 उनके यहां प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मथुरा की कार्यवाहक महिला चिकित्सा अधीक्षिका डा0 संतोष राजवंशी को बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0वि0को0/एम-3/।572।/मथुरा/98, दिनांक ।-9-98 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच निदेशक (महिला) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से करायी जा रही है। जाचं रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जनपद शाहजहांपुर के समस्त ब्लाकों में वर्ष ।997 तक करायी गई फ्री बोरिंग का विवरण

39-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सभी ब्लाकों में अप्रैल, ।995 से अगस्त, ।997, तक कुल कितनी-कितनी फ्री बोरिंग प्रत्येक वर्षों में की गयी? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में फ्री बोरिंग नहीं की जा रही है तथा सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जनपद शाहजहांपुर के सभी ब्लाकों में अप्रैल 95 से अगस्त, 97 तक कुल ।।98 फ्री बोरिंग की गयी, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

अप्रैल, 95 से मार्च, 96 तक 5890

अप्रैल, 96 से मार्च, 97 तक 6028

अप्रैल, 97 से अगस्त, 97 तक 60

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर तहसील तिलहर विकास खण्ड जैतीपुर में खराब नलकूपों के ठीक कराने हेतु कार्यवाही की जानकारी

40-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-6-98 या इसके आसपास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास खण्ड जैतीपुर में नलकूपों के खराब होने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 11-6-98 प्राप्त हुआ है।

राजकीय नलकूप संख्या-41, 42, 43 एवं 44 ट्रान्सफार्मर के जलने से बन्द नहीं रहें तथा वर्तमान में भी इन नलकूपों के ट्रान्सफार्मर ठीक दशा में है। विकास खण्ड जैतीपुर में 38 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से यांत्रिक दोष से अधिक नलकूप बन्द नहीं रहें परन्तु विद्युत दोष से 3 नलकूप विद्युत लाइन चोरी हो जाने के कारण लम्बी अवधि से बन्द रहें हैं। विद्युत परिषद् के अधिकारियों से इनको चालू करने हेतु आग्रह किया गया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

41-(दिनांक 10-2-99 को अता0 प्र0सं0-144 द्वारा उत्तरित)

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ के रजिस्ट्रार के भ्रष्टाचारों व घोटालों की जांच पर कार्यवाही की मांग

42-श्री हरदेव सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियंत्रण/निदेशक आयुर्वेद उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-1196-99, दिनांक 10 जून, 98 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ के रजिस्ट्रार के भ्रष्टाचारों व घोटालों की विभागीय जांच आदेश निर्गत किये गये हैं? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।

जी हां।

जांच रिपोर्ट का परीक्षणोंपरांत रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ को बृहद दण्ड दिये जाने का प्रथम दृष्टया औचित्य पाया गया। अतः निर्धारित प्रक्रियानुसार जांच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराकर उन्हें प्रत्यावेदन देने का अक्सर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के समस्त विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत केन्द्रांश द्वारा प्राप्त धन से रोजगार कार्य संचालन कराने की मांग की जानकारी

43-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पांच लाख रुपया उत्तर प्रदेश को बाढ़ क्षेत्र में कार्य-संचालन करने के अन्तर्गत युद्धस्तर पर रोजगार कार्यक्रम बाढ़ समाप्त होने के पश्चात् संचालित करने हेतु स्वीकृति दी गयी थी ? क्या जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के तिरपन ग्राम पंचायतों तथा इसके एक सौ नवासी मजरे कुल 242 ग्राम जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुये हैं, में अभी तक कोई भी रोजगार कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत कार्यक्रम का संचालन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

हरदोई जनपद के समस्त विकास खण्डों जिनमें बाढ़ प्रभावित विकास खण्ड भी शामिल है,को अक्टूबर 98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड मु0 30.00 लाख रु0 की दर से केन्द्रांश प्राप्त हुआ था इनमें से आठ विकास खण्डों की धनराशि बाढ़ प्रभावित जनपद होने के कारण भारत सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में जनपद को उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि का कार्यदायी विभागों से प्राप्त कार्य योजना तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार कार्य पर आवंटन करके रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित जनपद होने के कारण जवाहर रोजगार योजना की द्वितीय किश्त भी अग्रिम के रूप में माह अक्टूबर, 98 में जनपद को प्राप्त हो गई थी जिसका जनपद की बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को उसी समय आवंटन कर दिया गया था तथा इस धनराशि से भी ग्राम प्रधानों द्वारा रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में वृद्धावस्था पेंशन हेतु दिसम्बर, 1998 तक पेंशन हेतु प्रतीक्षारत आवेदन पत्रों को स्वीकार करने की मांग

44-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में माह दिसम्बर, 1998 तक कितने वृद्धों को पेंशन दी जा रही थी? कुल कितने आवेदन-पत्र क्रमशः प्रतीक्षा सूची में थे? प्रतीक्षारत आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकार कर लिया जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

माह दिसम्बर, 1998 तक जनपद चम्पावत में 1474 एवं जनपद पिथौरागढ़ में 3953 वृद्धों को पेंशन दी गयी।

जनपद पिथौरागढ़ में पात्रता मानक में आने वाले 97 तथा जनपद चम्पावत में 22 आवेदन पत्र प्रतीक्षा सूची में थे।

जनपद पिथौरागढ़ में 52 वृद्ध जनों को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। शेष आवेदन-पत्रों की स्वीकृति लक्ष्य एव संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा आवंटित/व्यय धनराशि द्वारा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण का विवरण

45-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

45-क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना से कितना धन प्राप्त हुआ है तथा किस-किस कार्य के लिए कुल कितना धन व्यय किया गया है? क्या उक्त धन से ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो किन ग्रामों में? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुल रु0 198.55 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। तथा योजनान्तर्गत निम्नानुसार धनराशि व्यय की गयी है।

(1) जल संग्रहण के कार्यों में	139.65 लाख
(2) लघु सिंचाई के कार्यों में	52.34 लाख
(3) ग्रामीण सड़कों हेतु	127.50 लाख
(4) भवन मद हेतु	413.97 लाख
कुल धनराशि	49.48 लाख

जी हां।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 271 पर)

जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक अगरौरा की कतिपय ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के विरुद्ध न्याय पंचायतों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के ब्लाक अगरौरा की न्याय पंचायत पूरे पाण्डेय आसलपुर, ग्राम खमीर, खागपुर चौखड़ा, ताला ओझला में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन जल निगम प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ग्राम प्रधानों की संस्तुति के आधार पर ही किया गया है? यदि हां, तो ए0आर0पी0/एन0 एन0पी0/ के अधीन शासनादेश का पालन करते हुये ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर कहां-कहां हैण्डपम्प लगाये गये हैं? क्या मंत्री जी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के विरुद्ध हैण्डपम्प लगाने वाले दोषी को दंडित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 273 पर)

जनपद प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालों के भवन निर्माण के चयन आधार की जानकारी

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालों के कितने भवन निर्माण विधान सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में स्वीकृत किये गये हैं? उनके चयन का आधार क्या है?

श्री शिवाकान्त ओझा-

वित्तय वर्ष 1997-98 में मात्र विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दियवट के चाले निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 5.00 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-7050/71-2-250/97, दिनांक 2 जनवरी, 1998 द्वारा प्रदान की गयी। वर्ष 1998-99 में भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित होकर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

जनपद फैजाबाद में 500 शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण शीघ्र कराने की मांग

48-श्री सीताराम निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में 500 शैय्या का अस्पताल बनाने का शिलान्यास दिनांक 20-6-1989 को तत्कालीन मुख्य मंत्री

द्वारा किया गया था? क्या उक्त अस्पताल का निर्माण अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में उक्त चिकित्सालय के निर्माण का प्राविधान किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।
जी हां।
जी नहीं।

प्रश्नगत अस्पताल का निर्माण वाह्य सहायता से किया जाना है परन्तु भारत सरकार द्वारा वाह्य डोनर एजेंसी का निर्धारण एवं वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सालय निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

श्री सीताराम निषाद-

49-(5 वें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तारून के उच्चीकरण की मांग

श्री सीताराम निषाद-

50-क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में विकास खण्ड तारून जिसकी जनसंख्या 2 लाख है, शासन की नीति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तारून का उच्चीकरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण जिला योजना का भाग है तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिला योजना में परिव्यय, की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय खजुरहट, फैजाबाद के भवन निर्माण की मांग

श्री सीताराम निषाद-

51-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेद चिकित्सालय खजुरहट, फैजाबाद के भवन निर्माण के लिए जिला योजना से वर्ष 1994-95 में प्रस्ताव किया गया था और वर्ष 1995-96 में जिला योजना से 8 लाख रुपया तथा वर्ष 1996-97 में जिला योजना से 6 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी थी? क्या उक्त धनराशि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के पी0एल0ए0 में

जमा है? यदि हां, तो क्या पी0एल0ए0 से धनराशि अवमुक्त करके उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जिला महिला चिकित्सालय मैनपुरी हेतु मानक के विपरीत दवा क्रय करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

52-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि डा0 एम0एस0 उपाध्याय, सी0एम0ओ0 मैनपुरी ने माह जून, 1998 में लगभग पांच लाख रुपये की अधोमानक औषधियां अनुमोदित दरों पर क्रय न कर उच्च दरों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानक के विपरीत हास्पीटल रेट पर क्रय की है? क्या लगभग दो लाख रुपये की आयुर्वेदिक दवाइयां मै0 प्रदीप वर्मा भरथना से मानक के विपरीत उच्च दरों पर सी0एम0एस0डी0 स्टोर एवं जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी हेतु क्रय की है? क्या सरकार वित्तीय अनियमितता एवं शासनादेश का अनुपालन न करने और मानक के विपरीत दवा क्रय करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्नगत शिकायत मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न के माध्यम से शासन के संज्ञान में लायी गयी है, अतएव प्रकरण में जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मैनपुरी के सी0एम0ओ0 जो औषधि अनुज्ञापन अधिकारी भी हैं के विरुद्ध आरोपों पर कार्यवाही की मांग

53-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

53-क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद में तैनात डा0एम0एस0 उपाध्याय, सी0 एम0 ओ0 मैनपुरी जो औषधि अनुज्ञापन अधिकारी भी हैं, ने निर्बन्धित अनुज्ञा पत्रधारकों से रु0 700/- मासिक अवैध धन लेकर उन्हें अनुमोदित सूची के अतिरिक्त समस्त एलोपैथिक दवाइयां बेचने का अधिकार दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार अनधिकृत रूप से बेची जा रही है दवाइयों पर रोक लगाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मैनपुरी में डा0 एम0एस0 उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी, औषधि अनुज्ञापन अधिकारी भी हैं, जिनके द्वारा निर्बन्धित अनुज्ञा पत्र धारकों से रूपया-700/- मासिक अवैध धन लेकर उन्हें अनुमोदित सूची के अतिरिक्त समस्त एलोपैथिक दवाइयां बेचने का अधिकार दिये जाने की बात निराधार है।

अनधिकृत रूप से बेची जा रही दवाइयों पर रोक लगाये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में समुचित प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार अनधिकृत रूप से विक्रय की जाने वाली दवाइयों की रोकथाम तथा दोषी के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

जनपद जौनपुर सुनिश्चित रोजगार योजना में ग्राम्य विकास अभिकरण को आवंटित धनराशि से कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग

54-श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में जनपद जालौन के ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध धनराशि को मात्राकृत करके 15% धनराशि क्षेत्र पंचायतों को आवंटित किया गया है यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त वर्षों में अब तक क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त मात्रा कृत एवं आवंटित धनराशि का क्षेत्र पंचायतों में शत प्रतिशत उपयोग करके कार्य कराया गया है? क्या सरकार कराये गये कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जवाहर रोजगार योजना में 15 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को मात्राकृत करके आवंटित की गयी है। सुनिश्चित रोजगार योजना में 15 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को मात्राकृत किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

वर्ष 1997-98 तथा वर्ष 1998-99 में आवंटित धनराशि का क्षेत्र पंचायतों द्वारा किया गया उपभोग का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	आवंटित	उपयोग
1997-98	61.07 लाख	48.92 लाख
1998-99	65.39 लाख	9.74 लाख

वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में किये गये व्यय/कराये गये कार्यों का ज्ञात प्रतिशत सत्यापन एवं मूल्यांकन करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगवाने हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

55-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश संख्या 4326(1)/38-5-98-26 बजट-98, दिनांक 18-8-98 प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के जिलाधिकारियों को इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु जारी किया गया था? यदि हां, तो उसमें जनपद मैनपुरी में कितने रुपये का आबंटन था? क्या जनपद मैनपुरी में उक्त शासनादेश का क्रियान्वयन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 18-8-98 के बाद अब तक जल निगम मैनपुरी अथवा जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं को कब-कब कितना-कितना धन हैण्ड पम्प लगवाये जाने हेतु दिया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ द्वारा नहीं अपितु शासनादेश संख्या-4826(1)-38-5-98-26 (बजट)-98, दिनांक 18-8-98 द्वारा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के जिलाधिकारियों को जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

उपरिउल्लिखित शासनादेश में जनपद मैनपुरी के लिये रु0 20.16 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रु0 13.33 लाख की राशि जल निगम को इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने हेतु दिया गया। शेष राशि परिव्यय की सीमा को देखते हुये किसी भी कार्यदायी संस्था को नहीं दिया गया है।

जनपद मैनपुरी में शासनादेश के विपरीत एवं मनमाने तरीके से लगाये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी

56-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार द्वारा ऐसा कोई शासनादेश वित्तीय वर्ष 1998-99 में निर्गत किया गया है कि इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगवाने के स्थल चयन सदस्य विधान सभा करेंगे? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और वह कब से लागू होगा? क्या यह सच है कि जनपद मैनपुरी में नियम व शासनादेश का अतिक्रमण व विधान सभा के सदस्यों की उपेक्षा करते हुए मनमाने तरीके से इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प नलकूप निगम द्वारा लगवाये गये? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां। शासनादेश संख्या 6751/38-5-98-656/98 दिनांक, 14-12-1998 निर्गत किया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जिला योजना के अन्तर्गत जो हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जांय उनके स्थल चयन में माननीय विधायकगणों का

विचार उसी आधार पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय जिस आधार पर अन्य कार्यक्रमों में माननीय विधायकगण संबद्ध है लेकिन सभी हैण्डपम्प भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही अधिष्ठापित किये जायें। उक्त आदेश दिनांक 14-12-98 से ही लागू माना जायेगा।

जनपद मैनपुरी में मानक से हटकर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है जिसकी जांच करायी जा रही है।

सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता यांत्रिक नलकूप हरदोई की बकाया धनराशि के भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिहरण मिश्र, अवर अभियन्ता यांत्रिक नलकूप हरदोई जो दिनांक 31-3-1985 को सेवानिवृत्त हुये थे, की बकाया धनराशि रु0 53474.00 के भुगतान के सम्बन्ध में डा0 धर्मज्ञ मिश्र सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 7-1-99 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री हरदेव सिंह तथा श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-
(दिनांक 10-2-99 को अता0 प्र0 सं0-107 द्वारा उत्तरित)।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी के अधीन फर्जी लिपिकों की नियुक्तियों की जांच एवं कार्यवाही की मांग

59-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

59-क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन ग्यारह लिपिक फर्जी स्थानान्तरण के जरिये फर्जी नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं? क्या फर्जी नियुक्ति की शिकायत की जांच के दौरान इन लिपिकों की प्रथम नियुक्ति स्थल पर अभिलेखों की जांच की गयी? क्या इन लिपिकों के नाम सम्बन्धित जनपद के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं? चयन प्रक्रिया के समय किस समाचार-पत्र में रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया? क्या इन बिन्दुओं पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उसमें दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रकरण में जांच प्रचलित है जांचोपरान्त प्राप्त आंख्या के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अजय कुमार पोइया-

60-(दिनांक 10-3-99 को अता0 प्र0 सं0-171 द्वारा उत्तरित)।

जनपद हरदोई की कतिपय माइनरों की खुदाई व सफाई करा कर सिंचाई की सुविधा की मांग

61-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत पुरवावा माइनर, शुक्लापुर माइनर, उदरा माइनर तथा पहुतेरा माइनर की सफाई व खोदाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की सफाई व खुदाई करवाकर कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

उदरा एवं शुक्लापुर माइनर को छोड़कर अन्य माइनरों की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। शुक्लापुर माइनर में कार्य की आवश्यकता नहीं है। धनावंटन के अभाव में उदरा माइनर का कार्य नहीं कराया गया है।

मार्च, 1999 तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विकास अधिकारी प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच की आख्या का सत्यापन प्रमाणों के आधार पर कराने की मांग

62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी के पत्र सी0एम0 /वि0को0/आर-2897/98, दिनांक 28-12-98 के क्रम में अपर आयुक्त (प्र0 द्वारा प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दि0 5-11-98 पर श्री राम आसरे सिंह, जिला विकास अधिकारी के विरुद्ध करायी गयी जांच में इन्दिरा आवास के आरोपों को छोड़कर अन्य शिकायती बिन्दुओं की पुष्टि न होने के आधार क्या हैं? क्या इसकी बिन्दुवार जांच पुनः किसी दूसरे अधिकारी से कराते हुए अपर आयुक्त (प्र0) के द्वारा दी गयी आख्या का सत्यापन शिकायतकर्ता से प्राप्त बिन्दुओं एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

श्री राम आसरे सिंह जनपद प्रतापगढ़ में परियोजना निदेशक के पद पर मात्र 2 माह 18 दिन तथा जिला विकास अधिकारी के पद मात्र 3 माह 21 दिन ही कार्यरत रहे। श्री सिंह के विरुद्ध समूह 'ग' की भर्ती में अनियमितता किये जाने इन्दिरा आवास योजना का धन समय से अवमुक्त न करने तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान आदि का निस्तारण न करने की शिकायतें विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच अपर आयुक्त (प्रशासन) से कराई गयी। अपर आयुक्त प्रशासन की जांच आख्या दिनांक 27.11.98 तथा 18.12.98 में कोई भी शिकायत सत्यापित नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

63-(दिनांक 17-2-99 को ता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

64-(दिनांक 17-2-99 को अता0 प्र0 सं0 63 द्वारा उत्तरित)

जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा विकलांग पेंशन में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

65-क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रईस मियां पुत्र श्री बुलाकी हुसैन नि0 मोहल्ला पक्का कटरा, तहसील, तिलहर जिला शाहजहांपुर ने एक प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा 1 जुलाई, 1998 या इसके आसपास जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

उपलब्ध सूचना के आधार पर श्री रईस मियां का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1998 प्राप्त नहीं हुआ। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्री रईस मियां का एक शिकायती प्रार्थना पत्र मा0 विधायक जी के दिनांक रहित पत्र के साथ प्राप्त हुआ था जो वित्तीय वर्ष 1996- 97 की द्वितीय छमाही की विकलांग पेंशन का चेक प्राप्त न होने से सम्बन्धित था। इस पेंशनर को पूर्व प्रेषित चेक सं0-93031, दि0 29-12-96 धनराशि रु0 600/- के भुगतान न होने की पुष्टि बैंक से हो जाने के उपरान्त चेक को निरस्त कर नया चेक सं0-378932 दिनांक 26-2-99 जारी कर लाभार्थी को प्राप्त करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में फुटकर दवा विक्रेताओं की दुकान पर तैनात फार्मेसिस्टों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग

66-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में फुटकर दवा विक्रेताओं की दुकान पर क्वालीफाइड फार्मेसिस्ट द्वारा दवाओं की बिक्री नहीं की जाती है ? क्या मात्र फार्मेसिस्ट का शपथ-पत्र लगाकर फुटकर दुकानदार औषधि निरीक्षक को पांच सौ रुपये मासिक भुगतान कर स्वयं दवाइयों की बिक्री कर रहे हैं ? क्या दुकानदार से लगभग रु0 70,000/- मासिक धन उगाही की जाती है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार मैनपुरी जनपद के फुटकर दवा विक्रेताओं की दुकान पर तैनात फार्मेसिस्टों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं, फुटकर औषधि प्रतिष्ठानों पर क्वालीफाइड फार्मेसिस्ट के रखे जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय के कनिष्ठ लिपिकों की फर्जी नियुक्ति की जांच

श्री रामेश्वर सिंह यादव-

67-क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी के कार्यालय में कार्य कर रहे योगेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक फर्जी स्थानान्तरण आदेश के माध्यम से राजकीय सेवा में हैं ? क्या सरकार श्री योगेन्द्र सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार फर्जी नियुक्ति की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रकरण में जांच प्रचलित है। जांचोपरान्त प्राप्त आख्या के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में सम्बद्धता के आधार पर कार्यरत समस्त फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता के समाप्त करने सम्बन्धी आदेश की जानकारी

68-श्री छब्बू पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में सम्बद्धता के आधार पर कार्यरत सभी फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त कर तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये जाने का शासनादेश चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा दिसम्बर, 1998 में जारी किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

महानिदेशालय के आदेश संख्या: 4 डी(2)/2402/98/2054-55, दिनांक 4-2-99 द्वारा उक्त फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को दिये गये थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सिद्धार्थनगर ने इनकी सम्बद्धता दिनांक 11-2-99 को समाप्त कर दी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के लैब टेक्निशियन के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69-श्री छब्बू पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में कार्यरत लैब टेक्निशियन के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रों के आधार पर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 4 डी 2/दिनांक 20-11-98 द्वारा सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ से उक्त कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेश की अपेक्षा की गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में भ्रष्टचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रैप का आयोजन कर लिपिकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्राप्त पक्ष पर स्थानान्तरण की मांग

70-श्री छब्बू पटेल-

70-क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में दिनांक 4-1-97 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 द्वारा ट्रैप का आयोजन कर दो लिपिकों को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त अभियुक्त लिपिकों को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपने पत्रांक : एस0टी0/कैम्प-शासन-1/98/(66/383), दिनांक 18-7-98 द्वारा जिले से स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध निदेशक, प्रशासन स्वास्थ्य भवन, लखनऊ से किया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं, बल्कि पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार करने हेतु लिखा गया था।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संस्तुति पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश दिनांक 15 मार्च, 1999 के द्वारा श्री उमा शंकर वर्मा, वरिष्ठ लिपिक (निलम्बित) एवं श्री के0 के0 गुप्ता कनिष्ठ लिपिक (निलम्बित) जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत स्वर्गीय श्री राम बालक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भू0 पू0) की चिकित्सा पर व्यय प्रतिपूर्ति की मांग

71-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ का पत्र सं0-बी0एच0/98/1547-1, दिनांक 6-5-98 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ जो श्रीमती कान्ती देवी को उनके स्वर्गीय पति श्री राम बालक, च0श्रे0 (भू0पू0) कर्मचारी की चिकित्सा पर किये गये व्यय रु0 2,77,3,65 की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या रियेम्बर्समेंट क्लेम स्वीकृत करते हुये वांछित भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार रियेम्बर्समेंट क्लेम का भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं।

आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण न होने के कारण।

जी हां।

अब औपचारिकतायें पूर्ण हो गयी हैं, प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में अधीक्षकों की तैनाती की जानकारी

72-श्री रंग बहादुर पटेल-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोर न्याय नियमावली, 1987 के नियम सं-2 के उप नियम (आई0) के प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में अधीक्षकों की तैनाती कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं। किशोर न्याय नियमावली, 1987 के नियम सं0-2 (आई0) में "अधीक्षक" शब्द को परिभाषित किया गया है। उक्त नियम में अधीक्षकों को तैनात करने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की जानकारी

73-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य में "विकलांग जन आयुक्त" का कार्यालय कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया है? क्या इससे पीड़ित विकलांगों की शिकायतों के निवारण में भारी कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो अब तक आयुक्त कार्यालय गठित न किये जाने का क्या कारण है और आयुक्त कार्यालय विधिवत कब तक स्थापित किया जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

विकलांग जन आयुक्त का कार्यालय 01 दिसम्बर, 1998 से विधिवत रूप से इन्दिरा भवन (दशम् तल) लखनऊ के कक्ष संख्या-1011 में स्थापित किया जा चुका है।

लागू नहीं।
लागू नहीं।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन सम्बन्धित गठित विशेषज्ञ समिति कि रिपोर्ठ की जानकारी

74-श्री राजेन्द्र यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री विनोद मणि द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगें कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को रुपया 50.00 (पचास) प्रतिमाह वेतन के रूप में दिये जा रहें है? क्या उक्त वेतन को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षकों की उपयोगिता एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25-7-97 द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था? क्या इस सम्बन्ध में समिति ने कोई रिपोर्ठ दी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जन स्वास्थ्य रक्षकों को रु0 50.00 (पचास) प्रतिमाह वेतन के रूप में नहीं, अपितु मानदेय के रूप में दिये जा रहें हैं।

भारत सरकार द्वारा हेल्थ गाइड लाइन योजना की उपयोगिता के मूल्यांकन हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है।

समिति की रिपोर्ट भारत सरकार से प्रतीक्षित है।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा नियुक्तियों पर रोक के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सवास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र संख्या :-2088/98 दि0 10-7-98, 2070/98, दिनांक 2-7-98, 266/98 दि0 29-6-98 एवं 289/98, दि0 10-7-98 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कतिपय पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गये हैं? क्या इन नियुक्तियों को निरस्त करने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र संख्या फैक्स-1339/दिनांक 22 अगस्त, 1998 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं? यदि नहीं,

तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियुक्तियों के प्रतिबन्धित होने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किन परिस्थितियों में नियुक्ति आदेश जारी किया है ? क्या इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर दोषी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जांच आख्या प्राप्त हो गई है जो परीक्षणाधीन है ।

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

(4 थे सोमवार में अता0 प्र0 स0-129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन कार्यरत कनिष्ठ लिपिक श्री योगेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

77-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन कार्यरत कनिष्ठ लिपिक योगेन्द्र सिंह ने लगभग एक करोड़ रुपये की एक एकड़ जमीन व अधीक्षक आवास पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस आवास एवं भूमि को श्री योगेन्द्र सिंह से खाली करवा कर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रकरण में जिला अधिकारी, मैनपुरी को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पीलीभीत विकास खण्ड-बरखेड़ा में कार्यरत श्री लीलाधर बोरिंग टेक्निशियन की मृत्यु के पश्चात् के उनके समस्त देयों के भुगतान तथा उनकी पत्नी को सेवा में लिये जाने की मांग

78-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बरखेड़ा जिला पीलीभीत में कार्यरत बोरिंग टेक्निशियन श्री लीलाधर की मृत्यु दिनांक 22-11-92 को हुई थी ? यदि हां, तो उनके आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हां ।

जी नहीं,

स्व0 श्री लीलाधर द्वारा अपने जीवन काल में दो पत्नियों को रखने के फलस्वरूप

उत्तराधिकारी के निर्णय न हो पाने के कारण प्रकरण विशेष/अपर न्यायाधीश पीलीभीत के न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष/अपर न्यायाधीश जिला पीलीभीत के निर्णय दिनांक 21-03-98 के अनुपालन में दिनांक 30-12-98 को निदेशक, पेंशन निदेशालय लखनऊ को पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र भेजे गये है। सामूहिक बीमा के समस्त प्रपत्र दिनांक 03-07-98 को अपर निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को भेज दिये गये है।

पेंशन निदेशालय, लखनऊ व बीमा निदेशालय, लखनऊ से स्वीकृतियां न प्राप्त होने के कारण अभी भुगतान नहीं किया जा सका है। स्वीकृतियां प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

79-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बरखेड़ा जिला पीलीभीत में कार्यरत बोरिंग टेक्निशियन श्री लीलाधर की मृत्यु दिनांक 22-11-92 को सेवाकाल में हुई थी? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी श्रीमती लौंगश्री ने मृतक आश्रित नौकरी पाने हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो क्या श्रीमती लौंगश्री को नौकरी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हां।
जी हां।
जी नहीं।

जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा इस सम्बन्ध में स्वयं मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि मृतक श्रीलीला धर की पत्नी श्रीमती लौंगश्री ने दूसरी शादी कर ली है जिस कारण मृतक आश्रित के रूप में श्रीमती लौंगश्री नौकरी पाने की पात्र नहीं रह गई है।

80-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(4 थे शुक्रवार में अता0 प्र0स0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हरदोई में बरहस माइनर की खुदाई एवं सफाई करा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग

81-डा0 धर्मज्ञ सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बरहस माइनर की सफाई व खुदाई न होने के कारण पानी टेल तक न पहुंचने के फलस्वरूप कृषकों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की खुदाई व सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

मार्च, 1999 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु समय सीमा में छूट विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

82-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जनपद महामायानगर, हाथरस को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु समय सीमा में छूट दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-3/18557/मथुरा/98, दिनांक 3-12-98 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

प्रकरण पर पहले ही सम्यक रूप से विचार किया जा चुका है। प्रकरण कालबाधित होने के कारण श्री मुकेश कुमार शर्मा को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु समय सीमा से छूट दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

मातृ एवं शिशु कल्याण लखनऊ के अपर निदेशक की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक लखनऊ मातृ एवं शिशु कल्याण के नियुक्ति ,आदेश के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0 एम0/वि0को0/एम-3/18508/मथुरा/98, दिनांक 2-12-98 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर सहायक अभियन्ता लघु डाल नहर उपखण्ड कार्यालय को वर्ष 1996-98 में आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

84-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता लघु डाल नहर उपखण्ड शाहजहांपुर कार्यालय में वर्ष 1996 से अगस्त, 1998 तक कुल कितना-कितना धन प्रत्येक वर्षों में शासन से तथा जिला योजना से प्राप्त हुआ है तथा किन-किन कार्यों में कहां-कहां व्यय किया गया? क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्षों के आय-व्यय के विवरण से अवगत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त वर्षों के कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1996 से अगस्त, 1998 तक सहायक अभियन्ता, लघु डाल नहर उपखण्ड, शाहजहांपुर कार्यालय में मदवार शासन से तथा जिला योजना से प्राप्त व व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त व व्यय की गई धनराशि (लाख रुपये में)		
		नाबार्ड योजना	जिला योजना	अनुरक्षण एवं मरम्मत
1	2	3	4	5
(1)	1995-96	1.32	शून्य	13.35
(2)	1996-97	29.70	शून्य	14.84
(3)	1997-98	27.03	शून्य	13.41
(4)	1998-99 (अगस्त 1998 तक)	-	-	3.60

नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि पम्प नहरों के जीर्णोद्धार तथा यांत्रिक उपकरणों के नवीनीकरण हेतु एवं अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि जल वितरण प्रणाली एवं प्रयुक्त उपकरणों के रख-रखाव तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन के लिए व्यय की गई है।

मा0 विधायक द्वारा की गई शिकायत पर मुख्य अभियन्ता (नलकूप-मध्य) ने जांच आदेशित कर दी है।

85-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

(5वें गुरूवार में अता0प्र0सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान की तिथि की जानकारी

86-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन एक निश्चित तिथि के अन्दर भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो वह कौन सी तिथि हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

आयोग में अनुदान की धनराशि उपलब्ध होने पर आयोग के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निश्चित तिथि के अन्दर भुगतान किया जाता है।

माह के प्रथम दिन।

प्रश्न नहीं उठता।

87-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद सन्त कबीर नगर बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती छेहाड़ी देवी की मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति

88-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर में किस वर्ष तक चयनित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति कर दी गयी है? क्या यह सही है कि श्रीमती छेहाड़ी देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री बाल विकास परियोजना खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर जो वर्ष 1982 से कार्यरत हैं, से कनिष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति मुख्य सेविका पद पर कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यकत्री की पदोन्नति करेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में सहकारिता राज्य मंत्री का पत्र संख्या-2399/रा0मं0स0/99, दिनांक 13-1-99 भी माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1983 तक की चयनित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्यसेविका के पद पर नियुक्त किया गया है।

जी नहीं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका के पद पर चयन सेवा अवधि एवं शैक्षिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको के आधार पर कुल प्राप्त अंको पर बनायी गयी योग्यता सूची के आधार पर किया जाता है।

पूर्वगामी, प्रस्तर में पूर्ण स्थिति अंकित है।

जी हां।

उक्त पत्र में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर श्रीमती छोहाड़ी देवी के प्राप्तांकों की समीक्षा की गयी, जिससे स्पष्ट हुआ कि वह प्राप्तांकों के आधार पर अभी चयन के लिए अर्ह नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जन स्वास्थ्य रक्षकों को पूर्व अवशेष मानदेय भुगतान विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20-5-98 या इसके आस पास जो जन स्वास्थ्य रक्षकों को पूर्व अवशेष मानदेय भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य रक्षकों के अवशेष मानदेयों का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जी हां।

जन स्वास्थ्य रक्षकों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिकायती पत्र दिनांक 20.5.98 में मानदेय की धनराशि में कथित रूप से बढ़ोत्तरी एवं तद्नुसार अवशेष भुगतान का प्रश्न औचित्य-पूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के विद्यमान अद्यावधिक आदेशों के अन्तर्गत अभी भी जन स्वास्थ्य रक्षकों रु0 50.00 (पचास) प्रतिमाह का ही मानदेय अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत कथित अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण करने की मांग

90-श्री हरदेव सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेद यूनानी निदेशालय, लखनऊ में कितने चिकित्साधिकारी एवं अन्य अधिकारी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जांच चल

रही है ? क्या सरकार उन चिकित्साधिकारियों को निदेशालय से अन्यत्र हटाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में 4 अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है, जिसमें दो चिकित्साधिकारी एवं दो अन्य अधिकारी हैं ।

उक्त अधिकारियों की निदेशालय में सम्बद्धता से उनके विरुद्ध चल रही जांच के प्रभावित होने की बात सिद्ध होने पर यथास्थिति उन्हें निदेशालय से अन्यत्र हटाने पर विचार किया जायेगा ।

91-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त) ।

सिंचाई विभाग में पर्वतीय उप संवर्ग के अभियन्ताओं को रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने की मांग

92-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में पर्वतीय संवर्ग पूर्ण रूप से लागू है । यदि हां, तो सिंचाई विभाग के पर्वतीय संवर्ग के पात्र सहायक अभियन्ताओं की पिछले तीन साल से अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति किस कारण से नहीं की जा सकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 18-9-97 को पर्वतीय संवर्ग के पदाधिकारियों एवं पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों के साथ हुई बैठक में एक माह के अन्दर उपरोक्त पदोन्नतियां करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

पर्वतीय उपसंवर्ग के लिए विकल्प देने वाले सहायक अभियंताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची अभी जारी नहीं हुई है और अन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-35740/97 तथा 20850/98 दायर की गयी है, जो अभी लम्बित है । अतः उपरोक्त कारणों से पर्वतीय उपसंवर्ग के पात्र सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही अवरुद्ध है ।

दिनांक 18-9-97 की बैठक में पर्वतीय उपसंवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की रैंकवार संख्या का विवरण

93-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में 31 दिसम्बर, 1998 तक कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या रैंकवार (सिपाही, हवलदार, जे0सी0ओ0, कैप्टन, मेजर, ले0 कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ले0 जनरल) कितनी-कितनी है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

राज्य में 31 दिसम्बर, 1998 तक समस्त जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या रैंकवार निम्नवत हैं:-

1	सिपाही	-	365441
2	हवलदार	-	144330
3	जे0 सी0 ओ0	-	74222
4	कैप्टन	-	2106
5	मेजर	-	1637
6	ले0 कर्नल	-	1825
7	कर्नल	-	708
8	ब्रिगेडियर	-	229
9	मेजर जनरल	-	82
10	ले0 जनरल	-	36

प्रदेश में निर्मित सैनिक आवास गृहों एवं जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में निर्माणाधीन सैनिक आवास गृहों की जानकारी

94-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में अब तक कुल कितने सैनिक आवास गृह निर्मित हो चुके हैं? कुल कितने निर्माणाधीन व प्रस्तावित हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सैनिक बाहुल्य जि0-पिथौरागढ़ व जि0-चम्पावत में कहां तथा कितने सैनिक आवास गृह निर्माणाधीन हैं।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

राज्य में अब तक 56 सैनिक विश्राम गृह निर्मित हो चुके हैं।

एक सैनिक विश्राम गृह टनकपुर में निर्माणाधीन है और कोई प्रस्तावित नहीं है। सैनिक विश्राम गृह आर्मी ट्रैफिक चैक पोस्ट, ट्रान्जिट कैम्प के पास तथा चम्पावत जिले के अन्तर्गत टनकपुर में विश्रामगृह निर्माणाधीन हैं।

जनपद वाराणसी अनेई माइनर का निर्माण अनुमोदित समरेखन से हटकर होने के कारण ग्राम सभा बरहीकंला की ली गयी अधिक भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

95-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के बायतपुर रजवाहा से निकाली गयी अनेई माइनर में ग्रामसभा बरहींकला के गाटा सं0-924 में माइनर का निर्माण अनुमोदित समरेखन पर नहीं किया गया है और धारा-4 की विज्ञप्ति में गाटा सं0-924 से 47.4 डि0 भूमि लेना दर्शाया गया है ? क्या अनुमोदित समरेखन पर निर्माण न कराये जाने के कारण अधिक भूमि ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पैमाइश कराकर अधिक ली गयी भूमि का भी मुआवजा काश्तकार को दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

अनुमोदित समरेखन से हटकर निर्माण होने के कारण कृषक की उक्त गाटा की दर्शित भूमि के सापेक्ष मात्र 43.2 डि0 भूमि ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य हेतु पशु गृह निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

96-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ में क्या पशु गृह शोध कार्य हेतु कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो पशु गृह में किस-किस प्रकार के पशुओं के रखने हेतु शोध कार्य हो रहा है ? क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पशुओं के रहने के निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं में किया गया है ? उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।

विभिन्न प्रकार के चूहे, खरगोश, बकरी एवं भेड़।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

97-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधीन शोध अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी, लेखाधिकारी, निजी सचिव के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने का सरकार का कोई विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, "हरीश जी"-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण पूर्ण कराने के उपरान्त प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने की जानकारी

98-आचार्य रामदेव वैश्य-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के चौथे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष प्रशिक्षण पूर्ण कराने के उपरान्त चिकित्सकों को मा0 कुलाध्यक्ष एस0जी0पी0जी0आई0 के विधिक आदेश दिनांक 18-6-96 के उपरान्त प्रमाण-पत्र वितरित किया गया? यदि हां, तो किस तिथि को? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 कुलाध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विधिक आदेश दिनांक 18-6-96 के उपरान्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा नियमानुसार प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

दिनांक 06 जुलाई, 1996 को प्रश्नगत प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया।

प्रश्न नहीं, उठता।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नया वेतनमान देने की मांग

99-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नया वेतनमान अभी तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? क्या एक सदस्य श्री उमेश चन्द्र को नया वेतनमान प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यो? शेष को नया वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

आयोग के अध्यक्ष व एक सदस्य मा0 न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र को नया वेतनमान शासन द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। अन्य सदस्यों को नया वेतनमान देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

जी हां, श्री उमेश चन्द्र, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नया वेतनमान अध्यक्ष द्वारा दे दिया गया है। अध्यक्ष व न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र का नये वेतनमान निर्धारण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री उमेश चन्द्र के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

100-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित।)

101-श्री नवाब सिंह नागर-

(5 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्रामीण अभियंत्रण सुल्तानपुर द्वारा शाहगढ़-फरहदिया मार्ग के निर्माण में अनियमितता विषयक पत्र पर जांच

102-श्री तेज भान सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री घीसन मिश्र, प्रधान ग्राम-राजापुर कौहार शाहगढ़, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 8-1-99 जिसमें ग्रामीण अभियंत्रण सुल्तानपुर द्वारा बनाई जा रही शाहगढ़-फरहदिया मार्ग के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं को शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किसके द्वारा की गयी तथा जांच परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हां।

श्री घीसन मिश्र, प्रधान ग्राम राजापुर कौहार शाहगढ-सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता

द्वारा अग्रसारित पत्र ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड सुल्तानपुर को सहायक अभियन्ता-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-2713/दिनांक 2-2-99 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

शिकायती-पत्र में अंकित कार्य की जांच दिनांक 13-2-99 को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड सुल्तानपुर द्वारा की गई। शिकायती-पत्र में की गई शिकायत जांच में स्थापित नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के चयन हेतु समूह "ग" की परीक्षा के साथ परीक्षा न कराये जाने के कारणों की जानकारी

103-श्री छब्बू पटेल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के चयन के लिये विज्ञापन विज्ञापित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त पद की परीक्षा समूह "ग" की परीक्षा (13-12-98) के साथ ली गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पद की परीक्षा समूह "ग" की परीक्षा के साथ न होने का कारण क्या था? परीक्षा कब तक ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

जी हाँ।

उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998, जो कि अधिसूचना संख्या-20/1-91-टी0सी0-97-का0-2, दिनांक 28-8-98 द्वारा प्रख्यापित की गई थी, के प्राविधानों के अनुसार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल होने के कारण उक्त परीक्षा समूह "ग" की परीक्षा दिनांक 13-12-98 के साथ नहीं सम्पन्न करायी जा सकी। परीक्षा सम्पन्न कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़, आजमगढ़ की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

104-श्री छब्बू पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़, आजमगढ़ पर कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के कार्य के प्रति उदासीनता एवं अनैतिक व्यवहार से सम्बन्धित कितने शिकायती-पत्र जनता, सामाजिक संगठन एवं जन प्रतिनिधियों से जनवरी, 1997 से अब तक मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ शासन

एवं महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़, आजमगढ़ पर कार्यरत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) श्रीमती राधिका राय से सम्बन्धित जनता, सामाजिक संगठन एवं जन-प्रतिनिधियों के लगभग 16 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए।

शिकायती-पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी गयी। जांच के उपरान्त शिकायती बिन्दु सत्य नहीं पाए जाने के कारण स्थानान्तरण का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

105-श्री छब्बू पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री समरपाल सिंह का कोई पत्र (संलग्नकों सहित) माह सितम्बर/अक्टूबर, 1998 जो प्रा0स्वा0केन्द्र, अजमतगढ़, आजमगढ़ पर कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के भ्रष्टाचार एवं अनैतिक व्यवहार से सम्बन्धित था, मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी और जांच में उल्लिखित बिन्दु सही नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना में समाहित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष की श्रेणी के समान पदों के वेतनमानों में विषमता दूर करने की मांग

106-श्री अकबर हुसैन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 23-7-98 से लागू बहुधंधी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष की श्रेणी में समायोजित सर्विलेन्स निरीक्षक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सहायक निरीक्षक एवं चेचक पर्यवेक्षक के पदनाम, कार्य एवं दायित्व समान हैं? यदि हां, तो क्या इनका वेतनमान भी समान है? यदि हां, तो इनके प्रोन्नति वेतनमानों में भिन्नता के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त विषमता दूर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना दिनांक 23-7-90 से नहीं अपितु दिनांक 23-7-81 से लागू है। उक्त योजना में समाहित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष की श्रेणी में समायोजित सर्विलेन्स निरीक्षक, परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं चेचक पर्यवेक्षक के कार्य एवं दायित्व समान हैं।

जी हाँ।

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पदनाम से आच्छादित समस्त पदधारकों को नियमानुसार समान अगला वेतनमान दिए जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी मेमोरियल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रोफेसर/एडीशनल/एसोसिएट/असिस्टेंट प्रोफेसर के आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आभाव में सामान्य योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

107-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में स्थित संजय गांधी मेमोरियल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में क्रमशः प्रोफेसर, रीडर व प्रवक्ता के कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में उक्त पदों में से आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के क्रमशः कितने पद रिक्त हैं? क्या यह सच है कि विगत वर्षों से संस्थान के खर्चे पर शिक्षण हेतु चिकित्सक विदेश प्रशिक्षण पर गये थे परन्तु लौटते ही संस्थान की सेवा को छोड़कर निजी क्षेत्र में चले गये हैं? यदि हां, तो कितने शिक्षक प्रशिक्षण हेतु अब तक विदेश गये एवं उनमें से कितनों ने संस्थान की सेवा छोड़ी है? क्या सरकार संस्थान की गुणवत्ता को बरकरार रखे जाने हेतु आरक्षित अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त पदों पर सामान्य योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

संस्थान में रीडर एवं प्रवक्ता के पद नहीं होते हैं। अपितु प्रोफेसर, एडीशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के पद होते हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद		कुल रिक्त पद
प्रोफेसर	36		22
एडीशनल प्रोफेसर	33	94	30
एसोसिएट प्रोफेसर	61		
असिस्टेन्ट प्रोफेसर	98		61

आरक्षण नीति के अनुसार रिक्त पदों पर आरक्षित पद का कोटा पूरा किया जायेगा।

जी हाँ।

अब तक 68 संकाय सदस्यों ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया जिनमें से ।। सदस्य संस्थान छोड़कर जा चुके हैं।

जी नहीं, क्योंकि नियमानुसार यह सम्भव नहीं है।

साधूशरण सिंह, बाल विद्या निकेतन, शाहपुर, चर्की फतेहपुर एवं साधूशरण सिंह आदर्श प्राथमिक पाठशाला बरयेपुर, फतेहपुर को आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

108-श्री मुरलीधर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपो करेंगे कि जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्रांक 1548/स्व0के0/98-99/स्व0स0/आवर्तक/दिनांक 13 सितम्बर, 1998 द्वारा भेजा गया प्रस्ताव प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार साधूशरण सिंह, बाल विद्या निकेतन शाहपुर, चर्की फतेहपुर एवं साधूशरण सिंह आदर्श प्रा0पा0 बरयेपुर, फतेहपुर को आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत दोनों विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने हेतु जिला स्तर से दिनांक 21-4-98 को प्राप्त रिपोर्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर संदिग्ध प्रतीत होने पर निदेशक स्तर से पुनः पुनरीक्षित रिपोर्ट मांगी गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1548, दिनांक 13-9-98 (जिसको बाद में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-10-98 बताया गया है) द्वारा प्राप्त स्थिति अस्पष्ट व भ्रामक हो गयी।

जिलाधिकारी के उपरोक्त पत्र एवं पूर्व में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र द्वारा प्राप्त जांच आख्या में पंजीकृत छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या/नाम, विद्यालय के पंजीयन आदि विवरण में भिन्नता पायी गयी थी। अतः पुनः जिलाधिकारी से स्पष्ट रिपोर्ट भेजने हेतु निदेशक द्वारा कहा गया। अन्ततोगत्वा जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 6-3-99 से उक्त विद्यालय को जिला स्तर से की गयी संस्तुति को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त कारणों से निदेशक द्वारा शासन को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु उक्त विद्यालय को नहीं भेजा गया और न ही इन्हें उक्त सूची में सम्मिलित किया गया है।

जनपद फतेहपुर खागा कस्बे में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास का निर्माण कराने की मांग

109-श्री मुरलीधर-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि फतेहपुर जिले में खागा कस्बे में एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास निर्मित कराने का प्रस्ताव कई वर्षों से शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त छात्रावास निर्मित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी हाँ, अनुसूचित जाति हेतु छात्रावास निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्राशं स्वीकृत्ति हेतु भारत सरकार को वर्ष 1995-96 में भेजा गया था, किन्तु केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

110-श्रामती माया प्रसाद-

(नियम 28 (10) के अन्तर्गत निरस्त)

महिला कल्याण निदेशालय में शोध एवं वरिष्ठ शोध अधिकारियों द्वारा अधिष्ठान व रिटों की पत्रावली का निष्पादन न कराने की मांग-

111-श्रीमती माया प्रसाद-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि महिला कल्याण निदेशालय में शोध अधिकारी तथा वरिष्ठ शोध अधिकारी इसी मूल विभाग के अधिकारी नहीं हैं ? क्या निदेशालय स्तर पर अधिष्ठान व रिटों की अधिकारी के द्वारा निष्पादित करायी जा रही है ? क्या शोध अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-2343 (एस0एस0) 1991 दायर कर रखी है ? यदि हां, तो क्या निदेशालय स्तर पर पत्रावलियां किसी अन्य अधिकारियों से निष्पादित करवाना सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं। शोध अधिकारी द्वारा अधिष्ठान/रिटों से संबंधित वही पत्रावलियां निष्पादित की जा रही हैं जिसका संबंध उनसे नहीं है।

112-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(4थे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

113 व 114- श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

(4थे शुक्रवार में अता0प्र0सं0-196 व 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी एवं बीरापुर में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय खोलने में जिला नियोजन समिति के निर्णय के पालन की जानकारी

115-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं बीरापुर में कौन-कौन से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सालय खोले गये हैं ? क्या जिला के ख्याति प्राप्त अस्पतालों के लिये जिला नियोजन समिति द्वारा कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं बीरापुर में निम्नलिखित होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये :-

विधान सभा क्षेत्र	होम्यो0 चिकित्सालय	आयुर्वेदिक चिकित्सालय
(1) पट्टी	1-सलाहपुर	1-सर्वजीतपुर
(2) बीरापुर	1-भगवतगंज	1-चौहरजन
	2-डडवाँ	2-सोनाही
	3-नजियापुर	
	4-नरायन परमा का पुरवा	
	5-तालामोड़	
	6-सरायगनई	

वर्ष 1998-99 में कोई भी होम्यो0/आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित करने की स्वीकृति अभी तक नहीं प्रदान की गई है।

उपरोक्त सभी होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को खोले जाने हेतु जिला नियोजन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी एवं कोहडोर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

116-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी एवं कोहडोर का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरगढ़ के भवन एवं उपकरणों के गहन मरम्मत की भी आवश्यकता है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी का मुख्य भवन पूर्ण होकर विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है। आवासीय भवनों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहडोर का निर्माण कार्य अभी मात्र 90 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है अतः विभाग को अभी हस्तगत नहीं हुआ है।

जी हां।

भवन मरम्मत हेतु धनराशि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है, शीघ्र ही मरम्मत करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण निदेशालय द्वारा समूह "ग" की भर्ती हेतु विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता नियम विरुद्ध प्रकाशित कराने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री शिशुपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि महिला कल्याण निदेशालय के अधीन लेखा-लिपिक पद की शैक्षिक योग्यता इन्टर (कामर्स) निर्धारित है? क्या सही है कि समूह "ग" भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उक्त पद की शैक्षिक योग्यता स्नातक मांगी गयी थी? यदि हां, तो नियमावली के विपरीत उच्च शैक्षिक अर्हता मांगने का क्या औचित्य है? नियम विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार गलत शैक्षिक योग्यता प्रकाशित होने के कारण पदों का चयन निरस्त कर पुनः चयन कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक अधीक्षिका को उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ से सम्बद्ध करने की जानकारी

118-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री शिशुपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित आवासीय/अनावासीय गृहों अधीक्षक/सहायक अधीक्षक/अधीक्षक के पद रिक्त रहते हुये भी सहायक अधीक्षिका/सहायक अधीक्षक को उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालयों में सम्बद्ध किया गया है? यदि हां, तो ऐसी सहायक अधीक्षिका/सहायक अधीक्षकों से क्या कार्य लिये जा रहे हैं? क्या इससे रिक्त पदों से संस्थाओं का कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्धीकरण समाप्त कर उन्हें मूल पद पर तैनात किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

एक सहायक अधीक्षिका को मानवीय आधार पर अत्यन्त ही विशेष परिस्थितियों में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

उक्त सहायक अधीक्षिका द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों में योगदान दिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना, सीतापुर के कतिपय कर्मचारियों की पास बुकों को सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 (यथासंशोधित 1998) के अन्तर्गत महालेखाकार से से प्रतिवर्ष सत्यापित न कराने की जानकारी

119-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री शिशुपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली, 1985 यथा संशोधित 1998 के अन्तर्गत क्या यह

व्यवस्था है कि कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की पास-बुक प्रत्येक वर्ष महालेखकार से सत्यापित कराकर उससे सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत कराया जायेगा ? यदि हां, तो क्या जनपद-सीतापुर की बात विकास परियोजना में कर्यरत चतुर्थ श्रेणी, मुख्य सेविका, ड्राइवर आदि की पास-बुकों को महालेखाकर से सत्यापित कराया गया है ? यदि नहीं, तो नियमों का पालन न करने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

संदर्भित नियमावली में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर हरिगांव, बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पदों पर वर्ष 1998 में की गई नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा न कराने हेतु कार्यवाही की मांग

120-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री शिशुपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पदों में आरक्षण व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो क्या बाल विकास परियोजना हरिगांव, जनपद-सीतापुर में उक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1998 में की गयी नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा किया गया था ? यदि नहीं, तो उक्त आरक्षण कोटा पूरा न करने हेतु कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो वर्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

बाल विकास परियोजना अधिकारी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आगरा एवं रायबरेली के महिला एवं बाल विकास विभाग में 1995 से 98 के के मध्य कर्मचारी/अधिकारियों के वेतन/यात्रा बिलों से सम्बन्धित देयकों के कालातीत आपत्तियों के दावे दूर करने हेतु निदेशालय को प्राप्त होने तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

121-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री शिशुपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 से 1998 के मध्य कर्मचारी/अधिकारियों के वेतन/यात्रा बिलों से सम्बन्धित देयकों की कालातीत आपत्तियों को दूर करने के लिए निदेशालयों को कितने प्रकरण संदर्भित हुये? क्या ऐसे दावों का निस्तारण कर दिया गया है? क्या जनपद आगरा एवं रायबरेली से कालातीत दावे निदेशालय को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

निदेशालय को 76 प्रकरण प्राप्त हुए।

उक्त 76 प्रकरणों में से 45 दावों का निस्तारण कर दिया गया है।

जनपद आगरा का कोई कालातीत प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। जनपद रायबरेली से 06 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 03 का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 03 दावों में आपत्तियां थीं, जिन्हें पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद को लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बुधना बेवा हीरालाल ग्राम नदियावां बसायकपुर, सुल्तानपुर को स्वीकृत इन्दिरा आवास का पैसा हड़पने की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

122-श्री तेजभान सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती बुधना बेवा हीरालाल, ग्राम-नदियावां बसायकपुर सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 जिसमें इंदिरा आवास स्वीकृत होने व प्रार्थी को चेक न देकर पैसा हड़पने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

श्रीमती बुधना बेवा हीरालाल के प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 की जांच कराई गई। जांचोपरान्त शिकायत सत्य नहीं पायी गयी।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम-टिकरिया के आपात्र व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटित करने विषयक मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर को दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

123-श्री तेजभान सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित जय नारायण तिवारी, ब्लाक प्रमुख गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत पत्रावली की फोटो कापी सहित दिनांक 12-1-99 जो ग्राम-टिकरिया के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास न आवंटित कर अपात्र को आवंटित करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महिला चिकित्सालय बुलहवां (छितौनी) कुशीनगर के कर्मचारियों के आवासों पर अवैध कब्जों को खाली कराने की जानकारी

124-श्री दीपलाल भारती-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला चिकित्सालय बुलहवां (छितौनी) जनपद कुशीनगर के कई कर्मचारियों के आवासीय कमरों के किसी अराजक तत्व द्वारा अवैध कब्जे को जुलाई-अगस्त, 98 में सरकार द्वारा खाली कराया गया है? यदि हां, तो क्या उस अवैधानिक कब्जेदारी से किराया वसूला गया? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां, प्रश्नगत अवैध कब्जा माह जून, 1998 में हटाया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

जनपद लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण आदि की जानकारी

125-डा0 रामबाबू हरित-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठवें बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 06-07-1994 को पत्र संख्या-754/निदेशक/पी0जी0आई0 को निदेशक द्वारा सभी चिकित्सकों का प्रमाण पत्र प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया था? यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित चिकित्सकों को किस तिथि को हस्तगत करवाया गया? क्या शासन द्वारा किया गया व्यय एवं शासनादेश के अनुबन्ध के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-754/निदे0/पी0जी0आई0/94, दिनांक 6-7-1994 द्वारा कोई भी प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण इन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 लक्सर के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

श्री अम्बरीष कुमार-

126-क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, लक्सर के निवर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध फर्जीयात्रा भत्ता प्राप्त करने, समिति की जीप का दुरूपयोग करने तथा समिति भवन के निर्माण में अनेकों अनियमिततायें करने और समिति के हितों के विपरीत कार्य करने के आरोप में गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38(1) के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही 30 दिन के अन्दर करने के आदेश 27 जून, 1998 को दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कार्यवाही न किये जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38(1) में कार्यवाही हेतु गन्ना समिति, लक्सर में प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 23-7-98 को आहूत की गयी थी। परन्तु उक्त बैठक की निर्धारित तिथि से पूर्व शासन की अधिसूचना संख्या-1320/17 बी-1-1 (क) 19-1998, दिनांक 9 जुलाई, के अन्तर्गत 10 जुलाई, 1998 को गन्ना समिति, लक्सर की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया,फलस्वरूप अध्यक्ष भी अपदस्थ हो गये तथापि विषयगत प्रकरण में अन्तर्गस्त धनराशि की वसूली, उत्तरदायी पदाधिकारी से किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, चीनी मिल शाहगंज पर किसानों के बकाये गन्ने के भुगतान की मांग

127-श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की चीनी मिल शाहगंज पर किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान दिनांक 5-11-98 तक कुल कितना था तथा अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है? क्या सरकार उक्त बकाया किसानों का भुगतान निकट भविष्य में करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल पर सत्र, 1997-98 का देय गन्ना मूल्य रु0 486.17 लाख में से दिनांक 5-11-98 तक रु0 177.17 लाख तथा दिनांक 28-2-99 तक रु0 192.14 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के ब्लाकों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

128-श्री मुरलीधर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के 13 ब्लाकों में टेलीफोन सुविधा है? यदि नहीं, तो सरकार टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद फतेहपुर के 13 ब्लाकों में से 9 ब्लाकों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध

है। शेष 4 ब्लाकों में से एक ब्लाक अमौली में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 3 ब्लाकों के परिसर में टेलीफोन केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। अग्रेतर कार्यवाही दूर संचार विभाग द्वारा की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत, उच्चीकृत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

129-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट जिला चम्पावत में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

चिकित्सकों के पद रिक्त नहीं हैं।

तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्रान्ति विद्या मन्दिर बंगला बाजार लखनऊ में छात्रों की संख्या के आधार पर एक अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति की मांग एवं विवरण

130-श्री यशपाल सिंह चौहान-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 124 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित विद्यालयों में छात्रों की वृद्धि होने पर अध्यापक के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? प्रश्नगत विद्यालय में फरवरी, 1998 में की गयी जांचों में पंजीकृत छात्र तथा निरीक्षण के समय उपस्थित छात्रों की संख्या क्या थी? प्रश्नगत विद्यालय में अध्यापक के एक अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को कब प्राप्त हुआ तथा उस पर अन्तिम निर्णय कब और किस स्तर से लिया गया? क्या उक्त निर्णय की सूचना विद्यालय अथवा प्रबन्धतंत्र को भी दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? छात्रों की पंजीयन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार द्वारा पद सृजन के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

40 छात्रों पर एक अध्यापक तथा अतिरिक्त 20 छात्रों पर एक अतिरिक्त अध्यापक के मानक को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापकों के देय वेतनराशि के समतुल्य अनुदान राशि दिये जाने की व्यवस्था प्रचलित आवर्तक अनुदान सूची के संदर्भ में रही है।

छात्र संख्या का विवरण निम्न था-

तिथि	पंजीकृत सं0	उपस्थित सं0
20-2-98	626	585
24-2-98	626	577
27-2-98	626	617
औसत सं0-	626	593

विद्यालय का प्रस्ताव दिनांक 22-12-93 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ था। जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के स्तर से प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं के साथ पत्र दिनांक 23-6-98 द्वारा पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से प्रस्ताव पर दिनांक 26-6-98 को अन्तिम निर्णय लिया गया जिसके अनुसार विद्यालय में अध्यापक के एक अतिरिक्त पद की अनुमन्यता का औचित्य नहीं पाया गया। निदेशालय के निर्णय की सूचना दिनांक 26-6-98 को शासन तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेज दी गयी थी।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार विद्यालय में उपस्थित पायी गयी छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त पद की अनुमन्यता का औचित्य नहीं होने की स्थिति में पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के कर्मचारियों द्वारा बिना कार्य वेतन आहरण किये जाने की जानकारी

131-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना कितनी पूंजी से की गयी है ?इसके द्वारा क्या-क्या कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है ? क्या यह सच है कि संस्थान के पास वर्तमान में कोई वित्तीय प्राविधान नहीं है जिसके कारण बिना कार्य के लगभग 75 कर्मचारी वेतन आहरण कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त संस्थान को बनाये रखने का क्या औचित्य है?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना रु0 56 लाख की पूंजी से आरम्भ करके इसे रु0 167.14 लाख की लागत से उच्चीकृत किया गया, अर्थात् कुल धनराशि रु0 223.14 लाख से संस्थान की स्थापना हुई है।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का शीर्षस्थ प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है, जहां केवल प्रशिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है।

जी नहीं। संस्थान के लिए वित्तीय प्राविधान है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संस्थान के कर्मचारी प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 सिसवां बाजार (महराजगंज) के बदरी पैन मजदूर के मृतक आश्रित श्री संजय कुमार को पुनः सेवा में लेने की मांग

132-श्री दीपलाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, सिसवां बाजार (महराजगंज) के पत्रांक 113/सिसवां/दिनांक 11-11-97 द्वारा स्व0 श्री काशी प्रसाद पुत्र बदरी पैन-मजदूर मृतक आश्रित के रूप में श्री संजय कुमार पुत्र श्री काशी प्रसाद ग्राम पो0 भुजौली बाजार, जि0 कुशीनगर (उ0प्र0) की नियुक्ति सीजन 1997-98 में मजदूर के रूप में की गयी थी? क्या उनका कार्य संतोषजनक रहा है? यदि हां, तो क्या उन्हें वर्ष 1998-99 में सेवा-कार्य पर नहीं लिया गया है? यदि हां, तो उसे पुनः सेवा में लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्री संजय पुत्र स्व0 श्री काशी प्रसाद, ग्राम पो0 भुजौली बाजार, जि0 कुशीनगर की नियुक्ति पत्रांक सिसवां/113, दिनांक 11-11-97 द्वारा पेराई सत्र, 1997-98 के लिए बहैसियत मजदूर के रूप में की गई थी। इनकी नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में नही की गयी थी क्योंकि स्व0 काशी प्रसाद 19-5-88 के पश्चात् निगम की सेवा में नहीं थे और उनकी मृत्यु 31-1-95 को हुई।

श्री संजय पुत्र स्व0 काशी प्रसाद को सीजन 1997-98 हेतु नियुक्त किया गया था। उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः सत्र 1998-99 में उन्हें कार्य पर नहीं लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में पुराने के स्थान पर नये डीजल युक्त जनरेटर की व्यवस्था की मांग

133-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर में लगा जनरेटर क्या 15 वर्ष पुराना हो चुका है तथा उसके चलाने के लिये डीजल का कोई प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो क्या उक्त जनरेटर को बदल कर नया जनरेटर उपलब्ध कराकर उसके लिये डीजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर में जनरेटर की स्थापना मार्च, 1985 में की गयी थी, उक्त जनरेटर अक्टूबर, 1985 से कार्यशील है। उक्त जनरेटर के संचालन हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 17,500/- स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, मल्लांवा ग्राम पंचायत म्यौरा के मजरा चुलयापुर में बाढ़ से बचाने के लिए प्लेटफार्म बनाने की मांग

134-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत म्यौरा के मजरा चुलयापुर जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तथा गंगा नदी की बाढ़ से प्रायः पूरा गांव डूब जाता है? उक्त ग्राम को बाढ़ से बचाने के लिये उक्त ग्राम में प्लेटफार्म बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ग्राम बाढ़ से प्रभावित होता है।

सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए विभाग स्तर पर इस ग्राम को उच्चीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद सीतापुर में राजकीय शिशु सदन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन भुगतान की मांग

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

135-क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में राजकीय शिशु सदन में दैनिक वेतन पर कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कर्मचारियों को कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

राजकीय शिशु सदन, सीतापुर में दैनिक वेतन पर पांच (5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मऊ मुसाफिर हरिजन प्राथमिक विद्यालय मल्लपुर लोहराई, रतनपुर को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

136-श्री चेतराम-

136-क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मुसाफिर हरिजन प्राथमिक विद्यालय मल्लपुर लोहराई शिक्षा क्षेत्र रतनपुर जिला मऊ" को अनुदान सूचनी में लेने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी मऊ ने अपने पत्र संख्या 125, दिनांक 1-5-98 को निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 को भेजा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार इस विद्यालय को इस वर्ष की अनुदान सूची में लिये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी हां।

निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया गया। इस हेतु निर्दिष्ट मानक पूर्ण नहीं पाया गया।

जी नहीं।

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है विद्यालय इस हेतु निर्दिष्ट मानक पूर्ण नहीं करता है।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक तिलहर में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयन एवं समस्त विकास कार्यों के चयन में अनियमितता विषयक पक्ष पर कार्यवाही की मांग

137-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-8-98 या इसके आसपास जो आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन तथा सभी विकास कार्यों के चयन हेतु ग्राम पंचायतों की खुली बैठक की व्यापक अनियमितताओं की जांच के सम्बनध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक28-4-98 प्राप्त हुआ है जिसका विषय आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन तथा सभी विकास कार्यों के चयन हेतु ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों व्यापक अनियमतताओं की जांच के सम्बन्ध में है। पत्र में ब्लाक तिलहर, शाहजहांपुर के सम्बन्ध में दिए गये बिन्दुओं पर जांच करने की अपेक्षा की गयी थी।

पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिलहर के शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करायी गयी। जांच के दौरान शिकायतें सही नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बन्द नलकूपों को चालू कराने की मांग

138-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में कितने नलकूप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत किस ब्लाक के किन-किन ग्रामों में स्थापित हैं? क्या यह सही है कि उक्त बन्द पड़े नलकूपों के आपरेटरों को अन्यत्र समायोजित नहीं किया गया? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों को सिंचाई हेतु चालू करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जनपद फतेहपुर में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत कुल 21 नलकूप स्थापित हैं जिनका विकास खण्डवार व ग्रामवार विवरण निम्न है:-

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	संख्या
(1) बहुआ	कोरारी	1
	वाहिदपुर	2
	धनीपुर	2
(2) भिढौरा	लखपुरा	1
(3) तेलियानी	चकमुगल	1
(4) असोधर	विधातीपुर	1
(5) हसवा	औराई	1
	चकमियापुर	1
	असवाबक्सपुर	1
	रमवा	1
(6) विजईपुर	जिहरवा	1
	खेमकरनपुर	1
	लौधोरा	2
	विजईपुर	1
(7) घाता	गोविन्दपुर	1
	रतनपुर	1

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	संख्या
	खैरई	1
	बसवा	1
योग-		21

शासनादेश संख्या-57/स्पे0 कम्पो0/ 26-3-84-11(36)/81, दिनांक 11-01-84 में निहित व्यवस्थानुसार सामूहिक लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ट्यूबवेल आपेरटर का कोई पद सृजित नहीं है, फलस्वरूप आपरेटर को अन्यत्र समायोजित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान की सामूहिक लघु सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिये बिना लाभ-हानि के संचालित थी। योजनान्तर्गत क्षेत्र में प्रचलित सामान्य सिंचाई दर पर देय सिंचाई शुल्क से ही नलकूप की मरम्मत/रख रखाव आदि का कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड के उपखण्ड तिलहर के अभियन्ताओं को हेड क्वार्टर पर उपस्थित न रहने विषयक पत्र पर जांच

139-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-8-98 को या आसपास जो नलकूप खण्ड शाहजहांपुर के उपखण्ड तिलहर में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता आदि के हेड क्वार्टर पर न रहने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया गया था? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा जांच की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 29-7-1998 प्राप्त हुआ है।

पत्र दिनांक21-8-1998 को जिलाधिकारी, शाहजांहपुर को यथोचित कार्यवाही कर माननीय विधायक को अवगत करानेहेतु भेजा गया। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

उत्तर प्रदेश सचिवालय, एलोपैथिक डिस्पेंसरी में डॉक्टरियों/कर्मचारियों के पर्चे में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी द्वारा सम्पूर्ण विवरण न लिखे जाने के कारण दवाओं की बर्बादी एवं उसके दुरुपयोग की जांच

140-श्री मुरलीधर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक डिस्पेंसरी उत्तर प्रदेश सचिवालय में जिन कर्मचारियों के पर्चे पर दवायें लिखी जाती हैं उन पर उनका परचा क्रमांक, कर्मचारी का नाम पदनाम एवं विभाग लिखा जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सम्पूर्ण विवरण न लिखे जाने की आड़ में डिस्पेंसरी के इंचार्ज वरिष्ठ चिकित्साधिकारी द्वारा भारी मात्रा में दवाओं का दुरुपयोग करके प्रतिमाह हजारों रुपयों की धन उगाही की जा रही है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा कोई प्रकरण सम्प्रति संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

141-श्री मुरलीधर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में एलोपैथिक डिस्पेंसरी में दवाओं के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 का बजट कितना है? इसमें से एल0पी0 की दवाओं का कितना बजट है? क्या डिस्पेंसरी में एल0पी0 दवाओं को छोड़कर जो दवायें मंगाई जा रही है वह बहुत ही घटिया दर्जे की हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में उ0प्र0 सचिवालय की एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में दवाओं के क्रय हेतु रु-027,12,000/- (रु0 सत्ताइस लाख बारह हजार मात्र) आवंटित किया गया है, जिसमें 15% तक की सीमा तक आवश्यकतानुसार एल0पी0 की जा सकती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य चीनी मिल, खड्डा के उपयोग हेतु क्रय की गयी इलैक्ट्रोस्टेट फोटो मशीन की जानकारी

142-श्री दीपलाल भारती-

क्या कृषि विकास मंत्री को ज्ञात है कि राज्य चीनी मिल खड्डा में इलैक्ट्रोस्टेट फोटो मशीन क्रय की गई है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त मशीन उक्त इकाई में नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसमें दोषी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम मुख्यालय द्वारा खड्डा मिल के उपयोग हेतु इलैक्ट्रोस्टेट मशीन वर्ष 1991-92 में क्रय करके खड्डा मिल को उपलब्ध करायी गयी थी।

प्रश्नगत मशीन चीनी मिल में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री मुरलीधर-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव के कनिष्ठ लिपिक को सहायक संख्याधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने की शिकायत

144-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-उन्नाव में नियुक्त किसी कनिष्ठ लिपिक सह टंकण लिपिक को सहायक संख्याधिकारी के पद पर सन् 1997-98 में पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो भर्ती के समय उक्त पद की निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं निर्धारित भर्ती की प्रक्रिया क्या थी? क्या इस प्रकरण में दोनों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो इस प्रकार शासनादेशों का उल्लंघन एवं सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 1997-99 में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी अस्पतालों के शिलान्यास उद्घाटन पर व्यय के विवरण की जानकारी

145-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में प्रदेश में कुल कितने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालों के शिलान्यास उद्घाटन हुये हैं और उन पर आने वाले खर्च का विवरण क्या है? उसे किस मद में खर्च किया गया?

श्री शिवाकान्त ओझा-

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में प्रदेश में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालों के शिलान्यास उद्घाटन के सम्बन्ध में प्रदेश के होम्योपैथी/आयुर्वेदिक विभाग के समस्त जिला स्तर के अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है। उक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त वस्तुस्थिति से मा0 सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1997-99 में खोले गये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी चिकित्सालयों का विवरण

146-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में कुल कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सालय विधान सभावार कहां-कहां खोले गये हैं और उनका आधार क्या था? क्या उपरोक्त वर्षों में जिला नियोजन समिति की बैठक में स्वीकृत किये गये स्थलों के अनुसार ही चिकित्सालयों की स्वीकृति शासन ने प्रदान की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1997-98 में निम्न 5 आयुर्वेदिक तथा एक यूनानी चिकित्सालय एवं 8 होम्योपैथिक चिकित्सालय उनके सम्मुख विधान सभावार खोले गये है:-

चिकित्सालय का नाम	विधान सभावार क्षेत्र
आयुर्वेदिक	
(1) सर्वजीतपुर	पट्टी
(2) चौहरजन	वीरापुर
(3) सोनाही	वीरापुर

चिकित्सालय का नाम	विधान सभावार क्षेत्र
आयुर्वेदिक	
(4) सकरा सुन्दरपुर	रामपुर खास
(5) बाघराय	विहार
यूनानी	
1-कुण्डा	कुण्डा
होम्योपैथिक	
(1) सलाहपुर	पट्टी
(2) कटेहरी	रामपुर खास
(3) तालामोड़	
(4) सराय गनई	
(5) नजियापुर	
(6) भगवत गंज	
(7) डडवा	
(8) नरायन परमा का पुरवा	बीरापुर

चिकित्सालय खोलने के आधार क्षेत्र की आवश्यकता एवं जनहित में आधारित है। वर्ष 1998-99 में अभी तक किसी चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड साऊघाट, ग्राम भिटिया कला में पुल निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

147-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट के अन्तर्गत ग्राम भिटिया में गांव की सहमति से उचित स्थान पर एक पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह जनवरी, 1999 के तीसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

स्वीकृत लम्ब छिन्नक में ग्राम भिटिया कला के सामने खलीलाबाद शाखा पर कोई पुल स्वीकृत नहीं है। नये पुल की मांग के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नवीन रावत मृतक आश्रित को प्रश्नगत विभाग में सेवायोजित करने की जानकारी

148-श्री लाखीराम जोशी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-2-नम्बर-483021, दिनांक 20-1-99 जो कि श्री नवीन रावत मृतक आश्रित को विभाग में नियुक्ति के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या मृतक आश्रित को सेवायोजित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों की सूची उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

149-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-7-98 या इसके आस-पास जो जिला शाहजहांपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 सदस्य का शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-98 प्राप्त हुआ है।

शिकायती-पत्र की उच्च स्तरीय जांच निदेशक (प्रशासन) के माध्यम से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

आगरा मण्डल सिंचाई विभाग की बैठक में सम्मिलित न होने तथा विभाग में भ्रष्टाचार विषयक पक्ष पर कृत कार्यवाही की जानकारी

151-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-8-98 को आयोजित आगरा मण्डल सिंचाई विभाग की बैठक में सम्मिलित न होने तथा सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार तथा तथ्यों के आधार पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-5/15501/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 को मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

कथित पत्र में दिनांक 28-8-98 को आगरा में मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिये जाने को उचित न समझना अंकित है तथा सिंचाई विभाग के अपर कैनाल आगरा, मांट ब्रांच एवं लोअर कैनाल में भ्रष्टाचार तथा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में जन-साधारण के परेशान होने की चर्चा की गयी है तथा सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग की गयी है अंकित खण्डों की समस्या/भ्रष्टाचार से संबंधित कोई निश्चित बिन्दु नहीं है। अतः उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागपत के वरिष्ठ लिपिक श्री मंगतराज शर्मा की चरित्र पंजिका में अंकित जन्म तिथि तथा वास्तविक जन्म तिथि में अन्तर की जांच की मांग

152-श्री आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागपत में नियुक्त वरिष्ठ लिपिक श्री मंगतराज शर्मा 14 वर्षों से कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सच है कि श्री शर्मा की चरित्र पंजिका में जन्म तिथि 1-10-40 के स्थान पर 11-10-48 अंकित है? यदि हां, तो क्या श्री शर्मा के विरुद्ध कोई जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं, श्री मंगतराज शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, बागपत में दिनांक 10-8-98 से कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शर्मा की चरित्र पंजिका में वास्तविक जन्म तिथि 11-10-48 अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बेकार पड़ी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की कार्यवाही की मांग

153-श्री मुरलीधर-

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में विभाग की कितनी गाड़ियां बेकार पड़ी हें जो बारिस एवं धूप से नष्ट हो रही हैं? क्या सरकार इन बेकार पड़ी गाड़ियों की नीलामी करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

विभाग की 22 वाहने पुरानी एवं अलाभकारी होने के कारण आफ रोड हैं।

जी हाँ।

प्रश्नगत वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। निष्प्रयोज्य घोषित होने के पश्चात् नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, सदर अस्पताल में बिना टेण्डर काल किये भोजन हेतु सामग्री आपूर्ति की जांच

154-श्री मुरलीधर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर सदर हास्पिटल में भर्ती गरीब मरीजों को फ्री भोजन देने हेतु सामग्री आपूर्ति बिना टेण्डर काल किये हुये अपने पसन्द के व्यक्ति से आपूर्ति कराई जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट सिल्ट सफाई के फर्जी भुगतान की जांच

155-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-98 जो जनपद चित्रकूट में सिल्ट सफाई में हुये फर्जी भुगतानों की जांच के सम्बन्ध में है, मंत्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के प्रकरण में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर जांच कराई गई है, जिसमें कोई फर्जी भुगतान का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कोटे के पदों के आरक्षण की मांग

156-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की, जनपद हरिद्वार में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे के पद हैं? क्या उन पदों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है? क्या प्रतिरूप सहायक से वैज्ञानिक के पदों पर विभाग द्वारा प्रोन्नत पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षित पदों में रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर में अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म बनाने की जानकारी

157-श्री राम ललित चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर-नगर जिले में वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत अलग-अलग कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये गये तथा उनमें से कितनों के प्लेटफार्म बनाये गये हैं? हैण्डपम्प लगने के कितने समय बाद प्लेटफार्म बनाने का प्राविधान है? क्या समयबद्ध तरीके से प्लेटफार्म न बनाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

वर्ष 1996-97 में जनपद बस्ती एवं संत कबीरनगर में सम्मिलित रूप से कुल 1455 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प-2 अधिष्ठापित किये गये। वर्ष 96-97 में संत कबीर नगर का सृजन नहीं हुआ था। जनपद-सिद्धार्थनगर में 96-97 में 1542 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया गया है।

उपरोक्त समस्त हैण्डपम्पों का प्लेटफार्म निर्मित हो चुका है।

हैण्डपम्प लगने के एक माह के अन्दर प्लेटफार्म निर्माण का प्राविधान है

परन्तु कभी-कभी असामान्य परिस्थितियों के कारण विलम्ब होने की सम्भावना रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की मांग

158-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार कोई कारगर कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां। शासन द्वारा प्रति वर्ष इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत किये जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 1999-2000 में भी प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा लागू किये जा रहे समग्र विकास योजना के परिपेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1999-2000 के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश अप्रैल, 99 में निर्धारित किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में काली नदी के किनारे बसे गांवों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने संबंधी योजना की जानकारी

159-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र, जनपद-मेरठ में काली नदी का पानी प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो उसके किनारे बसने वाले गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरधना विधान सभा क्षेत्र में काली नदी के किनारे बसे हुए गांवों को शुद्ध पेय जल इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प लगाकर उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण अंचल के चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यालय बनाकर रहने की व्यवस्था की जानकारी

160-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के अनिवार्य रूप से रात-दिन तैनात रहने की अनिवार्य व्यवस्था हेतु सरकार कोई विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यालय बनाकर रहने के निर्देश पूर्व से हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ, सरधना के गांव सलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत

161-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सरधना जनपद मेरठ के गांव सलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जीर्ण-शीर्ण होकर गिरने की अवस्था में है? यदि हां, तो भवन को गिरने से बचाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। भवन की आवश्यक मरम्मत करा ली गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में पी0एम0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के प्रशिक्षणोपरान्त प्रमाण-पत्र हस्तगत कराने की मांग

162-श्री रणधीर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के एस0जी0पी0जी0आई0 में विशेष प्रशिक्षण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा पत्र सं0 754/निदे/पीजीआई/94, दिनांक 6-7-1994 में यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा नामित चिकित्सकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उनका प्रमाण-पत्र प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य को भेजा गया है? यदि हां, तो वर्ष 1994 में किस तिथि को उक्त प्रमाण-पत्र शासन को प्राप्त हुआ? उक्त प्रमाण-पत्र क्या सम्बन्धित चिकित्सकों को हस्तगत कराया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-754/निदे/पी0जी0आई/94, दिनांक 6-7-1994 में मुख्य रूप से शासन द्वारा नामित डा0 ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा कार्डियोलाजी विभाग में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र जारी करने तथा तद्नुसार महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचित करने का उल्लेख है।

उक्त संदर्भित पत्र में वर्ष 1994 में प्रमाण पत्र निर्गत करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 सी0 मिश्रा, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल आगरा के विरुद्ध मुकदमा कायम किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 आर0 सी0 मिश्रा, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, आगरा के विरुद्ध मुकदमा कायम किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-1/17796/मथुरा/98, दिनांक 2-11-98 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण तथा महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य कराने की जानकारी

164-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा समाज कल्याण तथा महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु मोहान रोड, लखनऊ में कुछ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी? यदि हां, तो अधिग्रहीत की गयी भूमि का खसरा खतौनी नम्बर तथा उसका रकबा कितना है? कुल अधिग्रहीत की गयी भूमि में कितने-कितने रकबा के अन्तर्गत भवन निर्माण किया गया? राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, लखनऊ का अधिग्रहीत रकबा कितना है और कितने रकबे में भवन निर्मित है? क्या

उक्त भवन हेतु अधिग्रहीत रकबे में किसी अन्य द्वारा कोई निर्माण किया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रकरण की जांच की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग से पुनः कारागार विभाग में स्थानान्तरित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

165-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-9-98 जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत योजना स्थानान्तरण महिला कल्याण विभाग से पुनः कारागार विभाग में स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव था प्राप्त हुआ? क्या तद्विषयक मा0 बनारसी दास चांदाना का पत्र दिनांक 25-9-98 तथा विधायक श्री वीरेन्द्र सिंह का पत्र दिनांक 5-10-98 के पंजीकृत पत्र भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 25-9-98 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जी हां।

प्रकरण में विचारोपरान्त कारागार विभाग को योजना स्थानान्तरित करने का औचित्य नहीं पाया गया।

166-श्री लवकुश कुमार-

(दि0 11-3-99 को अता0 प्र0 स0 103 द्वारा उत्तरित।)

जनपद ऊधम सिंह नगर नादेही, सहकारी शुगर फैक्ट्री हेतु पांच गन्ना क्रय केन्द्रों को पूर्व की भांति पुनः दिये जाने की मांग

167-श्री लवकुश कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के नादेही सहकारी शुगर फैक्ट्री के पांच गन्ना क्रय केन्द्रों को जनपद बिजनौर के द्वारिकेश शुगर मिल बुन्दकी को दे दिये गये हैं? क्या इसके कारण सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां,तो क्या सरकार पूर्व की भांति पांचों गन्ना क्रय केन्द्रों को जनपद ऊधम सिंह नगर के नादेही सहकारी शुगर मिल को देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

यथा-स्थिति यथा-समय विचार किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में सभी पक्षों को सुनने के उपरान्त सुरक्षण आदेश गन्ना आयुक्त के स्तर से नियमानुसार पारित होते हैं। अतः अगले पेराई सत्र में इस पर विचार किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर, गरई नाला तथा कलान बांध निर्माण में अनियमितता की जांच

162-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में स्थित गरई नाला तथा कलान बांध में वर्ष में 1995 से नवम्बर, 1998 तक प्रत्येक वर्ष कितना-कितना रुपया व्यय किया गया? क्या सरकार को जानकारी है कि गरई नाला कलान बांध में मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगाई गयी? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

गरई नाला की सफाई एवं कलान बांध (भैसार ढाई घाट बांध) पर विभिन्न वर्षों में निम्नवत व्यय किया गया:-

नाम	व्यय (लाख रु0 में)				
	95-96	96-97	97-98	98-99	योग
1-गरई नाला	6.04	----	शून्य	शून्य	शून्य 6.04
2-कलान बांध (भैसार ढ़ाई घाट बांध)	5.04	45.00	35.00	10.00	95.04

जी नहीं।

गरई नाला में केवल मिट्टी का कार्य किया गया है, कोई अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। कलान बांध (भैसार ढ़ाई घाट बांध) में मिट्टी के अतिरिक्त रिपल बन्द करने में बोल्डर का उपयोग किया गया है, जिसकी जांच टी0ए0सी0 से करवाई जा चुकी है और अर्थ दण्ड के रूप में रु0 1373.22 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग में लिफ्ट सफाई अभियान में भ्रष्टाचार की जांच

169-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग में जनवरी, 1995 से अगस्त, 1998 तक प्रत्येक वर्षों में कुल कितना- कितना रुपया उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला योजना से अधिशासी अभियन्ता, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में लिफ्ट सफाई अभियान में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

शाहजहांपुर जनपद में शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर एवं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना खण्ड, शारदा नहर, शाहजहांपुर में उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 94-95, 95-96, 96-97, 97-98 एवं 98-99 में माह अगस्त, 98 तक क्रमशः 125.38 लाख, 190.25, 419.45 लाख, 196.69 लाख एवं 145.26 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध क्रमशः 155.521 लाख, 191.28 लाख, 409.70 लाख, 178.77 लाख एवं 62.70 लाख रुपया लेखा शीर्षक 2701 अनुरक्षण एवं मरम्मत् 2711 बाढ़ प्रबन्ध एवं जलोत्सारण एवं 4701 पूंजीगत कार्यों पर व्यय किया गया। जिला योजना से इन खण्डों को कोई धन प्राप्त नहीं हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भ्रष्ट तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों की सूची उपलब्ध कराने तथा उस पर कार्यवाही की मांग

170-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-97 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के भ्रष्ट तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों की सूची उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है विधायक कोष्ठ के माध्यम से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद शाहजहांपुर के प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरो की सूची विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांकित 1-12-97 विधायक कोष्ठक के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच जिला अधिकारी, शाहजहांपुर से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, विकास खण्ड (चित्रकूट धाम) कर्वी में कार्यरत आंगनबाड़ी/सहायिकाओं की नियुक्तियों में अनियमितता की जांच

171-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट के विकास खण्ड-चित्रकूटधाम कर्वी में कार्यरत सी0डी0पी0ओ0 द्वारा आंगन बाड़ी/सहायिकाओं की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने व रिश्वत लेने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 11-11-98 व 16-11-98 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्रों में दर्शाये गये तथ्यों की जांच कराई गयी है? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जिलाधिकारी छत्रपतिशाहूजी महराज नगर से जांच कराई जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मौदहा बांध हेतु एवं उसमें बसे बांध महोबा व हमीरपुर के विस्थापितों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की जानकारी

172-डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 390, दिनांक 15 जून, 90 के अनुपालन में अभी तक मौदहा बांध संसदीय क्षेत्र महोबा व हमीरपुर के बसाये गये विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधायें (बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल) उपलब्ध करा दी गयी हैं? यदि नहीं,तो क्यों? क्या उक्त सुविधायें शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिंचाई विभाग के पंत्राक 390 दिनांक 15-6-90 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-3651/90-27-सि-4, 14 डब्लू/90, दिनांक 21-8-90, मौदहा बांध एवं उर्मिल बांध के विस्थापितों के पुर्नवास हेतु सुविधा के सम्बन्ध में निर्गत है। शासनादेश का बिन्दु -7 अनुमन्य संगत सुविधा से सम्बन्धित है मौदहा बांध से कुल 7 ग्राम प्रभावित है, जिसमें 4 ग्राम पूर्ण रुपेण एवं 3 ग्राम आंशिक रूप से चार ग्रामों के लिंक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 3 ग्रामों में निर्माणाधीन है। 6/99 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है। दो ग्रामों के निकट से, जहां विद्युत लाइन गुजर रही थीं, उनको विद्युत लाइन से जोड़ दिया गया है। पुनर्वास प्लान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित है जिनमें समस्त पुनर्वासी ग्रामों स्कूल, अस्पताल आदि के लिए प्लाट आंवटित कर दिये गये हैं।

जनपद हरदोई सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत धन आवंटन में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा एवं मनमानी के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

173-श्री राम पाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद हरदोई में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धन को प्रत्येक विकास खण्डवार बांटा गया है? यदि हां, तो किस अनुपात में? क्या यह सही है कि उक्त धन के आवंटन में जनप्रतिनिधियों के सुझावों की अनदेखी की गयी है तथा अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उसे बांट दिया गया है? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद को प्राप्त होने वाला केन्द्रांश व राज्यांश विकास खण्डवार ही प्राप्त होता है तथा उसी के अनुसार विकास खण्डवार ही धन अवमुक्त किया गया है।

जी नहीं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की अनुभूत आवश्यकताओं पर विभागों से कार्य योजनायें प्राप्त करके स्वीकृतियां जारी की गई है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग व पुलियों के निर्माण से सम्बन्धित अधिकांश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं तथा उन सुझावों को वरीयता दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी में पेयजल समूह योजना की जानकारी

174-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्रामीण पेयजल समूहों की स्वीकृति हेतु क्या कोई मानक निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? क्या जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के किसी भी विकास खण्ड में वर्ष 1997-98 से आज तक कोई ग्रामीण पेयजल समूह योजना शासन के स्वीकृतार्थ विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था उन स्थानों पर की जाती है, जहां हैण्डपम्प सफल नहीं हैं या भूमिगत जल रासायनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

जी हां। तहसील पट्टी के विकास खण्ड-शिवगढ़ में बाबा बेलखरनाथ, चौहरजनदेवी एवं जामताली ग्राम समूह पेयजल योजना विचाराधीन है। इस प्रकरण पर नियोजन विभाग के स्तर पर शीघ्र ही बैठक आहूत किया जाना सम्भावित है।

जनपद बस्ती में बस्ती एवं वाल्टरगंज गन्ना समिति द्वारा गन्ना मूल्य के दुरूपयोग की जांच की मांग

175-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह जानकारी है कि बस्ती गन्ना समिति एवं वाल्टरगंज गन्ना समिति द्वारा बड़े पैमाने पर गन्ना मूल्य का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कराकर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के गन्ने मूल्य के बकायेदार मिलों के गन्ना क्षेत्र आवंटन में सरकार द्वारा कमी करने के सम्बन्ध में जानकारी

176-श्री राम ललित चौधरी--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन चीनी मिलों का जितना प्रतिशत गन्ना मूल्य बकाया रहेगा दूसरे पेराई सत्र में उतना प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल काट कर समय से गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों को दिया जायेगा? यदि हां, तो गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली कितनी चीनी

मिलों का गन्ना क्षेत्रफल घटाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस पर अमल करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

अधिकतर बकायेदार मिलों को गन्ना क्षेत्र आवंटन में कमी की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

बकाया गन्ना मूल्य वसूली हेतु सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड मुरादाबादगंज में माननीय न्यायालय के स्थगनादेश के उपरान्त पद मुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवायें बहाल करने की जानकारी

177-श्री राम शंकर पाल-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मुरादाबाद गंज के 16 आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पद मुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या माननीय न्यायालय के स्थागनादेश के बाद पद मुक्त कार्यकत्रियों की सेवायें बहाल की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत परियोजना की 16 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नहीं अपितु 107 कार्यकत्रियों की मानदेय सेवायें समाप्त की गयी हैं।

चयन नियमानुसार न होने के कारण निरस्त किया गया है।

जी नहीं।

विभाग द्वारा रिट की जानकारी प्राप्त होते ही मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र व स्थगन निरस्तीकरण के प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जा चुके हैं।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला भोलाखेड़ा, इन्द्रपुरी सर्वांगीण विकास विद्यालय के पास अमौसी रजबहा पर पुलिया निर्माण की मांग

178-श्री राम शंकर पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैन्ट, लखनऊ के मोहल्ला भौलाखेड़ा, इन्द्रपुरी सर्वांगीण विकास विद्यालय के पास शारदा नहर खण्ड-2 अमौसी रजबहा पर पुलिया स्वीकृत होने के पश्चात् भी प्राथमिकता के आधार पर उक्त जगह पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

उक्त विद्यालय के पास अमौसी रजबहा पर कोई पुलिया प्रस्तावित नहीं है।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा नियमावली की जानकारी

179-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनियमावली बनी हैं? यदि नहीं, तो सेवा नियमावली कब तक दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

उ0प्र0 राज्य सैनिक नाविक तथा वैमानिक परिषद् अनुसचिव अधिष्ठान नियमावली 1970 एवं निम्न कर्मचारी वर्ग अधिष्ठान नियमावली 1970 बनी हुई है।

प्रदेश में बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या एवं उनकी विधवाओं को पुनर्वासित करने की योजना की जानकारी

180-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने भू0पू0 सैनिक बेरोजगार हैं तथा 1998 में कितने पूर्व सैनिकों/सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वासित किया गया है? शेष को पुनर्वासित करने की प्रदेश सरकार की क्या कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

प्रदेश में 1 जनवरी, 98 से 31-12-98 तक 41 जिलों की प्राप्त सूचना के आधार पर कुल पंजीकृत भू0पू0 सैनिकों की संख्या-26133 हैं जिसमें से वर्ष 1998 में 2115 भू0पू0 सैनिकों को रोजगार दिलाया गया। निगम के माध्यम से लगभग 750 तथा महानिदेशक पुनर्वास के माध्यम से प्राप्त मान्यता प्राप्त एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 1000 भू0पू0 सैनिको को रोजगार दिलाया गया। वर्तमान समय में 7108 भू0पू0 सैनिक अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। स्वतः रोजगार में प्रत्येक वर्ष लगभग 650 भू0पू0 सैनिकों/आश्रितों को समायोजित किया जाता है। जहां तक वर्ष 1998 में भू0पू0 सैनिकों तथा दिवंगत सैनिकों की पत्नियों (विधवाओं) को रोजगार का प्रश्न है, वर्ष 1998 में समूह 'ग' पद हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्र में निकाली गई। यदि उसमें भू0पू0 सैनिकों तथा दिवंगत सैनिकों की पत्नियों ने फार्म भरा होगा तो उत्तीर्ण होने पर वे स्वयं पुनर्वासित हो जायेगी। इसके अलावा और कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड शाहगंज के मेहरावां में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं निर्माण की जानकारी

181-श्री बांकेलाल सोनकर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर के वि0 क्षेत्र-शाहगंज के मेहरावां में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो प्रश्नगत अस्पताल का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं, पूर्व में यह प्रस्ताव विचाराधीन था किन्तु जिला योजना (वित्तीय वर्ष 1998-99) में समुचित परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य की स्वीकृति सम्भव नहीं हो सकी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर मेहरावां की सहकारी गन्ना समिति में भूमिहीन कृषकों को सदस्य बनाये जाने की जांच

182-श्री बांके लाल सोनकर-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-149 के उत्तर के संबंध में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-12-98 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वाल्टरगंज चीनी मिल एवं बस्ती चीनी मिल द्वारा कलेक्शन चार्ज हेतु किसानों से काटे गये गन्ने मूल्य को वापस करने की मांग

183-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जनपद बस्ती के वाल्टरगंज चीनी मिल एवं बस्ती चीनी मिल के ऊपर आर0सी0 जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या आर0सी0 द्वारा गन्ना मूल्य वसूली के समय कलेक्शन चार्ज मिल अर्थात देनदार से न लेकर लेनदार अर्थात् गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य से काट लिया गया था? यदि हां, तो कलेक्शन चार्ज के रूप में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य

से काटे गये धन की वापसी सरकार ने अब तक नहीं की? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ब्याज सहित इस धन को समयबद्ध तरीके से वापस करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा बकाया गन्ना मूल्य से आर0सी0 के विरुद्ध मिल से वसूल की गयी धनराशि से कलेक्शन चार्ज काट लिया गया था।

राजस्व विभाग द्वारा कलेक्शन चार्ज के रूप में काट ली गयी धनराशि को गन्ना समितियों को वापस किये जाने हेतु आदेश दिनांक 6-3-99 को जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्ष 1998 में जन-प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत धन की जानकारी

184-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर को वर्ष 1998 में कितना धन दिया गया है? उक्त धनराशि का किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किन-किन परियोजनाओं पर कितना धन स्वीकृत किया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में अब तक रु0 680.00 लाख केन्द्रांश तथा 262.73 लाख रु0 राज्यांश के रूप में स्वीकृत किया गया है।

विवरण संलग्न + है।

एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिये जाने की जानकारी

185-डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियां किये जाने विषयक शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-4715/इकहत्तर-3-98 सी 22/92, दिनांक 21-8-98 एवं पत्र संख्या-5503/इकहत्तर-3-98 वी0 22/98, दिनांक 1-12-98 द्वारा

+ छापी नहीं गयी।

सूचना एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से मांगी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त सूचना प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

संदर्भित शासनादेश द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 को कर्मचारियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने के निदेश दिए गए हैं। संस्थान के जो कर्मचारी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य कराने की कार्यवाही संस्थान द्वारा की जा रही है।

जिला विकास अधिकारी जौनपुर द्वारा वर्ष 1998 में की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच

186-श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 नवम्बर, 1997 के शासनादेश द्वारा समूह (घ) की नियुक्ति पर सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है? यदि हां, तो क्या जनपद जौनपुर के जिला विकास अधिकारी द्वारा अक्टूबर, 1998 में समूह (घ) के पदों पर नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ। श्री वी0पी0 श्रीवास्तव सेवानिवृत्त तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, जौनपुर द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियां किये जाने की शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर शासनादेश संख्या-8005/38-1-98-86सी/93, दिनांक 27-10-98 द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त, वाराणसी द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून कार्यालय अधिशासी अभियन्ता श्री नगर निर्माण खण्ड-2 के वरिष्ठ लिपिक स्व0 श्रीमती कुसुमलता कुलश्रेष्ठ के मृतक आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग

187-श्री अजय कुमार पोइया-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चतुर्थ बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-171 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है? क्या सरकार मृतक आश्रित को अधीनस्थ नौकरी दिये जाने के आदेश पारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पाचवां संशोधन) नियमावली 1999 (मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 का पाचवां संशोधन) में निहित व्यवस्था के अनुसार इस प्रकरण से सम्बन्धित मृतका स्व0 श्रीमती कुसुमलता कुलश्रेष्ठ के आश्रितों को सेवायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल में सिंचाई विभाग द्वारा क्रय की गयी भूमि खेत संख्या 839 को संबंधित काश्तकार के अनुरोध पर वापस करने के संबंध में जानकारी

188-श्री लाखीराम जोशी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री वीरेन्द्र दत्त उनियाल पुत्र स्व0 तारा दत्त उनियाल ग्राम-गोदयू, पो0-बाराड़ी, जिला टिहरी गढ़वाल स्थित खेत संख्या-839 की दो नाली भूमि जिसे सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया था, का विभाग द्वारा उपयोग न किये जाने के कारण उक्त भूमि को वापस काश्तकार के नाम करने से संबंधित प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में अपर महाप्रबन्धक, टिहरी जल विकास निगम, टिहरी ने अपने पत्र संख्या-87/अभप्र/पुपु/टी0एचडीसी/90, दिनांक 26 जून, 1990 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि संबंधित काश्तकार को वापस कर दी गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्री तारा दत्त उनियाल से 1980 में सिंचाई विभाग ने सड़क निर्माण हेतु 6 नाली 12 मुटठी भूमि क्रय की थी। उसमें से खेत नं0 839 की 2 नाली भूमि वापस करने हेतु श्री उनियाल द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु वर्तमान में टी एच डी सी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। अतः भूमि वापस नहीं की गई और इसकी सूचना भी उनियाल को पूर्व में दी जा चुकी है।

समाज कल्याण विभाग में प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन पर वित्तीय वर्ष 1998-99 में दिनांक 30-10-98 तक व्यय धनराशि की जानकारी

189-श्री श्रीराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन पर प्रत्येक विभागवार एक वित्तीय वर्ष में व्यय की कोई सीमा निर्धारित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-98 तक कितना धन व्यय हुआ? क्या वित्तीय नियंत्रण करके सरकारी धन का अपव्यय रोका जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में वाहन चालक के रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरकर आरक्षण कोटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में जानकारी

190-श्री अजय भट्ट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 2206 वाहन चालकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने सामान्य, पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वाहन चालक कार्यरत हैं? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विज्ञप्ति जारी न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिंचाई विभाग में 2206 वाहन चालकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध सामान्य जाति के 970, पिछड़ी जाति के 763, अनुसूचित जाति के 198 एवं अनुसूचित जनजाति के 3 अर्थात कुल 1934 वाहन चालक कार्यरत हैं।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए वाहन चालक के रिक्त पदों को विभाग में कार्यरत कार्यप्रभारित वाहन चालकों से भरा जा रहा है। अतएव वाह्य अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें एवं कार्यवाही की जानकारी

191-श्री अफरोज अली खां-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य निरीक्षक श्री आर0 पी0 सिंह जनपद अम्बेडकर नगर (पूर्व जनपद फैजाबाद) में अपनी सेवा काल के कुल कितने वर्षों से कार्यरत हैं तथा इनके विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें शासन या जिला स्तर के अधिकारियों को प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमापति शास्त्री-

श्री आर0 पी0 सिंह, खाद्य निरीक्षक जनपद अम्बेडकर नगर में एक वर्ष नौ माह से कार्यरत हैं।

इनके विरुद्ध शासन या जिला स्तर के अधिकारियों को शिकायती-पत्र प्राप्त होने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री बी0 आर0 वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

* श्री बी0 आर0 वर्मा-

अभी जिस प्रश्न पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की, माननीय राजधारी जी का प्रश्न था और माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने उस जांच आख्या की जो रिपोर्ट आयी है उसका कुछ अंश पढ़ करके क्लीयर करने की भी कोशिश की। इसमें जो बड़े अधिकारी इन्वाल्व हैं, जिनके टेलीफोन के माध्यम से घपले कराये गये हैं। जांच रिपोर्ट में बातें स्पष्ट रूप से आ चुकी हैं उसके बाद भी उस अधिकारी को मात्र चेतावनी दे करके उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कुर्सी पर विराजमान करा दिया गया है। मान्यवर, हम लोगों की चाहत है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो पारदर्शिता की बात की जाती है और यह कहा जाता है कि चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा अधिकारी/कर्मचारी हो, जो दोषी होगा उसे जरूर दण्डित किया जायेगा। यह 1992 का मामला है और एक वरिष्ठ अधिकारी की जांच आख्या आयी हुई है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। इसे आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। इससे महत्वपूर्ण मामला इस समिति के लिए नहीं होगा। अगर इस पर भी नहीं राजी हो और अगर सरकार का पारदर्शिता में विश्वास है तो जो जांच आख्या है वह सदन में रख दें। यह सदन सर्वोच्च है और जो सदन निश्चित करे वह दण्ड इन अधिकारियों को दिया जाये ताकि आइन्दा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खाने की हिम्मत न कर सके।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके सुझाव पर विचार कर लूंगा।

* श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, प्रश्नों के संदर्भ में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 17 मार्च को नत्थी "घ" में हमारा प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 17 है। मैंने उसमें यह पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में दवायें बनाने वाली कुल कितनी पंजीकृत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम्पनियां एवं फर्में हैं? क्या सरकार द्वारा पेटेन्ट कानून लागू होने के पश्चात प्रदेश में सस्ती दरों पर ही दवायें उपलब्ध कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनायी गयी है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं तो क्यों? मान्यवर सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था लेकिन सरकार ने यह कह दिया कि यह राज्य सरकार से असम्बद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पत्रावली निकलवाकर देख लूंगा।

* श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के संबंध में उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। पिछले दिनों भी यही प्रश्न लगा था जिसमें यह लिखा था कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञापन प्रचार-प्रसार के मद में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? इससे तो शासन की नीयत पर शक पैदा होता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसी सत्र में 24 मार्च के पहले इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

इसको देखते हैं।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मेरा पेज 13 पर प्रश्न लगा था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दवा एवं अन्य बचाव मद में कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या उक्त धन के अतिरिक्त सरकार द्वारा बचाव एवं अन्य खर्च हेतु कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसका उत्तर हमें भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आपके पास गया होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, समूह "ग" की भर्ती के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि यदि कोई प्रमाण हो तो हमें उपलब्ध करवा दें। मैं आपको दे रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी को प्रेषित कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

रोल नं0 267 जिसको 75 अंक प्राप्त हुए उसको इण्टरव्यू के लिए काल किया गया और रोल नं0 746 जिसको 76 अंक प्राप्त हुए उसको इण्टरव्यू के लिए काल नहीं किया गया। यह वाराणसी का मामला है। इसी प्रकार एक दूसरा छात्र रोल नं0 3634 अंक प्राप्त हुए 98 उसको इण्टरव्यू के लिए बुलाया गया और रोल नं0 2,254 अंक प्राप्त हुए 99, उसको इण्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप एक पत्र लिखकर प्रमाण सहित मंत्री जी को प्रेषित कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपको प्रेषित करुँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप सारी बाते लिखककर पत्र के साथ प्रमाण संलग्न करके मुझे प्रेषित कर दें। मैं मंत्री जी को प्रेषित कर दूंगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरा व्यक्स्था का प्रश्न है। इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राम नक्षत्र प्रसाद आज की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। वह विधान सभा के गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह स्वेच्छा से बैठे हैं। वह चाहें तो सदन की कार्यवाही में भाग लें चाहे तो आमरण अनशन करें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने सूत्र में अपनी बात कह दी मैंने व्याख्या भी कर ली और समझ भी लिया। अगर माननीय सदस्य यहां न आकर कहीं और जाना चाहते हैं तो हम कैसे रोक लेंगे? उन्होंने लक्ष्य और कहीं निर्धारित कर लिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं। इसलिये एक ऐसी

व्यवस्था हो जाय, यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए भी हैं, वह और हम लोग चले चलें और उन्हें समझायें।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था कैसे दी जा सकती है ? माननीय विधायक जहां जायेंगे और बैठेंगे तथा आमरण अनशन करेंगे और माननीय मंत्रीगण वहां जाकर उन्हें समझाने जायें, यह सदन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। सरकार अपनी इच्छा से चाहे तो करे। जो आपने कहा है वह मंत्री जी के संज्ञान में आ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, श्री नन्द राम जी के साथ एक गम्भीर दुर्व्यवहार की घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न कल आया था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कल नहीं आया था।

श्री अध्यक्ष-

कल नन्दराम जी ने कोई एक सूचना दी तो थी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप नन्द राम जी को 3 मिनट सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं कार्य सूची की अगली मद तो ले लूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री0 आर0 के0 चौधरी जी की है, दूसरी सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है, तीसरी सूचना रामाधार सिंह जी की है, चौथी सूचना श्री गोपाल कृष्ण जी की है, पांचवी सूचना श्री विजय पाल सिंह जी की है, छठीं सूचना डा0 धर्मज्ञ मिश्र जी की है और सातवीं सूचना श्री राम अवतार मिश्र जी की है।

(श्री गोपाल कृष्ण ने अपनी सूचना को पढ़ी और शेष 6 सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

(महोदय, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक राज्य सेक्टर से एक भी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया। विगत वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् दोनों वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण के लिए दोनों वर्षों में प्रस्ताव दिया गया। जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आगपन तैयार करने के बाद भी अब निम्न सड़कों में से किसी भी सड़क की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी।

1-निगोहा नगरा रोड पंचशील नगरी से रामबख्श खेड़ा-रामपुरा-तमोरिया-करोरा 7 कि0मी0।

2-इन्दिरा नहर से हरदत्तापुर-खुरखुन्दापुर-महमूदपुर-मीसा 6 कि0मी0।

3-सुल्तानपुर रोड से भदुआ-बहेड़ा-आदमपुर-नौबस्ता-बहरौली 4 कि0मी0।

4-हरदोइया से ममईमऊ-5 कि0मी0।

5-रायबरेली रोड से हरबंश खेड़ा-मदारी खेड़ा-रघुनाथ खेड़ा तक 6 कि0मी0।

6-मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग से रघिकापुर होते हुए दहिरामऊ तक 4 कि0मी0।

7-इन्दिरा नहर पुल से जमालपुर-सल्लाही खेड़ा होते हुए करोरा तक 2.5 कि0मी0।

8-करोरा से अचलीखेड़ा रेगुलेटर तक-3 कि0मी0।

9-कनकहा से कुढ़ा होते हुए पचौरी तक- 4 कि0मी0।

10-छोटा हुलासखेड़ा से बख्तौरी खेड़ा होते हुए कुबहरा मार्ग तक-3 कि0मी0।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सड़कें स्वीकृत करके निर्माण कराये जाने की मैं मांग करता हूं।)

जनपद जालौन के खण्ड विकास महेबा के कतिपय ग्रामों के परिषदीय विद्यालयों के भवन-निर्माण, में की गयी कथित धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल-

(महोदय, जनपद जालौन के खण्ड विकास महेबा के ग्राम खड़बुई मु0 तथा ग्राम-सीगेंपुर में विगत वर्षों में जिला परिषद् के सीनियर बेसिक विद्यालय तथा प्राथमिक

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि ग्राम प्रधान व प्रधान अध्यापक को दी गयी थी। दो वर्ष पूर्व ही पूरा धन बैंकों से निकाल लिया गया है परन्तु विद्यालय भवनों का अधूरा निर्माण किया गया अभी तक छतें नहीं डाली गयी जिससे बच्चे धूप गर्मी व बरसात के कारण पढ़ने नहीं जा रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत धमना माइनर की पट्टी पर रोड निर्माण हेतु मानक के अनुरूप मिट्टी का कार्य न कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामधार सिंह-

[महोदय, राठ विधान सभा क्षेत्र जिला हमीरपुर के अन्तर्गत धमना माइनर की पट्टी पर रोड निर्माण हेतु गहरा की चौकी के आगे ग्राम चिल्ली साइड पर लगभग 3 माह पूर्व 3 किलोमीटर मिट्टी का कार्य हुआ है। जो मानक के अनुसार आधे से भी कम मिट्टी पड़ी है। जिसकी चौड़ाई कम है ऊंचाई कम है अतः कार्य पूरा न कराकर पैसे का पूरा पेमेन्ट करा लिया गया है इस प्रकार सरकारी धन की चोरी हुई है दुरुपयोग हुआ है।

अतः इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित कराया जाय।]

होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, डा0 बजरंगी मिश्र जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, एटा को अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें होम्योपैथी निदेशालय का सह एवं संरक्षण प्राप्त था, द्वारा सतर्कता अधिष्ठान, आगरा से सांठ-गांठ कर रिश्वतखोरी के फर्जी मामले में फंसाया गया। इस फर्जी मामले में निलम्बित किया गया। 6 माह निलम्बन अवधि बीत जाने पर भी बहाल नहीं किया गया, आरोप-पत्र नहीं दिया गया, जांच प्रारम्भ नहीं की गयी। डा0 बजरंगी मिश्र ने अपने वेतन वृद्धि आदि रोके जाने से सम्बन्धित आदेश को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती की। मा0 उच्च न्यायालय ने मेरिट पर होम्योपैथी-निदेशालय/शासन के आदेश को निरस्त कर दिया। होम्योपैथी-निदेशालय द्वारा विशेष प्रयास कर पुनर्विचार-याचिका दायर करा दिया। डा0 मिश्र की शिकायत पर जिला अस्पताल-एटा के वार्ड-ब्वाय व फार्मासिस्ट को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया। डा0 महराज सिंह यादव, चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) को पुनः एटा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वापस किया गया। डा0 मिश्र व इनकी पत्नी श्रीमती इन्द्रा मिश्रा द्वारा निलंबन/बहाली के प्रश्न पर न्याय विभाग का बहुमूल्य मत प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया। मा0 सहकारिता मंत्री जी व मा0 चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी की संस्तुति शिक्षा अनुभाग-4 के ठण्डे बस्ते में है। मा0 श्री गोमती यादव, सदस्य विधान सभा ने डा0 बजरंगी मिश्र के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति के प्रश्न पर डा0 मिश्र तथा इनकी पत्नी द्वारा उल्लिखित तथ्यों को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध मुख्य सचिव से किया जिसकी अनदेखी की गयी। डा0 मिश्र को कानपुर सम्बद्धता हेतु भी काफी दौड़ाया गया। कुछ अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी निरपराध, निर्दोष होने के बाद भी निलम्बन/जांच आदि के शिकार हैं। लगातार उत्पीड़न, दमन उपेक्षा व अन्याय के शिकार डा0 मिश्र का गत दिनों निधन हो गया। डा0 मिश्र अपने पीछे छोटे-छोटे बच्चे, पत्नी आदि छोड़ गये हैं। विधवा पत्नी व बच्चों की परवरिश भविष्य में कौन करेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए उत्पीड़न, अत्याचार, उपेक्षा, दमन आदि के चलते मौत के शिकार डा0 बजरंगी मिश्र प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद आगरा के कस्बा मझारा व डौकी में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह-

(माान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद आगरा में रवी की फसल को जबकि पकने की स्थिति में थी, जो विद्युत वितरण मात्र दो घन्टे मिलने से किसानों के द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से पूरी साल जुताई बुवाई तथा बीज खाद जो डाला गया था फसल पकने से पहले ही सूख जाना आगरा का किसान बर्बादी की कगार पर आ गया है। ताज महल को प्रदूषण से बचाव हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीजल इंजन आदि पर रोक लगा दिये जाने से किसान विद्युत पर ही निर्भर हैं। जनपद आगरा में विद्युत लाइनें लम्बी होने से पहले से ही कम बोल्टेज मिलने से मोटरें नहीं चल पाती थी तथा पुराने व लोहे के तार आदि जो अक्सर लाइन तोड़ फोड़ से भी विद्युत बाधित रहती है तथा उप केन्द्रों की कमी से भी विधान सभा फतेहाबाद की जनता परेशान है। मेरे द्वारा डौकी मझारा, कुर्रा चित्तरपुर तथा निबोहरा में 33/11 विद्युत उप-केन्द्र निर्माण कराये जाने हेतु उ0 प्र0 शासन से मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया गया। मगर अभी तक मझारा व डोकी स्वीकृत भी किये गये हैं। परन्तु अभी तक मझारा का निर्माण न होना तथा डौकी का स्थान परिवर्तित कर घसौटा में निर्माण कराये जाने से क्षेत्र की जनता पर कुप्रभाव पड़ा है। जब तक उक्त उपकेन्द्रों व एक 132 के0वी0ए0 उप गृह केन्द्र का निर्माण नहीं होगा। तब तक किसानों को विद्युत आपूर्तिबाधित रहने से भरपूर उत्पादन कर पाने में असमर्थ होगा। अतः

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत की आपूर्ति नियमित न होने से राजस्व की तो क्षति हुई है मगर किसान भी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुमति प्रदान करें।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अंकिक घाट पर गंगा नदी में एवं कल्याणी नदी पर पूरनामऊ व करवा में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[महोदय, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में अंकिक घाट पर गंगा नदी में पुल का निर्माण न कराए जाने से जनता को आवागमन सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1990 से जनता की यह मांग बराबर चली आ रही है। यह पुलबनाए जाने से फर्रुखाबाद, कानपुर उन्नाव हरदोई तथा अन्य जनपदों की जनता को आवागमन की भरपूर सुविधा मिलने के साथ-साथ जनता को समय की बचत होना भी निश्चित है। पत्रांक संख्या-एम-3/30-5 हरदोई 96 दिनांक 3-12-96 के अनुसार प्रमुख सचिव लो0 नि0 वि0 द्वारा अंकिक घाट पर गंगा नदी में पीपों का पुल बनावाए जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) लो0नि0वि0 उ0 प्र0 लखनऊ से संस्तुति सहित आख्या भी मांगी गयी थी, परन्तु इस जनहित की मांग पर अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माणकराया जाना, नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार कल्याणी नदी पर ग्राम पंचायत पूरनामऊ व ग्राम पंचायत करवा के बीच में एक पुल का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। जनता को आने जाने की महान कठिनाई है। जनहित में यह दोनों पुलों का निर्माण करानेकी बहुत ही आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है, जिससे उक्त दोनों पुलों का निर्माण जनहित में किया जा सके।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हसनपुर रसकूया में होटल मालिक द्वारा की गयी नौकर की कथित हत्या की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार मिश्रा-

[हमारे निर्वाचन क्षेत्र के गांव हसनपुर रसकूया, थाना-कांठ जनपद-शाहजहांपुर, निवासी रामदास कश्यप का बड़ा पुत्र सोलह वर्षीय राजू बरेली शाहजहांपुर रोड पर शाहजहांपुर नगर से दो कि0मी0 पहले मौजमपुर गांव के पास पैट्रोल पम्प के सामने जी0टी0 रोड पर अशर्फी लाल के होटल पर बरतन धोने व खाने परोसने का कार्य करता था। होटल मालिक ने उसे 500/- रु0 प्रतिमाह वेतन देता था। दि0

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15-2-99 से पूर्व होटल मालिक ने उस पर 500/- रु0 चोरी का झूठा आरोप लगाया तथा मारा-पीटा, रुपये नहीं मिल सके क्योंकि उसने नहीं लिये थे। होटल से चार कि0मी0 पर राजू का गांव है इस सचूना पर उसके माता-पिता भी वहीं पर आ गये और होटल मालिक से कहा यदि तुम्हें शक है तो तनखाह से पैसा काट लेना लेकिन मारो पीटो मत, मारने पीटने को मना किया। दिनांक 15-2-99 को होटल मालिक ने राजू के घर सूचना भेजी की राजू ट्रक से दबकर मर गया है और ट्रक वाला भाग गया है। जब राजू के मां-बाप होटल पर आये तो उसकी लाश के टुकड़े पुलिस वालों ने कपड़े में बांध कर रखे थे जिन्हें पोस्ट मार्टम कराने के बाद नदी में फेंक दिया गया। राजू के पिता व मां को पूरा शक है वह रो-रो कर सबके सामने कहते है कि होटल मालिक ने मेरे लड़के को मार कर ट्रक के नीचे फेंक दिया। मृतक राजू के मां-बाप पुलिस से काफी गुहार किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। राजू अपने मां-बाप का बड़ा बेटा था जो नौकरी करके अपने मां-बाप की सेवा करता था।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय घटना की कानूनी कार्यवाही कराई जाय व पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं।)

श्री अध्यक्ष-

प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाओं सहित शेष सूचनाओं को अस्वीकृत किया गया।

पेंशन प्राप्त करने हेतु कोषागार तक जाने में अक्षम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा अन्य किसी माध्यम से पेंशन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में मैने नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। स्वतंत्रता संग्राम के कई सेनानी लगभग 80-90 वर्ष के हो गये हैं।

उन्हें पेंशन लेने के लिये राजकीय कोषागार इसलिये जाना पड़ता है कि साबित कर सकें कि वे जीवित हैं। मान्यवर, ऐसा कारुणिक दृश्य होता है जब 90-95 साल के व्यक्ति स्ट्रेचर पर लेटकर गर्मियों और सर्दियों के दिनों में जाते हैं। मेरा एक निवेदन है मान्यवर, आपके माध्यम से कि शासन से एक व्यवस्था हो जाये कि जो जा सकते हैं वे जायें जो नहीं जा सकते हैं उन्हें मनीआर्डर, या बैंक ड्राफट के माध्यम से पेंशन मिल जाये। जहां तक उनकी जीवन मृत्यु की बात है वह तो पुलिस के.....

श्री अध्यक्ष-

इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी संज्ञान ले लेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं जा सकते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की जाये।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-3-99 को नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने नियम-300 में सूचना अपके निर्देश प्राप्त करने के दृष्टि से दी है। निदेश के नियम 96, 97, 98 तथा अनुसूची-3 के अनुसार स्थायी समितियों का गठन होता है जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होती हैं और माननीय मंत्रियों को समय-समय पर सलाह देने के लिये होती हैं। इन समितियों के गठन से लेकर उनका कार्य काल समाप्त होने तक उनकी बैठक नहीं होती है। निदेश में प्राविधान है कि वर्ष में दो बार इनकी बैठक हुआ करेंगी। मान्यवर, इसी प्रश्न को मैनें 19 जून 1998 को किया था आपके सामने और आपने व्यवस्था दी थी संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया था कि इन समितियों की बैठक दो बार और अधिकतम तीन बार आयोजित होनी चाहिए मंत्रियो के साथ। आपके निर्देश के बाद भी निदेश 96,97,98 और अनुसूची-3 के अनुसार गठित समितियों की बैठक अभी तक नहीं हुई। कुछ समितियां समाप्त हो गई है। मैं आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है और उनका जो उद्देश्य है, जो भावना है उसकी पूर्ति हो, अन्यथा इस प्रकार की समितियों के गठन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाय, इसका क्या औचित्य रहेगा?

श्री अध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री अम्बरीष कुमार जी की भी यही सूचना है।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जैसा श्री बाजपेयी जी ने कहा इसमें केवल एक बात यह लिखी है कि यह बैठक क्यों नही बुलाई जा सकती हैं। अत्यन्त आवश्यकता की दशा में मंत्रीगण को अधिकार होगा कि समिति का परामर्श न लें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाना है कि कौन सी आवश्यकता थी जिसके आधार पर इन समितियों से परामर्श लेने की आवश्यकता नही है। अगर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं है, आवश्यकता है तो जो समितियां पहले बनी हैं नियमों के अनुपालन में समितियों की बैठक बुलाई जाये। जब तक यह समितियां बनी रहेंगी और उनका कार्य काल तब तक चलता रहेगा जब तक कि नई संगठित न हो जाय। कौन सा कारण है कि समितियों से मंत्री परामर्श न लें। यहां कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि आम राय से काम हो और उसके बाद भी इन समितियों की बैठक न होना कुछ समझ में नहीं आता। इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

* पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, आपने इससे पूर्व में भी निर्देश दिये थे। हमने सभी विधायकों को इसके बारे में लिख दिया था उसके पश्चात् चूंकि 97-98 की समितियों का गठन हुआ था 98-99 के लिये समितियों के गठन हेतु नाम मांगे गये थे। जहां तक मुझे स्मरण है सभी दलों से मांगे गये थे। हमने नाम भेज दिये थे और प्रतीक्षा में रहे।

श्री अध्यक्ष-

जब तक नई समितियां गठित नहीं हो जाती, पहले वाली चलती रहती हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वह तो ठीक है लेकिन यदि हमने नाम न मांगा होता तो रहता कि चल रही है। लेकिन जब नाम मांगे गये तो यह सोचा कि नई का गठन होगा तो बैठक कर ली जायेगी। यह मुझे जानकारी है कि कुछ दल नाम नहीं भेज सके थे। कई बार अनुस्मारक भी भेजा गया। 98-99 के लिये समितियों के गठन का कार्य प्रोसेस में है जैसे ही वह पूर्ण हो जायेगा बैठक बुला ली जायेगी। कोई कसर जान-बूझकर नहीं बरती गई है। हमेशा हमे यह जानकरी दी जाती रही कि यथाशीघ्र गठन होने वाला है, गठन हो जायेगा, जिन समितियों के नाम दिये गए हैं उन समितियों को 99-2000 के लिए मान लिया जाये आपके निर्देश होने चाहिए उसका पालन किया जायेगा।

* नेता विरोधी दल-(श्री धनीराम वर्मा)-

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आप इस तरह न कहें मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा-

यह सत्य है संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं सभी लोग जानते हैं जब तक किसी दूसरी समिति का गठन नहीं होता है तब तक पूर्व गठित समिति कार्य करती रहेगी। नाम भेज दिए, अभी गठन नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ यह बात दूसरी है, पूर्व गठित समिति कार्य कर रही और नियमानुसार कार्य करती रहेगी, जो बैठक नहीं बुलाई गई है यह जान-बूझकर नहीं बुलाई गई है, यह कहा गया आपके निर्देश होने चाहिए इसमें निर्देश की भी जरूरत नहीं है वह तो स्वभाविक रूप से कमेटी जब तक दूसरी गठित नहीं होती है तो वही मानी जाती है यह तय है, निश्चित है यह नियमावली में भी है तो आपके निर्देश होने चाहिए कि वह समिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य करें समिति की मीटिंग बुलाई जाए ताकि माननीय सदस्य कम से कम सुझाव तो दे सकें।

श्री हुकुम सिंह-

समितियां 1997-98 में गठित हुई और उसके गठन को लेकर यहां औचित्य का प्रश्न भी उठाया गया। उसमें निर्देश दिए गए कि बैठक बुलाएं। इस बीच 1998-99 की कमेटियों का गठन शुरू हो गया। हम इस प्रतीक्षा में रहे कि गठन होगा अगर यह मालूम होता कि गठन नहीं होने वाला है तो पुरानी कमेटियों की बैठक बुलाते।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है, नयी स्थायी समितियों का गठन नहीं होता है तब तक पुरानी स्थायी समितियां काम करती रहेंगी। 1997-98 की समिति गठित हुई, 1998-99 में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो 1997-98 की समिति को कार्य करने का पूरा अवसर नहीं मिला है तो मैं इस बात के लिए घोषणा करता हूं कि जब तक 1999-2000 की स्थायी समिति का गठन नहीं होता है तब तक वही समिति कार्य करती रहेगी।

श्री हुकुम सिंह-

1998-99 की गठित हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष-

1998-99 की गठित हो जायेगी तो उनको कर देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह 19 तारीख को गठित हो जायेगी। यह जरूर ध्यान देने की बात है कि 19 जून 1998 को निदेश दिया गया अध्यक्ष पीठ से कि स्थायी समिति की बैठक वर्ष में दो-तीन बार बुलानी चाहिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस संबंध में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को अवगत करा दें।

प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे सोमवार दिनांक 8-3-99 के तारांकित प्रश्न संख्या-। और चौथे गुरूवार दिनांक 11-3-99 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-। के अनुपूरक प्रश्नोत्तर में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी सत्र के दूसरे सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या-। में मैंने प्रश्न किया था-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोखरन में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप विदेशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण अब तक प्रदेश में कौन-कौन सी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें प्रभावित हुई हैं। उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया- "पोखरन में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया

स्वरूप अब तक प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त कोई परियोजना प्रभावित नहीं हुई है।"

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्पष्ट करना चाहूंगा इसी सदन में माननीय कलराज मिश्र जी ने एक बयान दिया दिनांक 11-3-99 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-। के संदर्भ में जवाब दे रहे थे कुछ अनुपूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि - "बौद्ध परिपथ के लिए जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है वह अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए है। इस समय आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में हमने और मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखें हैं" मान्यवर, एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ वरिष्ठ मंत्री यह कहते हैं कि आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण यह प्रगति नहीं हो सकी है। तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 164(2) में यह लिखा है कि मंत्रि-परिषद् सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करे इन दोनों में विरोधाभास है। यह संविधान में दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न के रूप में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय सदस्य ने उत्तर तो पढ़ लिया जरा अपना प्रश्न और पढ़ दें। दोनों प्रश्न अलग-अलग है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बौद्ध परिपथ में जापानी सहायता या अन्य देशों से सहायता प्राप्त होती है वह केवल बौद्ध परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थलों पर ही खर्च करते हैं या दूसरी जगहों पर भी खर्च करते हैं? संकिशा में एक पर्यटक आवास 1994 में बन गया था लेकिन अभी तक पर्यटन विभाग को हैण्ड ओवर नहीं हुआ। उसमें केवल 10-5 हजार ही खर्च करने पड़ेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोखरन में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप विदेशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण अब तक प्रदेश में कौन-कौन सी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं? मान्यवर, इसका जवाब यह आया कि प्रतिक्रिया स्वरूप अब तक प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त कोई परियोजना प्रभावित नहीं हुई है। मान्यवर, इस प्रकार की परियोजनाएं चलती हैं तो कई प्रतिबन्ध लगते हैं उसमें आपने कह दिया कि आर्थिक प्रतिबन्ध। तो यह नाना प्रकार के आते हैं। इस परीक्षण के परिणामस्वरूप प्रतिबन्ध लगा है उससे परियोजना प्रभावित हुई या नहीं इसका उत्तर है। दोनों संदर्भ अलग-अलग हैं। यह मंत्रि-परिषद् इस बात को जानता है कि हमारा सामूहिक

उत्तरदायित्व है और सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह हम कर रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, पोखरन के परीक्षण के कारण ही यह लगा है।

श्री अध्यक्ष-

तो इसको कैसे मान लिया जाय कि उसी के परिणामस्वरूप आर्थिक प्रतिबन्ध लगा है?

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, इसी संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है आर्थिक प्रतिबन्ध किस आधार पर लगाया गया है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राम औतार शाक्य तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं समझता हूं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के उत्तर में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आर्थिक प्रतिबन्ध परमाणु विस्फोट के बाद लगाये गये हैं। इसलिए मैं सूचना को निरस्त करता हूं।

जिला योजना के अन्तर्गत सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय में अधिकारियों द्वारा हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगली सूचना है लेकिन यह नियम 300 में नहीं आती है। इसलिए मैंने कक्ष में इसे निरस्त कर दिया है। नियम 300 में वह बात कहते हैं जिससे इस सदन की कार्यवाही विनियमित हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो नहर पटरी डामरीकरण योजना चलाई गई है उसमें जिलाधिकारी को उनकी मांग पर हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव दे दिये जाते हैं। अभी जब पिछले दिनों हाउस नहीं था तो वहां गया था और मैंने प्रस्ताव दिया था लेकिन उसको न लेकर अधिशासी अभियन्ता ने अपना मनचाहा रोड लेकर और अपने चहेतों को काम देकर गलत तरीके से अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे हैं। मान्यवर, यह जो अधिकारियों में मनमाने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए। मान्यवर, नियम 300 में इसलिए बनता है क्योंकि मैं इस सदन का सदस्य हूं और जब से यह मुझे जानकारी मिली है बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हूं। मेरा मनोबल भी गिरा है। यह सभी सदस्यों से जुड़ा मामला है। सरकार की चाहत और आपके निर्देश के बावजूद इस तरह की मनमानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी ने एक ही विषय से संबंधित दो सूचनाएं दी हैं यद्यपि यह नियम 300 में नहीं आती है परन्तु मैं इसे शासन के संज्ञान में ला रहा हूं और मुझे विश्वास है कि शायद उसमें कोई न कोई समाधान निकाल लेगें।

शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के अनुसार किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर न करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री समर पाल सिंह की गन्ना भुगतान पर ब्याज न दिये जाने के संबंध में है। यह नियम 300 में नहीं आती है। आप 56 में लायें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से [illegible] से कोई बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 में कार्यवाही का [illegible] न शब्द है यह कोई निरर्थक प्रयुक्त तो नहीं हुआ है। आप अपनी बात सुसंगत [illegible] में दें।

श्री समर पाल सिंह-

मुझे आधे मिनट का समय दे दें आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। यह बात [illegible] र के संज्ञान में आयेगी तो वह कानून का पालन करने के लिये बाध्य करेगी, लेकिन अगर सरकार स्वयं कानून का उल्लंघन करेगी।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, यह भी तो नियमों का पालन कर लें।

श्री समरपाल सिंह-

अब देख लें, माननीय मंत्री जी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार गन्ने के मूल्य पर ब्याज क्यों नहीं दिलवा रही है और पूंजीपतियों, मिल-मालिकों को फायदा पहुंचाने की कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आता। आप नियम 52, नियम 49, नियम 51 में ला सकते हैं, अनेक सुसंगत नियम हैं। मैं आपको जरूर सुनता लेकिन यह नियम 300 में नहीं आती, इसलिए निरस्त कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री राजा राम पाल तथा श्री कृष्ण पाल सिंह की है, यह भी नियम 300 में नहीं आती।

कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विधायकों के प्रति शिष्टचार की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राजाराम पाल-

मान्यवर, इस विषय पर समय-समय पर प्रश्न भी उठाये गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि अगर कोई अधिकारी शिष्टाचार का पालन नहीं करता है तो लिखकर देंगे तो कार्यवाही होगी। यह एक दिन का मामला नहीं है किसी एक सदस्य का मामला नहीं है, बल्कि सदन के पूरे सदस्यों का मामला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर टेलीफोन पर घंटों उपलब्ध नहीं होते। यह माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सदन की कार्यवाही का कहाँ विनियमन होता है। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती, शिष्टाचार के संबंध में वैसे भी काफी कहा जा चुका है। शासनादेश भी आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, अब आप बैठें, आपकी बात आ गई।

श्री राजाराम पाल-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिलने के लिये घंटों प्रतीक्षा कराते हैं और सामने जाने पर कोई शिष्टाचार भी नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, शासन इसका संज्ञान ले लेगा। आपकी बात आ गई है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये निरस्त करता हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय सदस्य लिखकर दे रहे हैं, इस पर आप संसदीय कार्य मंत्री से कार्यवाही करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 रामबाबू हरित की है, वह अनुपस्थित हैं। अगली सूचना श्री कौकब हमीद व श्री परवेज हलीम की है, यह भी नियम 300 में नहीं आती, इसलिये निरस्त कर रहा हूं।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जब हम नियम-56 ले लेंगे, उसके बाद माननीय नन्दराम जी की बात भी सुन लेंगे।

उत्तर प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 1998 +

* आबकारी मंत्री-(श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2207/30-4-98-67-89, दिनांक 7 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को विलम्ब के कारणों सहित तथा अधिसूचना संख्या-4006/30-4-98-67-89, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 1998 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कराधान-नियमावली, 1998 +

आबकारी मंत्री-(श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3440/30-4-98/167-91, दिनांक 10 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली, 1998 को विलम्ब के कारणों सहित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक विवरण (वर्ष 1979-80 से वर्ष 1992-93 एवं 1996-97 तक) ++

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्यमंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक विवरण (वर्ष 1979-80 से वर्ष 1992-93 एवं 1996-97 तक) को, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम-1974 के नियम 23 के उपनियम 5 (क) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बद्दोपुर (जौनपुर) पुलिस गोलीकाण्ड, दिनांक 6 जनवरी, 1985 की जांच आयोग रिपोर्ट +

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, बद्दोपुर (जौनपुर) पुलिस गोलीकाण्ड, दिनांक 6

+ छापी नहीं गयी।

++ छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनवरी, 1985 की जांच आयोग की रिपोर्ट को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 1997-98 के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा++

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 1997-98 के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा को भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं हैं।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भद्रपुरा के मुख्यालय क्योलड़िया में उप-विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा के मुख्यालय क्योलड़िया में उप-विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद तथा अन्य निवासीगण-जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भद्रपुरा के ग्राम भद्रपुरा में महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थू लाल गंगवार तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भद्रपुरा के ग्राम भद्रपुरा में महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध मं श्री नत्थू लाल गंगवार तथा अन्य निवासीगण-जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली के ग्राम बहिर जगीर के निकट देवहा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम बहिर जागीर के निकट

++ छापा नहीं गया।

+++ छापी नहीं गयी।

देवहा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण तथा अन्य निवासीगण-जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया भगवन्तपुर में अफसरैहा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया भगवन्तपुर में अफसरैहा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण-जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र-मल्लावां ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र दीक्षित, निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र-मल्लावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र दीक्षित, निवासी- मल्लावां जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा निर्मित बड़ी गैवी आवासीय योजना में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री गायत्री देवी तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +++

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा निर्मित बड़ी गैवी आवासीय योजना में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री गायत्री देवी तथा अन्य निवासीगण-जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को सूचना दे रहा हूं:-

+++ छापी नहीं गयी।

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर निम्नलिखित मामलों में निर्णय सुरक्षित रखा गया था, परन्तु अब निर्णय ले लिया गया है:-

(1) श्री चन्द्र नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 30 जून, 1998

(2) श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व श्री समर पाल सिंह, सदस्यगण द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 2 जुलाई, 1998

उपर्युक्त दोनों मामलों को औचित्य के प्रश्नों के रूप में अग्राह्य कर दिया है।

उक्त मामलों पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

(सदन की सहमति से निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने गये)

बजट सत्र के दौरान नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने तथा बैठक कराने से निर्वाचन एवं बैठक में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना दिनांक 30 जून, 1998 को अभिसूचित की थी जिसमें माननीय सदस्य का कथन है कि वह विधान सभा सदस्य होने के साथ-साथ अपने क्षेत्र की टाउन एरिया तथा जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद के भी पदेन सदस्य हैं। उनका यह भी कथन है कि विधान सभा का बजट सत्र चलने के दौरान नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष का चुनाव कराया गया और बैठके आहूत की गयी ऐसी दशा में वह सत्र में उपस्थित होने के कारण वहां की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उपरोक्त स्थिति में माननीय सदस्य दोनों स्थानों की बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः उन्होंने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए उस पर व्यवस्था देने का अनुरोध किया है कि या तो विधान सभा की बैठक की जाये अथवा नगर पालिका की बैठक आयोजित की जाये। उक्त प्रकरण पर मैंने 30 जून, 1998 के उपवेशन में अपनी यह व्यवस्था आरक्षित कर ली थी और यह कहा थां कि स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों को देखकर निर्णय दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मैंने भारत के संविधान सहित संगत अधिनियमों को देखा। मेरा यह विचार है कि भारत के संविधान में 74 वां संशोधन, जिसके द्वारा विभिन्न स्तर की नगर पंचायतों के बारे में संविधान में ही प्राविधान किया गया है, का वर्ष 1992 में अधिनियम हो जाने के उपरान्त विभिन्न स्तर की नगर पंचायतों और नगर निगमों को संविधान के द्वारा ही स्वशासन की शक्ति प्रत्यायोजित कर दी गयी है और

उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल ने भी वर्ष 1995 में उक्त संविधान संशोधन के अनुसरण में उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 अधिनियमित करके उक्त संस्थाओं को स्वायत्तशासी माना है।

भारत के संविधान में परिकल्पित विभिन्न संस्थाओं के कार्य-कलापों और क्षेत्राधिकार में परस्पर टकराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही यह संसद या राज्य विधान मण्डलों की सोच ही हो सकती है। उसके अंग-उपांग परस्पर समरसता की भावना से ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 51 (क) (एक) के अनुसार अध्यक्ष, नगरपालिका का यह कर्तव्य है कि वह नगर पालिका की बैठकों को बुलाये तथा उसकी अध्यक्षता करें। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विधान सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं जबकि विधान सभा के वे निर्वाचित सदस्य हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है जब विधान सभा का सत्र बुलाना आवश्यक हो और उस समय नगर पालिका, जिसके वे पदेन सदस्य हैं, की बैठकें भी चल रही हो या उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान हो रहा हो। मेरे विचार से एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किये बिना विधान सभा के सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में औचित्य का कोई प्रश्न अर्न्तग्रस्त नहीं हैं।

अतः मैं माननीय सदस्य की उक्त औचित्य के प्रश्न की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

सत्र के दौरान सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा दिये जाने तथा फिल्म सिटी बनाये जाने सम्बन्धी लिये गये नीति सम्बन्धी निर्णय की सूचना सदन में न देकर बाहर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व श्री समर पाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 2 जुलाई, 1998 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की थी। माननीय सदस्यगण का कथन है कि सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1998 को मंत्रि-परिषद् की बैठक में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिये जाने तथा फिल्म-सिटी बनाये जाने सम्बन्धी लिये गये नीतिगत निर्णय की सूचना सदन में न देकर उक्त सूचना सदन के बाहर दी गयी है जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। उक्त माननीय सदस्यगण का यह भी कथन है कि सत्रकाल के दौरान सरकार को कोई भी नीतिगत निर्णय की घोषणा सदन के बाहर न करके पहले सदन में उसकी घोषणा करनी चाहिए क्योंकि सरकार की जवाबदेही

सदन के प्रति है। मा0 सदस्यगण ने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त निर्णय की घोषणा सदन के बाहर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार सदन के प्रति कितनी गम्भीर है? उक्त औचित्य के प्रश्न को मा0 सदस्यगण ने ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया था।

मैंने दिनांक 2 जुलाई, 1998 के उपवेशन में यह कहा था कि प्रश्नगत सूचना पर मैं अपना निर्णय मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद दूंगा। तदुपरान्त दिनांक 2 जुलाई, 1998को ही सदन में मा0 मुख्य मंत्री ने फिल्म को उद्योग का दर्जा देने की सविस्तार घोषणा करते हुए सदन को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म दर्शकों को स्वस्थ सुरुचिपूर्ण और सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप फिल्म देने के उद्देश्य से सही फिल्मों की शूटिंग व फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये फिल्म विकास परिषद् का गठन करने का निर्णय मंत्रि-परिषद् में लिया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री की उक्त घोषणा से स्थिति स्पष्ट हो गयी है। मैं सरकार को निर्देश देता हूं कि भविष्य में किसी भी नीतिगत निर्णय की घोषणा पहले सदन में की जानी चाहिए तदुपरान्त सदन के बाहर उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मैं उक्त औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य घोषित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आदि विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को एक दूसरी सूचना भी देनी हैं :-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

(1)	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 19 मार्च, 1999 को अपराह्न 4.00 बजे तक
(2)	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शनिवार, 20 मार्च, 1999 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
(3)	नामों की वापसी की तिथि तथा समय	मंगलवार, 22 मार्च, 1999 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए — सोमवार, 5 अप्रैल, 1999

(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए — मंगलवार, 6 अप्रैल, 1999 को

विधान पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

आबकारी अनुज्ञापनों के शुल्क तथा अभिकर की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के सम्बन्ध में आबकारी मंत्री का वक्तव्य

(आबकारी मंत्री)-श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रति वर्ष देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

मार्च के महीने में आबकारी दुकानों की वार्षिक नीलामी की जाती है। वर्ष 1999-2000 के लिये दुकानों के व्यवस्थापन हेतु नीलामी के लिये दिनांक 26-03-1999 की तिथि निर्धारित की गई है।

(2)- आबकारी दुकानों की नीलामी से पूर्व नीलामी की विभिन्न शर्तों एवं नियमों के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क तथा मदिरा पर देय अभिकर की दरों में प्रस्तावित संशोधन की सूचना भी बोली दाताओं को दी जानी होती है जिसे ध्यान में रख कर ही बोलीदाताओं द्वारा नीलाम में बोली दी जाती है।

(3)- आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश के लिये अधिकाधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से आबकारी राजस्व में अभिवृद्धि करने हेतु विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञापन शुल्क, आयात-निर्यात फीस तथा अभिकर की दरों को पुनरीक्षित करके दरों में वृद्धि किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अतः यह प्रस्ताव है कि

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विदेशी मदिरा तथा वियर पर देय अभिकर की दर जो कि वर्तमान में क्रमशः रु0 40.00 प्रति ए0 एल0 तथा रु0 2-3-25 प्रति बोतल (तीव्रता के अनुसार) है, को संशोधित करके क्रमशः रु0 48.00 प्रति ए0एल0 तथा रु0 3-5 प्रति बोतल (तीव्रता के अनुसार) निर्धारित किया जायेगा। सैन्य कैन्टीनों से विक्रय की जाने वाली रम की दर रु0 43.00 प्रति ए0एल0 निर्धारित की जा रही है। विदेशी मदिरा की थोक बिक्री की विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञापन शुल्क की फीस जो वर्तमान में न्यूनतम रु0 3.30 लाख तथा अधिकतम रु0 11.00 लाख है, को परिवर्तित करके न्यूनतम रु0 4.00 लाख तथा अधिकतम रु0 13.50 लाख निर्धारित की जा रही है। सेना की कैन्टीनों से विक्रय की जाने वाली मदिरा पर रु0 8.00 प्रति बोलत तथा वियर पर रु0 3.00 प्रति बोतल की दर से आयात फीस आरोपित करने के अतिरिक्त मदिरा पर रु0 30.00 प्रति बोतल तथा रम पर रु0 18.00 प्रति बोतल ऐसस्ड फीस निर्धारित की जा रही है। वियर बार की अनुज्ञापन फीस जो कि वर्तमान में न्यूनतम रु0 38,500.00 प्रति वर्ष तथा अधिकतम रु0 55,000.00 प्रतिवर्ष, को संशोधित करके न्यूनतम रु0 50,000.00 प्रतिवर्ष तथा अधिकतम रु0 75,000.00 प्रति वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। बार अनुज्ञापनों को लाइसेन्स फीस भी वर्तमान रु0 3,30,000.00 न्यूनतम तथा रु0 6,87,000 अधिकतम है, को परिवर्तित करके रु0 3,50,000.00 न्यूनतम तथा रु0 7,00,000.00 अधिकतम निर्धारित की जा रही है। क्लब बार के न्यूनतम शुल्क में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से अन्य राज्यों को निर्यात की जाने वाली ई0एन0ए0 तथा एब्सल्यूट अल्कोहल पर निर्यात फीस रु0 2.00 प्रति बल्क लीटर से बढ़ा कर रु0 2.50 प्रति बल्क लीटर तथा शोधित आशव (विकारक विहीन) पर रु0 2.00 प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर रु0 2.25 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जा रही है।

(4) अभिकर, अनुज्ञापन शुल्क एवं फीस की दरों में संशोधन उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत यथा नियम विज्ञप्ति के माध्यम से किये जायेगें तथा पुनरीक्षित दरें। अप्रैल, 1999 से लागू होंगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त हुई सूचनाओं में से शलाका के आधार पर 5 सूचनायें चयनित की गयी हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आप लोग अपनी बात संक्षेप में कहेंगे तो 5 सूचनाओं पर मैं सुनूंगा और यदि अवसर मिल जायेगा तो दो-दो मिनट अन्य 5 सूचनाओं को भी सुन लूंगा। अगर समय नहीं मिलेगा तो उन पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दूंगा।

श्री श्रीरामपाल-

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी है उस पर आपने क्या निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पर शासन से वक्तव्य मांगा गया है। नियम 51 में परिवर्तित करके शासन से वक्तव्य मांगा गया है।

* डा0 अशोक वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की संस्कृति की धरोहर गंगा नदी है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेसियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेसियर शनैः-शनैः सिकुड़ता जा रहा है। पिछले 60 वर्षों में यह ग्लेसियर लगभग 1300 मीटर सिकुड़ चुका है। मान्यवर, गंगा इस देश की पवित्र नदी है और इस नदी से हमारे देश की अस्मिता जुड़ी हुई है और उस पर संकट छाया हुआ है। जो भौगोलिक वैज्ञानिक है उन्होंने समय-समय पर चेतावनी दी है कि गंगोत्री ग्लेसियर के सिकुड़ने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। समय रहते अगर समुचित कार्यवाही नहीं की गयी तो गंगोत्री ग्लेसियर सिकुड़ जायेगा। इसके चलते निरन्तर हिमपात हो रहा है और साथ ही साथ नदियों में सिल्टिंग हो रही है इसके कारण तमाम नदियों का जल स्तर ऊपर होता जा रहा है और उनमें थोड़ा भी पानी बढ़ने से बाढ़ आ जा रही है, जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित होता है। मान्यवर, अभी पिछले साल भीषण बाढ़ आयी जिससे हमारा प्रदेश बड़ी तबाही में पड़ गया। तो जब नदियों में सिल्टिंग होगी उसके परिणामस्वरूप उनमें मिट्टी जमा हो जायेगी और बाढ़ आने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार 1845 से लेकर 1996 तक 3000 मीटर गंगोत्री ग्लेसियर सिकुड़ चुका है। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रदेश की जनता से जुड़ा है। अगर यही स्थिति रही और समुचित व्यवस्था न की गयी और निरन्तर उत्खनन होने के कारण और पेड़ों का कटान होने के कारण इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पेड़ो का दोहन और न रोका गया, उत्खनन का काम न रोका गया तो तमाम नदियों में सिल्ट जमा हो जायेगी और नदियों का पानी ऊपर आ जायेगा जिससे बाढ़ आने की सम्भावना बराबर बनी रहेगी इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा दें।

पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है, यह केवल इस प्रदेश का ही नहीं है और केवल इस देश का नहीं है, भौगोलिक स्थिति बदलती जा रही है। तापमान के बारे में तरह-तरह के प्रश्न आ रहें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिज्ञासा है कि तापमान बढ़ेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी और इस बारे में भिन्न-भिन्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वक्तव्य दिये गये हैं, यहां पर यदि कोई सामान्य चर्चा हो जाये तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। वैज्ञानिकों की अपनी राय आयी है। जो आपने कहा है कि कटान से हो गया है, तो ग्लेशियर पर तो कोई वृक्ष उगता नहीं है, सिल्टिंग से इसका कुछ लेना-देना नहीं है।

तापमान बढ़ता जा रहा है। भौगोलिक स्थिति है उसके कई कारण हैं मैं इसके बारे मे विशेषज्ञ नहीं हूं। अशोक वाजपेयी जी की तरह मुझे जानकारी नहीं है लेकिन चिंता की बात जरूर है और चिंता की बात नियम 56 का विषय नहीं बनता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तरह-तरह की जांच और खोज चल रही हैं तो जैसा विषय होगा राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनेगी उस पर विचार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

डा0 अशोक बाजपेयी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। दूसरी सूचना श्री दीपक कुमार जी की है।

* श्री दीपक कुमार-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों के किनारे मल्लाह समुदाय के लोग रहते हैं और उनका परम्परागत पेशा नदियों के तट से रेत निकालने का काम है उनके हित के लिए पिछली सरकारों ने समय पर शासनादेश जारी कर उन लोगों को यह काम करने का अधिकार दिया। मुलायम सिंह जी के समय में 22 सितम्बर, 94 को एक शासनादेश निर्गत कराकर मल्लाह और उनकी तमाम उप-जातियों को यह काम करने का अधिकार दिया और मायावती के शासन काल में भी उनको यह अधिकार था लेकिन इस सरकार ने पिछली सरकारों के द्वारा जारी किये गये आदेश निरस्त कर दिये। इसमें पहले छोटे-छोटे मल्लाह ठेका लेकर काम करते थे लेकिन इस सरकार ने 29.12.98 को एक शासनादेश निर्गत करा दिया है जिसमें मल्लाह को पट्टा न दिये जांय। यह लोग गरीब और पिछड़े हैं जहां विकास की किरण भी नहीं पहुंचती है उनके इस परम्परागत पेशे को छीनने का काम किया जायेगा तो यह और पिछड़ जायेंगे। यह देखने की बात है कि 29 जनवरी, 99 को इस सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति 1998 के अन्तर्गत सम्पन्न व्यक्तियों को खनन कार्य करने का काम दिया जाय। और जो गरीब और परम्परागत पेशे के लोग हैं उनको हटाकर सम्पन्न लोगों को यह काम सौंपा जाय। यह इस समुदाय के लोगों के साथ अन्याय है नदी के किनारे जो मल्लाह समुदाय रहता है वह आन्दोलनरत हैं और अपने भविष्य के लिये चिन्तित हैं इस लिए मेरा अनुरोध है कि आप सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह खनन नीति उत्तर प्रदेश सरकार की जिसका उल्लेख माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य ने किया उससे पहले यह देखा जा रहा था कि जो बालू के पट्टे होते थे उसमें मल्लाह जाति के लोगों को सामने करके दूसरे लोग सस्ती दरों पर पट्टा हासिल कर लेते थे और इस वर्ग विशेष के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसका लाभ दूसरे उठा रहे थे और सरकार और पूरे समाज का नुकसान हो रहा था। इस सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कराने के बाद नयी नीति बनायी गयी अगर वास्तव में वह लोग पट्टा लिये होते तो इस नयी नीति की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जैसे सस्ते गल्ले की दुकान हैं उसमें आरक्षण है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लेकिन उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहें हैं और वह वर्ग लाभ से वंचित रहता है और हम इतने से अपने दायित्व की इतिश्री समझ लेते हैं। वास्तव में वह लाभ ले पा रहें हैं यह नहीं देखते। अब यह किया गया है कि इस विशेष वर्ग के लिए योजनायें चलायी गयी हैं उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। चिकित्सालय खोले जा रहे हैं ताकि उनकी बेहतरी हो सके। पट्टे आपने दे दिये लेकिन वास्तव में उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है अब कल्याणकारी योजना चलाकर सरकार निश्चित अवधि में धनराशि खर्च करके इस वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। यह स्वागत योग्य कदम है जिसका आपको स्वागत करना चाहिए उसके बजाय आप पट्टे की बात कर रहें हैं जिसका फायदा दूसरे लोग उठा रहें हैं सरकार ने यह तय किया है कि उनके कल्याण के लिए जो कुछ कार्य हो उसका फायदा उनको मिले और उस पर धन खर्च हो।

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री दीपक कुमार-

मान्यवर, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है शासन के पास तंत्र हैं, यदि फर्जी पट्टे हो रहें हैं, माफिया के लोग जमीनों पर काबिज थे तो विभिन्न एजेन्सियों को इस्तेमाल करके उनके पट्टे खारिज करते। मान्यवर, 1985 में एक शासनादेश जारी हुआ था जिसके अनुसार समितियों को पट्टे किये जाते तथा मल्लाह समुदाय के लोग जो इस कार्य में लगे हैं उनको पट्टा देने में प्राथमिकता दी जाती लेकिन ऐसा न करके जो लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं उनको पट्टे दिये जा रहें हैं इसलिए यदि इन लोगों को पट्टे कर दिये जायेंगे तो गरीब मल्लाह पीछे हो जायेगें। इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रकरण की मम्भीरता को देखते हुए मान्यवर इसमें आप चर्चा करायें।

श्री सीताराम निषाद-

मान्यवर, यह सरकार मल्लाह समुदाय के लोगों को रोजी-रोटी छीन रही है। मान्यवर, शासन नहीं चाहता है कि इस कार्य में लगे हुए गरीब मल्लाह लोगों को पट्टे मिले इसलिए यह सरकार बहाना बनाकर गरीब लोगों की रोजी-रोटी छीन रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अभी चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

नियम 52 में इस सम्बन्ध में आप सूचना दे सकते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, एजेण्डे में जितनी चर्चाएं लगायी जाती हैं उनमें कोई चर्चा नहीं हो पा रही है और इस तरह एक सप्ताह बाद यह सदन समाप्त हो जायेगा। इसलिए जो चर्चाएं लगायी जाती है उन पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हम प्रयास करते हैं कि नियम 56 में आप लोग कम से कम समय लें। शून्य प्रहर में समय अधिक आप लोग ले लेते हैं इसलिए इसको ध्यान में रखें कि समय कम लें क्योंकि बजट है और अन्य काम होने हैं।

नेता विरोधी दल-(श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, जो बालू और मौरंग खनन से सम्बन्धित यह लोकमहत्व का प्रश्न है जिसे हमारे माननीय सदस्यों ने यहां उठाया है वह अत्यन्त महत्वूपर्ण, गम्भीर और जन जीवन से जुड़ा प्रश्न है जिसे लाखों नहीं बल्कि एक करोड़ से अधिक लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। श्रीमन्, जो पट्टे यह सरकार पूंजीपतियों को देने जा रही है उससे स्पष्ट साबित हो रहा है और सर्व विदित है कि यह सरकार पूंजीपरस्त और गरीबों की दुश्मन है। मान्यवर, आप देखें कि जो मल्लाह और मछुआ समुदाय के लोग नदियों के किनारे रहते हैं जिनके पास रोजी-रोटी का कोई धन्धा नहीं हैं, न उनके पास जमीन है और न सम्पत्ति है बल्कि वह बालू खनन के जरिये अपनी रोजी- रोटी चलाते हैं।

श्रीमान, इसी उद्देश्य से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने मल्लाहों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनकों रोजी-रोटी देने के लिए, उन्हें पट्टा देने के लिए, एक कानून बनाया था।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 52 में दे दें चर्चा हो जायेगी।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमान प्रश्न यह उठता है कि आपने अभी जो कहा कि गरीबों को पट्टा नहीं मिल पाता है, पूंजीपतियों द्वारा इसका फायदा उठा लिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं इन माफियाओं को अपने शिकन्जे में कस सकती है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि यह नीति समाप्त की जाये। पूंजीपतियों को पट्टा देने की नीति समाप्त करें। इस

लिए करें क्योंकि इससे गरीबो को रोजी-रोटी मिलेगी, उनको पट्टा मिलेगा और साथ ही साथ पूंजीपतियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपना आदेश इस सरकार को दें कि इस नीति को समाप्त किया जाये। छोटे से छोटा पट्टा ही अगर गरीबों को मिल जायेगा तो कम से कम उनकी रोज रोटी तो चलती रहेगी। मान्यवर मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री दीपक कुमार, श्री सीता राम निषाद एवं श्री संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं यह सूचना निरस्त करता हूं।

(शोर)

श्री घनीराम वर्मा-

यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की कोशिश करती रहती है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री घनीराम वर्मा ने अपने सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

* श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक खोराबाद व जंगल सीकरी ये सभी तीनों गांव अम्बेडकर गांव हैं। इनमें छोटी-छोटी पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं और यहां पर सिर्फ एक आदमी ही लगान देता है। अब आप अनुमान लगा लीजिये कि यहां कितनी गरीबी है। ऊपर से जी0डी0ए0 वाले जबरदस्ती उनकी भूमि का अधिग्रहण कर रहें हैं। उन गांववासियों में थोड़ा आक्रोश है और थोड़ा क्षोभ भी किसी की भी सरकार आती है तो दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजातियों की हितैशी सरकार बनती है और कहती है कि हम पिछड़ों के वफादार हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस सदन में पिछली बार भी मैंने इस मामले को उठाया था। वहां तीन गांव हैं और तीनों गांवों के लोग बहुत गरीब है उन तीनों गावों में से सिर्फ एक आदमी ही लगान देता है। इसके साथ ही जी0डी0ए0 वाले जबरदस्ती उनकी भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार उन अधिकारियों, कर्मचारियों को रोके जो जबरदस्ती गांव वालो को उनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

ये जीडीए वाले जबरदस्ती अधिग्रहण करना चाहते हैं जो जोर जबरदस्ती से जनता की जमीन ले रहे हैं, जनता को वह बेघर कर रहे हैं। वहां जनता बड़ी दुखी है और बड़ा क्षोभ है, मान्यवर बड़ा आक्रोश है। इसको ध्यान में रखते हुए कि यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा गम्भीर मामला है। तीन गांव अम्बेदकर गांव हैं, वहां भूमिहीन गरीब आदमी हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको ध्यान में रखते हुए कि जो जीडीए वाले जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, भूमिहीनों के साथ, गरीबों के साथ जो शोषण कर रहे हैं। मान्यवर तत्काल आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें और जी0डी0ए0 वाले अन्यथा उत्पीड़न करेंगे तो मान्यवर, वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मान्यवर, तीनो गाँवों अम्बेदकर गांव हैं और उनकी जमीन जोर जबरदस्ती ली जा रही है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह मांग करती हूं कि सारे काम को रोक कर इस विषय पर चर्चा करायी जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, किसी की जमीन जोर-जबरदस्ती नहीं ली जा रही है, विधिवत् अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और उसमें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है और जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि केवल एक आदमी लगान देता है लेकिन वह आदमी जमींदार है, बहुत बड़ा आदमी है। हम ऐसे व्यक्तियों जिनके पास भूमि नहीं है, आवास नहीं है, उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यक्रम चला रहे हैं। मान्यवर, माननीया गौरी देवी से मेरा सुझाव है कि हर बिन्दु को ऐसे न उठायें जिसकी जानकारी आपको न हो। किसी भूमिहीन की जमीन लेने का प्रश्न नहीं है जो बड़े काश्तकार हैं, उनसे जमीन लेकर जिनके पास आवास नहीं है, विकास प्राधिकरण के लिए वहां के लोगों को बसाने के लिए दी जा रही है।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जोर जबरदस्ती से किसानों की जमीन लेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जोर-जबरदस्ती में मेरा विश्वास नहीं है, बल्कि सुविधा के अनुसार स्वेच्छा से कोई जबरदस्ती से नहीं, मुआवजा देकर यह कार्य किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती गौरी देवी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद सूचना को अग्राह्य पाते हुए मैं निरस्त करता हूं।

श्री बाबू लाल-

मान्यवर, 10-11 मार्च को आगरा में ताजमहल के पास ताज महोत्सव के अन्तर्गत जी0 टीवी का आयोजन किया जा रहा था और उसमें आपकी अनुमति से, शासन की अनुमति से 50 लाख रुपये में यह कार्य जिला प्रशासन ने किया था। जिला

प्रशासन के लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार पास बांटे गये कि वहां निर्धारित संख्या से काफी अधिक लोग जमा हो गये।

मान्यवर, इस घटना में सैकड़ों लोग सीढ़ी टूटने से घायल हुये और वह अपना इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में करा रहे हैं। जी0टीवी वालों ने घायलों के लिये कोई उपचार व्यवस्था नहीं करायी। मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाये। इसी तरह से 1997 में एक "यानी" का कार्यक्रम हुआ था जिसमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ। उसमें आयोजकों के सामान को जिला प्रशासन ने रोक लिया और अवैध वसूली करके सामान को लौटाया गया। यह घटना जो हुयी है इससे आगरा जनपद की छवि खराब होती है और पर्यटकों पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायें और इसकी न्यायिक जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री विजयपाल सिंह-

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताजमहल के प्रांगण में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहां वाहनों का आवागमन होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। वहां पर जो पास जारी किये वह 3-3 सौ रुपये में एक विशेष पार्टी को बेचे गये। जिला प्रशासन की व्यवस्था ठीक न होने से यह घटना हुई। इसके पहले भी वहां "यानी" का कार्यक्रम हुआ था जिसमें भी करोड़ों रुपयों का घपला और भ्रष्टाचार किया गया था। मेरी मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच करवायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 11-3-99 को वहां पर जीटीवी वालों का आयोजन अंत्याक्षरी का हो रहा था। माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही। यह कार्यक्रम यमुना नदी के दूसरी साइड पर 5 सौ मीटर दूरी पर हो रहा था और वहां पर जो सीढ़ियां बनायी गयी थीं संयोग से वह टूट गयी जिससे 37 लोग घायल हुये और 15 लोगों को फ्रेक्चर हुआ। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपनी देख-रेख में घायलों को अस्पताल भिजवाया जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना आयोजकों की गलती से हुई या अन्य किसकी लापरवाही से, इसकी मैजीस्टीरियल जांच हो रही है। एडीएम (प्रशासन) द्वारा घटना की जांच की जा रही है। सारी जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री बाबू लाल-

मान्यवर, मैजिस्टीरियल जांच जिला प्रशासन के अंडर में होती है इसलिये इस

घटना की न्यायिक जांच करवायी जाय और घायलों को मुआवजा दिया जाय वह अपने पैसे से इलाज करवा रहे हैं।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता-

आपके इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। अगर मैं इसकी अनुमति देने लगूंगा तो हर माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करने लगेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें न्यायिक जांच का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक मुआवजे की बात है तो मुआवजा तो किसी चीज के बदले में दिया जाता है। घायलों के इलाज की व्यवस्था कर दी गयी है। इसमें सरकार बीच में नहीं आती है, प्राइवेट आयोजन था। दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद में जो सरकार का दायित्व था उसे पूरी तरह से सरकार निभा रही है, प्रशासन की देखरेख में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज हो रहा है। अगर मुआवजा लेना है तो आप प्राईवेट कम्पनी पर केस करें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बाबू लाल एवं श्री विजयपाल सिंह एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसको अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

पांचवी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री उदयराज यादव एवं श्री राम प्यारे की है। तीनों ही माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। पांच सूचनायें शलाका में आयी थीं जिस पर सुना जाना था। शेष पांच सूचनायें शलाका में नहीं आयी हैं और प्रत्येक पर 4-5 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात रख दें। अगली सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है।

*श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक-महत्व के इस विषय पर बोलने की अनुमति दी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरे सदन के संज्ञान में है। इस पर कोई लम्बा-चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। पिछले बजट सत्र के दौरान यह मामला सदन के सामने आया था। यह सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है तथा यह मानकर चला जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ न्याय करेगी और क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखेगी। पिछले साल बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पेश किया था तो उसमें पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और उत्तराखंड विकास निधि की घोषणा की गयी थी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नये पैसे की धनराशि विकास निधि के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में नहीं दी गयी थी। मान्यवर, यहां यह बात उठायी गयी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपकी पीठ से यह निर्देश दिया गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक करके आवश्यक कदम उठाये। बाध्यतावश 5 अक्टूबर, 1998 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की एक बैठक बुलायी गयी। उस बैठक में 100 माननीय विधायकों ने हिस्सा लिया, संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस बैठक में मौजूद थे। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिगण के समक्ष अपनी बात रखी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों ने यह मांग की कि पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और उत्तराखण्ड विकास निधि की तरह पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना की जाय। सभी विधायकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर न्याय की सुलभता के लिए हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग की, रेवेन्यू बोर्ड खोलने की मांग की तथा यह भी कहा कि आगरा, मेरठ, बरेली, देहरादून आदि स्थानों में कही भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाय। एक लम्बे समय से आन्दोलन चल रहा है। पिछले 10 साल से वकील और आम जनता आन्दोलन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त वकील कचेहरियों का बहिष्कार कर रहे हैं। सभी ने यह भी कहा था कि आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र खोले जायं, मिनी सचिवालय की स्थापना की जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं उस पर विचार किया जायेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी और 30 नवम्बर तक उसे रिपोर्ट देने को कहा गया था। 30 नवम्बर गये एक अरसा बीत गया अभी रिपोर्ट नहीं आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1999-2000 का बजट भी प्रस्तुत कर दिया और इस बजट के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की पूर्वांचल विकास निधि की घोषणा, 50 करोड़ रुपये की बुन्देलखण्ड विकास निधि की घोषणा की। इसी प्रकार से उत्तराखण्ड विकास निधि की घोषणा की गई हमें कोई ऐतराज नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो, बुन्देलखण्ड का विकास हो, पूर्वांचल का विकास हो हमें खुशी होगी लेकिन हमारी पीड़ा इस बात की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास जो प्रदेश का सबसे उपजाऊ भाग है, जो सबसे ज्यादा राजस्व इस प्रदेश के खजाने में जमा कर रहा है, उपेक्षा हो रही है। मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नये पैसे की घोषणा नहीं की है। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर सड़कों की हालत देखें जितनी देर में आप यहां 50 कि0मी0 चले जायेंगे उतनी देर में वहां 10 कि0मी0 जा सकेंगे। वहां बिजली की हालत बहुत खराब है। बिजली के तार इतने पुराने हैं कि टूट कर गिर रहे है। वहां पर शिक्षण संस्थाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐसी कौन सी खता की है जो उनसे सरकार नाराज हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नए पैसे का प्राविधान बजट में नहीं किया गया है यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद-15 में यह कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के साथ मूल वंश

के आधार पर क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ इसलिए भेदभाव किया जा रहा है कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जा रहा है। विकास के लिए उन्हें संसाधन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री समर पाल सिंह-

यह हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता लगातार आन्दोलन कर रही है। पूर्वांचल, उत्तराखण्ड और बुन्देलखण्ड की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। इतना ही नहीं सरकार के इस भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता यह भी मांग कर रही है कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए। क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट की बेंच नहीं खोली जा रही है। वहां विश्वविद्यालय नहीं स्थापित करेंगे तो मजबूर होकर यह मांग होगी कि अलग राज्य बना दिया जाए ताकि वह अपना विकास कर सके। इसके अलावा पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना की जाए यह महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। यह करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि एक ही सूचना पर चूंकि कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर है। इसलिए एक सूचना पर केवल दो माननीय सदस्यों को ही सुना जाए।

श्री राम सिंह सैनी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं साथ ही साथ संविधान में इस बात का प्राविधान है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे दूर किया जायेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि श्री समरपाल सिंह जी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में सारा का सारा उत्पादन वहां पर होता है परन्तु वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड वहां पर नहीं है। इलाहाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत दूर पड़ता है परन्तु आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना नहीं हुई है। सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की भी यही स्थिति है और कोई शोधन

संस्थान वहां पर नहीं है, जबकि यह होना चाहिए था। मेरठ में केवल एक विश्वविद्यालय है। इधर आप देखें पूर्वांचल और मध्यान्चल में कई विश्वविद्यालय हैं। मेडिकल फैसीलिटीज को देख लिया जाय। एक तरह से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र हो गया है। जिस तरह से पूर्वांचल के लिए विकास निधि का गठन किया गया है तथा दूसरे क्षेत्रों के लिए विकास निधि का प्राविधान किया गया है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता में आक्रोश है और माननीय अध्यक्ष जी आपने निर्देशित भी किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर निश्चित कार्यवाही होगी परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। मैं समझता हूं कि जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। यह एक स्पष्ट सबूत है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई बात आती है तो शासन उसके लिए कोई चिन्ता नहीं करता है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जिस प्रकार पूर्वांचल और उत्तरांचल के लिए विकास निधि का गठन किया गया है उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी विकास निधि का गठन होना चाहिए और उसका प्राविधान इस बजट में होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री कौकब हमीद जी आप इस सूचना पर अन्तिम वक्ता होंगे, इसके बाद में किसी को इजाजत नहीं दूंगा। आप ग्राह्यता तक अपने को सीमित रखेंगे।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो प्रकरण यहां पर उठाया गया है उससे केवल हम ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि उस पक्ष में बैठे हुये लोग भी चिंतित हैं। हो सकता है नियमों की कठिनाई की वजह से यह बात हमारे साथ मिलकर नहीं उठा पाते हैं। मान्यवर, साढ़े चार करोड़ की जनता को जवाब देना है जिन्होंने हमें चुनकर यहां भेजा है। डेढ़ सौ करोड़ रुपया पूर्वान्चल को मिल गया, 50 करोड़ बुन्देलखण्ड को मिल गया और 1140 करोड़ उत्तराखण्ड को मिल गया। जब पिछली बार यहां पर यह प्रश्न आया था तो कहा गया था और अबकी बार भी लगभग वही बात कही जायेगी कि वहां के लोग विकसित हैं, ठीक-ठाक हैं इसलिए वहां किसी काम की जरूरत नहीं है। अगर मेडिकल कालेज की बात की जाय तो अलीगढ़ में एक, मेरठ में एक और आगरा में एक और इधर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस में मेडिकल कालेजेज हैं। जहां तक इंजीनियरिंग कालेज की बात है वह भी सब यहीं पर है। मेरठ में एक, लखनऊ में एक, इलाहाबाद में एक, कानपुर में एक और बनारस में एक है। थर्मल प्लान्ट की बात की जाय जो बिजली बनाते हैं तो हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हरदुआगंज, ओबरा और आनपारा हैं। मान्यवर, कहने का मकसद यह है कि हम कितने विकसित हैं और किन-किन चीजों की जरूरत हमको है। हम भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, अपनी जरूरत की चीजें चाहते हैं। यहां पर गन्ना पैदा होता है और नेशनल इन्स्टीट्यूट कानपुर में हैं। एक पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय था वह उत्तराखण्ड में चला गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह कहना सरकार का कि वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है, वहां सब काम ठीक-ठाक चल रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है। एक जमाने से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन चल रहा है, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी होगी। 10-12 साल से वहां आन्दोलन चल रहा है कि वहाँ पर हाई कोर्ठ होना चाहिए। आपके यहां इलाहाबाद में है और उसकी एक बेंच लखनऊ के अन्दर है। वहां की भी मांग है वहां क्यों नहीं बनाते हैं। आप जगह को मुद्दा बनाकर इस मसले को टालते चले आ रहें हैं कि कहां बने कहां न बने। मान्यवर, राजस्व बोर्ड आपका लखनऊ के अन्दर है और हमारे यहां का सारा काम यहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप ग्राह्यता छोड़कर बाकी सारी बातें कह रहें हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। यह साबित कर रहा हूं कि वहां की जरूरत क्या है? जितने मुकदमें वहां के हैं वह सब के सब यहां आते हैं और आदमी 500-800 किलोमीटर की दूरी से आता है। सवाल यह नहीं है कि आज यहां आप क्या जवाब देंगे। हो सकता है माननीय मंत्री जी थोड़ी देर में कह दें कि एक योजना बनके आनेवाली है। सदन में तीन दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये एक पैकेज बनकर आ रहा है। कब आप योजना बनायेंगे। जिसका कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है उसके लिये कब योजना बनेगी। यह तो वैसे ही होगा जैसे विधायकों की विकास निधि 50 लाख की घोषणा हुई और 25 लाख मिले। ऐसा न हो कि वायदे करें हमको चुप कराने के लिये पर वहां जाकर क्या जवाब देंगे, इसलिये घोषणा करेंगे तो यह घोषणा कैसी होगी? पैकेज किस अनुदान से आयेगा? क्या आगे प्रोविजन इस साल होगा, क्या अगले साल होगा? आप वहां की साढ़े चार करोड़ की जनता के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहें हैं। यह उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं हो पायेगा। आपको अगर वहां की साढ़े चार करोड़ आबादी से नफरत है, उनकी शक्ल नहीं देखाना चाहते हैं तो हम प्रस्ताव करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नया प्रदेश बना दिया जाये तो हम उसको खुद सम्भाल लेंगे। आपसे न उसके लिये पैकेज की मांग होगी न विकास के लिये कुछ मागेंगे। हम स्वयं वहां का विकास कर लेंगे।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब किसी को अनुमति नहीं दी जायेगी। मैंने दो की जगह तीन माननीय सदस्यों को अवसर दे दिया। अब किसी को नहीं सुना जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना अलग महत्व है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इतने मेहनती हैं कि उसका नतीजा भी देखने को मिला है गन्ने की पैदावार है, गेहूं की पैदावार है चाहें अन्य कृषि के उत्पाद हों इसी सदन में मान्यवर घोषणा की गई, घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी, माननीय अध्यक्ष पीठ के निर्देश के अनुसार बैठक बुलाई गई इस बैठक में तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्मानित विधायक चाहे किसी दल के हो सबकों आमंत्रित किया गया सबके सुझाव लिए गये और मान्यवर, इसको देखते हुये सुझावों को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में पैकेज तैयार करें। हमने कहा था सदन में जल्दी ही उस कार्यक्रम की घोषणा करेंगे जो तैयार किए जा रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विलम्ब हुआ है। हम प्रयास यह कर रहें हैं कि सदन के चलते ही वह कार्यक्रम सदन में आ जाने चाहिए लेकिन हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कल आएगा या परसों आएगा, जब जिम्मेदारी किसी समिति को दी गई है तो उसका निर्वाह पूर्ण रूप से होना चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं विकास की बात है चिन्ता अपनी जगह है, होनी चाहिए। विकास की चिन्ता जितनी आपको है उससे कही ज्यादा हमारी है केवल राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात चल रही है, यह थोथी बात है सत्य से परे है कि जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए। उत्तर प्रदेश की सारी जनता उत्तर प्रदेश को एक स्वरूप में देखना चाहती है कोई मूवमेंट किसी तरह का पश्चिम में किसी जनपद में नहीं चल रहा है इसके बावजूद कुछ नेताओं ने चुनाव के कुछ परिणाम देखें और यह सोचा कि ऐसे नारों को लेकर चलें, जनता ने इसका जबाव दे दिया है और कह दिया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं।

(श्री समरपाल के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

जब आप एक घंटा, दो घंटा खड़े होकर बोलते हैं तब तो हम कुछ नहीं कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं खड़े हो गये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पश्चिम और पूर्व कहकर ज्वाला धधकाना समाज के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश को विभाजित न करें। विभाजन के नारे से कुछ नहीं चल पायेगा आप प्रदेश के लिए कोई कार्यक्रम लाए। प्रदेश की जनता प्रदेश की सरकार कल्याण सिंह जी की सरकार सार्थक कार्यक्रम लाई है पश्चिम के लिए भी लाएगी, सारे प्रदेश का ध्यान है मेरा आग्रह है कि नियम-56 में यह नहीं आती है इसको निरस्त किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय समरपाल सिंह, रामसिंह सैनी, कौकब हमीद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री समरपाल सिंह-

एक स्पष्टीकरण चाहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास जनता का हित कैसे होगा?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैठक बुलाई क्या मुख्य सचिव महोदय 30 तारीख तक दे देंगे।

मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री राम जग जी यदि आप उपस्थित हों तो कृपया खड़े होकर अपनी सूचना पर बोलें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, यह पूरब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भेदभाव करना चाहते हैं। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह कैसा पैकेज लायेंगे यह बता दें?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप कार्य-स्थगन की सूचना के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सदन के चलते पैकेज लायेंगे। आप लोग कृपया शांत रहें। माननीय सदस्यगण इस विषय पर विभिन्न अवसरों पर कई बार दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने बात कही, शासन की बात भी आ चुकी है। फिर नियम-56 के माध्यम से उठाया गया है। माननीय मंत्री जी ने बात स्पष्ट कर दी है कि हम

किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते हैं हम पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। इसी सत्र में यथा संभव एक पैकेज लाने की मंशा वह कर रहें हैं। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं निवेदन करुंगा कि आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, यह केवल इतना बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास निधि की घोषणा करेंगे या नहीं करेगें?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने पूर्णतया स्पष्ट किया है इस बात को कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति विचार विमर्श करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये क्या-क्या विकास योजनाएं और कार्यक्रम चलायें। एक शब्द लिया गया "पैकेज" यह उसका एक हिस्सा है। हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहें हैं। सर्वांगीण विकास में एक पैकेज आयेगा और उसमें सारी बातें शामिल होंगी।

(श्री समरपाल सिंह तथा श्री कौकब हमीद अपने दल के साथ सदन के वेल पर आ गये।)

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

(वेल में आये सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

यही उचित नहीं है, आप अपने स्थान पर वापस जायें मैं कुछ निर्देश देना चाहता हूं।

(वेल में आये सदस्य वहीं बैठ गये और नारे लगाने लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में बैंच की स्थापना हो, विकास निधि की स्थापना हो।)

कृपया माननीय सदस्य नारे बन्द करें। कृपया अपने स्थान पर वापस जायें। वेल में जो माननीय सदस्य बोल रहें हैं उनकी कोई बात अंकित नहीं की जायेगी। आप अपने स्थान पर वापस जायें।

(इसके पश्चात् सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट कही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का एक पैकेज हम ला रहें हैं। माननीय समरपालजी ने कहा कि 30 नवम्बर तक की तिथि तय हुई थी यह

तिथि बीत चुकी है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसी सत्र में इसे लाने की मंशा रखते हैं। मेरा आग्रह हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो पूरा प्रयत्न करके इसी बजट सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का क्या पैकेज लाना है उसे सदन में लाने का पूरा प्रयत्न करें।

श्री समर पाल सिंह-

मान्यवर, हम विकास निधि की मांग कर रहें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप मेरा निवेदन सुन लें, दो बार इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

कभी-कभी मान्यवर, अति उत्साह में हम अपने तर्क को भी भूल जाते हैं। उत्तरांचल विकास निधि कोई नहीं है और दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये पैकेज लाने वाले है, उसमें सारी बातें शामिल हैं। आप बार-बार पूछे जा रहें हैं। अपने आप तो कुछ करके देखा नहीं। पैकेज आने तो दें, यह सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब तो मैंने निर्देशित कर दिया, इसी सत्र में स्थिति बताने के लिये कह दिया।

श्री कौकब हमीद-

कोई पैकेज आयेगा, उसके तीन साल बाद काम शुरू होगा, बजट में पैसे का कोई प्राविधान नहीं हैं, यह कहां से आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

पैकेज आने के पहले ही इस तरह कल्पना कर लेना ठीक नहीं है।

श्री समर पाल सिंह-

बजट के अन्दर टोकेन मनी तक का इन्तजाम नहीं किया गया है, तो कहां से पैसा दे देंगें? वहां बिजली के तार पूरी तरह जर्जर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नये स्कूल आदि खोलने के लिये पैसा कहां से आयेगा?

श्री अधिष्ठाता-

यह शासन की चिन्ता का विषय है कि वह पैसे की व्यवस्था कहां से करेगा? इस विषय पर पूरा एक घंटा हो चुका है। कई बार यह बात सदन में आ गई कि

यदि कोई पैकेज आता है तो इस पर निश्चित रूप से धन खर्च होगा, वह धन कहां से आयेगा, वह शासन की चिन्ता का विषय है, बिना पैकेज आये कोई कल्पना करना कि कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं है। मैं इस सूचना को पहले ही निरस्त कर चुका हूं।

(श्री रामजग को बार-बार पुकारे जाने एवं उनके खड़े न होने पर)

श्री रामजग की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है।

(इस पर भारतीय किसान कामगार पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे-व्यवधान)।

माननीय समर पाल जी, यह दुराग्रह है। सारी बात स्पष्ट हो जाने के बाद बार-बार वेल में आना उचित बात नहीं है। किसी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आप सरकार को निर्देश नहीं दे सकते, यह लोकतंत्र की सारी मान्य परम्पराओं के विपरीत है। कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें, यह लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं के खिलाफ हैं, यह दुराग्रह है।

(2 बजकर 20 मिनट)

कृपया आप लोग अपने स्थाप पर जायें।

(व्यवधान)

आज कई विभागों के बजट हैं, आप लोग अपने स्थान पर जायें, सदन का समय बरबाद न करें।

(व्यवधान)

श्री राम जग जी आप अपनी बात कहें (उनके खड़े न होने पर) राम जग जी अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, इस लिये मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। 8वीं, 9वीं और 10 वीं सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, इस तरह से किसी माननीय सदस्य को सुनना सम्भव नहीं है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयी हैं, इसलिये वह अस्वीकृत हुई-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विनोदमणि, श्री मुन्ना चौहान, श्री अरविंद गिरि, श्री राम औतार शाक्य, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री रमेश राही, श्री श्याम लाल रावत, श्री राम चन्द्र यादव, श्री चेतराम, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम ललित चौधरी, श्री ददू प्रसाद, श्री मुरलीधर, श्री बाबू खां, श्री रामवीर सिंह, श्री राम अंचल राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री छोटे लाल राजभर।

श्री नन्दराम जी आपको कुछ कहना है।

(घोर व्यवधान होने पर व्यवधान)

मैं सदन को 2.45 तक स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 22 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कर्यावाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष कीं अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

व्यक्स्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यक्स्था का प्रश्न है नियम 56 के अन्तर्गत एक व्यवस्था चाहता हूं। जौनपुर में एक राजभर की लड़की कमलेश राजभर की हत्या हो गयी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 में कौन सी व्यवस्था होती है?

श्री राम ललित चौधरी-

आज तमाम राजभरों की जगह-जगह हत्या हो रही है। बलिया में दो लाशें मिली हैं गाजीपुर में 3 हत्याएं हुई हैं इस तरह से 5 सौ से ज्यादा हत्याएं हो गयी हैं। (व्यवधान) फैजाबाद में दौलतराम को मारा पीटा गया आज राजभर समाज उद्वेलित हैं (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। (व्यवधान) यह कोई व्यक्स्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

वैसे व्यक्स्था की यह बात नहीं है अगर छोटे लाल जी सदन में भाग लेने आना

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहते होंगे, अगर वह कानून और नियमों के अनुसार नहीं रोके गये हैं तो वह आ सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोकेगा।

यदि श्री छोटे लाल राजभर जी यहां सदन की कार्यवाही में भाग लेने आना चाहेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, यह मैं निर्देश दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, नियम 56 में मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पश्चिमांचल निधि की मांग के सम्बन्ध में चर्चा की मांग की थी। पिछले सत्र के 6-7 महीने बीत गये हैं उस समय भी मैंने यही मांग की थी और उस समय मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ अपने निवास पर एक बैठक किया था और उसमें घोषणा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निधि के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उनको देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहा हूं जो अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1998 तक दे देगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि मंत्रिमण्डल की बैठक में भी हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। मान्यवर, अब वर्ष 1999-2000 बजट पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पश्चिमांचल निधि की घोषणा की जाये जिससे यहां की खराब सड़कों को ठीक कराया जा सके तथा अन्य विकास के कार्य कराये जा सकें। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र उपजाऊ हैं और वहां से सबसे अधिक रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, इसलिए ऐसा न हो कि विकास के मायने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पिछड़ जाये। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूर्वान्चल निधि की भांति पश्चिमांचल निधि की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कर दें।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, एक पैकेज बन रहा है जिसकी इस सत्र के चलते कोशिश की जायेगी कि घोषणा कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वह प्रयास करें कि 23 मार्च तक संभव हो सके तो इसे देख लें।

(मुख्य मंत्री) श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् ठीक है देख लेगें।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में राजभर समाज पर पुलिस द्वारा कहर बरसाया जा रहा है। (व्यवधान) पुलिस श्री छोटेलाल राजभर और अन्य राजभर समाज के लोगों को अपमानित कर रही है और उनके साथ अत्याचार कर रही है। माननीय सदन के सदस्य इस प्रकार अपमानित होते रहेंगें तो विधायकों की गरिमा समाज में कैसे बनी रहेगी?

(व्यवधान)

जिस तरीके से यह सरकार हठधर्मिता अपना रही है, अन्याय कर रही है, इसका मतलब साफ है उनकी मंशा साफ नहीं है। यह सुनियोजित ढंग से किया गया है। माननीय राजभर जी का पुलिस द्वारा अपमान किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले राजभर जी को यह सूचना दे दें यदि वह गिरफ्तार नहीं हुए हैं और वह सदन में आना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं वह सदन में आने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा अन्दर आने से रोक दिया गया है और मान्यवर कितनी ही हत्यायें हो रही हैं बलात्कार हो रहें हैं पर यह सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे सदस्यों के साथ ज्यादती की जा रही है। उनको अपमानित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके निर्देश के बावजूद भी इस सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जिन लोगों द्वारा, जिन पुलिस कर्मियों द्वारा यह जघन्य अपराध किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मान्यवर माननीय संसदीय कार्यमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री दोनों इस समय यहां पर बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपया अनुदान दिया जाये और 6 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है उन बलात्कारियों को कड़ी सजा दी जाये। इस घटना से जो उनको मानसिक पीड़ा हुई है उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप लोग शान्त हों जायें। कृपया बैठ जायें। हर चीज के लिए कानून बना है। यदि किसी ने बलात्कार किया है, हत्या की है तो उसे कानून सजा देगा सारी प्रक्रिया निर्धारित होती है। ऐसा तो है नहीं कि अभी के अभी अपराधी को बुलाकर उसे दण्ड दे दिया जाये। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। मैंने राजभर जी के प्रकरण को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है वह इसे देख लेंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री नन्द राम-

मान्यवर ग्राम नगौरापुर में होली पर एक पेड़ को गांव वालों ने काट कर होली में डाल दिया। उस गांव के जब राजस्व निरीक्षक कानूनगो और लेखपाल ने वहां पर इनक्वायरी की तो गांव वालों से 2000 रुपये की मांग की पैसे न देने पर गांव वालों के खिलाफ मुकदमें कायम कर दिये गये।

मान्यवर, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया गया। उस गांव के लगभग 200 लोगों ने जाकर तहसीलदार साहब से शिकायत की और कहा कि पूरे गांव ने मिलकर पेड़ काटा है और होली में डाला गया है लेकिन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। यह कानूनगो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, उसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं। ये एफीडेविड हैं जिन लोगों को मरा दिखाकर उनकी सम्पत्ति उनके भाइयों के नाम कर दी है। मान्यवर, यह शातिर किस्म का आदमी है और उसका बहुत आंतक फैला हुआ है। उस तहसील में बड़े से बड़ा अधिकारी उसकी शिकायत नहीं कर पाता। मैंने उसकी शिकायत की तो उसी दिन उसने मुकदमा कायम करा दिया। जब हम शिकायत लेकर कहने जायेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होगा। होली में तो ग्राम पंचायत की चीज डाली गयी थी किन्तु मुझ पर मुकदमा कायम करा दिया गया। ग्राम-खरसरा में बड़े भाई को मरा दिखा कर छोटे भाई के नाम सम्पत्ति कर दी, हरिप्रसाद को मृतक दिखाकर दूसरे के नाम कर दी। दौलतपुर करेला में बड़े भाई के दो बच्चें हैं, पिता खत्म हो चुके हैं, उसमें छोटे को छिपाकर बड़े के नाम कर दिया गया है इसी कानूनगो ने ऐसा किया है। मान्यवर, यह और बाकी एफिडेविड हैं, किन्तु जो भ्रष्टाचार वहां फैला है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त किया जाये। इसके पहले यह जनपद पीलीभीत में थे वहां के डी0एम0 ने इसे सस्पेन्ड किया और जब उसने आयुक्त के यहां अपील की तो आयुक्त महोदय ने भी डी0एम को रिपोर्ट को बहाल रेखा। मान्यवर, तो उसे बर्खास्त कराने की मैं मांग करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय सदन अव्यवस्थित था,

2 मिनट का समय बोलने का मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय इतना अविलम्बनीय भी नहीं है। कभी-कभी नियम शिथिल कर देते हैं और सुन लेते हैं आप चलने दीजिए। अब दूसरी मद ले रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

"पटेल" राम कुमार वर्मा (सहकारिता मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,18,99,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

आज माननीय मंत्री जी प्रयास करिये कि 15-20 मिनट में आपके विचार आ जाये।

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

मान्यवर इस देश में सहकारिता का प्रारम्भ 1904 में कृषकों को महाजनों के चुंगुल से छुड़ाने और आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ। विभिन्न प्रकार की 50 हजार से अधिक सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन समितियों के कुशल संचालन हेतु आवास, गन्ना, उद्योग, दुग्ध, हथकरघा, मत्स्य, रेशम, खाद्य एवं उद्यान विभाग से सम्बन्धित समितियों के विषय में निबन्धक के समस्त अधिकार उनके विभागाध्यक्षों को दिये गये हैं। सहकारिता विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर 8384 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों, जिला सहकारी बैंक की 1480 शाखायें तहसील स्तर पर, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक की 313 शाखायें तथा जिला स्तर पर, 60 जिला सहकारी बैंक, 57 जिला/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार तथा प्रदेश के शीर्ष स्तर की 10 शीर्ष संस्थाओं के ढांचे के माध्यम से 898.52 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण तथा 416,28 करोड़ रुपये का दीर्घ कालीन ऋण, 7.45 करोड़ रुपये का मध्य कालीन ऋण, 780.92 करोड़ रुपये का लगभग 19 लाख मी0 टन उर्वरक की बिक्री 241 करोड़ रुपये उपभोक्ता वसतुओं का व्यवसाय तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 382.45 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जाता है। केन्द्रीय एवं शीर्ष संस्थाओं के अन्य व्यवसाय को सम्मिलित करते हुये सहकारिता विभाग के अन्तर्गत इन सहकारी संस्थाओं द्वारा लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यवसाय कर प्रदेश की आर्थिक उन्नति में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य अल्पकालिक ऋण वितरण का भी है। नाबार्ड से पुनर्वित्त की व्यवस्था न होने के बावजूद भी 35.82 लाख किसानों को 801.20 करोड़ रुपये का फसली ऋण का वितरण किया गया है। प्रारम्भिक समितियां जो बन्द पड़ी थी उन्हें पुनः चालू किया गया है। जब यह सरकार आयी थी तो 8384 समितियों में से आधी समितियां बन्द पड़ी थी। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद आज प्रदेश के अन्दर638 ऐसी समितियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके परिसमापन का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही किसानों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे बगल की समिति से जोड़ दिया गया है और यह प्राविधान किया गया है कि किसानों को ऋण मिल सके, उन्हें कोई असुविधा न हो। परिसमापन करने के बाद नई समिति खड़ा करने का काम किया जा रहा है। फसली ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गयी हे, जो ब्याज पहले 15 प्रतिशत था उसे 14 प्रतिशत कर दिया गया है। गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी सहकारिता क्षेत्र का पूर्ण सहयोग रहा है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 द्वारा सहकारी क्षेत्र/निगमित क्षेत्र/निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित 48 चीनी मिलों को अंकन 1050.70 करोड़ रुपये की ऋण सीमायें स्वीकृति कर अंकन 797.67 करोड़ रुपये का वित्तपोषण वर्ष 1997-98 में किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 12 जिला सहाकारी बैंकों द्वारा भी सहकारी क्षेत्र/निगमित क्षेत्र/निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित 20 चीनी मिलों को अंकन 489.33 करोड़ रुपये की ऋण सीमायें स्वीकृत कर 380.12 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वर्ष 1997-98 में उपलब्ध कराया गया। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश के अन्दर जो श्वेत क्रांति लाने का विचार है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। 1997-98 में कार्यशील पूंजी 34 करोड़ रुपये का वित्त पोषण कर इस क्षेत्र में सहकारी बैंक द्वारा भारी योगदान किया गया जिसके कारण प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। बुनकरों को आर्थिक रूप से लाभ पहुचाने के लिए उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 एवं जिला सहाकारी बैंको द्वारा प्रारम्भिक बुनकर समितियों एवं शीर्ष समितियों को 1997-98 में 68.56 करोड़ रुपये का वित्त पोषण उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश का धन प्रदेश में खर्च हो, यह काम सहकारिता के माध्यम से किया जा रहा है। आज जो दूसरे व्यावसायिक बैंक हैं इनका रेशियों 32 प्रतिशत है जो सहकारी बैंक हैं उनका रेशियों 80 प्रतिशत है लेकिन जो उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक है उसका रेशियों 104 प्रतिशत है। मान्यवर, जो सहकारिता में गबन और घोटाला हुआ, जो पैसा बैंको के माध्यम से समितियों को दिया गया उसके भुगतान न होने के कारण ऋण की देनदारी बढ़ी है, स्थिति कमजोर हुई है। हमने भारत सरकार से 1082.54 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया है। इसके साथ ही मिनी बैंक योजना क्रियान्वित किया है। दिसम्बर, 98 तक प्रदेश में कुल 1928 मिनी बैंक स्थापित किये जा चुके हैं, जिसमें 31-1-99 तक कुल रु0 58.06 करोड़ निक्षेप जमा किया गया है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का सी0डी0 रेशियों 104 प्रतिशत है। नावार्ड द्वारा लगाये गये वित्तीय मानक के बावजूद बैंक शुद्ध लाभ पर कार्यरत है। वर्ष 97-98 में यह 11.49 करोड़ था। बैंक का प्रबन्धकीय व्यय मात्र 16.93 करोड़ हैं प्रबन्धकीय व्यय का कार्यशील पूंजी से प्रतिशत मात्र 0.52 है जो अखिल भारतीय स्तर पर भी एक कीर्तिमान है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण वितरण करता है और आज हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सहकारी ग्राम्य विकास बैंक है उसका एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसने 3267.93 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया है जो कि ट्रैक्टर-ट्राली, पावर थ्रेसर, लघु सिंचाई, डनलपकार्ट, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि जो विभिन्न कुटीर उद्योग हैं।

विकास के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सहकारी बैंकों द्वारा जो धनराशि जमाकर्ताओं से प्राप्त होती है उसके 80 प्रतिशत का उपयोग किसानों, ग्रामीणों को ऋण प्रदान करने हेतु किया गया है। जबकि दूसरे बैंको द्वारा प्राप्त धनराशि का 32 प्रतिशत ही ऋण वितरण में किया गया। इसके लिए सहकारी भूमि विकास बैंक को सम्मानित किया गया और इसको बैंकों को सर्वोच्च पुरस्कार वेंकटरत्नम ट्राफी से सम्मानित किया गया सहकारी बैंको द्वारा 11.09 करोड़ रुपये का ऋण एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं सामान्य माध्यकाली योजना अन्तर्गत 97-98 में उपलब्ध कराया गया। दिसम्बर 98 तक प्रदेश में कुल 1928 मिनी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं जिसमें 58.06 करोड़ निक्षेप जमा किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहन मिला। उत्तर प्रदेश सहाकारी ग्राम विकास बैंक प्रारम्भ से लगातार लाभ पर है। 1997-98 में शुद्ध लाभ 14.93 करोड़ हुआ।

बैंक ने अपने ऋण का 75 प्रतिशत से अधिक ऋण अल्पकालिक योजनाओं के लिए वितरित किया। इसके अलावा प्रदेश में अप्रैल 98 तक 59 नगरीय बैंकों का गठन किया गया है। जिसमें 31-1-99तक 504.41 करोड़ का निक्षेप संचय किया जा चुका है। वर्ष 98-99 में 20 लाख मी0टन के सापेक्ष 28-2-99 तक 14.51 लाख मी0टन उर्वरक की वितरण किया गया जो गत वर्ष से अधिक है। इसी प्रकार के उच्च प्रजाति के बीजों का वितरण फरवरी 99 तक 4.49 लाख कु0प्रमापित बीजों को वितरित किया गया। इसके आलावा 99-2000 में 240 करोड़ के साफ्ट लोन का प्राविधान किया गया है। पोटेशिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रिजोजिशिनिंग की व्यवस्था की गई है। पी0सी0एफ0 द्वारा 98-99 के मार्च तक कुल 1815 करोड़ का व्यवसाय किए जाने की सम्भावना है। पी0सी0एफ0 द्वारा फरवरी 1999 तक 15 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया।

इस वर्ष पिछले वर्ष से तीन गुना ज्यादा गेहूं की खरीद की गई। यह पिछलें पांच वर्षों मे सर्वाधिक रही। पी0सी0एफ0 द्वारा 2500 क्रय केन्द्र गेहूं की खरीद के लिए खोले गये और लक्ष्य का 94 प्रतिशत खरीद की गई। फरवरी 99 तक 5.34 लाख मी0टन चीनी का वितरण 577 करोड़ रुपये का किया गया पी0सी0एफ0 ने 20 करोड़ का कोयला आयात कर ईट भट्टों को उपलब्ध कराया जो पांच वर्षों

में सर्वाधिक है। भण्डारण क्षमता 10.80 लाख मी0टन में से 8.50 मी0टन क्षमता का उपयोग किया गया वर्ष 1999 में संघ ने 5 शीतगृहों का संचालन किया जिससे 1.8 लाख कुं0 आलू का भण्डारण हो सकेगा। वर्ष 1997-98 में उपभोक्ता योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र में रु0 139.05 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 102.00 करोड़ तथा इस प्रकार कुल 241.05 करोड़ का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

इसके अलावा जनवरी 99 तक ग्रामीण क्षेत्र में 68.42 करोड़ तथा नगरीय क्षेत्र में 106.36 करोड़ का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया है। 1999-2000 हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में क्रमशः उपभोक्ता व्यवसाय 125.00 एवं 175.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं की सहकारिता में सक्रिय भागीदारी एवं उनके समाजिक एवं अर्थिक उत्थान हेतु महिला उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास किया गया है। उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ ने वर्ष 1997-98 में हुए 69.06 करोड़ के सापेक्ष जनवरी 99 तक 153.31 करोड़ का व्यवसाय किया है।

(3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत भी काफी प्रगति की गयी है। 1997-98 में 196.51 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया था और जनवरी, 99 तक इस वर्ष 191.27 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जा चुका है। आई0सी0डी0पी0 योजना को भीं विस्तारित किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण का अपना एक विशेष महत्व है भण्डारण के क्षेत्र में इसमे एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 1997-98 में भण्डारण की जो क्षमता 12.85 लाख मैट्रिक टन थी उसे बढ़ाकर 13.50 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया। 1997-98 में औसत क्षमता जो 82.30 परसेन्ट थी उसे बढ़ा कर 89.30 प्रतिशत कर दिया गया जो पिछले वर्ष से 8.5 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, लाभ अर्जित करने वाला यह निगम प्रदेश के गिने-चुने निगमों में से एक हैं।

राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भी 1177.75 लाख रुपये अंश पूजी के रूप में विनियोजित किया गया है जिसके विरुद्ध निगम में स्थापना वर्ष में अब तक 2527.24 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 1997-98 में 224.68 लाख रुपये और फरवरी, 99 तक 460.00 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति प्राप्त कर जून, 1997 में मेरठ में इनलैण्डकन्टेनर डिपों की स्थापना की है जिसके द्वारा अब तक एक अरब रुपये से अधिक की वस्तुयें निर्यात की जा चुकी हैं। निगम द्वारा रुद्रपुर में भी एक अन्य इनलैण्ड कन्टेनर डिपों की स्थापना की गयी है। मूल्य सर्मथन योजना के अन्तर्गत नामित इस निगम द्वारा 45,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का कार्य किया है और 1999-2000 में इस निगम ने 1.5 लाख मीट्रिक टन गेंहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने सर्टिफिकेट आफ मेरिट दिया है।

सहकारी क्षेत्र में सभी 87शीतगृहों में से 1998 मे मात्र 10 शीतगृह संचालित

रहे परन्तु वर्ष 1999 में 36 शीतगृहों को संचालित किया गया है और इन शीतगृहों में से 4 शीतगृहों के लिए एन0सी0डी0सी0 ओर आई0सी0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत 68.50 लाख रुपये की व्यवस्था की हैं। उत्तर प्रदेश विधायन एवं शीतगृह सहकारी संघ द्वारा वर्ष 1997-98 में कुल 20.24 करोड़ रुपये के कार्य के सापेक्ष्य फरवरी, 1999 तक ही 25.70करोड़ रुपये का कार्य पूरा किया जा चुका है। सहकारी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद वर्ष 1998-99 में यूनियन द्वारा 49032 सदस्यों को सहकारी कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहाकरी संघ द्वारा वर्ष 1997-98 में 112.51 लाख रुपये का निर्माण कार्य किया गया जिसके सापेक्ष्य जनवरी, 99 तक 121.36 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल लखनऊ में कर्मचारियों के चयन पदोन्नति, वरिष्ठता का निर्धारण और अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के मामलों का भी निस्तारण किया जाता है, विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती का चयन रिक्तियों का विज्ञापन कराकर किया जाता है। वर्ष 1998-99 में 9,20,000 रुपये की अनुमानित आय परीक्षा शुल्क के माध्यम से हुई है।

इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से प्रजातान्त्रिक ढंग से कराई गई है। जिसके अन्तर्गत अभी उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने सारे स्थानों पर अभी 6-7 मार्च को सहकारी समितियों के चुनाव कराये गये हैं जहां पर चुनाव होना शेष रह गया है वहां चुनाव कराने के लिये प्रक्रिया जारी है। सभी संस्थाओं में चुनाव समय से कराये जायेंगे इसके लिये सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान समय में संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये एक आडिट की भी व्यवस्था की गई है। इनका आडिट सही समय पर हो इसकी व्यवस्था की गई है। 1-4-98 को जो लम्बित प्रतिवेदन थे उनकी संख्या 2517 थी कुल 3062 विशिष्ट प्रतिवेदनों के सापेक्ष 710 प्रतिवेदनों का परिपालन किया जा चुका है। मान्यवर, इसी तरह से बताना चाहूंगा कि विशेष अनुसन्धान शाखा का अपना अलग योगदान है। अनियमितताओं की जांच करने के लिये इसका गठन किया गया है।

आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1972 से 31-12-98 तक 10644 प्रकरणों की जांच की गई। 6410 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया तथा 3424 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस संगठन के प्रयास से 3.24 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई। वर्ष 98-99 में 357 अभियोग दर्ज हुए तथा पूर्व लम्बित 267 अभियोगों को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष 407 प्रकरणों की विवेचना पूरी की गई जिसमें 100 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 63 अभियुक्तों ने आत्म समर्पण किया। इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विभागीय कार्यवाही भी की गई। 2 उप निबन्धकों, 1 जिला सहायक निबन्धक एवं 40 निरीक्षक सहकारी वर्ग 1/2 को निलम्बित किया गया। इसके अलावा 31-1-99 तक पैक्स के 473 सचिवों को निलम्बित किया गया है। 31-1-99 से 94 तक पैक्स सचिवों को पदच्युत किया गया है। शीर्ष समितियों द्वारा 96 कर्मचारियों/अधिकारियों को निलम्बित किया गया, 34 को पदच्युत तथा 61 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई एवं 2 को

पदावनित किया गया है । जिला सहकारी बैंको द्वारा । वरिष्ठ प्रबन्धक सचिव को पदच्युत तथा 5 को निलम्बित एवं । को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है । वर्तमान शासन का यह स्पष्ट मत है कि धान्धलियों में लिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसका अपना अलग महत्व है।

वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में कुल 34800.96 लाख रुपये की धनराशि सन्निहित है । 2901.66 लाख रुपये भारित श्रेणी में है तथा अवशेष 31899.30 लाख रुपये मतदेय श्रेणी में है । मतदेय श्रेणी में आयोजनागत पक्ष में 4933.13 लाख रुपये तथा आयोजनेत्तर में 26966.17 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है । आयोजनागत के अन्तर्गत राज्य एवं जिला सेक्टर में 237.11 लाख रुपये की योजना है नाबार्ड एवं एन0सी0डी0सी0 से प्राप्त होने वाली क्रमशः 2500 लाख रुपये एवं 828 लाख रुपये की है । इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजना के लिये 78.02 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है । इस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों को और ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता है, को सहायता प्रदान करने के लिये सहकारिता विचार कर रही है और उसके अनुसार इस बजट में प्रस्ताव किया गया है । आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से इस सहकारिता आन्दोलन में सभी की सहभागिता समान हो, इसके आधार पर इसे पास कराने का कष्ट करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अब कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं सोच रहा था कि दोनों बजट का प्रस्तुतीकरण एक साथ हुआ है यदि विचार भी एक साथ आ जाते तो थोड़ा समय बच जाता । लेकिन ठीक है, मंत्री जी पहले कटौती का प्रस्ताव आ जाय उसके बाद इस बजट के पास होने के उपरान्त दूसरे पर अपने विचार रखियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अलग-अलग रखवा दें। चन्द्रपाल सिंह जी कटौती रखें।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

10-15 मिनट में आप खत्म कर दीजिएगा। 25 मिनट मंत्री जी ने लिए हैं।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मंत्री जी ने आधा घंटा लिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं 25 मिनट थे, मैं घड़ी देख रहा था।
6 बजे तक मैं सोचता हूं इन चारों पर मतदान करा लिया जाए।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए सहकारिता के अलावा कोई भी सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन जब से यह मौजूदा सरकार आई है, मौजूदा सरकार के आते ही जो कार्य सहकारिता आन्दोलन के थे, जैसा मंत्री जी अपने भाषण के दौरान कह रहे थे यह सहकारी आन्दोलन है, जन आन्दोलन है, यह विभाग नहीं है लेकिन श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने इस सहकारी आन्दोलन को सरकारी आन्दोलन बनाकर और पूरी तरह से उसका उपभोग करने का काम किया है। जब से मौजूदा सरकार आई है इस सरकार के आते ही सहकारिता आन्दोलन से जुड़े लोग थे उनकी जो खून-पसीने और मेहनत की कमाई थी, उसका सही इस्तेमाल न होने से उसकी आस्था कम हो रही है। यह आंकड़े बढ़ाकर सदन को गुमराह करने का काम करते हैं आज जो प्रदेश की सरकार ने किया है 1994 में सहकारिता के चुनाव हुए थे और पांच साल के लिए हमारे जनप्रतिनिध चुनकर आए लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से अधिनियम, नियम में संशोधन करके एक नहीं, दो नहीं, तीन बार संशोधन करके चुने लोगों को हटाने का काम किया है।

जनतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करने का काम किया है। लोगों की आस्था में दिन-प्रतिदिन कमी हो रही है। जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा सहकारिता में लगा हुआ है उनका मालिक उन्हीं लोगों को होना चाहिए लेकिन सरकार द्वारा मालिक कौन बनाया जा रहा है प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको जिला बैंक का प्रशासक बना दिया है। ढूंढ-ढूंढकर जो कोई भ्रष्ट है उसको प्रशासक बना दिया है। एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन कैबिनेट मंत्रियों को जिला सहकारी बैंकों का प्रशासक नियुक्त करने का काम किया है। जो जिला सहकारी बैंक का ऊपर का अधिकारी होता है वह जिला निबंधक होता है, कैबिनेट मंत्री उसके सामने गिड़गिड़ाने का काम करेगा। इन्होंने सारी संवैधानिक मर्यादा चकनाचूर करने का काम किया है। एपेक्स संस्थान में जो भ्रष्ट लोग थे जिसे भ्रष्ट रत्न की उपाधि मिली थी उनको प्रशासक नियुक्त करने का काम किया है। आपको पता होना चाहिए जैसा कि पी0सी0एफ0

के जो जिला सहायक बैंक, फतेहपुर में चेयरमैन थे, करोड़ों रुपयों का गबन उन्होंने किया था और एफ0आई0आर0 भी उनके खिलाफ, उसमें मुल्जिम है, लेकिन उनको पी0सी0एफ0 का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उपभोक्ता सहकारी बैंक के जो सहायक निबन्धक थे, भ्रष्टाचार के कारण जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था, ऐसे व्यक्ति को उपभोक्ता सहकारी बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जो ग्रामीण विकास बैंक हैं उसमें ।* * *।

श्री अध्यक्ष-

यह आक्षेप वाला भाग निकाल दिया जायेगा।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मान्यवर, एक तरफ तो चुनाव की घोषणा की जा रही है। चुनाव जारी हैं वहीं दूसरी तरफ प्रशासक लगातार नियुक्त हो रहे हैं। तीन-तीन बार चुनाव स्थगित किये गये। आज जो चुनाव हो रहे हैं वह हाईकोर्ट के आदेशों के अन्तर्गत हो रहे हैं। मान्यवर, पिछली बार चुनाव की घोषणा हुई थी और चुनाव प्रारम्भ हुआ तो पूरे प्रदेश में सचिवों की हड़ताल करा दी और जो माननीय मंत्री जी के विश्वासपात्र लोग हैं, जो सचिवों और एकाउन्टेन्ट के पद पर काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश में हड़ताल कराने का काम किया। मान्यवर, खीरी, लखीमपुर की प्राइमरी सोसाइटी के एकाउन्टेन्ट को उत्तर प्रदेश के एपेक्स पी0सी0एफ0 का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। तो यह काम हो रहा है। आप यदि आज सहकारिता आन्दोलन को जन-आंदोलन के रूप में देखना चाहते हैं तो गरीब मजदूर और किसानों को ऊंचा उठाने का काम करें तभी यह संभव हो पायेगा। मान्यवर, आज जो भी काम हो रहा है वह किसानों और मजदूरों के लिए नहीं हो रहा है। जो भी योजनाएं बनायी जा रही हैं उसमें किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। उनको जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वह नहीं दी जा रही है...

(मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी)

श्री अध्यक्ष-

कृपया मोबाइल फोन जिनका है वह बंद करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप रोज-रोज व्यवस्था देते हैं और आपने आदेश भी दे रखे हैं लेकिन फिर भी प्रतिदिन यह घटना हो रही है। यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अगर यह नहीं रोका गया तो राज्य सभा में जिस तरह का प्राविधान है जब्त कराने का मैं जब्त करा लूंगा।

नोट :- ।* * *। यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

श्रीमन् जो दिग्दर्शिका प्रस्तुत की गयी है उसमें लक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। उसमें सहकारी ऋण एवं अधिपोषण योजना दर्शायी है। इसमें लक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न तो सदस्य में वृद्धि का लक्ष्य है और न ही अंशदान का लक्ष्य है। उसके बाद ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जब सरकार ऋण का और अधिपोषण का लक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेगी तो किस तरह से ऋण बंटेगी। मान्यवर, जो सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की योजना है उसमें भी प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, यदि आम आदमी को सहकारी शिक्षा से जोड़ दिया जाये और उसको सही जानकारी प्राप्त हो जाय तो इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इससे आन्दोलन तेज होगा और मजबूत होगा। मान्यवर, मैं कृषि निवेश की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो भी उर्वरक सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है, 27 प्रतिशत उर्वरक सहकारिता विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन हम आप से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी-बड़ी जो संस्थायें हैं जो डी0ए0पी0, यूरिया बनाने का काम करती हैं सहकारिता विभाग को उर्वरक पहुंचाने का काम करती है वे प्राइवेट सेक्टर में उर्वरक देने का काम नहीं करती हैं। आज जो स्थिति है उसमें प्राइवेट लोगों के माध्यम से लेकर के सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उर्वरक वितरित किया जा रहा है।

मान्यवर, अगर किसान को इफ्को या कृभकों का उर्वरक मिल जाता है तो वह बाजार में दूसरा उर्वरक खरीदने नहीं जाता है। आपने सचिवों की हड़ताल करवा दी सारी सोसाइटी बन्द हो गई। पी0सी0एफ0 जो उर्वरक की ढुलाई का काम करता था, उसमें हड़ताल का मकसद चीनी की ढुलाई का काम भी एक रणनीति के तहत वापस लेना था। आज पी0सी0एफ0 को 7 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। आज विभाग को जो ढुलाई का कार्य मिला है जो रेट स्वीकृत किये गये हैं, और भारत सरकार के रेट हैं, उनमें 10 से 15 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। आपने करोड़ो रुपये का भुगतान अपने चहेतों को कराने का काम किया है और सरकार में बैठे हुए लोग भी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, पी0सी0एफ0 के गोदाम आज खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं रह गया है। आज प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इन सोसाइटी में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है लेखाकारों के माध्यम से कार्य चल रहा है। जिससे किसानों को सही तरीके से ऋण नहीं मिल पाता है। आज जो निष्क्रिय पड़ी सोसाइटियां हैं उनको सुसंगठित करने के लिए व्यापक सहकारिता नीति बनानी पड़ेगी। जब तक हमारी प्राइमरी सोसाइटियां मजबूत नहीं होगीं, तब तक सहकारी आन्दोलन मजबूत नहीं हो सकता, इसलिये श्रीमन् आज जो उत्पादन होता है, उसमें उर्वरक हो, कीटनाशक दवायें हो, अच्छे बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे सही रेट पर खरीद नहीं सकते, किसान को उसका सही दाम नहीं दिला सकते, तब भी हमारा सहकारी आन्दोलन अधूरा रह जायेगा। जो यह क्रय-विक्रय गतिविधियां हैं, या हमारे पी0सी0एफ0 के माध्यम से उत्पाद सहकारी संघ के माध्यम से किसानों का जो उत्पाद है, उसको खरीदने के लिए क्रय केन्द्र खोला जाय।

सरकार को चाहे कितना घाटा उठाना पड़े, किसानों को लाभप्रद मूल्य देना ही चाहिये। आज अन्य प्रदेशों गुजरात, महाराष्ट्र में किसान इसीलिये मजबूत हैं कि चाहे सहकारी समिति को कितना भी नुकसान हो जाय, चाहे सरकार को कितना नुकसान हो जाय, लेकिन किसान को लाभप्रद मूल्य ही दिलाया जाता है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में इस सरकार में किसान को लाभ दिलाने वाला कोई नहीं है, यहां तो राजनैतिक विद्वेष की भावना से काम करने वाले लोग हैं, इसी कारण सहकारी आन्दोलन दिन-प्रतिदिन ध्वस्त होता जा रहा है। आज जो इस दिग्दर्शिका में प्राविधान किये गये हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 98-99 में 20 लाख टन यूरिया देने का लक्ष्य था, जबकि उसके विपरीत मात्र ।। लाख 785 लाख टन ही उपलब्ध करा पाये।

श्रीमन् आगे के वर्ष में मात्र 8 लाख 25 हजार टन का ही प्रस्तावित है, ऐसा इसलिये किया गया है कि प्राइवेट दुकानों में, फैक्ट्री मालिकों के माध्यम से उर्वरक खरीदकर यह बिकवाना चाहते हैं। यह किसानों को सही उर्वरक, सही बीज, सही कीटनाशक दवायें उपलब्ध नहीं कराना चाहते। जितनी भी यूरिया, डी0ए0पी0 आदि दी जा रही है, उसमें कम से कम 50 प्रतिशत सहकारी समितियों के द्वारा क्रय केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिये, तभी सहकारी आन्दोलन में वृद्धि होगी और किसानों का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। इससे किसान की माली हालत अच्छी हो जायेगी। आज जो प्राइवेट फैक्टरियों के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उससे इस सरकार के आने के बाद सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी केवल भाई-भतीजावाद में फंसे हुए हैं, सभी संस्थाओं में गलत-गलत काम किये जा रहें हैं। एक तरफ चुनाव हो रहा है और गोण्डा में ए0आर0 को पीटा जा रहा है, सारे कानूनों को तोड़कर, सारी परम्पराओं को तोड़कर 2-2 संचालक नामित कर दिये गये, कहीं-कहीं तीन भी कर दिये गये। श्रीमन् जो प्रशासक बनाये गये हैं, उनके द्वारा एक-एक डायरेक्टर हर सोसाइटी में नियुक्त कर दिया गया है। इस तरह का जंगलराज बना रखा है, इसकी वजह से सहकारिता से लोगों की आस्था उठ रही है लेकिन सहकारी आन्दोलन से लोगों की आस्था कम हुई है। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से वहां जंगलराज बना रखा है उससे सहकारी आन्दोलन को बहुत नुकसान हुआ है और इसके लिए आने वाली पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। मान्यवर, मैं कुछ भ्रष्टाचार के नमून आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बरेली मण्डल के आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं। गेहूं खरीद के सम्बन्ध में चार जिलों की सोसाइटियां हैं, जिनमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर हैं, उनमें चार करोड़ रुपये समितियों के द्वारा निकाल लिये गये। यह रुपये गेहूं खरीद के नाम पर निकाले गये, लेकिन इस घोटाले की अभी तक कोई जांच नहीं की गयी है और नहीं उस पर कोई कार्यवाही की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि पी0सी0एफ0 मेरठ के प्रबन्धक को निलम्बित किया गया और उसे तत्काल बहाल कर दिया गया यही नही उसको वहीं पर फिर तैनात किया गया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रायबरेली के प्रबन्धक श्री सुभाष को सुविधा शुल्क लेकर बहाल कर दिया गया, उनके विरुद्ध गबन का मामला था। यही नहीं उनकी प्रोन्नति भी कर दी गयी।

मान्यवर, सहकारिता विभाग में वरिष्ठ लोगों को जबरन प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है और अपने लोगों को प्रोन्नति देने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत बड़े आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कि हमने शीतगृह चलाने का काम किया है 87 शीतगृह सहकारी संस्थाओं के पास हैं लेकिन कोई भी चलने की स्थिति में नही हैं। आलू किसान शीतगृह न चलने के कारण बुरी तरह से परेशान हैं। माननीय मंत्री जी की इस संबंध में कोई योजना नहीं है। अगर सहकारिता विभाग उन बन्द पड़े हुए शीतगृहों को नहीं चला सकता है तो हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि उनको लीज पर दे दिया जाय या उनकी बिक्री कर दी जाय। सहकारिता के माध्यम से हमारा उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है बल्कि किसानों को लाभ पहुंचाने का है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सहकारिता के सिद्धान्त से भटक रहे हैं, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी बात पांच-पांच मिनट में समाप्त कर दें, ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अक्सर मिल सके।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अक्सर दिया। मान्यवर, मैं बहुत देर से मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट और उसकी अच्छाइयां, सोंच, उपलब्धता और सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में सुन रहा था। मैं सोंच रहा था कि जब कटौती का प्रस्ताव आयेगा तो कुछ ठोस सुझाव आयेंगे लेकिन माननीय सदस्य ने सहकारिता के सम्बन्ध में सारा समय आलोचनाओं पर और कुछ ऐसे बिन्दुओं पर बिता दिया और जहां से उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरूआत की थी वही पर वह पहुंच गये। मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता एक आन्दोलन है, सहकारिता गांव, गरीब-किसान, गरीब-मजदूर और दबे-पिछड़े लोगों से सम्बन्धित एक योजना हैं। यहां से गांव के विकास के लिए नीति बनायी जाती है आपस में मिल जुल कर कैसे काम किया जाय जिससे किसानों का भला हो और किसानों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जा सके। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर बजट रखा है उसमें 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है किसान की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रखा गया है और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्य ने जिस तरह के आरोप लगाये हैं पहले वह अपने गिरेबान में झांके उनके कार्यकाल में किस तरह के घोटाले सोसाइटी में हुए। तीन चार साल पहले बिहार में चारे घोटाले में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ और उ0प्र0 में सोसाइटियों में अपने भाई-भतीजों की भर्ती हुई। यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है गांव में रहने वाले गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसान की तरक्की के लिए इसमें पूरा प्राविधान किया गया है।

जहां तक उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक की बात है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन की व्यवस्था की गयी है और कुछ नये बैंक खोलने की व्यवस्था है। किसानों की उन्नति के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं तथा अन्य रासायनिक वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं। को-आपरेटिव सोसाइटीज के प्रति गांवों में रहने वालों की विश्वसनीयता इसी बात से लगायी जा सकती है कि आज किसान प्राइवेट दुकानों से खाद और बीज लेना पसन्द नहीं करता। कीटनाशक दवा लेना पसन्द नहीं करता पिछले दिनों बाढ़ के कारण सहकारी सोसाइटी में खाद और बीज की उपलब्धता में कमी आ गयी थी जिससे किसानों में हाय-तौबा मच गयी। खुले बाजार में इन चीजों की उपलब्धता काफी मात्रा में थी लेकिन सोसाइटियों में कमी थी। किसानों की विश्वसनीयता बाजार से खाद में नहीं थी इसलिए हाय-तौबा मची। सरकार ने एक नीति बनायी है अच्छे कार्यक्रम दिये हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन आपने सुझाव नहीं दिये केवल आलोचना ही की क्योंकि आपने जो इससे पहले कार्यक्रम चलाये थे उसमें आपकी सहभागीदारी रही है उनमे कितनी गड़बड़ियां हुई जिसको आप भली-भांति जानते हैं।

जहां तक सोसाइटियों की व्यवस्था की बात है मैं दो-एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कुछ सोसाइटीज कार्यरत हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनमें घोटाले पकड़ में आयें हैं यह सब घोटाले 4-5 साल पहले के हैं। इनमें कई लाख रुपयो का गबन हुआ है। एक रोही पिलखुवां सोसाइटी है। दो वर्ष पहले उसके सचिव के माध्यम से 50 लाख रुपये का घोटाला हो गया और उसे किसानों पर ऋण के रूप में दिखा दिया गया उसकी जांच भी हुई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारी सरकार ने इन सोसाइटियों के माध्यम से अब सही रूप में किसानों की मदद करने की नीति बनायी है जो वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट हैं उनको निश्चित रूप से दंड़ित किया जाय मैं मंत्री जी का ध्यान एक को-आपरेटिव सोसाइटी जो आवासी कार्य में लगी है देहरादून की आवास समिति है उसमें बड़े-बड़े अधिकारी सदस्य हैं यह बसन्त बिहार नाम से कालोनी बनायी है जिसमें 75 परसेंट आई0ए0एस0 अधिकारी सदस्य हैं उसमें जो जमीन ली गयी है वह बाजार भाव से बहुत कम दामों में आवंटित की गयी है इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है इसकी जांच हो जाय और जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कितने का घोटाला हुआ है।

(इस समय 4 बजे अधिष्ठाता डा0 अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह बजट जनहित में और किसानों के हित में है, इसलिए इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावक को जिन्होंने आरोप-प्रत्यारोप लगाये हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे सुझाव देने चाहिए थे जो लोकहित में और किसानों के हित में होते तो अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे भारत का लोकतंत्र वर्तमान दौर के चलते भ्रष्टाचार को सह नहीं पा रहा है और लोकतंत्र लडखड़ा गया है। ऐसे समय में सहकारिता की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए सहकारिता को एक आन्दोलन के रूप में लिया गया है। आपकी सरकार में इस सहकारिता को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कार्य यह किया गया है कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर प्रतिनिधि पांच वर्ष के लिए आये थे उनका कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है मैं नहीं कह सकता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके पीछे आपका उद्देश्य यह भी था कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर आपने अपने सम्बन्धियों और रिश्तेदारों को बैठना चाहते हैं। इस प्रकार आपकी कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट हो गया है कि जैसा श्री चन्द्रपाल जी ने कहा था कि ग्राम्य विकास बैंक के चेयरमैन जो नामित किये गये हैं वह आपके सगे भाई हैं। इसके अतिरिक्त को-आपरेटिव बैंक के जो प्रशासक नियुक्त हुये हैं, श्री दिग्विजय सिंह, वह भी आपके ससुराल की तरफ से निकट सम्बन्धी हैं। को-आपरेटिव बैंक के जो निदेश हैं वह भी आपके जाति के हैं। इस तरह यदि आपका ध्यान जातिवाद की तरफ नहीं था तो ग्राम्य विकास बैंक को-आपरेटिव बैंक के मंत्री आप हैं ही लेकिन इसके साथ ही अपने भाई को उसका प्रशासक नियुक्त किया और प्रबन्ध निदेशक भी आपकी जाति के सम्बन्ध रखते हैं। मान्यवर, इस प्रकार वे सफेड के प्रबन्ध निदेशक आपकी जाति के हैं जो प्रशासक नियुक्त हुये हैं, वह आपकी जाति के हैं और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के एम0डी0 भी है, ससुराल के हैं। इस प्रकार मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि मंत्री जी का उद्देश्य था कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर अपने लोगों को बैठा दें। इस तरह सहकारिता आन्दोलन को आप चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जब काश्तकार को बुवाई के समय डी0ए0पी0 खाद तथा अन्य खादों की जो जरूरत थी उस समय वह उपलब्ध नहीं थी और इसलिए पड़ोसी राज्यों से खाद को चार गुने दामों पर खरीद कर किसान यहां लाये।

आपकी सरकार में जितनी भारी मात्रा में नकली खाद बिकी है वह अपने आप में एक रिकार्ड है। और यह रिकार्ड ऐसा है कि आगे कोई भी सरकार इस रिकार्ड को तोड़ नहीं पायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर श्री सौलत अली जी ने तो माननीय मंत्री जी के ससुराल व ननिहाल किसी पक्ष को नहीं छोड़ा। इन पर रोक लगाइये।

(हंसी)

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

अगर माननीय मंत्री जी को कोई नाराज हो तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। मान्यवर इस देश का आर्थिक ढ़ाचा लड़खड़ा गया है, पूंजीवाद और साम्यवाद पर आधारित आर्थिक ढांचा अपने आप देश को गिरवी रखता जा रहा है। आज आवश्यक है सहकारिता पर आर्थिक ढांचा तैयार करने की मान्यवर यदि सहकारिता विभाग जागरूक हो जाये तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य उज्जवल होने में बहुत सहयोग मिलेगा। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के भ्रष्टाचार को रोकें मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजधारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय अपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी ने जो सहकारिता विभाग का बजट रखा है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत की इमारत को तीन स्तम्भो पर खड़ा करने की बात की थी और वह तीन स्तम्भ थे ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारिता और ग्राम विद्यालय, जिनकी परिकल्पना पण्डित जी ने की थी और इन्हीं तीन स्तम्भो के माध्यम से पंडित जी ने राजनीतिक सामाजिक और शैक्षणिक एवं सांमाजिक विकास की परिकल्पना की थी। 1954 में एक ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ उसकी पहली अनुशंसा थी कि सहकारिता को जन आन्दोलन के रूप में लिया जाये, सहकारिता में कोई निरंकुशता न हो इसके लिए थोड़ी सहकारी अंकुश और तीसरा सुझाव था सहकारिता को दलगत और जातिगत आधार का हिस्सा न बनाया जाय। हम जब उसे कमेटी के आधार पर समीक्षा करते हैं तो हमारी आज की स्थिति को देखते हुए हम अपने आप को कहीं और खड़ा हुआ नहीं पातें हैं।

आज सरकार का सहकारिता पर नियंत्रण ही नियंत्रण दिखाई देता है और सरकार की जो सहकारिता के सम्बन्ध में जो अपेक्षाये थी वह घटी हैं। हमारे चन्द्रपाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें कहा गया है कि इस विभाग में ऐसे लोगों को प्रशासक बनाया गया है जो कभी संस्था या समिति के सदस्य नहीं रहें है। यह बड़े दुख की बात है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कमेटी की जो संस्तुतियां थी, जो तीन बिन्दु हैं उन पर दृढ़ता दिखाये और जनान्दोलन पर जोर दे। हमारे पड़ोसी देश जापान को ले लीजिए, नार्वे ले लीजिए, हमारे देश में ही महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ने एवं तमाम प्रदेशों ने सहकारिता पर उसके विकास पर जोर दिया है। मैं चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता पर जोर दिया जाये।

मान्यवर, बैंकों में घाटा नहीं होता बल्कि बैंको में गबन होता है। मैं जिस जनपद से आया हूं वहां पर तमाम घोटाले प्रकाश में आए हैं। मान्यवर, पी0सी0एफ0 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पी0सी0एफ0 के जो शीतगृह है उनमें से 70 प्रतिशत की चलने की स्थिति नहीं है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कपूतों को पैसा न दो कर्ज न दो। इसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। एक और बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जहां पर हमारी साधन सहकारी समितियां हैं, अधिकांश के अपने भवन नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी विभाग की तरफ से आदेश जारी कराकर इन साधन सहकारी समितियों के भवनों की व्यवस्था करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सहकारिता विभाग आम जनता से जुडा हुआ विभाग है और इस विभाग की जो परिकल्पना थी, उसके माध्यम से हम आम जनता को जोड़कर उसके कार्य कर सकें। विशेष रूप से जो छोटे, मध्यम आकार के खेत रखने वाले किसान हैं उनको विशेष सुविधा हम इसके माध्यम से दे सकें। उनको खाद, बीज आदि की समुचित व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। मान्यवर, ऐसी स्थितियां बनी कि सहकारी आन्दोलन, सहकारी आन्दोलन न रहकर पूरी तरह से सरकारी नियन्त्रण में चलने लगा। मान्यवर, आज परिस्थितियां ऐसी हैं, हमने यह अपेक्षा की थी कि सहकारी आन्दोलन को जनता के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से चलाकर और पूरी तरह से सहकारिता के माध्यम से चलाया जाये जैसा कि महाराष्ट्र, केरल आदि में हैं, उस तरह की नीतियां उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया जाये तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य था, वह पूरा होगा।

लेकिन इसे एक सरकारी विभाग बना दिया गया और इस सरकारी विभाग के माध्यम से अनेक ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे निश्चित रूप से सहकारिता आन्दोलन पर जायेंगे। मान्यवर, ये जो सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, तहसील स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंक, कोआपरेटिव बैंक आदि हैं, ये संस्थायें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो जनता से सीधे जुड़ कर खुशहाली का काम करती हैं। निश्चित रूप से घाटे की दृष्टि से हम देखें तो सहकारी समितियों व कृषि सहकारी समितियों तथा बैंक के रिकार्ड में बहुत बड़ा अन्तर हैं। अन्त में मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सहकारिता को अधिक मजबूत करना चाहते है तो इस अन्तर को दूर करें और जिम्मेदारी निर्धारित करें। मान्यवर, इसी तरह से जिला कोआपरेटिव बैंक हैं इनको आप जिलास्तर पर मजबूत करिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारी बैंकों का सी0डी0 रेशियों बहुत अच्छा है उनको मजबूत करने की दिशा में काम करें और इनमें जिन लोगों की बजह से घाटा हुआ है उनको जिम्मेदार ठहरायें। यह घाटा किसान की बजह से या जनता की बजह से तो हुआ नहीं हैं। जिसकी बजह से कोआपरेटिव में यह घाटा हुआ है उससे रिकवरी करने का काम करिये। आज प्रदेश में तमाम प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियां हैं जो डेड हो चुकी हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया था आज संविधान सशोंधन के माध्यम से पंचायतें बनी हैं उनका पुनर्गठन हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इनको बचाने का काम करिये और जो डेड सहकारी समितियां हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम करियें। मान्यवर, जो प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियां हैं उनका आप इतिहास उठाकर देख लें आज तक नामिनेशन नहीं हुआ हैं लेकिन मंत्री जी ने पहली बार प्रारम्भिक सहकारी समितियों में नामिनेशन करके सहकारी आंदोलन को मारने का काम किया है।

आपका जो सहकारी विभाग है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी के और आपके विचारों में भिन्नता हैं। दोनों में कोई तालमेल नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र जारी किया है उसको देखें और कमी को दूर करें। यह जो प्रारम्भिक सहकारी समितियों में नामिनेशन किया गया है वह जो इस सम्बन्ध में एक्ट है उसके विपरीत है। उसमें 7-9 सदस्यों का प्राविधान है और नामिनेशन के जरिये 10 वे और 8 वें सदस्य का नामिनेशन किया जा रहा है। इससे भी सहकारी आंदोलन पूरी तरह से बरबाद करने का काम किया है। मेरा निवेदन है कि इन सहकारी समितियों को सहकारी रहने दीजिये आप इनके अपनी जेब की चीज न बनाइयें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सहकारिता मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह सहकारिता विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा विभाग हैं। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम का प्रारूप बनाया गया और 1912 में इसमें संशोधन किया गया है और 1965 में पूर्ण प्रारूप लगाया गया। इसके माध्यम से खाद्य बीज और कीटनाशक दवाओं तथा ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष किसान को उचित समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दवायें उपलब्ध हो गयी जिससे रबी का रिकार्ड उत्पादन होने वाला है।

(4 बजकर 20 मिनट)

मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि जनपद गोरखपुर से महराजगंज का विभाजन 1986 में हुआ और आज तक जिला कोआपरेटिव बैंक गोरखपुर से महराजगंज का जिला कोआपरेटिव बैंक अलग नहीं हो पाया। मैं बताना चाहूंगा कि आबादी के अनुपात में जनपद महाराजगंज के मेम्बरों की संख्या गोरखपुर की तुलना में ज्यादा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई बार जन प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की परन्तु पता नहीं किन परिस्थितियों के कारण जिला कोआपरेटिव बैंक गोरखपुर से महराजगंज अलग नहीं हो पाया। मान्यवर, हमारा एक सहकारी संघ लिमिटेड रामपुर है जो कुशीनगर में पड़ता हैं, विगत 14 साल से उस स्थान के डी0सी0ओं0 श्री अन्सारी हैं। 14 साल से वहां ताला बन्द हैं। जिसके अन्दर गेहूं के बोरे व कागजात भरे हुये हैं जिसका कोई पुरसाहाल नहीं हैं। मैंने विभागीय अधिकारियों से भी निवेदन किया है डी0सी0ओं0के ऊपर दो स्थानों पर गबन का आरोप है उसको को वहां से हटाने के लिए अविलम्ब प्रभावी कदम उठाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह सैनी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यवत करता हूं कि आपने मुझे सहकारिता जैसे महत्वूपर्ण बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं श्री चन्द्रपाल जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, सहकारिता एक ऐसा दर्शन हैं, एक विचार है जिसकी सबसे पहले यूरोप में शुरूआत हुई। भारत वर्ष में किसान और जो गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं वह कर्जों में जकड़े हुये थे और इस तरह से उनकों बहुत ऊंची सूद दर पर कर्ज मिलता था और जो सूदखोर थे वह ऊंची दर पर शूद लेते थे जिसमें उनके मकान, जमीन वा अन्य सम्पत्ति बिक जाती थी। 1904 में सहकारी एक्ट बना। उसमें प्राथमिक कोआपरेटिव सोसाइटी गठित हुई और उसमें नगर और ग्रामीण अंचल की सोसाइटी थी जो इसी एक्ट से गवर्न होती थी। उसके बाद 1912 का एक्ट आया वर्तमान में हमारा सारा का सारा सहकारिता का ढांचा स्थापित किया गया है वह 1965 के एक्ट के अन्तर्गत किया गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो सदस्य नामित किये गये हैं उन पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा। हम लोग आपत्ति नहीं करना चाहते लेकिन हम स्वयं भी कोआपरेटिव में रहें हैं। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव के एम0डी0 के नाते और कोआपरेटिव केन यूनियन के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अपने श्याम सुन्दर शर्मा जी को नामित किया है।

लेकिन उनके पद की गरिमा के अनुरूप वह पद नहीं हैं चूंकि इन्हें सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इसलिए इनकी कोई आवश्यकता हो सकती हैं और वह इससे सोसाइटी के लिए उसकों आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे-ऐसे लोगों को नामित कर दिया। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, हरिद्वार में जो अध्यक्ष नामित किया वह अभी गांव का चुनाव नहीं जीत सका, कभी कोआपरेटिव में नहीं रहा, मात्र आपके दल का और आर0 एस0एस0 का सदस्य रहा तो ऐसे लोगों को नमित किया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोंगों को अनुभव नहीं है उनको आपने नामित कर दिया।

यूनिवर्सिटी में शिक्षाविद को न बैठाकर आप अनपढ़ को बिठा दे तो वह क्या योगदान उसके विकास में देगा। जो सहकारी समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हैं उन पर माफिया ग्रुप कब्जा कर लेते हैं इसलिए उनका चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए। जब प्राथमिक समितियों का चुनाव कराते हैं तो वहां पर 3 बक्से होने चाहिए एक प्राथमिक सोसाइटी का जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए दूसरा कोआपरेटिव बैंक का और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में 15 डायरेक्टर होते हैं।

डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक में जो चुनाव लड़ते हैं वह किसी का अपहरण कर लेते हैं, इस तरह के लोग डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक में आ रहें हैं और इस संस्थाओं के अध्यक्ष हो रहें हैं। जब हम लोग कार्य क्षेत्र में रहा करते थे तो कोआपरेटिव एक मूवमेंट था, एक दर्शन था यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। आप इस तरह के लोगों का अधिपत्य समाप्त करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सुधार हो सकेगा। कोआपरेटिव मूवमेंट एक मित्र के रूप में कार्य करें तो ऐसे लोगों का आना इसमें आवश्यक है। ट्रांसफर एन्ट्री की बीमारी है जो बेचारे किसान सूद पर लेते हैं।

पूरे का पूरा स्टाफ है वह स्टाफ साल भर कुछ नहीं करता है जब मार्च का महीना आता है तब दबाव डालकर हाई रेट पर पैसा जमा करता है केवल ट्रांसफर एन्ट्री दिखाकर कह देता है कि उसने पैसा जमा कर दिया आप प्रभावी कदम उठाएं किसी तरह से ट्रांसफर एन्ट्री को रोकें यह काम कर दें तो मैं समझता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में आपकी भारी उपलब्धि होगी। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं जैसे हमारे यहां वसूली की जाती है उससे किसान का उत्पीड़न होता है फरवरी मार्च में स्टाफ द्वारा वसूली की जाती है इससे बहुत सी प्रारम्भिक सोसायटी डिफाल्ट रह जाती है फिर प्रतिनिधित्व के रूप में डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक में जिला स्तर पर कोआपरेटिव सोसायटी में उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा जाता है। फाल्ट उन लोगो की है जो कार्यरत हैं लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप टार्गेट फिक्स कर दें। अप्रैल जून में मानीटरिंग होनी चाहिए कि कितने प्रतिशत वसूली करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम सिंह सैनी-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं आज कोआपरेटिव के माध्यम से कालेज और अस्तपताल भी खोले जाने चाहिए मेरे क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से दो इण्टर कालेज लोगों ने खुलवाए हैं। इसी प्रकार से अस्पताल का प्रविधान भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में किस तरह से इस आदोलन को गति दी गई है। एक टीम वहां भेजी जाए वह देखे कि किस तरह से वहां कोआपरेटिव आंदोलन ने प्रगति की है। आपने इस तरह का प्राविधान इस बजट में नहीं किया है। इसलिए मैं चन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री रामवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है एक दम सही आंकड़े पेश नहीं किए हैं जो आंकड़ें दिए गये हैं वह गलत तरीके से दिए गए हैं। सहकारिता विभाग में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कोआपरेटिव सोसायटी में प्रशासन नियुक्त किए गए हैं। इस वर्ष खाद के मामले में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि किसानों को खाद्य समय से नहीं मिली। जिससे किसन खेती की बुआई सही तरह से नहीं कर पाये।

जो खाद्य आयी उसमें तमाम भ्रष्टाचार हुआ, ब्लेकमेल हुआ। इस तरह से उसका वितरण किया गया। आज सहकारी चुनाव हो रहे थे ऐसे अवसर पर बैंकों में जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उनका कोई आधार नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चन्द्रपाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

* श्री भारत सिंह रावत-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बहुआयामी भाषण में विभिन्न पक्षों को रखा जिनका मैं स्वागत करता हूं किन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो यह विभाग है वह मृत शैय्या पर पड़ा हुआ व्यक्ति है। जनान्दोलन के रूप में यह उभरा था और यह माना गया था कि समाजवादी समाज की संरचना सहकारी आन्दोलन से ही हो सकती है और व्यापक रूप से गरीबों, पिछड़ों, किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों का हित इसी से किया गया लेकिन आज स्थिति बहुत खराब हो गयी है। जो कल्पना की गयी थी कि आजादी के बाद आर्थिक आजादी सहकारी आन्दोलन द्वारा ही मिल सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी एक संजीवनी बूटी देने के लिए आपको एक डाक्टर की भूमिका निभानी होगी और साथ ही हमारे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जो सुझाव दिये हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं, सहकारिता की भावनाओं को मानते हुए।

मान्यवर यह सही है कि इससे पहले जो सहकारी संस्थायें थी वह जनता की सेवा में भी और उन्हीं से जनता की सेवा होती थी परन्तु 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी तो उसमें यह घोषणा की कि 10 हजार रुपये किसानों के कर्ज माफ होगें। माफ हुए, किसके हुए जो गरीबों का पैसा को-आपरेटिव बैंक में जमा था वह माफ कर दिया गया और सरकार ने जो घोषणा की थी उसके हिसाब से वह रुपया उन बैंकों को दिया जाना था परन्तु वह काम तत्कालीन सरकार ने नहीं किया जिससे सहकारी बैंकों की कमर टूट गयी। किसान जो देना चाहते थे वह नहीं दे पाये और उन्होंने और कर्जा निकाल लिया कि 10 हजार रुपये माफ हो जायेगें परन्तु वह माफ नहीं हुआ और बैंको का रुपया बैंकों को नहीं दिया गया जिससे वे नष्ट हो गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ ही साथ जनता दल की सरकार में उसकी वसूली भी नहीं की गयी और बाद की सरकारों ने भी उसकी वसूली नहीं की और जो 10 हजार रुपये का कर्जा था उस पर ब्याज लगते-लगते वह तीन-चार गुना हो गया जिस कारण आज अरबों रुपया सहकारी समितियों का है जो डिफाल्टर हो गयीं है और निष्क्रिय हो गयी हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी यह आपका एक क्रान्तिकारी कदम होगा जो मूलधन दिया गया है उससे कुछ अधिक रुपया लेकर आप उसे जमा करा लें तो अरबों रुपये जमा हो जायेंगे और सहकारी समितियों का भी रिवाइबल हो जोयगा। इस समय स्थिति बहुत ही खराब है और जो सेवा भाव था वह नहीं रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह करना पड़ेगा अन्यथा आपके द्वारा हर साल जो जून में वसूली होती है हजारों किसानों को जेल में बन्द कर दिया जाता है, दो-तीन दिन तक वह हवालात में रहते हैं और उन्हें प्रताडित किया जाता है।

उनके टूटे फूटे बर्तन जमा हो जाते हैं उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। इससे बचने के लिये जो बहुत बड़ी कठिनाई बनी है सरकार मुक्त हो जायेगी और उसका रुपया वसूल हो जायगा और किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल जायेगी। कर्ज माफी के नाम पर बड़े-बड़े लोगों के कर्जे माफ हुए हैं लेकिन वास्तविक रूप से जिनके माफ होने चाहिए थे, उनके नहीं हुए हैं। जैसा अभी राम सिंह सैनी जी ने कहा ट्रांसफर इन्ट्री की बात कही। गरीब ने ब्याज दे दिया उसके बाद दोबारा फिर उसके खाते में दर्ज हो गया। बड़े आदमी ने नहीं दिया था तो वह नादेय में आ गया। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं वहां पर जो बड़े काश्तकार थे प्रभावशाली थे उन पर आपके सचिवों ने हाथ नही डाला। उनके खिलाफ आर0सी0 नहीं जारी की गई। इस तरह से बड़े लोगों के कर्ज माफ हो गये और गरीबों के नहीं हुए।

जब तक आप सही विधि को नहीं अपनायेगें तब तक आपकी सहकारिता पनप नहीं सकती है। मैं समझता हूं आज सरकारी लोग उसमें बैठ गये हैं। अगर आप सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सरकारीकरण से मुक्ति दिलवाई जाय थोड़ा बहुत नियंत्रण उस पर रखिये तब ही सहकारी आंदोलन आगे बढ़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में जड़ी बूटियों को दोहन आपकी जिन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। बिचौलियों को लेकर कमिशन एजेन्ट बने हैं। जो छोटी मोटी कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हैं मैं समझता हूं कि यदि उनके द्वारा जड़ी बूटियों का कलेक्शन करवायेंगें तो मैं समझता हूं कि आपने जो सहकारिता को आगे बढ़ाने का कदम उठाया है, जो लोगों को गरीब किसानों को लाभ देने का कार्य सोचा है वह पूरा हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें

श्री भारत सिंह रावत-

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब यह जन आंदोलन बना हुआ था आपने एक लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई थी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ठेका दिया जाता था काम करने का, पी0डब्ल्यू0डी0 सिंचाई विभाग, वन विभाग में। मैं समझता हूं कि उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता विभाग पर माननीय चन्द्रपाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, काफी समय पहले सहकारिता विभाग का गठन हुआ था और इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि गांवों और नगरों में रहने वाले किसानों और मजदूरों को उससे कोई राहत मिले। आज देखें मान्यवर, जो शीतगृह योजना चलाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी शीतगृह हैं उनमें जो किसान आलू बोता है, उसका उत्पादन करता है, आज हमने देखा है कि कहीं पर भी किसी किसान का आलू रखने का काम नहीं किया जा रहा है। जो बड़े-बड़े व्यापारी लोग हैं, उनका आलू शीतगृहों में रखने का काम किया जा रहा है और मजबूर होकर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान उन व्यापारियों को अपना आलू बेचने के लिये मजबूर होते हैं। आज यह स्थिति आ गई है कि आलू के उत्पादन में इस प्रदेश का किसान जो पैसा लगाता है उसका आलू शीतगृह में न रखे जाने के कारण, आज उनको उसका लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें इसका आश्वासन दें, स्पष्ट नीति निर्धारित करें कि उत्तर प्रदेश के शीतगृहों में किसानों का आलू रखने का काम किया जायेगा। व्यापारियों का आलू रखने का काम नहीं किया जायेगा। दूसरा सवाल साधन सहकारी समितियों का है।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों में जहां आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को समय पर बीज खाद उपलब्ध होती थी, आज उन साधन सहकारी समितियों की हालत क्या हो गयी है मंत्री जी उससे परिचित नहीं होंगे। आज जिस समय किसानों को खाद की जरूरत होती है मैंने अपने क्षेत्र में देखा है, उन्नाव जनपद में देखा हैं गेहूं की बुआई का समय था उस समय पूरे जनपद में डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध नहीं थी इस तरह से किसानों को परेशानी थी, वह इतना परेशान थे कि उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। मजबूर होकर किसानों ने खाद खरीदने का काम किया। दुकानदारों ने फासफोरस देने का काम किया बीज समय से उपलब्ध नहीं रहता है जब बीज बुआई के बाद किसानों को यूरिया की जरूरत पड़ी तो डी0ए0पी0 खाद मिलने लगी जब स्टोर पर गए तो कहा गया कि यूरिया खाद के साथ डी0ए0पी0 खाद भी लेनी पड़ेगी, इस तरह से किसनों का शोषण किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर पी0सी0एफ0 के बारे में कहना चाहूंगा यहां जो कोल्ड स्टोरेज हैं वहां आलू रखने की समस्या है, वहां किसानों का गेहूं और आलू न रखकर व्यापरियों का गेहूं रखा जाता है यह काम कोल्ड स्टोरेज करते हैं आज क्या कारण है बड़े पैमाने पर एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर साधन सहकारी समिति के चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं साधन सहकारी समिति के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद जिला कोआपरेटिव के चुनाव होंगे, लेकिन किस तरह से बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक साधन सहकारी समिति पर इन्होंने एक डेलीगेट नियुक्त करने का काम किया है जबकि साधन सहकारी समिति पर कोई डेलीगेट की नियुक्ति नहीं की जाती थी और वोट देने का अधिकार नहीं था, उसको वोट देने का अधिकार अब दिया गया है सरकार निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में नहीं है, प्रशासक का चुनाव नहीं हुआ उस पर डेलीगेटों से वोट दिलाकर प्रभावी करने का काम किया है। जो चुनाव प्रक्रिया है, व्यवस्था है, जो डेलीगेट का काम है उसमें है वोट देंगे या नहीं, इसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि डेलीगेट प्रशासक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन डेलीगेट को माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्त किया गया है उनको प्रशासक नियुक्त करने का काम किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं साधन सहकारी समिति में एक आदेश जारी हुए उसमें यह व्यवस्था दी गई कि ब्लाक में कहीं, जो उसी ब्लाक का रहने वाला व्यक्ति है, उस ब्लाक में नहीं रहेगा उसका स्थानान्तरण बाहर किया जाएगा। मान्यवर, रायबरेली जनपद में तमाम ऐसी जगह हैं जहां ब्लाक में रहने वाले लोग उस ब्लाक में नियुक्त कर दिए गए हैं। मान्यवर, आप लगातार लाल बत्ती जला रहे मैंने दो-तीन बिन्दु उठाए हैं उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री पूर्णमासी पंकज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सहकारिता के बजट पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अभी हमारे विपक्ष के सहयोगीगण बड़ी-बड़ी बातें अपने जमाने की बता रहे थे तो मैं कहना चाहूंगा-

आप सबका भी करामात देखा है, बड़ों-बड़ों की बात देखा है
क्या नानी के आगे ननिआरे की बात करते हो
जो कुछ हैं आप पूरा जमात देखा है।

सहकारिता तो माफियाओं का अड्डा बना था
चोरों लुटेरों दलालों का तिहड्डा बना था
आप ही का किया सब लोग भोग रहे हैं,
अब तक हैं भरते आ रहे जो गड्ढा बना था।
अपनी गल्ती मुझ पर थोपे,
बोल रहे बिन समझे सोचे
खीझ मिटाते अपनी जैसे
खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी किसानों की हालत पर गर सोचा होता,
कभी नजदीक से गांवों में जा देखा होता
आज यह प्रदेश की दशा न होती
कुछ किया होता तो क्या से क्या होता।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने विभाग संभाला है

तब से सहकारिता में लूटपाट बन्द कर दिया
जनता में तो उत्साह और आनन्द भर दिया
तकलीफ में है वही भ्रष्टाचारी
जिन ठेकेदारों की दुकानें बन्द कर दिया।

सहकारिता था अड्डा बना भ्रष्टाचार का
दुरुपयोग कर रहे थे सभी निज अधिकार का
लूट का चौतरफा से पूरा चबा गये
बदनामी कर रहे हैं अब हमारी सरकार का।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

श्री कैलाश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्री चन्द्रपाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। जब यह सहकारिता आन्दोलन शुरू हुआ, जिन लोगों ने इसको शुरू किया, उन लोगों की सोच थी, सपना था कि गरीब मजदूरों किसानों की किस तरह से व्यवस्था की जाय और इस सहकारिता आन्दोलन को उसी तरह से आगे बढ़ाया गया। न्याय पंचायत स्तर पर समितियें का गठन हुआ और उसी के माध्यम से खाद, बीज और सामान उपलब्ध कराया जाता था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उन समितियों के माध्यम से किसानों की व्यवस्था की जाती थी। मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है और जो माननीय सदस्य उनके पक्ष में बोल रहे थे, माननीय मंत्री जी ने किसानों को धोखा देने वाला बजट रखा है। इसमें अच्छे खाद के लिए, बीज के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। किसान आज आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया है। बुआई के समय डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल रही थी जबकि यह सरकार कहती है कि हमने डी0ए0पी0 खाद समय से उपलब्ध करा दी है।

यूरिया की भी यही हालत थी आज जो प्राइमरी सोसाइटियां हैं, जो साधन सहकारी समितियां हैं, हमारे जनपद में पूर्वांचल में ऐसी समितियां हैं जहां पर भवन नहीं हैं खाद को रखने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए और सचिवों द्वारा खुली लूट हो रही है। जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया है। माननीय मंत्री जी और

यह सरकार समझती है कि वह किसानों की पक्षधर है तो अगर यह होते तो इसमें सारी व्यवस्था बजट में होती। जर्जर भवनों के लिए कोई व्यवस्था होती। पूर्वांचल में पचास प्रतिशत ऐसे सचिव हैं जो गबन कर चुके हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है उनका निस्तारण नहीं हो रहा है तथा उन्हें फिर से नियुक्त करके धन की उगाही की जा रही है यह सरकार उसको सह दे रही है अभी पंकज जी कविता पढ़ रहे थे और पिछली सरकारों की बात कह रहे थे। मान्यवर हमारे गाजीपुर में को-आपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं वह माफिया सरगना हैं, उनकी हिस्ट्री आप देख लें जो प्राइमरी सोसाइटी में लोग नामित किये गये हैं ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मान्यवर, आलू शीतगृहों में रखने के लिए किसान परेशान है उसे पर्ची नहीं मिल रही है। वह सौ रुपये क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर है। हमारे जनपद में शीतगृह बन्द पड़े हैं। यह पूरा का पूरा बजट किसान विरोधी है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, सहकारिता समाज की रीढ़ की हड्डी है, सहकारिता किसान की रोटी है, सहकारिता गरीब के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। यह एक ऐसा विभाग है जिसकी गांधी जी ने भी प्रशंसा की थी। मान्यवर पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता आन्दोलन की जो व्यवस्था इस प्रदेश में थी इस शासन ने पहली बार सहकारिता को गरीब और मजलूम का अहतियार बनाने की चेष्टा की है। 15 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार इसमें चल रहा है और 20 हजार सहकारी समितियां किसी न किसी स्तर की लगी हुई काम कर रही हैं। मान्यवर, इस बजट में समितियों में अंशदान में वृद्धि और नये सदस्य बनाने तथा निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। मान्यवर, अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण सहकारी समितियां और मिनी बैंक जो चल रहे हैं उनमें नये 500 मिली बैंक खोले जायेंगे।

मान्यवर, सहकारी समितियां के माध्यम से उर्वरक बांटा जाता है इस बार इसके वितरण में कही कोई कोताही नहीं की गयी मान्यवर, को-आपरेटिव बैंक में ऋण जमा अनुपात 104 प्रतिशत है और जो इसका अधिष्ठान व्यय मात्र 0.52 प्रतिशत है। मान्यवर, कम्प्यूटराइजेशन में 27 और शाखायें जोड़ने की बात कहीं गयी है। मान्यवर, ग्राम्य विकास बैंक जिसमें हमारा 90 करोड़ रुपये और बढ़ोत्तरी से कारोबार का प्रस्ताव है हम आठ नई शाखायें खोल रहे हैं मान्यवर वेंकट रमन ट्राफी से इस संस्था को पुरस्कृत किया गया है। मान्यवर, हमारा राज्य भण्डारागार निगम फायदे में काम कर रहा है और उसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है और जो नये जिलों में कंटेनर सर्विस शुरू कर रहे हैं, श्रमिकों द्वारा बनाया हुआ माल कंटेनर सुविधा के माध्यम से व्यापरियों को उपलब्ध होगा, इस प्रकार यह बहुत बड़ी उपादेय सर्विस सिद्ध होने जो रही है। मान्यवर, इस वर्ष आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। समय-समय पर माननीय सदस्यों ने इसकी चिन्ता भी प्रकट की है कि शीतगृहों की

संख्या कम है। एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि किसानों को अपना आलू सड़क पर फेंकना पड़ा था। पिछले वर्ष केवल 10 शीतगृह चल रहे थे, इस बार 36 शीतगृह चल रहे हैं और किसानों का 1.12 लाख टन आलू शीतगृहों में रखा जा सकेगा ताकि किसान की गाढ़ी कमाई उसकी जेब में ही जाय, मुनाफाखोरों की जेब में न जाये। इस बार मान्यवर, फैक्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, अभी तक अधिकारी डिग्नीफाइड बाबू के रूप में काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करता था कि विपक्ष के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे।

मान्यवर, आज जो लोग कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं या जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं। आज हमारे एक मित्र ने भी कहा कि लोगों का नामांकन कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी थी कि एक ही परिवार के लोग 9 शीर्ष संस्थाओं के शीर्ष स्थानों पर बैठे थे, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना सहकारिता विभाग में चलाया जा रहा था, लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे और कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं था, सारे एक खानदान के लोग बैठे हुए थे और जिस तरह से इन लोगों ने किसानों का शोषण किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के बीज बोये हैं, वह सब आज वृक्ष के रूप में खड़े हुये हैं, उसका विष हमें भी पीना पड़ रहा है। इस विष को समाप्त कर सहकारिता मंत्री जी द्वारा अब अमृत के बीज बोये जा रहे हैं, किसान को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिये।

माननीय चन्द्रपाल जी मेरी बात समझ रहे हैं और मैं भी इनकी समझ रहा हूं, यह मेरी प्रशंसा कर रहे थे, मैं भी इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। यह लोग जितना अन्याय कर सकते थे, किया है और कराया है। मैं बधाई देता हूं कि बहादुरी के साथ इस प्रदेश की जनता के सीने पर मूंग दलने का काम इन्होंने किया और मुझे खुशी है कि यह इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। यदि आज ईमानदारी से सहकारिता को बचाया जाय, जो सहकारी समितियां रोगग्रस्त हो रही है, उनकी चिन्ता माननीय मंत्री जी ने की है, आज उनके माध्यम से उर्वरक, कीटनाशक आदि बांटा जा सकता है। आज चिन्ता इस बात की है कि जो रोगग्रस्त सहकारी समितियां हैं, उनको पांव पर कैसे खड़ा किया जाय। बीमारी तो इन्होंने दी और भ्रष्टाचार से इनको लाद दिया। मान्यवर, आज इन लोगों से यह पूछा जाय-

"होठों पे मुहब्बत है, सीने में फितरत है,
और शीशे की दुकानें हैं, पर पत्थर की तिजारत है"।

यह कटौती प्रस्ताव रखने वालों के बारे में मैंने एक शेर कहा और इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने जो सहकारिता विभाग का बजट रखा है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री चन्द्रपाल

सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं तो इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मेरे पूर्व वक्ता श्री सरजीत सिंह डंग जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूं और (मात्र एक सदस्य की ओर इशारा करते कहा कि आप समझ रहे हैं। यदि वे ऐसा बोलते कि पूरे सदन की समझ में आता, इसलिये मैं उनकी बात को समझने से वंचित रह गया। बधाई तो इन्हें देना ही है, मैं कहता हूं कि इनका यह हाल है किसी ने कहा :-

जी बहुत चाहता है कि सच बोलें
क्या करूं हौसला नहीं होता।

सच वह बोलना चाहते हैं, लेकिन मान्यवर, इनको डर है कि कहीं मुख्य मंत्री जी नीचे न बैठा दें, यह चाहते हैं कि मंत्रि मण्डल में पहुंचे।

मान्यवर, सहकारिता विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और जो इसका उद्देश्य था वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चाई से यह कहें कि क्या यह उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में है कि भ्रष्टाचार शब्द भी शरमा जाता है, जब वह सहकारिता के साथ जुड़ता है। मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कब सुधरेगा। माननीय मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक के एम0डी0, पीसी0एफ0 के एम0डी0 और प्रशासक बहुत ही करीबी इनके रिश्तेदार हैं और भाई प्रशासक हैं। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार का पद है, यह आई0ए0एस0 अधिकारी को लाता है, अन्यथा उस पर भाभी जी को बैठा देते। यह कोई बुरी बात नहीं है, आदमी का अगर पूरा घर काम को संभाल लें तो ठीक है और न सभल पाये, तो मैं क्या करूं? क्या यह सही नहीं है कि जो खाद कोआपरेटिव सोसाइटीज में बिकनी चाहिये, वहां पर खाद न बिक कर दुकानों पर बिकती है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इन पर माननीय मुख्य मंत्री जी का दबाव है या सरकार का दबाव है, कि खाद दुकानों पर बिक रही है, इससे किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और खाद भी सही नहीं मिल पा रही है, उसमें मिलावट होती है, असली खाद किसानों को नहीं मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह खाद कोआपरेटिव सोसाइटियों में जान-बूझकर नहीं बिकवाते हैं, खाद वहां पर समय से नहीं पहुंचती है और जब खाद बिकने का समय समाप्त हो जाता है, तो खाद वहां पर पहुंचती है। हमारे बड़े भाई ने बजट को रखा है, वह हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी का हक बहुत ज्यादा होता है। मैं उनको धन्यवाद क्या इसलिए दूं कि वसूली में भ्रष्टाचार हो रहा है, खाद समय से नहीं मिल रही है और क्या इसलिये दूं कि पड़ोस में बैठे हुये संसदीय कार्य मंत्री ने पी0सी0एफ0 जो चीनी ढुलाई का काम करता था उससे यह काम लेकर खाद्य विभाग को दे दिया। इस पर डेढ़ से दो करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च हो रहा है। मान्यवर, यह रुपया बच सकता था अगर पीसी0एफ0 द्वारा पहले की तरह चीनी ढुलाई का काम कराया गया होता। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो प्राइमरी सोसाइटी हैं उनको अच्छी तरह से चलाया

जाय उनके ढांचे की स्थिति चरमरा गयी है जब तक प्राइमरी सोसाइटी ठीक नहीं होती तब तक को-आपरेटिव सिस्टम की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज वह पूरे प्रदेश में समितियां मरणासन्न अवस्था में हैं, बंद होने के कगार पर हैं केवल कागज में बंद नहीं हैं महीनों-महीनों तक उनके ताले नहीं खुलते हैं यदि किसान को कर्जा लेना हो या कोई और कार्य हो तो उसका कोई कार्य नहीं हो रहा है आवश्यकता इस बात की है सोसाइटीज का शुद्धीकरण किया जाय जो सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में एक बार मंत्री ने स्वयं कहा था और तय हुआ था कि फर्जी रजिस्ट्रेशन न किया जाये। जिस तरह से हैण्डलूम को-आपरेटिव सोसाइटीज में फोटो लगाया जाता है उसी तरह से रजिस्ट्रेशन के वक्त फोटो लगाया जाय यदि इसके लिए को-आपरेटिव एक्ट में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी संशोधन ले आयें कम से कम एक वैलीडिटी तो रहेगी किसने रजिस्ट्रेशन कराया मालूम तो रहेगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर करोड़ों रुपये की लूट को-आपरेटिव सोसाइटी के नाम से हो रही हैं। आपने मान्यवर, दो-तीन बार लाल बत्ती जला दी तो मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे चन्दपाल जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। आज यह जो सहकारिता विभाग का बजट पेश हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह सीधे किसान से जुड़ा हुआ है। इस समय गेहूं की बुवाई के समय न समय पर बीज मिला न समय पर खाद मिली किसान को किसी तरह से खाद और बीज बाजार से खरीदनी पड़ी साधन सहकारी समितियों में न खाद थी न बीज था किसान जो खाद और बीज बाजार से लाया वह सब नकली थे। किसान का इस बार किस तरह से शोषण हुआ। हमारे साथी ने फर्जी रजिस्ट्रेशन की बात कही है उसने लाखो रुपया बैंको से ऋण लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर खा गये इसको रोका जाय। किसानों को बैंकों से जो ऋण मिलता है वह सही रूप में नहीं मिलता है। जो डीलर होता है वह गरीब किसानों से दस्तखत करा लेता है और पैसा नहीं देता है और जब वसूली होती है तो गरीब किसान को परेशान किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह किसान विरोधी है जितना घपला सहकारिता विभाग में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। मैं माननीय चन्द्रपाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी कटौती प्रस्ताव पर जिन हमारे पक्ष-विपक्ष के साथियो ने हमे समर्थन दिया उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार वास्तव में इस सहकारिता को जन-आन्दोलित बनाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गरीब किसानों को लाभान्वित किया जाये। इसके लिए सबसे पहला काम यह करना होगा कि सहकारिता

का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है जो नष्ट हो गया है उसे बहाल करना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज की बातें सुनकर जरा भी शर्म यदि उन्हें आई हो तो एक आदेश द्वारा सारी अवैध नियुक्तियों को समाप्त करें। प्राइमरी सोसाइटी में जो डाइरेक्टरो की नियुक्तियाँ की गई है उनको तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले। यदि हमारे प्रदेश के किसानों को सहकारिता विभाग द्वारा खाद, और ऋण समय से मिल जाये तो हमारे ग्रामीण किसानों की जो माली हालत है वह अच्छी हो जायेगी। अच्छी कैसे हो जायेगी अगर उनको समय से खाद मिलेगी तो फसल अच्छी होगी और अगर फसल अच्छी होगी तो उनकी माली हालत अच्छी होगी।

श्रीमान् जी खाद की बात है तो हमारे यहां खाद की कमी नहीं है, यूरिया की कमी नहीं है। डी0ए0पी0 खाद और यूरिया बड़ी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन समस्या यह है कि जिन सहकारी क्रय केन्द्रों पर खाद उपलब्ध है वे दुकाने खुलती ही नहीं है। मजबूरन किसान को बाजार से खाद लेनी पड़ती है, यूरिया लेनी पड़ती है और वहां किसानों को नकली खाद दी जाती है। यह व्यापारी किसानों को लूट रहे हैं, किसानों को चूस रहे हैं। मान्यवर प्राइवेट डीलरों के माध्यम उन प्राइवेट दलालों के माध्यम से खाद का, उर्वरक का वितरण नहीं कराया जाना चाहिए। मान्यवर किसानों को खाद कृषकों द्वारा बेची जानी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को समय से ऋण उपलब्ध हो सके, किसानों को समय से खाद और अच्छी खाद उपलब्ध हो सके। मान्यवर एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि ऋण की रिकवरी के मामले में किसानों का उत्पीड़न किया जाता है। जो बड़े-बड़े लोग है जिनके पास लाखों का ऋण बकाया है उनसे सरकार कुछ नहीं कहती बल्कि गरीब किसान जो है उन्हें ही परेशान करती है। उन बड़े-बड़े लोगों के पास जो सरकार का धन वसूली के लिए पड़ा है इस वसूली के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

(5 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, दूसरी बात और कहना चाहता हूं, चाहे क्षेत्र समिति में हो सहकारी क्षेत्र का प्रतिनिधि क्षेत्र समिति का एक सदस्य हुआ करता था। जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य हुआ करता था। लेकिन श्रीमन्, पिछली पंचायती राज व्यवस्था में इसको समाप्त कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मान्यवर, जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं उन प्राइमरी सोसाइटीज को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को एक योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि जो सोसाइटी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, उनको मजबूत और सक्रिय किया जा सके। उनको जो सहयोग करना पड़ेगा, सरकार को उसके लिए व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए। एक तरफ सरकार उनको मजबूत करने की बात करती है और दूसरी तरफ जो संस्थाएं

अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार को छुड़ाने का प्रयास भी कर रही है, उनको मजबूत करने की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

श्रीमान् हम चाहते हैं कि इस आन्दोलन को जन-जन में फैलाने के लिए हम इसको बल दे सकते हैं। एक समाचार पत्र भी निकलता था, हो सकता है निकलता हो लखनऊ से, लेकिन गांव तक उसे भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वास्तव में यह उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि सहकारी आन्दोलन जन-आन्दोलन बने, मजबूत आन्दोलन बने, हर किसान, हर मजदूर और करीब से जोड़ करके यह आन्दोलन काम करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सारी बातों के बावजूद इस सरकार में बैठे खोखले दिमाग के लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये सहकारी आन्दोलन को ध्वस्त करके ही दम लेंगे। ये भाई-भतीजावाद में जकड़े हुए लोग हैं। जैसा कि वह कहते थे कि एक जाति के लोग चुनकर के आ गये थे, यदि हम चार लोग चुनकर आये थे तो अपने बल पर आये थे, हम किसी की कृपा पर जीत कर नहीं आये थे। आपने तो घर पर बैठकर अपने भाई को नामित कर दिया, अपनी ससुराल वालों को नामित कर दिया, रिश्तेदारों को नामित कर दिया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ आई0ए0एस0 अधिकारियों का विभिन्न विभागों से चयन किया गया। उनमें किन-किन लोगों का चयन किया गया। हो सकता है, मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार हों, आपके कोई रिश्तेदार हों। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन मजबूत होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा बात न कह करके केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करना है तो कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे एक व्यापक नीति तैयार करनी पड़ेगी जिससे विचार-विमर्श हो और सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन का स्वरूप दिया जा सके। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सहकारिता के बजट पर जिन माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और उनके सुझावों का आदर करता हूं। लेकिन कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय चन्द्रपाल जी ने जिस तरह की बातें कहीं, उन्हें मैं कुछ बताना चाहता हूं, पहली बार उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन, आन्दोलन बन कर आया है। सहकारिता के चुनाव में सारी समितियों में भीड़ थी, सब लोगों ने सहभागिता की है, लोगों ने यह पहली बार कहा है कि सहकारिता के चुनाव होते हैं, नहीं तो चार लोग बैठकर ऐनकेनप्रकारेण चुनाव करा लेते थे। यदि किसी ने नामिनेशन भी करा लिया तो पता चला कि नामिनेशन भी खारिज कराया जाता था लेकिन अब आप अपनी कमियों को दूसरे पर डालने की कोशिश न करें। जनता समझती है कि कौन कैसा रहा है? आज जो सहकारी आन्दोलन की स्थिति है मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो आरोप लग रहे थे कि प्रदेश के किसानों और मजबूर लोगों का भला नहीं होने वाला है। आप लोगों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा समितियां बन्द कर

दी थीं और खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर समितियों को पुनर्गठित करने का कार्य किया है और केवल 638 ऐसी समितियां ऐसी है जो बन्द हैं हम उनका परिसमापन करके वहां के किसानों को बगल की समितियों के साथ जोड़ा है और वहां से खाद बीज दिलाने की व्यवस्था की है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 98-99 में 1050 करोड़ रुपये का लक्ष्य अल्पकालीन ऋण वितरण का रखा गया था जिसके अगैस्ट 881.20 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हं कि जिला सहकारी बैंकों का जो इम्बैलेन्स था उसको पहली बार समाप्त करने का प्रयास किया गया है। हमने केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजकर 108.2 करोड़ रुपये की अपेक्षा की है। जिससे किसानों का फायदा होगा मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो जिन लोगों को सहायता की जरूरत थी उनको सहायता नहीं दी गई। जो कर्जा माफ किया गया वह उन लोगों का माफ किया गया जिन्होंने कर्जा अदा ही नहीं किया था वह ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले ही सोच लिया था कर्जा लेना तो है लेकिन वापस नहीं करना है। उनकी आपसे सांठ-गांठ थी इसलिए जिन्होंने कर्जा अदा नहीं किया उनका कर्ज तो माफ हुआ और जिन्होंने दो किश्ते जमा कर दी उनके कर्जे माफ नहीं हुए अगर कर्जे इस तरह से माफ न किये गये होते तो यह इम्बैलेन्स की स्थिति न आती।

आज जो प्राथमिक समितियों की दुर्गति है वह आपके द्वारा किया गया है और दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो समितियां समाप्त हो गई हैं हम समझते है, उसमें जो 638 समितियां है उनका परिसमापन इसीलिए कर रहे हैं कि उनके स्थान पर नई समितियां हम खड़ी कर सके और किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके। मान्यवर जहां तक उर्वरकों की बात है यूरिया की न तो पहले ही कमी थी और न आज कमी है डी0ए0पी0 की कमी किस कारण हुई उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। प्रदेश में पहली बार डेढ़ गुने ज्यादा क्षेत्रफल में रबी की बुआई हुई है। पहली बार एक साथ बुआई शुरू हो गई, चूंकि समय-समय पर वर्षा हुई थी, इसलिए पलेवा के माध्यम से किसान जहां पहले एक एकड़ खेत बुआई करता था और फिर 8-10 दिन बाद बुआई करता था और जो बुआई एक दो महीने चला करती थी वह इस बार बुआई एक साथ आरम्भ हो गई। मान्यवर, डी0ए0पी0 आयात करनी थी वह समय से आ नहीं पायी इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई। हमारी समितियों पर डी0ए0पी0 की उपलब्धता का पूरी तरह से प्रयास किया गया। बुवाई का काम इस साल बहुत जल्दी प्रारम्भ हुआ उसका परिणाम आप इसी फसल में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर रबी की फसल का उत्पादन डेढ़ गुना होगी, यह रिकार्ड स्वयं बतायेगा। अगर हम डी0ए0पी0 में आत्मनिर्भर होते तो शायद आज यह स्थिति न होती। आपने एक आरोप लगाया कि नामांकन कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि यह नामांकन होते रहे हैं। नामांकन तो उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत आपने भी किये। धारा 29 और धारा 34 का सहारा लेकर आपने नामांकन किया।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

जब सरकार का शेयर होता है तभी नामांकन हो सकता है।

पटेल राम कुमार वर्मा-

सारे नामांकन नियम और प्राविधान के अन्तर्गत हुये हैं। आप एक्ट पढ़ लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी दुकान अब उखड़ गयी है, अब वह लगने वाली नहीं है। अब सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन से जुड़ा व्यक्ति ही पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में आम जनता की सहभागिता स्थापित हो गयी है। अब आप लाठी और डण्डे के बल पर स्थापित होने की कल्पना भूल जाइये। आपने सहकारी समितियों की चिन्ता की और आपने कहा कि इसके सुधार की बात नहीं की गयी। सुधार की बात की गयी होती तो शायद निश्चित रूप से जो सहकारी समितियां बन्द थी उनमें कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता था। कार्य प्रारम्भ करने की दृष्टि से प्राथमिक ऋण समितियों के विकास के लिए नाबार्ड से पूंजी विनियोजन का कार्य किया गया और 25 करोड़ रुपये की धनराशि पैक्स के लिए और उर्वरक के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराये हैं।

पैक्स सचिवों को प्रशिक्षित करने की भी योजना है और सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। सचिवों की जो स्थिति थी वह ठीक नहीं थी, एक सचिव के पास 4-4 समितियों का चार्ज है। कठोर कार्यवाही करने के बाद भी एक सचिव के पास 5-5 समितियों का कार्य भी देना पड़ा। जल्दी ही इसका समाधान निकालकर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सचिव नहीं हैं, उनकी नियुक्ति का प्रयास हो रहा है। जो योग्य कर्मचारी हैं, दक्ष हैं उनमें से 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की सीधी भर्ती करके इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। आपने कहा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह पहली सरकार है जिसने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की, लोगों को पदच्युत किया गया। आपने किसी सुभाष नामक व्यक्ति का उदाहरण दिया था। वह आपके जमाने का सारा काम है, जो आप करते थे वहीं आपको लग रहा है। यह आपका व्यापार होगा लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करती, हमने जिनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की है, दृढ़ इच्छाशक्ति के आधार पर की है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में सबकी इच्छा है कि सहकारिता क्षेत्र में ईमानदारी से, मजबूती से सेवा के लिए संकल्पित हैं।

उसमें कुछ सुधार है। सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल है। इसमें सुधार लाया जायेगा, प्रशासक नियुक्त हुए हैं प्रशासक नियुक्त करने में निबन्धक का विवेक काम आया है। आपके जैसे हम कुनवा परस्त नहीं हैं। भाई के बारे में जरूर स्वीकार करता हूं कि उसने नामांकन किया हुआ है। आपकी कुनवापरस्ती तो डंग साहब ने रखी हैं मैने कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं निभाई हैं। निभाने का काम आप करते हैं आपका जैसा चेहरा है वैसा चेहरा आप दूसरों का देखते हैं। आपने बार-बार भ्रष्टाचार की बात कहकर सहकारिता जगत को अपमानित करने का काम किया है। अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वह देन किसकी है? चन्द्रपाल जी यह आपकी रही है।

इस सरकार में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसका पूरा प्रयास किया है। जहां कहीं भी जानकारी आई है वहां कठोर से कठोर कार्यवाही की है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। आपने जो सुझाव दिए हैं उनका आदर करेंगे। मेरा चन्द्रपाल सिंह जी से अनुरोध है कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं?

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव-

मान्यवर, में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। क्योंकि मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं सारे के सारे फर्जी आंकड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,18,99,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

सहकारिता मंत्री-(पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04 -उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,23,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 90,68,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 41,81,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूतिका रखता हैं। आधुनिक एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिए यह उद्योग विकास की धुरी के रूप में काम करता हूं। इसके विकास की चिन्ता करना नितान्त आवश्यक हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव भी रहा है कि जिन राष्ट्रों ने प्रगति की है उन्होंने उद्योग को ही हथियार बनाया है। उन्होंने उद्योग में जितनी तीव्रता की उतना ही विकास के प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए कृषि पर निर्भरता को कम करने एवं उद्योग को प्राथमिकता देना उस उद्योग को प्रोत्साहित करना परम आवश्यक समझा जाता है।

निश्चित रूप से उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे और समृद्धता का रास्ता खुलेगा। साथ ही निर्धनता भी समाप्त होगी। इसलिये औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिये कुछ औद्योगिक नीति बनायी गई है। उत्तर प्रदेश अपनी अनन्त आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को बावजूद पूर्णरूप से विकसित नहीं हो सका है। हमारी सरकार प्रदेश की असीमित सम्भावनाओं को साकार करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये प्रयत्नशील है। वर्तमान समय में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का मात्र 20प्रतिशत योगदान है, जबकि कृषि का 45 प्रतिशत तथा सेवा-क्षेत्र का 35 प्रतिशत योगदान है। इसी प्रकार प्रदेश के श्रमिकों का मात्र 8 प्रतिशत ओद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् है, जबकि 72 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश सरकार की यह नीति है कि राज्य को आधुनिक एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्थ का स्वरूप देने के लिये कृषि पर निर्भरता कम करके औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। उद्यमी वहीं पर उद्योग लगाना चाहता है जहां उसे उसका लाभ मिल सकें।

आज उद्यमी सभी विकल्पों पर विचार करके निवेश का स्थान सर्वाधिक उपयुक्ता के आधार पर तय करते हैं। वे सामान्यतः उन्ही क्षेत्रों में निवेश हेतु आकर्षित होते हैं, जहां उन्हें निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है लाभदायकता, जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा, उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं, निर्वाध एवं सस्ती बिजली, सरल एवंम्

आकर्षक व्यवस्था, लालफीताशाही से मुक्ति, मेहनती, दशा एवं अनुशासित मानव संसाधन एवम् सहयोगी एवम् निवेशोंमुखी प्रशासनिक दृष्टिकोण। इन्हें सब चीजों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति को बनाया है। यह औद्योगिक नीति जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 24 सितम्बर, 1998 को घोषित की उसकी प्रशंसा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हुई हैं। निर्यात नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश, भारत का पहला राज्य बना। हमारी सरकार का यह निश्चित मत है कि बिना स्थानीय तौर पर राज्य सरकारों को सहयोग के निर्यात कभी प्रोत्साहित नहीं हो सकती। आज हमारी निर्यात नीति का उदाहरण पूरे देश में दिया जा रहा है। विभिन्न खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न होने के बावजूद किसी भी पूर्व सरकार द्वारा इन खनिजों के विकास एवं दोहन हेतु नीति प्रतिपादित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के संसाधन अविकसित रहे।

हमारी सरकार ने इस कमी को भी दूर किया है और एक प्रगतिशील खनिज नीति की घोषणा की हैं। नई औद्योगिक नीति के हमने तीन प्रमुख लक्ष्य रखे हैं-राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत का किया जाना, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत वर्तमान 8 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत का किया जाना और औद्योगिक वार्षिक विकास दर वर्तमान 4 प्रतिशत को बढ़ाकर 10-12 प्रतिशत करना हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हमारी रणनीति यह है कि हम अधिक से अधिक निजी पूंजी निवेश आकर्षित करेंगे तथा पूर्व में किये गये निवेश, जो किन्हीं कारणों से अनुत्पादक हो गए हैं, उन्हें पुनः उत्पादकता की मुख्य धारा से जोड़ेगें। इस नीति के अन्तर्गत हमने यह भी संकल्प लिया है कि हम ग्रामोद्योग, लघु उद्योग तथा भारी उद्योगों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं पोषण का सम्बन्ध स्थापित करेंगे ताकि सभी सेक्टर का विकास सन्तुलित तौर पर हो सके।

प्रदेश के अन्दर पूंजी निवेश करने के लिये प्रयत्नशील हैं। विदेशी नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के अन्दर उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये हमने नई दिल्ली में राज्य निवेश केन्द्र की स्थापना की है तथा उत्तरप्रदेश के स्थानिक आयुक्त को एन0आर0आई0 कमिश्नर नामित किया है ताकि वे विदेशी निवेशकों तथा अप्रवासी भारतीयों से सीधा संवाद स्थापित कर सकें। जो उद्यमी हैं उनका भी अपना स्थान है, सम्मान है। उनके सम्मान की रक्षा करने के लिये उनकों यहां उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करने के लिए वी0आई0पी0 के रूप में सम्मानित करने का भी आश्वासन दिया है। वी0आई0पी0 कार्ड तथा ग्रीन कार्ड की योजना भी उनके लिये तैयार की है। इस योजना का शुभारम्भ करके यहां लोगों को सुविधाएं मिल सकें उनके सम्मान आदि की रक्षा हो सके। जैसा भी स्थान वो चाहते हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा सकें, इसकी हम व्यवस्था कर रहें हैं।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 26 मार्च, 1999 को निश्चित रूप से इन कार्डो का वितरण करके उद्योगपतियों को यहां उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये

प्रोत्साहित करने की योजना का संकल्प लिया है। उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित करने के लिये अनिवार्य हैं। अगर अवस्थापना सुविधाएं लागू नहीं करते हैं तो कोई उद्यमी यहां उद्योग लगाने के लिये आकर्षित नहीं होगा। हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं को स्थापित करने के लिये कुछ औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है। अवस्थापना के क्षेत्र में ही निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिये हमारी सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशियेटिव फण्ड की स्थापना की है जिसे इस तरह की सुविधाएं देकर निश्चित रूप से ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाये कि ज्यादा से ज्यादा, उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिये आकर्षित हों। इस निधि के माध्यम से सड़क, पुल0 एयर पोर्ट, इन्लैंड कन्टैनर डिपों, पावर स्टेशन आदि की स्थापना निजी क्षेत्र में की जायेगी। इसके साथ-साथ बेहतर सड़क के लिये सड़क निधि की भी स्थापना की गई है जिसके माध्यम से सड़कों का उच्चीकरण एवं रख-रखाव किया जायेगा। पुलों और सड़कों का निर्माण दुर्लभ हो गया था।

किसी क्षेत्र में उद्योग को प्रभावित करने के लिये सड़कें एवं पुल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उद्योगपतियों का यह अनुभव रहा है कि उन्हें विभिन्न अनुमोदन एवं स्वीकृतियों प्राप्त करने के लिये दर-दर भटकना पड़ता था कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिये हमने एकल मेज व्यवस्था बनाई हैं। इसके तहत उन्हें निश्चित रूप से एक स्थान पर एक छत के नीचे सारे कार्य हो जायेंगे ताकि उन्हें 28 कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। योजना के अन्तर्गत उद्यमी को केवल एक संकलित फार्म जिला उद्योग केन्द्र में भरना होगा और उसके पश्चात् निश्चित तिथि को आकर स्वीकृतियां एकत्रित करना होगा उसे स्वयं किसी भी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को केवल जिला उद्योग कार्यालय से ही समस्त स्वीकृतियों तथा अनुमोदन 60 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जायेगें।

यह व्यवस्था अपनी परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही है। 15 फरवरी, 1999 तक 55 जनपदों से प्राप्त आकड़ों के अनुसार 1382 फार्म उद्यमियों द्वारा खरीदे गये और 440 फार्म भरकर जमा किये गये जिनमें से 280 को समस्त स्वीकृतियां निर्गत् भी की जा चुकी हैं एक क्रान्तिकारी कदम और उठाया गया है अभी तक उद्यमियों को जो परेशानी होती थी इन्स्पेक्टर राज के कारण हमने इन्स्पेक्अर राज को समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं और इन्सपेक्टर राज पूरी तरह समाप्त किया गया है। समाप्त करने का मतलब यह नहीं है कि नियंत्रण बेलगाम छोड़ दिया है। निश्चित रूप से डी0एम0 और मण्डलायुक्त निर्देशों के अनुसार चेक करेंगे पहले जब चाहते थे निरीक्षण के तौर पर पहुंच जाते थे जिससे उद्यमी अपने को हतोत्साहित महसूस करते थें।

इन्सपेक्टर राज पर अंकुश लगाकर उनको सुरक्षित कर दिया है। सरल कर व्यवस्था औद्योगीकरण की प्राथमिक आवश्यकता है। 1998-99 में महत्वपूर्ण निर्णय

लिये गये। मण्डी शुल्क को एकल बिन्दु बनाया जिससे कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिली हैं। व्यापार कर की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिये एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठन किया है जिसमें अधिकारियों के साथ प्रमुख औद्योगिक संगठनों को सदस्य बनाया है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एक अप्रैल, 1999 से उद्योगों को व्यापार-कर चौकियों से मुक्ति प्रदान की जाएगी। एक अत्यन्त महत्वूपर्ण निर्णय, है जो इस वर्ष लिया गया है वह निर्यातों के कच्चें माल की कर मुक्ति का है। इसका सर्वत्र स्वागत हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस अत्यन्त क्रांतिन्कारी निर्णय से प्रदेश के निर्यातों में जबरदस्त वृद्धि होगी।

मान्यवर उद्यमियों की सुरक्षा, औद्योगीकरण के लिए अनिवार्य है। कोई भी उद्यमी ऐसे राज्य में निवेश नहीं करना चाहेगा जहां उसका तथा उसके परिवार का जीवन अथवा उसकी पूंजी असुरक्षित हो। यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रदेश के इतिहास में कुछ वर्षों पूर्व अपहरण आदि की घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रदेश की अत्यन्त नकारात्मक छवि औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। विगत डेढ़ वर्षों में हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप सर्वत्र आपराधिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश उद्यमियों के लिये सबसे सुरक्षित गंतव्यों में से एक है, फिर भी हमने प्रदेश में निवेश करने वाले हर नागरिक को पूर्ण सुरक्षा की गारण्टी दी है। हमने हर जनपद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उद्योगों के लिए नोडल अधिकारी की व्यवस्था की है ताकि उद्यमियों को सुरक्षा के लिए भटकना न पड़े अब कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक से जाकर बात करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकता है।

मान्यवर हम औद्योगिक विकास आयुक्त के पद के सृजन पर विचार कर रहें हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश के औद्योगीकरण से सम्बन्धित प्रमुख विभाग एक छतरी के नीचे कार्य करें ताकि उनके मध्य आन्तरिक समन्यवय एक रुपता एवं सामजस्य रहे। मान्यवर, हमने विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इस वर्ष हमने कुक्कुट पालन, फिल्म निर्माण तथा पर्यटन को उद्योग घोषित करते हुए उन्हें वह सभी सुविधायें देने का आश्वासन दिया है जो उद्योगों से प्राप्त होती हैं। हमारी सरकार शीघ्र ही फिल्म नीति की घोषणा करेगी। वर्तमान परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य में कोई भी नीति लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। अपने प्रदेश की नीतियों को आवश्यकताओं के अनुरूप ढ़ालने के लिए हमें विशेषज्ञों तथा प्रतिष्ठित उद्यमियों को निति निर्धारण की प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता थी, इसमें हमने प्रयास किया है। मान्यवर औद्योगिक नीति निर्यात नीति तथा खनिज नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व

हमने सम्बन्धित श्रेणी के उद्यमियों कैसे व्यापक विचार विमर्श किया था उनके व्यापक विचार विमर्श के बाद निश्चित रूप से नीतियों का कार्यान्वयन किया गया है और इसमें उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा प्रदेश किसी भी प्रदेश से पीछे नहीं है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र मे समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उपलब्धता हो इसके लिए उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए अलग से संसाधन दिये जा रहे हैं जो गम्भीर समस्या से आज उत्तर प्रदेश गुजर रहा था उससे निश्चित रूप से निजात मिलेगी और औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। मान्यवर, शत प्रतिशत तो नही लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जो प्रयास किया गया है, सरकार और उसके दल के लोग यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रेदश बेहतर उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगा। मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 98 में निवेश के जो प्रस्ताव थे उसमें संख्या की दृष्टि से उ0प्र0 का स्थान अच्छा है। यदि उद्यमियों ने निवेश में प्रस्ताव दिया तो मायने रखता है। हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं। तीन हजार आठ सौ करोड़ के 287 प्रस्ताव आये हैं।

गुजरात में 248, तामिलनाडु में 245 और आंध्र प्रदेश में 191 तथा कर्नाटक में 112 केवल महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो इन प्रस्तावों में सबसे पहले नम्बर पर है। जो प्रस्ताव आये हैं उससे ऐसा लगता है कि सारे प्रदेश का उद्यमी आज उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योग स्थापित करना चाहता है। जो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है उससे तीव्रता आयी हैं। जुलाई से सितम्बर माह, तीन महीने में, प्रदेश के अन्दर 978 करोड़ रुपये के 77 प्रस्ताव आयें हैं। 24 अक्टूबर, 97 को यह संख्या बढ़कर 92 हो गयी है और उसमें एक हजार दो सौ दस करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आयें हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो इस तरह से प्रस्ताव आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे प्रदेश का उद्योग का आकर्षण बढ़ेगा। मान्यवर, आज सरकार ने वर्तमान सरकार ने जो औद्योगिक वातावरण खड़ा किया है, जो विगत वर्ष उपलब्धियां रही हैं, ग्रेटर नोयेडा में टायर सिटी की स्थापना करने का कार्य प्रारम्भ किया और इसकी प्रशंसा भी की गयी थी।

महिला उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महिला उद्योग पार्क की घोषणा की गयी उनका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष हमारी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नोएडा-दिल्ली के मध्य स्थापित होने वाले 8 लेन के "टोल ब्रिज" का निर्माण है। मान्यवर, वर्ष 1999-2000 में उद्योग विभाग के विभिन्न संगठन अनेक नये कार्य आरम्भ करेंगे। इसमें हमने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहर इलाहाबाद, लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर को सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के आधार पर स्मार्ट-सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1999-2000 के बजट में ही हमने पिकप के लिए रु0 10 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के लिए रु0 20 करोड़ की सहायता का प्राविधान किया है।

मान्यवर, वर्ष 1998 में स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किये गये तीन अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी बेहतर है।

प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हापुड़, इलाहाबाद, सहारनपुर, हल्द्वानी तथा लखनऊ में "विशिष्ट औद्योगिक पार्क" स्थापित करने के लिए फीजीबिलिटी स्टडी हेतु विशेषज्ञों का चयन कर लिया गया है तथा इनके द्वारा निकाले जाने वाले निष्कर्षों के आधार पर इन क्षेत्रों में इन पार्कों की स्थापना की जायेगी। मान्यवर, प्रदेश के औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ प्रमुख निर्णय लिये हैं एक अप्रैल, 1999 से यू0पी0एफ0सी0 तथा पिकप द्वारा अपनी ब्याज दरों में 1-1 प्रतिशत की कमी की जाएगी। एक अप्रैल, 1999 से इन दोनों संस्थाओं द्वारा दण्डात्मक ब्याज की वर्तमान 7.5 प्रतिशत की दर को कम करके केवल 2.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा। एक अप्रैल, 1999 से प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए "कलस्टर योजना" लागू होगी एक अप्रैल, 1999 से लघु उद्योगों के पुनर्वासन हेतु पुनर्जीवन योजना लागू की जायेगी। इसमें पुनर्वासन योग्य रुग्ण इकाइयों को आस्थगित ब्याज पर अतिरिक्त पूंजी की सुविधा उपब्ध कराई जायेगी। यू0पी0एफ0सी0 द्वारा रुग्ण अथवा रुग्णता की ओर अग्रसर इकाइयों के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से निःशुल्क "मार्गदर्शन योजना" लागू की जायेगी। थ्रस्ट सेक्टर के लघु उद्योगों के लिए आस्थगित ब्याज की "वित्त पोषण योजना" प्रदेश की वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जायेगी। मान्यवर, इन सबसे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का सृजन होगा। निश्चित रूप से हमारा जो स्थान दूसरे प्रदेशों की गिनती में नहीं आता था आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का स्थान ऊंचा बनेगा। मैं निवेदन करुंगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका निश्चित रूप से आप समर्थन करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सीता राम निषाद जी कृपया अनुदान संख्या-4 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मंत्री जी ने खनिज पर तो कुछ जिक्र भी नहीं किया आप कटौती प्रस्तुत करने के लिए कह रहें हैं।

श्री सीता राम निषाद-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जो इस सरकार द्वारा खनिज नीति घोषित की गयी है उससे इसने अपने को यह साबित कर दिया है कि यह पूंजीपतियों की सरकार है उन्हें और सम्पन्न बनाना चाहती है और गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। खनिज नीति में खजिन को उद्योग का दर्जा दिया गया है लेकिन वहीं पर खुली नीलामी की व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, खनिज पदार्थ बहुतायत में प्रदेश में पाये जाते हैं। नदियों की तलहटी में बालू और मौरंग पायी जाती है जिसका समबन्ध गरीब लोगों से हैं जो नदी के किनारे निषाद समुदाय के लोग रहते हैं उन्हीं का यह परम्परागत पुश्तैनी पेशा रहा है और उनका एक मात्र जीविका का साधन रहा है। मान्यवर, 12 जून, 1985 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने एक शानादेश जारी करके यह व्यवस्था की थी कि खनिज नियमावली की धारा 9 में उपधारा 3 को जोड़ करके प्रदेश में नदियों के तल में बालू और मौरंग निकालने का पट्टा पंजीकृत सहकारी समितियों को दिया जायेगा नीलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था।

यह शासनादेश लागू हुआ, उसका गजट हुआ, उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 9 उपधारा 3 जोड़ी गई, लेकिन जब वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने मल्लाह, निषाद जाति के विरुद्ध काम किया था और उन्होंने उस खनिज परिहार निमयावली में संशोधन करके, उसकी व्यवस्था को बदल दिया था, लेकिन जब उसके बाद 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार आई तो उस समय की सरकार ने यह फैसला लिया और 22 सितम्बर, 1994 को एक शासनादेश जारी किया, जिसमें उप-खनिज परिहार नियमावली को संशोधन करके इसके नियम 9 क (1) (क) में यह व्यवस्था की कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, जो जिले के निवासी हों और जिसके लिये पट्टे का आवेदन किया हो, तो उन्हें पट्टा दिया जायेगा।

इस शासनादेश के जरिये मल्लाह, केवट बिन्द, निषाद, वाथम, मांझी, तुरहा, नाई, रैकवार, गोड़िया धीवर कश्यप आदि को पट्टा देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मान्यवर, इस नई खनिज नीति 1998 से इन्होंने एक नई व्यवस्था कर दी है और अब खुली नीलामी की व्यवस्था लागू की है, इससे गरीबों को जो अभी तक पट्टे दिये जा रहे थे, उनको न देकर लाखों-लाख बालू-मौरंग श्रमिकों निषाद, केवट, मल्लाह आदि लोग जिनकी यह वृत्ति थी, को बेरोजगार कर दिया है। पहले जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसके भी पहले जो सरकारें थी, उन्होंने जनकल्याणकारी अपने को साबित किया था, लेकिन मान्यवर, यह जो भा0ज0पा0 की सरकार है, यह जनकल्याणकारी नहीं हैं, क्योंकि यह पहला मौका है, जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासनादेश 29 जनवरी, 1999 को जारी हुआ है,जो उत्तर प्रदेश खनिज नीति,98 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों को और बड़ा बनाये जाने वाला शासनादेश है। यह बड़े शर्म की बात है,अभी तक हमेशा से जो सरकार रही है, उसने गरीबों के हित में शासनादेश किये और वह इन लोगों के लिये अरबों-करोड़ो रूपया खर्च किया करती थी, लेकिन यह पहली सरकार है, जिसने ऐसा शानादेश किया है जो पूंजीपतियों को बड़ा पूंजीपति बनाने के लिये हैं इस तरह का शासनादेश जारी करके इन्होंने गरीबों को उजाड़ने का काम किया है।

माननीय फतेह बहादुर सिंह जी यहां बैठे हैं, जो राज्य मंत्री हैं। पहले जब माननीय वीर बहादुर सिंह जी उद्योग मंत्री थे, वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी थे तो उन्होंने यह शासनादेश लागू किया था कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो निषाद् विन्द, धीवर, मल्लाह लोग हैं, उनको नदियों के बालू, मौरंग के पट्टे सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जायेंगे। आज इनके रहते मुझे इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है ऐसी सरकार से इन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिये, वरना माननीय वीर बहादुर सिंह जी जो स्वर्ग में हैं को बड़ा कष्ट होगा। आज फतेह बहादुर जी इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं और ऐसी सरकार ने लाखों मछुवारों, निषाद समुदाय के लोगों को उजाड़ने का काम किया है। मान्यवर, इस खनिज परिहार नियमावली के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा। माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच ने 17 अक्टूबर, 1996 को एक फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस एस0एच0ए0 रजा और डा0 मैथिली शरण दो जजों की बेंच ने फैसला दिया है।

जिसमें उन्होंने जस्टीफाई किया है कि यह समाज के लोग जो सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रूप से विपन्न हैं उनको यह कार्य दिया जाय लेकिन मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन किया है। जब यह सरकार अपने को संवेदनशील कहती हैं तो इस पर वह पुनर्विचार करें और जो कानून बना है उसमें संशोधन करें। मेरा सुझाव है कि बालू मौरंग खनन का जो काम है उसको तीन श्रेणियों में बाट दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा, एक तो तीस एकड़ तक बालू, मौरंग व्यक्तिगत रूप से मल्लाहों को खनन के लिए दी जाय जैसा कि 1994 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने कानून बनाकर किया था और उसे लागू भी किया था। मान्यवर दूसरी श्रेणी में पांच सौ एकड़ तक बालू और मोरंग के क्षेत्र को मल्लाहों की एक पंजीकृत सहाकारी समिति को बिना नीलामी के दिया जाय। मान्यवर, यह सरकार अगर नीलामी करना चाहती है तो 500 एकड़ से ऊपर के जो क्षेत्र है जिसको मल्लाहों की सहकारी समितियां लेने को तैयार न हो उनकी नीलामी करावें। उन क्षेत्रों को नीलामी में चाहे जो व्यक्ति ले। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह इस व्यवस्था को सुनिश्चित करावें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया

कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसके यहां एक उद्योग नीति न हो, उद्योग लगाने के लिए कोई कार्यक्रम न हो जिसके तहत उद्योगपति यहां आये और यहां उद्योग लगायें। जो फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन हैं जो अनुदान देंगे जिससे उद्योग लगेंगे वही घाटे में होंगे तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे यह भाषण मंत्री जी ने दिया है कि यहां उद्योगपति आने के लिए बेचैन हैं। आप ऋण नहीं बांटेंगे तो कैसे वह यहां आयेंगे? 1998-99 में यू0पी0एफ0सी0आई0 ने 400 करोड़ रुपये का टारगेट लोनिंग के लिए रखा था लेकिन कलेक्शन सिर्फ 203 करोड़ रुपये का हुआ यह पेज नं0-42 में आपकी ही किताब में उल्लेख है। 1998-99 के अन्दर आपने 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन का टारगेट रखा है और जो उधार बांटा है वह सिर्फ 96 करोड़ का है।

अब यू0पी0एफ0सी0आई0 का जो लोन है जो धन देने वाला है उसमें आप कमी कर रहें हैं तो कैसे उद्योग यहां लगेंगे? 1997-98 में 25 करोड़, 1996-97 में 14 करोड़ और 1998-99 में 42 करोड़ की आपकी फीगर है आप 1999-2000 में कह रहें हैं कि 25 करोड़ कर देंगे। 43 करोड़ से 25 करोड़ कैसे कर देंगे यह समझ में नहीं आ रहा है? दूसरे जो आप हैवी इंडस्ट्रीज की लोनिंग करते हैं पिकअप जिसका जिक्र पेज-90 में आप देखें 1998-99 में 185 करोड का डिस्ट्रिब्यूशन करना था जो नये उद्योग यहां आयेंगे उनको लोन वितरण करना था जिसमें आपने सिर्फ 63 करोड़ दिया है बाकी 112 करोड़ बाकी है। जब लेने वाला मौजूद नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उद्योगपति चाहे वह अमरीका के या इंग्लैण्ड एन0आर0आई0 हैं उत्तर प्रदेश में इन्डस्ट्री लगाने के लिए आ रहें हैं लोन ही नहीं आपने बांटा है तो कैसे काम होगा? 1999-2000 के अन्दर आपने टारगेट दिया है 95 का तो 185 से आप 95 करोड़ में आ गये हैं तो यह टारगेट ही कम कर दिया है।

दुनिया के किसी भी हिस्से में जो उद्योगपति हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको लोनिंग होती है बैंक और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन पैसा देते हैं तब वह काम करते हैं अब आई0डी0बी0आई0 भी लोनिंग करती है उनकी जो रिफाइनेन्सिंग होती है उसमें सरकार भी लोन देती है। 60 करोड़ का आपने उसमें लिया है जिसे आपने 120 करोड़ करना है तो वह आप कैसे करेंगे? इससे मैं यही समझूंगा जो हमारे यहां आफीसर हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया जो पैसा देने के लिए तैयार थे उनसे आप पैसा नहीं ले सके तो उसकी कोई न कोई वजह रही होगी।

(6 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि नये उद्योग लगा रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यू0पी0 सीमेंट निगम, स्कूटर इण्डिया, अपट्रान, कानपुर की टेक्सटाईल मिलें जैसे एलगिन मिल, लाल इमली, सभी बन्द पड़े

हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सिक यूनिट्स कितनी हैं? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सीमेन्ट उद्योग के 5,500 आदमी बेकार पड़े हैं।

मंत्री जी ने जिक्र किया है कि हम उद्योग में कुछ करना चाहते हैं जिससे कि किसान पर और एग्रीकल्चर लैण्ड पर जो भार है उसे हम कम करना चाहते हैं और इसलिए हम उद्योग लगाना चाहते हैं। मान्यवर, इस पूरे प्रदेश में 42 प्रतिशत जमीन एग्रीकल्चर की है और उसमें जो काम करते हैं वह 73 प्रतिशत है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसान का बोझ कहां कम कर रहे हैं? मान्यवर, आपने पहले कहा है कि हम यह चाहते हैं और हम यह चाहते हैं लेकिन आज उद्योग के अन्दर जो लोग लगे हैं उनका प्रतिशत 8 है और 15 प्रतिशत इण्डस्ट्रीज हैं जिनमें 8 प्रतिशत लोग रोजगार पाये हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि क्रेडिट डिपाजिट, जमा अनुपात 1986 में 17.11 प्रतिशत, वर्ष 1987 में 45.12 प्रतिशत, वर्ष 1993 में 42.36 प्रतिशत, 1994 में 37.25 प्रतिशत, 1997 में 31.71 प्रतिशत और 1998 में 28.26 प्रतिशत था। इस प्रकार आपके प्रदेश में जो पैसा जमा होता है वह पिछले एक वर्ष में 28.26 प्रतिशत इस प्रदेश के उद्योग में लगा है। यह सोचने की बात है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक बैठक करें और पता लगायें कि आपका क्रेडिट सिस्टम कहां खराब है क्योंकि आपका पैसा आपके प्रदेश में नहीं लग रहा है और आपका धन दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं बताया है। मान्यवर, मंत्री जी उद्योग नीति और अच्छे उद्योग यहां लाने की बात करते हैं और ऐसा माहौल वह पैदा करना चाहते हैं जैसे कि प्रदेश में आज बहुत से लोग उद्योग लगा रहे हैं।

मान्यवर, जो कामार्शियल बैंकों की जो लोनिंग और डिपोजिट है उसमें आप जो क्षेत्रीय संतुलन की बात करते है तो क्षेत्रीय संतुलन की बात देखे, चमोली के अन्दर डिपोजिट रुपया है 160 करोड़ और लोनिंग हुई 23 करोड़ रुपये की। मुरादाबाद में 1515 करोड़ डिपोजिट हुआ लोनिंग की फीगर नहीं है। मेरठ में 2033 करोड़ डिपोजिट हुआ और लोनिंग रुपया है 314 करोड़। कौन सी उद्योग नीति है? मान्यवर हर जगह जहां भी उद्योग लगते हैं जिस क्षेत्र में लगते हैं उनसे पैसा आता है और मान्यवर रोजगार मिलता है। उद्योग लगाने में मान्यवर, रोजगार की स्थिति बिहार में एक लाख पर 306 की है और उत्तर प्रदेश में 421 की है। आपने यह जो आंकड़ा दिया है मेरी समझ में नहीं आता। मान्यवर मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोनिंग डिफरेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूट से है और जो हिन्दुस्तान के हैं, स्थिति यह है कि आई0डी0बी0आई0 11 प्रतिशत ब्याज पर 1303 करोड़ रुपये लोन देती है, आई0सी0आई0सी0आई0 7 प्रतिशत ब्याज पर 760 करोड़ रुपये, आई0एफ0सी0 आफ इण्डिया 10.5 प्रतिशत पर 541 करोड़ रुपया, नाबार्ड 13.5 प्रतिशत देती है 480.52

करोड़ रुपया। अगर सारे हिन्दुस्तान से हिसाब निकाले तो यह गलत है कि उद्योग यहां बैचेनी के साथ आते हैं। लेकिन सच यह है कि नहीं आते हैं। न आने की बहुत सी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मान्यवर, उद्योग का वातावरण इसलिए नहीं मान्यवर, सबसे पहली बात इसी सदन में आपके विद्युत मंत्री ने, मुख्य मंत्री जी ने यह कही है कि बिजली की कमी है, 2000 मिलियन यूनिट की कमी यहां है, तो मान्यवर कौन सा तरीका बनेगा कि उद्योग आना चाहेंगे। उन्हें कनेक्शन कैसे देंगे उन्हें विद्युत कैसे प्रोवाइड करेंगे? मंत्री जी वहीं जो उद्योग क्षेत्र आपके थे चाहे वह ग्रेटर नोयडा या अन्य कोई, नोयडा में डीसीएम डायबू होंडा सिटी तथा एक्सपोर्ट यूनिट को छोड़कर वहां उद्योग बन्द हो रहे हैं। इण्डस्ट्रियल प्लाट्स पर रेजीडेन्शियल कालोनी बन गयी हैं, वहां उद्योग नहीं लगे हैं और ग्रेटर नोयडा एक जमाने से ऐसा ही पड़ा हुआ है। अभी तक उसका आवंटन नहीं हो पाया है। मेरठ की बात कर लें जो फैक्ट्रिया थी, वहां एक भी नहीं बढ़ी और जो 2-3 लगीं थी, वह बन्द पड़ी हैं, उसके वर्कर रिक्शा चला रहे हैं। मान्यवर, तो यह कहना कि हम उद्योग का वातावरण ला रहे हैं। मान्यवर, मैं इसे बहुत उचित नहीं समझता। मेरा मंत्री जी से कहना है कि अगर ईमानदारी से उद्योग लगाना चाहते हैं तो जो फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जो कर्जा दे सकें, पहले उन्हें ठीक कर दीजिए। सिंगल विन्डो, वन रूम योजना ये अच्छे अलफाज हैं।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था एक मुद्दा रह गया है, अपने बजट भाषण में जो दिया, उसमें हमें यह कहना पड़ेगा कि उद्योगों और हर उद्यमी को सुरक्षा देने वाली बात ऐसी है जैसे उद्योग का माहौल ही नहीं है। अगर हर जगह पुलिस चौकी, चेकपोस्ट बनायेंगे तो पुलिस की भर्ती ही करते रहेंगे तो यह कार्य कैसे हो सकता है?

मान्यवर, अब मैं अनुदान संख्या 7-8 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, इलाहाबाद, लखनऊ, रूड़की, रामपुर, वाराणसी 5 जगहों पर सरकार के प्रेस हैं। आपने जो इसके लिये बजट रखा है उसको देखें, प्लान में आपने 55 लाख का बजट रखा है और नान-प्लान में 41 करोड़ रुपये का बजट है। तो यह जो पैसा है यह पेट्रोल, आने-जाने व तनख्वाह पर खर्च होगा तो यह प्रेस अच्छी तरह से चलेंगे कैसे? इनके नवीनीकरण की योजना तो आपने बनायी नहीं। आप इन पांच प्रेस में दो को छांट लीजिये और इनका माईनाइजेशन करिये। आपके गवर्नमेंट के जो भी काम हैं वह तो प्राइवेट प्रेस से आप कराते हैं। जो आपका बैलेट पेपर छपता है तो इतना उद्यम रहता है कि मानो सारा उत्तर प्रदेश इसी काम में लगा हो वहां। बैलेट पेपर पर जो नंबर डाले जाते हैं वह हाथ से डाले जाते हैं, मशीन द्वारा नंबर डालने की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह 5-5 मिनट में ही अपने सुझाव दे दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये उद्योग विभाग के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है? मैं कुछ चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में टैक्सटाइल सिटी कानपुर में, उन्नाव, इलाहाबाद में कुछ चीजें स्थापित करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोयडा को छोड़कर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई योजना हो। जहां अन्य जगहों पर आपने औद्योगीकरण की व्यवस्था की है मुझे उससे कोई द्वेष नहीं है और इसके लिये आपको बधाई देता हूं लेकिन आगे यदि किसी चीज की स्थापना के बारे में निर्णय करे तो आपका ध्यान कानपुर, उन्नाव और इलाहाबाद पर ही न जाय बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, इण्डस्ट्रियल स्टेट के लिये जो आप प्लाट देते हैं उसकी दरों में बड़ा फर्क है। नैनी में आप 65 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर देते हैं वहीं पर मेरठ में 445 रुपये पर प्लाट मिल रहे हैं।

मान्यवर, इण्डिस्ट्रयल स्टेट में जमीन लेने के बाद उस जमीन का नक्शा पास कराने के लिए जब विकास प्राधिकरण से रफ जमीन लेकर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 डेवलप करके उद्यमी को देता है तो उसका पैसा ले लेता है फिर उसे नक्शा पास कराने के लिए क्यों परेशान किया जाता है? उत्तर प्रदेश का विकास की दृष्टि से बैंकों में जमा धन और उसके द्वारा दिया गया ऋण का अनुपात चेतावनी के रूप में आपके और हमारे सामने है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में इस पर चिन्ता व्यक्त की थी। पिछली बार भी सी0डी0 रेशियो पर चिन्ता व्यक्त की थी। जो 60 प्रतिशत का रेशियो होना चाहिए वह बड़ी मुश्किल से 26 से 29 प्रतिशत के बीच में है। यह औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसका येन-केन प्रकारेण हल निकाला जाना चाहिए, यह सरकार को एक सुझाव है। अभी विपक्ष के साथी कौकब हमीद जी 5 लाख और 41 करोड़ के प्लान और नान प्लान की चर्चा कर रहे थे वह कह रहे थे कि 41 करोड़ रुपये का नान-प्लान का बजट है। यह उन लोगों को पुराने किये हुये कर्मों का बोझ ढोना पड़ रहा है और विकास के लिए धन ही नहीं निकल पा रहा है। उनके द्वारा जो भर्तियां की गयी थी उसका परिणाम हम लोग झेल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल की त्रासदी है कि सरकार करे तो मरे न करे तो भी मरे। विपक्ष को तो आलोचना करना ही है। एक बात कहना चाहता हूं वस्त्र उद्योग निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कुछ कतोंई मिलें चल रही हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की नहीं लेकिन जो दुग्ध विकास मंत्री जयपाल सिंह है उनके क्षेत्र की है, परतापुर कताई मिल है, आज वह कताई मिल अन्तिम शैय्या पर भीष्म पितामह की तरह सांसे गिन रही है। झांसी, सण्डीला, काशीपुर व जसपुर की मिलें बन्द हो गयी

हैं। सरकार अगर जीवन दान दे सकती है तो सबसे कम पैसे में जीवनदान पाने वाली यह यूनिट होगी। 1997 में झांसी की मिल, सण्डीला की मिल नवम्बर, 1998, काशीपुर दिसम्बर, 1998 तथा जसपुर की अक्टूबर 1998 में बंद हो चुकी है। मेरठ की इकाई केवल काम कर रही है। मेरठ की इकाई का भुगतान भी सबसे कम है। यहां मजदूरों की संख्या 2250 है। अन्य जगह 2338, 2348 है। मेरी सरकार से यह निवेदन है कि इस मिल को चलाने के लिए मात्र 567 लाख रुपये की जरूरत है अन्य मिलों के लिए 1098 लाख, 864 लाख, 998 लाख रुपये की जरूरत है। परतापुर कताई मिल 567 लाख रुपये में जीवनदान पाकर चल सकती है। यहां कार्यरत मजदूर 2250 हैं जो ज्यादातर पूर्वांचल से गये हैं। आज वह भुखमरी के कगार पर हैं अगर उनके परिवारों को रोटी देने के लिए 567 लाख रुपये की व्यवस्था सरकार कर दे तो वह कताई मिल चल सकती है। मान्यवर, अन्तिम बात कहना चाहता हूं। सरकार ने बड़े जोर-शोर से एकल खिड़की की व्यवस्था की है। मान्यवर, अगर आप यह कर देते तो विकास के लिये यह मील का पत्थर साबित होती। लेकिन सरकार केवल अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के फीड बैक पर विश्वास कर रही है। यह सरकार अंधेरे में है, सरकार को मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार को अपने विधायकों, सहयोगी दलों के विधायकों, कार्यकर्ताओं से फीड बैक लेना चाहिए। मैं मेरठ से विधायक चुनकर आया हूं। मैं मेरठ में उस एकल छत की तलाश में हूं, जिसके नीचे वह खिड़की है कहां है उसकी मेज और कहां है नोडल अधिकारी कौन-कौन विभाग में बैठते हैं, इसकी तलाश में हूं। अभी तीन दिन पहले शासन के मुख्य सचिव मेरठ गए थे उन्होंने स्वयं इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि एकल खिड़की अभी तक चालू नहीं हुई है। यह प्रणाली एक जनवरी, 1999 में घोषित की गई थी। आज तक यह मेरठ में चालू नहीं हुई। शासन को ऐसी सूचना देने वाले कौन अधिकारी हैं उनके बारे में कार्यकर्ताओं से फीड बैक लेना चाहिए। जो अधिकारी असत्य सूचना दें उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भादी:

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग पर श्री मिर्धा जी एवं श्री कौकब साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। वास्तव में मंत्री जी खुद किसाये के हैं उनकी उद्योग के बारे में जानकारी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी बजट न प्रस्तुत करते लेकिन उनको कम से कम सदन में तो उपस्थित रहना चाहिए था जिससे वह हमारे सुझावों पर जवाब देते। श्री कौकब साहब ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अलावा मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना ऐसी योजना है जिसमें कुछ बेरोजगारों को ऋण दिये जाते हैं लघु उद्योग के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसका इस वित्तीय वर्ष में 60,000 का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 29,229 स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

14,994 को ऋण वितरित किए गए हैं। यह इस योजना की प्रगति है। श्री बाजपेयी जी ने अभी कहा कि एकल खिड़की कहा है मैं बता देना चाहता हूं कि एकल खिड़की नोयडा में है यह कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। जो उद्योगपति दिल्ली बाम्बे और देश के बाहर जर्मन, जापान और कोरिया इन लोगों को घुमाते हैं उनके लिए एकल खिड़की बनाई गई है। मेरठ में यदि पोटरी उद्योग के लिए कानपुर, उन्नाव यहां एकल खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। यह उन लोगों के लिये है, जिनके पास सारी सुविधायें मुहैय्या हैं। कोई भी फैक्ट्री 200 करोड़ से कम की नहीं है। ग्रेटर नोयडा में एल0जी0इलैक्ट्रानिक्स, हिन्दुस्तान, एक्सपोर्ट, एच0पी0सी0एल0, देवेबू, गैरन इण्डिया लि0 आदि कई कम्पनियां हैं जो जर्मनी, जापान और कोरिया के सहायोग से चल रही हैं। यदि किसी में हमारी अंशपूंजी होगी भी तो वह 5 पैसे, 10 पैसे या 20 पैसे तक। 2 हजार करोड़ तक की ये फैक्ट्रियां हैं। 50 करोड़ से कम की कोई भी फैक्ट्री नहीं है। फौंडा 1800 करोड़ की है, कोई साढ़े छः सौ करोड़ की है और कोई साढ़े चार सौ करोड़ की है। 100 करोड़ से कम की कोई नहीं है। यह एकल खिड़की पद्धति इन क्षेत्रों में चलाई गई है। छोटे उद्योगों के लिये यह योजना अभी लागू नहीं हुई है। हमारे यहां गौतमबुद्ध नगर में दोनों एथोरेटीज हैं। नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और वृहत्तर नोयडा विकास प्राधिकरण। नोयडा ने इस चालू वित्तीय वर्ष में 3 लाख वर्ग मीटर भूमि के आंवटन का लक्ष्य रखा और उसको प्राप्ति होनी थी 3720 लाख की। इसके सापेक्ष दिसम्बर, 1998 तक 3,51,982.92 वर्ग मीटर भूमि का ही आवंटन किया गया और उससे 3170 लाख रुपये प्राप्त हुए।

पुनरीक्षित आय-व्यय वर्ष 1998-99 में 3,51,982.92 लाख वर्ग मीटर आवंटन से 3600 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 430 लाख रुपये कम है। जबकि इसके बाद रेट दो बार बढ़ गये हैं। 2500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर से लेकर 4500 वर्ग मीटर तक का रेट है और कामार्शियल पर तो 50 हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर तक बोली बोली जा रही है। इससे साबित होता है कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार ग्रेटर नोयडा में भी 2400 से 3600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन को बेचा जा रहा है और फैसले के आधार पर किसान से 160 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन ली जा रही है। हाल ही में अभी एक जमीन 8000 वर्ग मीटर के हिसाब से बेची गई। किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही शासन ने इसका कहीं जिक्र अपने बजट में किया है। किसानों को कहा जाता है कि जमीन 160 रुपये गज में दे रहे हो तो ठीक है नहीं तो हम अधिसूचना जारी कर देंगे। आप कोई अधिकार नहीं मांगेगे, झगड़ा नहीं करेंगे और किसी अदालत में नहीं जायेंगे, नहीं तो हम 49 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अधिसूचना जारी कर देंगे। हल्दौना गांव की भूमि के लिए अधिसूचना जारी की गयी परन्तु अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। ग्रेटर नोयडा ने 126 गांव 2011 तक लिये परन्तु अभी तक 20 गांव भी डेबलप नहीं किये हैं और 53 गांवो को और शमिल कर लिया गया है। 2031 तक कोई योजना नहीं है जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। हम अपनी आबादी नहीं बना सकते। अगर किसान चाहे कि

वह अपनी आबादी में बाउण्ड्रीवाल कराये तो उसे प्राधिकरण नहीं करने देगा। 2011 तक उनका मानना है कि हम साढ़े पांच लाख की जनसंख्या का शहर बनाने का प्रस्ताव है। दो चीजें खास हैं। अभी वही ग्रेटर नोयडा ने 23-10-98 को एक भूमि योजना के अन्तर्गत ड्रा किया जिसमें 2444 विशिष्ट भू-संख्या और 24-10-98 को स्वर्ण नगरी आवास योजना के अन्तर्गत 1161 के प्लाट के अगेन्स्ट 15 हजार एप्लीकेशन्स थीं। लोगों ने रुपया ड्राफ्ट से जमा किया था लखनऊ में भी रुपया जमा हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

1161 लोगों को प्लाट दे दिये गये हैं लेकिन आज तक जो शेष लोगों को जिनका धन ड्राफ्ट के द्वारा जमा था और उनका करोड़ों रुपया ब्याज बनता है। उनको कुछ नहीं दिया गया है। अभी उनका पैसा साधारण चैक से वापस किया जा रहा है जिससे उनका 100-120 रुपया उसमें से और कट जायेगा। इस तरह से लूट इनके द्वारा चल रही है। नोयडा में 285 रुपये और ग्रेटर नोयडा में 160 रुपये का रेट है लेकिन दोनों जगह 2400 और 3600 के रेट पर बेची जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

किसानों के साथ अत्याचार भी हो रहा है। इस उद्योग की आड़ में। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि लोकल रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि सरकार की ऐसी योजना है कि जहां पर उद्योग कोई लगायेगा तो वहां के 50 प्रतिशत लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारे यहा कम्पनियों में कोई योजना नहीं है रोजगार देने की। सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इसी सरकार के चलते वहां की विलाई इण्डिया कं0 जहां 702 लोग काम करते थे बेच कर चली गई। डी0एल0एम0 पेपर मिल जिसकी 50 करोड़ लागत थी बेचकर चली गई। प्रीमियर विनायल के मालिक ने कम्पनी बेच दी और उस पर 1 करोड़ 7 लाख रुपया श्रमिकों के वेतन आदि का बकाया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

इस तरह का औद्योगिक विकास इस प्रदेश में हो रहा है। इसी तरह से मैं

देख रहा था वहां पर प्राइवेट बिल्डर्स को गलत तरीके से इतनी जमीन का आवंटन कर दिया गया है सैकड़ों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। आप इसकी जांच करवा लें। प्राइवेट बिल्डर्स और भू-माफिया इस कार्य में बुरी तरह संलग्न हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं थोड़ी सी बातें और थीं, कहना चाहता था किन्तु समय न होने के कारण मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और कौकब भाई और निषाद जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री नवाब सिंह नागर-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का समय दिया है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश की प्रगति, उन्नति का सम्बन्ध वहां के उद्योगों से है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण अच्छी तरह से बने। उद्योगों के लिये 2/3 चीजें प्रमुख हैं। सबसे पहले कानून व्यवस्था अच्छी रहे। उद्योपतियों को यह महसूस हो कि वह वहां सुरक्षित हैं। बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, कार्य प्रगति ठीक-ठाक हो। मैं सबसे पहले जो हमारी सरकार ने कुछ कर प्रणाली में उद्योगों के लिये निर्णय लिया है उनको बताना चाहूंगा। सरकार ने व्यापार कर में छूट के लिये जो 5 प्रतिशत तक का प्रतिबन्ध था, उसको समाप्त कर दिया है। पूरा शत-प्रतिशत व्यापार कर में छूट देने की पद्धति हमारी सरकार ने लागू की है। साथ ही विचार किया कि जो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की कम्पनियों हैं उनको वह तीन साल में जो भी निवेश करेंगे उनका निवेश माना जायेगा और उसके आधार पर उनको व्यापार कर में छूट दी जायेगी। 50 करोड़ से ऊपर की जो कम्पनियां हैं उनको 5 साल तक के निवेश को निवेश माना जायेगा और उसके आधार पर व्यापार कर में छूट दी जायेगी। इस निर्णय से बहुत लाभ उद्योपतियों को मिला है।

इसी के साथ बहुत क्रान्तिकारी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है जो व्यापार कर की चौकियां हैं उनको हटाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है यह। अप्रैल 1999 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इससे काफी लाभ मिलेगा। साथ ही इंस्पैक्टर राज्य को खत्म करने की बात कही गई है, हर रोज जो कर्मचारी निरीक्षण के लिये चले जाते हैं उससे मुक्ति दिलाई है अब जब तक अधिकारी डी0एम0 से परमीशन नहीं लेंगे वह किसी विभाग में निरीक्षण के लिए नहीं जा सकते हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने फार्म के बारे में जो कहा है वह अच्छा प्रयास है उद्यमी को केवल एक संकलित फार्म भरना होगा, उससे उसको सुविधा मुहैय्या करायी जायेगी। मान्यवर, ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में पहला परीक्षण किया गया है प्राइवेट क्षेत्र को बिजली वितरण का इसमें बिजली उत्पादन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना भी था जिसमें सफल नहीं हुए हैं। पहले किसानों को बिजली देने में दिक्कत होती थी लेकिन अब उद्योगों को बिजली अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छी सेवा है।

कम्पलेन करने के 15 मिनट बाद बिजली ठीक करने उनके कर्मचारी पहुंच जाते हैं। बिजली कनेक्शन के लिये जरूरत होती है तो अधिकारी, कर्मचारी पहुंच जाते हैं और सुविधा से कनेक्शन देते हैं जबकि विद्युत बोर्ड को कनेक्शन देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है यह लाभ ग्रेटर नोयडा का हो रहा है। यह सब जो प्रयास किये हैं एक अनुकूल वातावरण बना है। लगभग 300 प्रस्ताव पिछले साल निवेश के प्राप्त हुए हैं इसमें तीन सौ करोड़ से ज्यादा निवेश हुआ है मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। मान्यवर, उद्योगों के लिए जमीन दी जाती है तो किसानों को मुआवजा देने की समस्या आती है जमीनों के बारे में भाटी जी ने बताया मुआवजा बहुत कम 160/- रुपये मिल रहा है मैं बताना चाहता हूं 3-4 साल पहले इनकी सरकार थी उस समय भी आप विधायक थे उस समय 40-45 से ज्यादा नहीं मिला। हम 225/- रुपया मुआवजा दे रहे हैं यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। किसानों की जमीनें जो अधिग्रहीत की गई हैं उनको उनका 10 प्रतिशत विकसित करके आवासीय प्लाट के रूप में दिलाया जायेगा इससे पहले एक इंच किसी सरकार ने वहां के किसानों को मुहैय्या नहीं कराया।

मान्यवर, करार के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम उठाया है। हमने अधिनियम पास किया है। डी0एम0 किसान की जमीन लेता था और पिछले बैनामें को देखकर एवार्ड करता था। मान्यवर, 98 में अधिनियम-97 बनाया गया जिसमें किसान और संबंधित संस्था आपस में बैठकर करार करेंगे और जो भी मुआवजा तय होगा वह देय होगा। इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि आई0ए0एस0 अधिकारियों ने इसमें एक काम छोड़ दिया है। जमीन जाने के पहले डी0एम0 के यहां प्रस्ताव जायेगा और रेवेन्यू बोर्ड उसको स्वीकृत करेगा उसके बाद मुआवजा दिया जायेगा तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। 80 प्रतिशत बिना एवार्ड करार किये ही डी0एम0 दे रहा है और 20 प्रतिशत रोक लेते हैं तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। राजस्व वसूली के मामले में सरकार के यह आदेश हैं कि ज्यादा से ज्यादा वसूली होनी चाहिए। व्यापार कर अधिकारी व्यापार कर को पूरा करने के लिए एक्स पार्टी करके अनाप-शनाप ले लेते हैं उसमें रोकथाम होनी चाहिए। बिजली के मामले में जैसे कि ग्रेटर नोयडा में है उसी प्रकार से इस चीज को देखते हुए जो भी प्राइवेट कम्पनियों को हम वितरण देने जा रहे हैं उन्हीं को उत्पादन भी देना चाहिए। जब तक उत्पादन नहीं करेंगे और बांटने का काम करेंगे तो यह उनके लिये अलाभकारी होगा।

मेरा निवेदन है कि निजी कम्पनियों को बिजली देनी चाहिए लेकिन उसका उत्पादन भी उसी कम्पनी द्वारा कराया जाना आवश्यक है। यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, जो प्राधिकरण बन रहे हैं इसमें मजदूरों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आप पांच-दस पन्द्रह रुपये की आश्रय योजना चला रहे

हैं इसी प्रकार से यह योजना वहां भी चलायें जिससे जो स्लम बन रहे हैं उसमें रुकावट हो सके तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो कम्पनियां लग रही हैं, जहां प्रदेश सरकार को राजस्व का लालच है, वहीं इच्छा रहती है कि युवकों को रोजगार मिलेगा। इसमें सरकार का आदेश है कि सबसे पहले शोध में जमीन जिनकी गयी है उनको नौकरी दी जानी चाहिए, फिर तहसील और फिर जिला और फिर प्रदेश में। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस शासनादेश को गंभीरता से लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अरिमर्दन सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग की कटौती के प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सीताराम निषाद जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं असत्य बोलने का आदी नहीं हूं। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उद्योग लगाने की बात करते हैं या खत्म करने की बात करते हैं? यह जो बात कहते हैं यह करते नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की नीति अच्छी नहीं है। अगर यह कहें कि उद्योग खत्म करने की बात करते हैं तो सही बात है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड गोना में ग्लास फैक्ट्री थी वह बन्द करा दी गयी, सूती मिल बन्द है, कानपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द करा दी गयी और कवरई में, महोबा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, वहां उद्योग नहीं है और न ही सरकार लगाने पर विचार कर रही है। जो छोटे उद्योग वहां लगे हैं वसूली का काम उसमें करते हैं। महोबा महोत्सव हो रहा था यह कहा गया कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए सभी मशीनों से 10-10 हजार रु0 लिये गये न मुख्य मंत्री जी गये न कार्यक्रम उनका हुआ। पर्यावरण के बहाने आये दिन वहां धमकियां दी जा रही हैं। जब व्यापारी खुश नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, जब वातावरण नहीं होगा तो उद्योग नहीं लग सकते हैं। व्यापारियों को विश्वास होगा तभी वे यहां आयेंगे। गन्दा पानी पीने को मिलता है सुरक्षा व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। क्रेशर जो महोबा में लगे हुए हैं बालू की डस्ट दिल्ली में बहुत मंहगी बिकती है हमारे यहां बेकार पड़ी है आपने नहीं सोचा कि कैसे इस डस्ट से उद्योग लगाये जायें। विद्युत की दरें तिगुनी हो गयी हैं जो बुंदेलखण्ड में बी0डी0आर0की छूट थी वह खत्म कर दी गयी है। सरकार की नीयत अच्छी नहीं है उद्योगों को बढ़ाना नहीं अपितु खत्म करना चाहती है।

मेजर जगत पाल सिंह-

मान्यवर, मैं इस उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश में भूमि-जल, आदि साधन काफी उपलब्ध हैं, इसके अलावा प्रदेश में खनिज, पशुधन दक्ष एवं सामान्य श्रेणी के मानव संसाधन जैसे संसाधनों की उपलब्धता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा रेल, सड़क व हवाई मार्ग की सुविधायें उपलब्ध हैं जिससे

यह बड़े उद्योग और एक्सपोर्ट यूनिट्स आसानी से लग सकती हैं। वर्ष 1998-99 उद्योग जगत में हमारा सराहनीय वर्ष रहा है। वृहद मध्यम 228। उद्योग लगे 37 हजार 740.47 करोड़ रु0 का पूंजी निवेश हुआ 23 हजार लोगों को रोजगार मिला है। लघु उद्योगों में 34,233 उद्योग लगे 3,231.43 करोड़ रु0 की पूंजी लगी, 14 लाख व्यक्तियों के हाथों को कार्य दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने 27-10-98 को नयी निर्यात नीति की घोषणा की, 2002 तक 30 हजार करोड़ रु0 के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

मान्यवर, कच्चे माल एवं पैकेजिंग पर व्यापार कर में पूर्ण रूप से छूट दी गयी निर्यात, किराया सब्सीडी सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। मान्यवर, इंस्पेक्टर राज हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है 20 लाख से अधिक का वार्षिक उत्पादन करने वाले निर्यातकों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे वह किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हैं व कार्यालय में पहुंच सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। विद्युत सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है। निर्यातकों को नूतन प्रणाली के तहत एक छत के नीचे सारी स्वीकृतियां प्रदान करा दी गयी हैं। मान्यवर, हमारे जनपद मुरादाबाद तथा अन्य शहरों में भी तमाम कठिनाइयां थी, उसमें विद्युतीकरण कराकर उनको पूरी सहूलियतें दी गई हैं। इसी के साथ कच्चे माल पर मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है, अब व्यापारी को छूट के साथ कार्य करने की सुविधा प्राप्त है, इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरों का गठन कर दिया है।

इसी के साथ मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जनपद मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, वहां से प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है लेकिन वहां जो छोटे और बड़े उद्योग हैं, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सभी उद्योग शहर के अन्दर हैं, वहां अभी तक किसी इण्डस्ट्रियल एरिया की स्थापना नहीं की गयी है, इससे वहां के नागरिकों को असुविधा हो रही है, बड़े उद्योगों को अब शहर के बाहर इण्डस्ट्रियल एरिया में लगाया जाना चाहिये। मान्यवर, वहां बिजली की आंख-मिचौली से निर्यातकों को बड़ी परेशानी होती है, इसके लिये उन लोगों ने बड़े-बड़े जनरेटर सेट लगा रखे है, जिसकी वजह से शहर में काफी प्रदूषण होता है, इसके लिये मान्यवर, वहां अनवरत बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये अच्छी सड़कों का इन्तजाम किया जाय, इसके अलावा वहां एक हवाई-पट्टी बना दी जाय, जिससे हेलीकाप्टर व हवाई जहाज आ सकें और इससे बाहर के व्यापारी वहां आकर आसानी से अपने आर्डर ले सकते हैं जिससे मुरादाबाद का एक्सपोर्ट 2 हजार करोड़ से बढ़कर सन् 2002 तक 5 हजार करोड़ तक किया जा सकता है।

मान्यवर, दो-तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो वहां के एक्सपोर्ट्स हैं, वह अभी तक अपना सामान दिल्ली ले जाते हैं, उनके सैम्पुल आउट हो जाते हैं, इसलिये बहुत जरूरी है कि निर्यातकों के लिये जनपद मुरादाबाद में अच्छे होटल्स का प्रबन्ध किया जाये, इससे बाहर के व्यापारियों को वहां ठहरने में

परेशानी नहीं होगी। मान्यवर, जो वहां इण्डस्ट्री यूनिट एस0आई0डी0सी0 है, वह ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको ठीक किया जाय, इसी के साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा0 कौशल किशोर-

माननीय अधिष्ठाता जी, अनुदान संख्या-7 पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी सुरसा गति से बढ़ रही है और सभी चीजें कृषि पर आधारित हैं। कृषि को तो बढ़ाया नहीं जा सकता और ऐसी स्थिति में इस श्रम शक्ति, जनशक्ति का इस्तेमाल केवल उद्योग में ही किया जा सकता है। इसमें भी भारी उद्योग से लाभ नहीं होगा, बल्कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उसमें जनशक्ति और श्रमशक्ति की खपत की जा सकती है। मान्यवर, उद्योग लगाने के वक्त कुछ मूलभूत चीजों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे गंदे पानी की निकासी कहां होगी, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है ? इसलिये गंदे पानी की निकासी का प्रबन्ध होना चाहिये। उद्योग ऐसे स्थान पर लगें जो भूमि कृषि के लिये अनुत्पादक हो, इसके अलावा उद्योग लगाने वाली जगह पर बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और कच्चे माल को लाने तथा बना हुआ माल बाहर ले जाने के लिये आवागमन का साधन होना चाहिये। उद्योग ऐसे स्थान पर लगे, जहां रा मैटेरियल ज्यादा मिलता हो। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि रा मैटेरियल कहीं और से आता है और उद्योग कहीं और लगा दिया जाता है। बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां पर रेशम काफी पैदा किया जाता है। हमारे लखीमपुर खीरी जनपद में कोकून से रेशम काफी बनाया जाता है, शहतूत की बागवानी काफी होती है, लेकिन कपड़ा बनाने का कोई उद्योग न होने की वजह से उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन वहां पर कोई रेशम उद्योग नही है, वहां पर रेशम के कपड़े का उद्योग लगाया जाना चाहिये, इसकी सख्त जरूरत है। हमारे यहां पर खस पैदा होता है, लेकिन उस पर आधारित कोई उद्योग हमारे यहां पर नहीं है, खस हमारे यहां पर पैदा होता है और वह कन्नौज ले जाया जाता है, खस की फैक्ट्री हमारे जनपद में लगनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

यह भारी और मध्यम उद्योग का बजट है।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, यह मध्यम उद्योग में ही आता है। मान्यवर, हमारे यहां पर खीरी में जगंल बहुत है, घास-फूस और लकड़ी बहुत है, तो इन पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिये। फर्नीचर उद्योग हमारे जिले में बहुत अच्छा चल सकता है, इस पर ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दें और कोई कार्यवाही करें। हमारे यहां का पीतल उद्योग और बरतन उद्योग बरबाद हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिये जिससे यह उद्योग पनपें। मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे जनपद खीरी में गन्ना बहुत अधिक पैदा होता हे, वहां पर 6 मिलें और 150 क्रेशर हैं, वहां पर शीरा, खोई और मोई पर आधारित कोई उद्योग नहीं लगा है। मान्यवर, खोई से परफ्यूम का उद्योग लगाया जा सकता है और मोई से रबड़ और मोम का उद्योग लगाया जा सकता है। मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे जनपद में स्लाटर हाउस बहुत हैं, इस कारण वहां पर हड्डी और चमड़ा बहुत अधिक मिलता है, इस पर आधारित कोई उद्योग लगाया जाये, तो वहां का विकास हो सकता है। उद्योगों से श्रम शक्ति का उपयोग होता है और गरीब लोगों की हालत सुधरती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां-जहां पर रा-मैटरियल मिलता है वहां पर उसके उद्योग लगाये जाने चाहिये, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस सरकार ने एक काम तो जरूर किया है कि मंत्री बनाओ उद्योग लगा रखा है। यह सरकार अपने विधायकों को रोजगार दे रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारा देश सन् 1947 में आजाद हुआ था और एक उद्योग नीति बनानी चाहिये थी, लेकिन कोई उद्योग नीति नहीं बनायी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, जब से सत्ता में आयी है, माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने प्रत्येक विभाग के लिये नियोजित नियोजन के लिये एक उद्योग नीति बनायी है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, केवल कृषि के आधार पर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये जो नीतियां बनायी गयी हैं, उसके लिये शासन बधाई का पात्र है। मान्यवर, चिन्ता का विषय यह है कि भारत सरकार के रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार ऋण जमा का 60 प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिये, लेकिन यह प्रतिशत घटता जा रहा है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर विशेष चिन्ता जताई है।

(7 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कागज उद्योग के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया कि 26 कागज उद्योग पिछले दो वर्षों से बंद हो चुके हैं। हमारे यहां नये उद्योग लगने चाहिये। अपने यहां इनके बंद होने के कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चण्डीगढ़ ने अपने कागज पर एक प्रतिशत व्यापार कर लगा दिया। अन्य राज्यों से कागज प्रदेशों में आ रहा है। पुस्तकों के लिये कोई व्यापार कर देय नहीं है, पुस्तकों के नाम पर कागज आयात कर लिया जाता है और पुस्तकें न छाप कर

उसकी बाजार में अभ्यास पुस्तिकायें बना दी जाती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई योजना लागू करें जिससे इनको पुनः चालू किया जा सके।

मान्यवर, मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आगरा के बारे में वहां ताज ट्रापिजियम जोन 1982 से लागू हो गया जिसके अंतर्गत कोई नया उद्योग लगाने एवं जो उद्योग जिनसे प्रदूषण फैलता है। वहां पहले से स्थापित हैं उनकी क्षमता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आगरा में इलैक्ट्रानिक एवं शाफ्टवेयर पार्क स्थापित किये जायें।

आगरा में इण्डस्ट्रियल इस्टेट सिकंदरा में है। मालती कौल बनाम उ0प्र0 सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विकास शुल्क उतना ही लिया जा सकता है जितना वास्तविक व्यय होगा लेकिन यहां पर यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 ने जो भूमि दी थी उस पर विकास शुल्क मांगा जा रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है।

आगरा में हाथरस रोड पर जो जमीन अधिग्रहीत यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 द्वारा की गयी वहां पर जो 14 पहले से ही इकाइयां स्थापित थीं उनकी भी भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी वह शासन को राजस्व दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में वह गये और वहां जीत गये यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने इस निर्णय के विरुद्ध स्पेशल लीव सर्वोच्च न्यायालय में दायर की वहां भी यू0पी0एस0आई0डी0सी0 हार गयी जो इस प्रकार की भूमि थी उसको भूमि अर्जन से अवमुक्त नहीं किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कुछ कहूं इसके पूर्व में माननीय निषाद और माननीय कौकब साहब द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय मंत्री जी ने आगामी वित्तीय वर्ष का जो लक्ष्य रखा है, जो इरादा घोषित किया है, उस संबंध में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह इसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इतने संसाधन वह जुटा पायेंगे या नहीं, आवश्यक धन के श्रोत क्या होंगे, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कहां से पैसा आयेगा हमारे प्रदेश में? प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो वातावरण होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है औद्योगिक विकास के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक रहना सबसे महत्वपूर्ण है जो यहां नहीं है। हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज की बात तो की है लेकिन आज पूरे प्रदेश में माफियाओं का साम्राज्य कायम है जिसके कारण प्रदेश में भा0ज0पा0 के अब तक के कार्यकाल में एक भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए नहीं आया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय सबसे खराब स्थिति कानून और व्यवस्था की है, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास नहीं हो पाने का मुख्य कारण है। दूसरा कारण जब कोई भी उद्योगपति यहां इनफरा स्ट्रेक्चर नहीं पायेगा, आधारभूत ढांचा जब उसे नहीं मिलेगा तो कोई उद्योगपति प्रदेश में अपनी पूंजी निवेश करके अपना अपहरण नहीं कराना चाहेगा। मान्यवर, औद्योगिक विकास में वित्तीय संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस सम्बन्ध में मैं विगत वित्तीय वर्ष का एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक नार्म्स ऋण जमा अनुपात का तय कर दिया है कि जो बैंक जहां लगे हैं उनमें जमा धनराशि का 60 प्रतिशत धन उसी क्षेत्र के विकास में उस बैंक को ऋण के रूप में देना होगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रदेश में 68 व्यवसायिक बैंक हैं जिनमें 70 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लोगों ने जमा किया तो 60 प्रतिशत निर्धारित मानक के मुताबिक जो धन यहां प्रदेश में लगाना चाहिए था वह न लगाकर निर्धारित मानक को खिल्ली उड़ाते हुए मात्र 17 हजार करोड़ रुपये ऋण ही दिया और शेष धन मुम्बई स्थित मुख्यालय, को वापस कर दिया। यदि सरकार व्यवसायिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात प्रदेश में निर्धारित मानक तक नहीं बढ़ा पाती तो प्रदेश में औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने विगत वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय यहां घोषणा किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निर्धारित मानक के अनुसार यदि ऋण जमा अनुपात नहीं बढ़ाते हैं तो राज्य सरकार अपने निजी बैंक चलायेगी। मान्यवर, राज्य सरकार को जानकारी है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित ए0डी0 बाज समिति ने 1993 में राज्य सरकार को अपनी सिफारिश दी थी और फिर उसके आधार पर राज्य सरकार ने एक कोर ग्रुप बनायी थी। लेकिन उस समिति की सिफारिश के मुताबिक सी0डी0 रेशियो को बढ़ाने की दिशा में जो कार्य योजना सरकार को बनाना चाहिए था। वह मुझे इस बजट साहित्य में कहीं दिखाई नहीं दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो मरते हुए उद्योग हैं उनके बारे में मंत्री जी ने बजट साहित्य में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं किया। मान्यवर, आप देखें कि प्रदेश की 3 सीमेन्ट इकाइयां बन्द हो गयी हैं और उसके 5500 मजदूर पिछले 10 महीनों से भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तो उसके कल्याण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को सर्तकता बरतनी चाहिए लेकिन सरकार ने उनके प्रति अपना कोई संकल्प नहीं दिखाया है।

मान्यवर, लखनऊ में एक महत्वपूर्ण संस्थान-इन्स्टीट्यूट आफ टूल्स रूम ट्रेनिंग यू0पी0 है जो विगत में वर्ष 1981 में जर्मन गणराज्य के तकनीकी और वित्तीय सहायता से तथा राज्य सरकार के सहयोग से यहां स्थापित हुआ। यह संस्थान अपने यहां प्रशिक्षुओं को तकनीकी प्रशिक्षण देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जिसमें इस समय 120 कर्मचारी कार्यरत हैं। मान्यवर, इस संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज तक यहां से जितने बैच निकले हैं, जितने लोग प्रशिक्षित

हुये हैं, सभी को शत-प्रतिशत उद्योगों में रोजगार मिला है। लेकिन वर्ष 1991 में जब प्रदेश में भा0ज0पा0 सरकार बनी तो इस संस्थान की अनुदान की धनराशि में उसने कमी कर दिया।

वर्ष 1991 में अनुदान की राशि में कमी की गई परिणाम-स्वरूप वर्ष 1993 आते जाते जर्मन गणराज्य के तकनीकी विशेषज्ञ वापस चले गये और वर्ष 1993 के बाद जो तृतीय चरण अनुबन्ध का पूरा होना चाहिए था वह पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, समूचे कर्मचारी 24 महीनों से वेतन नहीं पाये। श्रीमान 3 जुलाई, 1998 को प्रदेश सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इंडप उद्योग के मामले में निर्णय लिया गया कि इस उद्योग को दो इकाइयां में विभाजित कर दी जायं जिसमें से एक नोयडा में स्थापित की जाये तथा एक लखनऊ में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया। न नोयडा में इकाई स्थापित हुई और न ही लखनऊ की इकाई चली। मान्यवर, लघु उद्योगों को टूल की आपूर्ति करने वाला इतना महत्वपूर्ण उद्योग आज बन्द होने की कगार पर है। मान्यवर हमें प्रसन्नता होती यदि माननीय मंत्री जी यह संकल्प लेते कि वे इसकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। मान्यवर आज उत्तर प्रदेश की इस सरकार के चलते जो प्रदेश में वातावरण बना है यह औद्योगिक विकास के लिए पूर्णतः प्रतिकूल है। अन्त में मैं श्री कौकब हमीद द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, औद्योगिक नीति के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है। उद्योग के लिए जैसा वातावरण चाहिए वह हमारे प्रदेश में नहीं है। औद्योगिकीकरण हमारे चिन्तन को भी बदलता है और इसके साथ ही साथ हमारी सामाजिक संरचना और सामाजिक समरसता को भी औद्योगीकरण प्रभावित करता है। इतिहास इसका गवाह है। मान्यवर सबसे प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रानिक उद्योग है। हमारी सरकार ने प्रास्पेरिटी थ्रू इन्फारमेशन की योजना बनाई है। जिला स्तर तक कम्प्यूटरीकरण का काम 2000 से 2001 तक का लक्ष्य है। तहसील स्तर पर 2001 से 2003 तक, गांव लेबिल पर 2008 और 2009 तक इस काम को करने का लक्ष्य है और इस नीति में यह भी बताया है कि यह व्यवस्था कैसे करेंगे? इन 10 सालों में 25 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा जिसमें से 10 हजार करोड़ रुपये राज्य सेक्टर से और 15 हजार करोड़ रुपया निजी क्षेत्र से आयेगा।

इसके साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए हमारे बजट एलोकेशन में जो प्राविधान है हम उसमें से 1 से 3 प्रतिशत तक प्रत्येक

विभाग से लेंगे और इसके आधार पर पूंजी उपलबध करायेंगे। यह जो बजट आज यहां प्रस्तुत किया गया है वह जिस विभाग का है, जिस विभाग के बारे में हम चर्चा कर रहे है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसके आधार पर हमारे भविष्य का रास्ता तय होना है। मान्यवर, इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपया रखा जाना चाहिए था लेकिन बहुत दुख की बात है कि औद्योगिक नीति का दावा करने वाली इस सरकार ने मात्र 3 1/2 करोड़ रुपये का प्राविधान इस इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए कर पाया है। इसी से यह बात साफ हो जाती है कि सपने तो बहुत ऊंचे देखते हैं लेकिन हम उनको धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं हैं।

मान्यवर, यह जो प्रदेश की उद्योग नीति और इलैक्ट्रानिक उद्योग की नीति है, जैसा कि हम प्रदेश के 16 करोड़ जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, यह एक प्रपंच है, एक छलावा है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सड़क विकास निधि, गड्ढा मुक्त सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं लेकिन हम जिस युग में पहुंच गये हैं, वहां बेहतर रेल सुविधा, बेहतर वायुयान सुविधा उपलब्ध है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसी पार्टी की सरकार केन्द्र में भी है। केन्द्रीय बजट पास हो चुका है। आपकी सरकार जिन-जिन क्षेत्रों को उद्योग क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है मैं जानना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे लाइन की सुविधा तथा वायुयान सेवा में सुधार और विस्तार के लिए हवाई पट्टी के सुधार के लिए कितना धन केन्द्र से प्राप्त किया। यह बताने का कष्ट यदि मंत्री जी करें तो हम लोगों का भी कुछ ज्ञानवर्धन हो सकेगा। यह जो इनका साहित्य है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास वर्ष 1998 की प्रमुख उपलब्धि के बारे में सरकार ने बताया है कि किन-किन चीजों में हम प्रथम स्थान पर रहे। यह सब पढ़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वे सभी खेती से और दुग्ध से सम्बन्धित उद्योग हैं लेकिन मान्यवर, अफसोस की बात यह है कि जिस क्षेत्र में हम प्रथम रहे हैं, अव्वल रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान में, उस क्षेत्र पर आधारित उद्योग लगाने की बात तो दूर की है, माननीय मंत्री जी अगर सदन को यह बताने का काम करें कि खेती पर आधारित उद्योगों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने उद्योगों को अनुज्ञा दी गयी और कितने लोग उद्योग लगाने को तैयार हैं तो मैं समझूंगा कि मंत्री जी कितने गम्भीर हैं। यह जो चार विषयों का विवरण दिया गया है, भूमि अर्जन, वितरण, भूमि विकास, भूमि प्रबन्धन, अगर इसको भी देखने का काम कर लें तो ज्ञात हो जायेगा कि हम औद्योगिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं औद्योगिक क्षेत्रों में जो भूखण्ड इस उद्देश्य के लिए थे, उन्हें उद्योग लगाने के लिए कोई नहीं ले रहा है। इन भूखण्डों पर स्कूल खुल रहे हैं, आवासीय परियोजनाओं में यह भूमि जा रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह सरकार इस औद्योगिकरण के प्रति कितनी गम्भीर है, यह बात इसी से साबित हो जाती है कि पूरे सत्तापक्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई ऐसा

व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह उद्योग का कैबिनट मंत्री बना देते जो पूरे समय रहकर औद्योगिक प्रगति पर ध्यान देता । औद्योगीकरण चाहे पूर्व का हो या पश्चिम का, औद्योगीकरण तो नहीं हो सका लेकिन अपहरण उद्योग तो खूब फूला-फला है । इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सीताराम निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया है मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । कुछ वैज्ञानिक मुझसे मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, बुंदिलखण्ड की पहाड़ियों में कुछ ऐसी धातुयें पायी जाती हैं जिनका यदि परीक्षण कराया जाय तो उसमें अन्य धातुओं के साथ सोना भी मिलेगा । लेकिन सरकार द्वारा जो खनिज नीति बनायी गयी है उसमें यह प्रयास नहीं किया गया है । जो यह धातुयें पायी गयी है उनका परीक्षण कराके यदि सोना निकाला जाय तो इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी । मान्यवर, खनिज विभाग में भ्रष्टाचार है, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र तीन जिलों के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि इन जिलों के बारे में उच्च स्तरीय जांच करायी जाये यहां पर करोड़ों रुपयों का घपला मौरंग, बालू के खनन के संबंध में हुआ है । अप्रैल, 98 से सोनभद्र में बालू मौरंग की खदान बंद कर दी गयी जिससे माफिया लोगों को चोरी से बालू, मौरंग के खनन का अवसर दिया गया है और इससे करोड़ो रुपयों का नुकसान हुआ ।

शाहजहांपुर के एक प्रकरण की मैं जानकारी देना चाहता हूं । पंकज कुमार पुत्र सुशील कुमार कश्यप को खनन पट्टा बहुत कम अवधि के लिये दिया गया और पैसा काफी अवधि का जमा कराया गया है । मेरी मांग है कि उसकी अवधि बढ़ाई जाय । मान्यवर, हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने रिट पिटीशन संख्या 3103/एमबी-1996 जिसमें 17 अक्टूबर, 96 को फैसला हुआ है उसमें यह निर्णय किया गया है जो परम्परागत पेशेवाली जातियां हैं, उनको उनके व्यवसाय के संबंधित खनन पट्टे दियें जाने को वैध ठहराया गया है । 12 जून, 1985 के शासनादेश द्वारा सहकारी समितियों को बालू मौरंग खनन के पट्टे खनन परिहार नियमावली के नियम 9, उप नियम-3 को पुनः बहाल करके उसके अनुसार खुली नीलामी को बंद करके पहले जैसी व्यवस्था लागू की जाय । इसके अलावा सम्पन्न व्यक्तियों को और सम्पन्न बनाने हेतु 29 जनवरी, 1999 का जो शासनादेश जारी किया गया है उसको वापस लिया जाय । गरीबों के लिये, जो सामाजिक शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिये एक शासनादेश जारी करने की कृपा करें ताकि यह लोग अपना जीवन यापन कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पास 37 हजार 885 एकड़ जमीन है और जो 51 जिलों में वितरण किया है वह तकरीबन 22,100 एकड़ जमीन का किया है। बहुत सी जगह खाली पड़ी हैं और बाकी 15 हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। आखिर इसको लेकर उसका मुआवजा देकर कौन सा बड़ा काम किया है, अगर उद्योग ला ही नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, उद्योग आते कैसे? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भाषण दे तो बतायें। आपके बहुत प्रयास के बाद 131 फैक्ट्रियां दिल्ली से हटीं, उन्होंने मांग की कि वह उत्तर प्रदेश में उनकी टीम घूमने आयेगी। आखिर वह उद्योगपति थे, दिल्ली वाले हटा रहे थे तो उन्हें कहीं तो उद्योग लगाना था। उन्होंने यह कोशिश की कि दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश में कोई माहौल ऐसा है या नहीं। उन्हें माहौल नहीं मिल पाया और वह अपना उद्योग लेकर हरियाणा और राजस्थान चले गये लेकिन दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में नहीं आये। मैं इस तरफ के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कटौती का समर्थन किया।

मान्यवर, हमारे सत्तापक्ष के लोग भी बोले लेकिन वह साफ-साफ बात नहीं कह पाये। आज प्रदेश में जो अपहरण उद्योग चल रहा है। हर रोज नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाजियाबाद, मेरठ वहां अपहरण हो रहे हैं। जो अपहरण के बाद पैसा देकर आता है वह अपना उद्योग यहां से बंद करके जा रहा है। प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता। माननीय मंत्री जी पहले आप अपहरण उद्योग को बंद करिये तब तो वह उद्योग चलेंगे। क्रोनिका का बड़ा जिक्र है, मैं मंत्री जी से बकायदा कहना चाहता हूं कि आप चले जायें, स्टेट मिनिस्टर फतेह बहादुर सिंह जी चले जायें। मान्यवर, वीर बहादुर सिंह के जमाने में की लगी हूई है, 1300 एकड़ जमीन है और वहां एक भी उद्योग नहीं है, जमीन खाली पड़ी है। यह लोनी के निकट और दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर है। निगड़ा की बात आयी। आप लखनऊ-कानपुर हाई-वे बनाने जा रहे हैं, आपने जिक्र भी किया है। यहीं जिक्र नहीं किया, जो साहित्य दिया उसमें भी है। आपने गवनमेंट आफ इण्डिया को भेज दिया। यह सारी चीजें हैं। लेदर टेक्नालाजी पार्क उन्नाव में बनना था। उसका क्या हाल होगा वह जिन्दा रहेगा कि नहीं। आज जो औद्योगिक विकास दर है जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 99-2000 में उसको 11 प्रतिशत कर देंगे। वह 1998 के अन्दर 10.9 प्रतिशत था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह 3.3 प्रतिशत हो गया अब यह 11 प्रतिशत कैसे करेंगे यह समझ में नहीं आता? अभी मंत्री जी ने कहा कि हम कृषि पर भार कम करेंगे और नये उद्योग लगाकर रोजगार देंगे। एक लाख की आबादी पर उत्तर प्रदेश में 425 आदमी नौकर होते हैं। पंजाब के अन्दर 1529, हरियाणा में 1486, गुजरात में 1187 इस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। आपकी उद्योग नीति कामयाब नहीं हो पा रही है उसके कारण है : जो आप की बिजली की 203 हजार

मिलियन यूनिट की कमी है उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। आप वार्ता करके एग्रीमेंट करके केवल उद्योग लगाना चाहते हैं। बिजली कनेक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण ला एण्ड आर्डर का है। तीसरा कारण जो आपकी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन हैं, पिकप, यू0पी0एफ0सी0 वह इस काबिल नहीं है कि ऋण दे सकें। इस स्थिति को सुधारें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव श्री निषाद एवं कौकब हमीद ने प्रस्तुत किया है कुछ लोगों ने उसके पक्ष में एवं कुछ लोगों ने उसके विरोध में अपनी बातें कहीं। मैं सभी के विचारों का आदर करता हूं। श्री भाटी जी ने एवं अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने अपहरण उद्योग की बात कही है इस उद्योग में हम लोगों को तो महारथ हासिल है नहीं उस पक्ष के लोगों को ही इसमें महारथ हासिल है। उसमें कमी लाएं तो उद्योगों का विकास हो सके। आज कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त बनाने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज सामाजिक क्षेत्र में भी चारों तरफ जो भय का वातावरण पैदा किया गया था उसको दूर किया गया। अब अपराधी या तो जेलों में बन्द हैं या फिर दूसरी जगह भाग रहे हैं। प्रदेश में ऐसे किसी व्यक्ति को टिकने नहीं दिया जायेगा जो प्रदेश के जनजीवन को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार इस तरह की चर्चा करके प्रदेश के अन्दर दूषित वातावरण पैदा करना है। यदि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण ठीक-ठाक हो रहा है और लोग उद्योग लगाना चाहते हैं तो मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह उसमें उत्साह पैदा करें। सरकार इस ओर प्रयास कर रही है और आशय पत्र भी उद्यमियों के आ रहे हैं। इसके बावजूद भी इसे आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आप लोग भी उसमें मदद करेंगे। जो नीति हमने बनाई हैं, उसमें कोई खोट नहीं है और न ही हमारी नीति में खोट है, हो सकता है आपकी नीयत में कुछ गड़बड़ हो। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण खड़ा हो जायेगा और औद्योगिक क्षेत्र में हम शत-प्रतिशत प्रगति लायेंगे। नीलामी की व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई। खनिज क्षेत्र में जो पट्टे होते थे, वहां पर भी पूर्व में कुछ इसी तरह के ठेकेदार थे जो अपना उद्योग चला रहे थे और गरीबों के नाम पर धांधली होती थी। आज हमने ऐसे ठेकेदारों के हाथ से निकालकर उसे आम आदमी को देने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, वास्तव में वहीं इससे लाभान्वित हों और इससे सरकार को राजस्व भी मिल सके इसके लिये हमारी सरकार चिन्तित है। इन सब चीजों का समायोजन करके हमने इस तरह की योजना बनाई है ताकि जो नीलामी में गड़बड़ी होती थी, वह न होने पाये और इस क्षेत्र में महारथ रखने वाले लोगों को ही यह काम मिले।

माननीय श्री कौकब साहब ने चिन्ता प्रकट की, स्वाभाविक है। उन्होंने यू0पी0एफ0डी0सी0 का उल्लेख किया। सरकार इस संबंध में स्वयं चिन्तित है और

सरकार ने ज्यादा धन देने का प्राविधान भी किया है। 20 करोड़ रुपये सहायता देने का प्राविधान किया है। यू0पी0एफ0डी0सी0 छोटे उद्योगों को ऋण देती है, उसमें बढ़ोत्तरी हो, 20 करोड़ की सहायता दी गई है। उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो सी0डी0 रेसियो है वह ठीक नहीं है, यह कहा गया। सरकार इस संबंध में स्वयं प्रयासरत है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार भी किया है। यह कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो सी0डी0 का औसत अनुपात है वह घटता जा रहा है। जबकि कुल मिलाकर यह 48 प्रतिशत है। अब आप कह रहे हैं कि यह घटता जा रहा है। आप पता नहीं कहां से आंकड़े ला रहे हैं? हमारे आंकड़ों पर आप विश्वास नहीं करते हैं और अपने आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। औद्योगिक ऋणों में हम कोई कमी नही आने देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करें, यह सरकार की चिन्ता है और इसके लिये वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है।

आपने अपनी बात रख दी और सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया। हमने औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति लाने वाली नीति की घोषणा की है। आपकी नीतियां तो कागज पर भी नही आयी और न ही आपने अभी तक यही किया। सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उद्योग नीति, निर्यात नीति, खनिज नीति को घोषित ही नहीं किया है अपितु उन्हें कार्यान्वित करने जा रही है। वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में जो परिस्थितियां आई हैं वह हमारे कार्य काल की हैं क्या? हमने तो उसमें प्रगति की बात की है उसमें नई योजनाओं को लागू करके सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके पुराने पापों को धोने का प्रयास है उसको धोने के बाद नई क्रांति लाना चाहते हैं और आप पुराना राग अलाप रहे हैं। आपके समय की फैक्ट्रियां हैं जो बन्द होने जा रही हैं। आपने कहा कि विद्युत की आपूर्ति के लिये। इस सरकार ने विद्युत आपूर्ति के बारे में चिन्ता की और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम स्वीकार करते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में कमियों थी उनकी चिन्ता करते हुए क्रांति लाने की दृष्टि से नियमित विद्युत आपूर्ति प्रदेश के समग्र एवं त्वरित औद्योगीकरण के लिये अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रदेश सरकार विद्युत की कमी खत्म करने के लिये संकल्पबद्ध हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ 2300 अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के समझौते किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने एन0टी0पी0सी0 के साथ 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आयात का अनुबन्ध किया है। प्रदेश सरकार की यह नीति है कि वर्ष 2003 तक उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस राज्य बन जाए। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति प्रमुख औद्योगिक राज्यों से बेहतर हैं। एक निजी अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में सामान्य विद्युत की कमी 9.4 प्रतिशत है तथा पीक आवर्स की कमी 16 प्रतिशत है। इसके विपरीत कर्नाटक में 26 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 24 प्रतिशत, गुजरात में 18 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 19 प्रतिशत की कमी पीक आवर्स में होती हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों तथा पुनर्गठन का भी यही उद्देश्य है कि केवल

उद्योगों को ही नहीं बल्कि सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे अविरल बिजली प्राप्त हो। नवीन औद्योगिक नीति में कतिपय श्रेणी के उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। पहला है 132 के0वी0ए0 से आपूर्ति प्राप्त करने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है 50 करोड़ से अधिक निवेश वाले समस्त उद्योग। तीसरा है 10 करोड़ से अधिक निवेश वाले समस्त कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग। समस्त 100 प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयां। पांचवा है समस्त विद्युत फीडर जिन पर 75 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक भार हो।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो विद्युत के बजट में आ चुका है।

पटेल राम कुमार वर्मा-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने मेरठ में एकल मेज व्यवस्था के बारे में कहा। वहां पर 80 आवेदन पत्र उद्यमियों द्वारा लिये गये जिनमें 27 पूरे कर के जमा कर दिये गये हैं। इनमें 17 पर सभी स्वीकृतियां जारी भी हो चुकी हैं। टैक्सफ्रंड ग्रुप की इकाइयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ के माध्यम से एक अध्ययन कराया जा रहा है। इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ का अध्ययन दल माह जून, 99 तक अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी। सुभाष जी ने इंडप की नोएडा शाखा के बारे में कहा है। अगले दो महीने में वहां इसकी शाखा खोल दी जायेगी। अभी तक यह उचित स्थान न मिलने के कारण नहीं खोली जा सकी है। इसी तरह से भाटी जी ने किसानों के बारे में कहा। इनकों किसानों की बड़ी चिन्ता हो रही है। जब इनकी सरकार थी तो इनकों किसानों के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी आज यह किसानों की चिन्ता कर रहें हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर हैं। जब इधर बैठते थे तो कुछ कहते थे और आज उधर बैठें हैं तो कुछ और कह रहें हैं। आज सत्ता पक्ष की बात कर रहें हैं जब इनकी सरकार थी तो किसानों की याद नहीं आती थी। आज याद कर रहें हैं। इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकार है निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ क्रान्ति लाना चाहती हैं। आज जो इस मद में बजट प्रस्तुत किया गया है मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कौकब साहब और सीता राम निषाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें और इस बजट को पारित कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

क्या श्री सीता राम निषाद जी और श्री कौकब जी आप लोग अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं?

श्री सीता राम् निषाद-

मान्यवर, इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हैं कि गरीब मल्लाहों का हित हो इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कौकब हमीद-

मंत्री जी अनुबन्ध की बात कह रहे थे एन0टी0पी0 से लेकिन अनुबन्ध अभी तक हुआ नहीं हैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,23,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,68,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,81,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

*सार्वजनिक उद्यम मंत्री-(श्री जय नरायण तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की रिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,50.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 92-संस्कृति विभाग

* संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,52,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,52,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रुपया 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के भत्तों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये की स्थिति तथा एक निश्चित अवधि के उपरान्त गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने के विषय में निर्धारित चर्चा का स्थगन

(मद संख्या-17 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य-सूची में से मद संख्या-17, 31 तथा 32 को स्थगित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता हूं। मान्यवर, वैसे तो इस अध्यादेश में कोई विशेष संशोधन नहीं किया गया है। मात्र इतना है कि यह जो विधेयक है यह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर था।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक अहम सवाल यह है कि कौन सा विश्वविद्यालय किसके नाम से, कौन सी संस्था किसके नाम से हो? यह सरकार आती है और नाम कुछ और कर देती है इसके बाद सरकार दूसरी आती है वह उसका नामकरण दूसरा कर देती हैं। मान्यवर, मैं स्व0 वीरबहादुर सिंह जो नेता थे, और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं उनके

प्रति सम्मान की भावना रखता हूं। वह अपने जीवनकाल में जब मुख्य मंत्री थे, इन्होनें उनकी नीतियों, उद्देश्यों का विरोध किया। लेकिन आज कौन सी नौबत आ गयी है, परिस्थिति पैदा हो गयी है कि बीरबहादुर सिंह जी का नाम जोड़ दिया। जाति और धर्म के नाम पर देश और प्रदेश को चलायेगें, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यह संशोधन लाये हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको लाने के लिए अध्यादेश की क्या जरूरत पड़ गयी थी कौन सी स्थिति खराब होने वाली थी, कुत्सित भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर हलांकि मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अध्यादेश के माध्यम से इस विश्वविद्यालय का नाम वीर बहादुर सिंह जी के नाम से क्यों किया अगर आप विधेयक के रूप में लाते तो बड़ी खुशी होती। मान्यवर, यहां इस तरह का कोई अध्यादेश या विधेयक लाया जाना चाहिए कि रोज-रोज नाम न बदला जाये। मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं।

उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1999 पर, विचार किया जाये।

मान्यवर, पूर्वांचल क्षेत्र में स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनकी स्मृति में पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नाम वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर करने का निर्णय लिया गया 8 जनवरी, 1999 को इसमें अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसको अब विधेयक के रूप में लाया गया है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेगें।

मान्यवर यह जल्दबाजी में लाया गया है इस पर विस्तार से विचार हो सके इसलिए इसको समिति के पास भेज दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? (मा0 मंत्री के खड़े न होने पर) नहीं कहना चाहते हैं। माननीय शाक्य जी अपना संशोधन वापस लेगें? श्री राम औतार शाक्य खड़े न होने पर नहीं वापस लेना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1999 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर कहा जायेगा"।

नई धारा 72–ज का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 72–छ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"72–ज—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत, संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ–2 में, क्रम संख्या 12 के सामने शब्द "पूर्वांचल विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1999 निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन में उपस्थित नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की बहुत आवश्यकता थी। पिछले वर्ष उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रवेश की समस्या उठी थी। मान्यवर, 1987 के बाद प्रदेश में कोई राज्य विश्यविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। मान्यवर, माननीय विधायकों ने प्रवेश की समस्या का प्रश्न उठाया था। हमारी सरकार द्वारा यह कहा गया था कि इस पर विचार करके प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय खोला जायेगा इसी क्रम में राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है इसमें 2 नवम्बर, 98 को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

(8 बजकर 20 मिनट)

जो विधेयक के रूप में आज प्रस्तुत किया गया।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाये हैं, इस विधेयक के लाने में उनकी नीति साफ नहीं है। यह कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जहां तक इसमें नियुक्तियों का सवाल है, यह नियुक्तियों में आर०एस०एस० व भाजपा के लोगों की भर्ती कर देंगे, उनका एडजस्टमेंट कर देंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम इस हिसाब से निर्धारित करेंगे जैसे सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं। और सम्प्रदायवाद, उन्मादवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रवेश की समस्या को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह अध्यादेश लाये हैं और अध्यादेश लाते समय 5 लाख का प्राविधान कर दिया था, लेकिन इसका नोटीफिकेशन अभी नहीं किया है, जब यह विधेयक हो जायेगा, तब यह 5 लाख रुपये का गोलमाल कर जायेंगे, इसलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत से आर्टीकिल ऐसे हैं, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा होगी और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रखने के लिये प्राविधान किये गये हैं, इसलिये यह जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है, इसको जरुर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, शाक्य जी ने जो बातें कही हैं, उनका जवाब देना आवश्यक समझता हूं। शाक्य जी अवगत होंगे कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था होते हैं। उसमें कुलपति और वहां जो भी लोग हैं, उसकी सारी व्यवस्था होती है। इसका अध्यादेश प्रख्यापित हो चुका था। कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है, कुलसचिव की नियुक्ति भी हो गई है, वेतन आदि देने के लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह अच्छा प्रस्ताव है, इस पर इनको भी समर्थन देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री राम औतार शाक्य–

इसमें जो प्राविधान है, उसमें राज्य सरकार का नियंत्रण है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, वह सत्य से परे है और मैं जो बिन्दु रख रहा हूं, वह ठोस आधार पर आधारित हैं। इसमें आर०एस०एस० तथा भाजपा के लोगों को एडजस्ट करने के लिये इसे लाया गया है। इसलिये वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधयेक, 1999 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–44 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "विद्या परिषद्" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् से है;

(ख) "मान्यता बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड से है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था से है;

(घ) "दूर शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली से है;

(ङ) "वित्त समिति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़ें वर्गों से है;

(छ) "योजना बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(झ) "विद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र से है;

(ञ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है;

(ट) "विद्यार्थी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;

(ठ) "अध्ययन केन्द्र" का तात्पर्य विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय का स्थापन एवं निगमन

3—(1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझें, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारक, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(4) विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अतिसंख्य जनसमुदाय में विद्या और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

5—विश्वविद्यालय की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :–

(एक) ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान का व्यवस्थापन करना;

(दो) उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं या आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियां, उपाधि-पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं या मान्यताएं प्रदान करना;

(चार) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का आयोजन करने की रीति का निर्धारण करना;

(छः) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिए आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

(आठ) अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(नौ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायं;

(दस) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना या मान्यता देना;

(ग्यारह) शिक्षा सामग्री, जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य मृदु सामग्री है, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) अध्यापकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालायें, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(तेरह) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य स्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या आगतः विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(चौदह) शैक्षिक प्रोद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान तथा विकास की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सन्दान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;

(अट्ठारह) संविदायें करना, उनको कार्यन्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;

(उन्नीस) अध्यादेशों द्वारा नियत शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;

(बीस) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहितायें भी है अधिकथित करना;

(इक्कीस) उच्चतर विद्या या अध्ययन की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करें, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(बाईस) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;

(तेईस) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों का विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें, मान्यता देना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(पच्चीस) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(छब्बीस) विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(सत्ताईस) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं राज्य में किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशोषाधिकार देना :

परन्तु यह किसी भी महाविद्यालय को ऐसे विशेषाधिकार कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिये जायेंगे;

(अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय की ऐसी सभी या किन्ही शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषांगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्ही उद्देश्यों के सप्रवर्तन में सहायक हो।

शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग

6—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना

7—(1) विश्वविद्यालय वर्गों और पंथों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय की स्त्रियों, या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय–तीन

निरीक्षण तथा जांच

निरीक्षण

8—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी है और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा;

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चिय करे, वहां वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी प्रस्तुत नहीं होगा,अभिवचन या कृत्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने योग्य कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा।

(5) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन कुलपतिं से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के अननुपालन या अनुपालन के सम्बन्ध में प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, विचार करने के पश्चात्, यह राय हो कि कार्य परिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद्, को अधिक्रमित करते हुए कुलपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें जिसके अन्तर्गत अधिक्रमित कार्य-परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर उससे अधिक्रमित कार्य परिषद्, के सभी सदस्यों की जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी है पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) निदेशक;

(ङ) कुलसचिव;

(च) वित्त अधिकारी;

(छ) परीक्षा नियंत्रक, तथा

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

कुलाधिपति

10—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदान की जायं।

कुलपति

11—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जायं, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वह इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, नब्बे दिनों के भीतर कार्य-परिषद् को, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य-परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन, ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं।

प्रति-कुलपति

12—प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं।

निदेशक

13—प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं।

कुल सचिव

14—(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर दी जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

15—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) वित्त प्राधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

16—(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) जब, किसी कारण से, परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तब परीक्षा नियंत्रक की सभी शक्तियों और कृत्यों का पालन कुल सचिव द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय, किया जायेगा।

अन्य अधिकारी

17—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायं।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) कार्य परिषद् ;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) योजना बोर्ड ;

(घ) मान्यता बोर्ड;

(ङ) अध्ययन केन्द्र ;

(च) वित्त समिति ;

(छ) परीक्षा समिति ; और

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायं।

कार्य परिषद्

19—(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

विद्या परिषद्

20—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो विहित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उनके सदस्यों की पदावधि ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

योजना बोर्ड

21—(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर, विश्वविद्यालय के विकास को मानीटर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

मान्यता बोर्ड

22—(1) मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्ययन केन्द्र

23—(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

वित्त समिति

24—वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अन्य प्राधिकारी

25—अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय–छः

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम

26—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में विश्विद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबंध किये जायेंगे :–

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां, और कृत्य, जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ख) प्रति-कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां और शक्तियां तथा कृत्य जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त ;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जायेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया;

(झ) महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को अनुदानों का आवंटन और संवितरण;

(ञ) वे शर्तें जो, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए पूरी की जाने के लिए अपेक्षित है;

(ट) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायं।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

27—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकारी का प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(3) प्रत्येक नया परिमियम या किसी परिनियम में परिवर्द्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई है।

(5) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निदेश दे सकेगी, परिनियम में उपबन्ध करने हेतु निर्देशित और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश के कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, कुलाधिपति की अनुमति से, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हो; विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगी या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगी।

अध्यादेश

28—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायं।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किये जायेंगे, अर्थात्—

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीसों, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित अर्हतायें, अध्यता वृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन, शर्तें और उनकी नियुक्ति भी है; और

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों का प्रबन्ध।

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किये जा सकेंगे।

विनियम

29—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत है।

अध्याय–सात

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

30—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाय।

(3) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

31—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य-परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य-परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य-परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

32—(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय का दुरूपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जायेगी।

अध्याय–आठ

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33—(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी संविदा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

माध्यस्थम अधिकरण

34—(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा 33 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्देश आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन ऐक्ट, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

भविष्य एवं पेंशन निधियां

35—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों और अध्यापकों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) जहां किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय—नौ

प्रकीर्ण

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

37—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की कार्यवाही के लिए संरक्षण

39—कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द

40—(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय, नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायं।

अध्याय–दस

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

41—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

42—इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुल सचिव और प्रथम परीक्षा नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और वे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों से शासित होगें :

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ; और

(ग) (एक) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(दो) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।

अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का गजट में प्रकाशित किया जाना

43—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1998

निरसन और अपवाद

44—(1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1—विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, भारत की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय साधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारण, के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह :–

(क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा ;

(ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधा रहित समूहों को जैसे वे समूह जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और अन्य ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने और अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच के लिए उपबंध करेगा।

(ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, खोज के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;

(घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेशकी आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में लचीली और मुक्त विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को नव-पद्धति के लिए, उपबन्ध करेगा;

(ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक प्रणाली का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये पाठों और अन्य मृदु-सामग्री का विस्तृत रूप से उपयोग करके गण्यता के अन्तरण को और अध्यापन कर्मचारिवृन्द विनियम को प्रोत्साहित करके भारत शैक्षणिक पद्धति के सुधार के लिए योगदान देगा;

(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी क्वालिटी में सुधार करके और जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा;

(छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थांओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;

(ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;

(झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और

(ञ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

2—विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का और नई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का, ऐसी उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, पूर्ण उपयोग करेगा;

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-44 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	मेरठ मण्डल पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्ययोजना को तत्काल सम्पूर्ण मण्डल में लागू किये जाने के संबंध में।
2–श्री अकबर हुसैन	जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत शाकुम्भरी पेपर मिल, राम चन्द्र गुप्ता गत्ता फैक्टरी तथा कतिपय अन्य फैक्टरियों द्वारा उत्प्रवाहित किये जाने वाले प्रदूषित जल से आरिल नदी का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3–श्री अजय कुमार पोइया	प्राथमिक शिक्षकों के चयन में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा दी गयी श्रेणियों के प्राप्तांकों में भिन्नता तथा अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृति हुईं :–

1–श्री फरीद महफूज किदवई	प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आम फल पट्टी बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ का पुनः सर्वेक्षण कराकर अधिसूचना के निरस्त्रीकरण का प्रयास किये जाने के संबंध में।
2–श्री राम औतार शाक्य	जनपद एटा के थाना-जैभरा की थाना परिसर की भूमि कथित रूप से थानाध्यक्ष द्वारा विक्रय कर लाखों रुपये हड़पे जाने के संबंध में।
3–श्री दीपक कुमार	जनपद उन्नाव अन्तर्गत असेवित ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी में कोई हाईस्कूल व इण्टर कालेज न होने से छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4–श्री राम विशुन आजाद	जनपद-गोण्डा की मनकापुर तहसील अन्तर्गत महिला अस्पताल न होने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में।

5–डा० रामबाबू हरित	आगरा महानगर में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण तथा शास्त्रीपुरम एवं कालिन्दी बिहार के क्षेत्र में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के अनुरूप एक खेल ग्राम की स्थापना किये जाने के संबंध में।
6–डा० अशोक बाजपेयी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की भांति 25 वर्ष की आयु सीमा तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने के संबंध में।
7–श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री वसीम अहमद तथा श्री नन्दराम	प्रदेश के विभिन्न जनपदों विशेषतः जनपद बहराइच में कैसरगंज में नाव डूबने से मरने वाले मृतकों के परिवारों को समुचित सहायता दिये जाने तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के संबंध में।
*8–श्री श्रीराम पाल	जनपद जालौन के थानारेटर के अन्तर्गत ग्राम-अतरौली में दबंगों द्वारा अनु० जाति के लोगों की सामूहिक मारपीट से दलितों द्वारा गांव से पलायन कर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–श्री अफजाल अहमद	जनपद जौनपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत पीने के पानी की कमी से उत्पन्न के संबंध में।
2–श्री चन्द्रनाथ सिंह	जनपद प्रतापगढ़ के पृथ्वीगंज क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु भोपियामऊ स्टेशन से जोड़े जाने के संबंध में।
3–श्री विजय पाल सिंह	आगरा जनपद के विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम-डौकी में ही 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने के संबंध में।
*4–श्री कमलेश सिंह	जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत पुराने हो चुके बन्धों एवं नहरों के पुनः निर्माण के संबंध में।
5–डा० धर्मज्ञ मिश्र	जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत जरसक में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शीघ्र कराये जाने के संबंध में।

जनपद अम्बेडकरनगर की नगर पालिका परिषद्, टाण्डा में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

‖उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-86 में यह व्यवस्था है कि नगर पालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमास उस दिन होगी जो विनियमन द्वारा निश्चित की जाए या जिसके बारे में उस ओर से जिसका विनियमन द्वारा इस निमित्त उपबन्ध दिया गया हो, नोटिस दी जाय। उक्त बैठक आहूत करने का दायित्व संबंधित नगर पालिका के अध्यक्ष का है। प्रकरण में जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद्, टाण्डा की बैठक दिनांक 16-6-98 से 15-3-99 के मध्य अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा आहूत न किए जाने के कारण नहीं हुई है और न ही नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी होली के अवसर पर हुआ है।

नगर पालिका परिषद्, टाण्डा परिक्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु 4 नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से पूर्व में 3 नलकूप खराब हो गए थे। सम्प्रति 2 नलकूप होली के समय ठीक करा दिए गए थे जो चल रहे हैं। मात्र एक नलकूप अभी भी खराब है जिसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में पेयजल की समस्या व्याप्त नहीं है।

नगर पालिका परिषद्, टाण्डा परिक्षेत्र में कूड़े का ढेर अब नहीं है। यद्यपि सफाई उपकरणों के अभाव में अपेक्षित सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है, फिर भी सफाई कार्य पर बल दिया जा रहा है।

वर्तमान अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् के विरुद्ध अनेकों गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक दोनों ही थी। जनपद जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के माध्यम से जांच कराई गयी थी। सम्प्रति जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसके आधार पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, टाण्डा को "कारण बताओं नोटिस" दिनांक 12 जनवरी, 99 को दी गयी है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा अनन्तिम स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए कतिपय अभिलेख/साक्ष्यों की प्रतियों की मांग की गयी है। प्रकरण में अंतिम स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।‖

नोट :- ‖ ‖ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लाल जी वर्मा-

जब यह बात सिद्ध हो गयी तो माननीय मंत्री ने उस पर क्या कार्यवाही की है ।

श्री हुकुम सिंह-

जितनी जिज्ञासा माननीय सदस्य ने चाही थी, उसका उत्तर विस्तार से दे दिया गया है । अगर कोई स्पष्टीकरण करना चाहे तो मैं दे दूंगा ।

श्री लालजी वर्मा-

जो आरोप लगाये थे, वह सत्य पाये गये, तो शासन को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने वक्तव्य को पढ़ा है, पांचवें प्रस्तर में उल्लेख कर दिया गया है, उसकी जांच करायी गयी है, तो कार्यवाही चल रही है ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिचांई राज्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

सिंचाई राज्य मंत्री-(श्री धनराज यादव)-

(रजवाहा अडीग पर राजस्थान सरकार से प्राप्त धन का उपयोग रजवाहा अडीग के हेड से मील-।, जहां से भरतपुर फीडर निकलता है, तक ही प्रयोग किया जाता है । राजस्थान से प्राप्त धन का कोई उपयोग अभी नहीं किया है, अतः राजस्थान से प्राप्त धन अडीग रजवाहा प्रणाली जो भरतपुर के डाउन स्टीम से आरम्भ होती है, में सफाई इत्यादि कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अडीग प्रणाली में जल कुम्भी एवं काई एकत्रित होने से पानी नहीं दौड़ने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि यह स्थिति पूर्व वर्षों में भी उत्पन्न होती रही है, किन्तु वर्तमान फसल में यमुना नदी में जल उपलब्धता पर्याप्त बने रहने के कारण गंगा नहर प्रणाली की जल मात्रा में मिश्रण न होने, जिसमें सिल्ट कन्टेन्ट्स तथा अन्य रसायन मिश्रित होते हैं, जिनसे काई/सिवाल की समस्या में कमी आती है, के कारण समस्या उग्र हुई है । इसके समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं ।

रजवाहा अडीग की दिनांक 15-2-99 से गलत पंसाल दिये जाने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । जांचोपरान्त यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी । वेस्टर्न डिप्रेशन

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ड्रेन का जो भाग जनपद मथुरा के अन्तर्गत आता है, की सफाई/खुदाई वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण कार्य सम्पादन सम्भव नहीं हो सका है।

माइनरपुरा जिसकी पक्की दीवाल के अवशेष निर्माण का सम्बन्ध है, डी0आर0डी0ए0 से धन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा। रजवाहा फरह एवं बरारी पर पानी लगातार चलाया गया है, एवं दोनों टेलों पर रोस्टर के अनुसार फीड किया गया है। रजवाहा गोवर्धन एवं माइनर रसूलपुर रजवाहा अडीग प्रणाली से पोषित है जिनको वर्तमान में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। माइनर भगौसा के तटबन्ध विभिन्न स्तरों पर क्षतिग्रस्त हो गये थे जिसके पुर्नस्थापना का कार्य कराया गया है। स्थल चेकिंग के उपरान्त इसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रदेश में राशन की दुकानों से चीनी का कोटा प्रतिमाह प्रति यूनिट पूर्ववत करने तथा होली/ईद की अतिरिक्त चीनी प्रति कार्ड यथावत् किये जाने के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

(मा0 सदस्य विधान सभा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के चीनी के उत्पादन में कोई कमी नहीं है, तो सरकार द्वारा आम उपभोक्ता की चीनी की मात्रा में कमी करना त्यौहार पर चीनी अतिरिक्त न देना अन्यायपूर्ण है।

उक्त के संबंध में स्थिति यह है कि प्रदेश को वर्ष 1991 की जनसंख्या का आधार मानकर भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जनवरी, 1996 से 59,122 मी0 टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है। लेवी चीनी के आवंटन में से 59,010 मी0टन प्रदेश के जनपदों को अनुपात के अनुसार आवंटित कर दी जाती है तथा शेष 112 मी0टन चीनी "बफर" स्टाक के लिये आरक्षित संभार में रखी जाती है। वर्तमान में प्रदेश में लेवी चीनी की वितरण दर निम्नवत् है :-

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह (शहरी क्षेत्र)	1 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट प्रति माह
330 ग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह (ग्रामीण क्षेत्र)	

उक्त वितरण दर में शासन द्वारा अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

वर्ष 1998 से प्रति वर्ष भारत सरकार से त्यौहारों के लिए प्रदेश को 15,936 मी0टन लेवी चीनी का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था में इस सीमित अतिरिक्त आवंटन से 7,968 मी0टन लेवी चीनी का आवंटन

350 ग्राम प्रति राशन कार्ड की दर से "ईद" पर तथा शेष 7,968 मी0टन लेवी चीनी का आवंटन 350 ग्राम प्रति राशन कार्ड की दर से दशहरा/दीपावली पर उपभोक्ताओं को किया जाता है। इस वर्ष जनवरी, 1999 में "ईद" के त्यौहार पर उपभोक्ताओं को 350 ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड की दर से अतिरिक्त उपलब्ध करायी जा चुकी है। होली के त्यौहार के लिए भारत सरकार से लेवी चीनी का कोई अतिरिक्त आवंटन प्राप्त न होने के कारण होली पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी देना संभव नहीं हुआ है।

यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने मा0 प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है कि प्रदेश में तीन त्यौहारों यथा दशाहरा/दीपावली, ईद तथा होली पर उपभोक्ताओं को कम से कम एक-एक कि0ग्रा0 अतिरिक्त चीनी प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसलिए प्रदेश को त्यौहारों के लिए लेवी चीनी का आवंटन बढ़ाकर 66,000 मी0टन प्रति वर्ष कर दिया जाय। अतः यदि भारत सरकार द्वारा प्रदेश का लेवी चीनी का आवंटन बढ़ा दिया जाता है तो उपभोक्ताओं को उक्त त्यौहारों पर बढ़ी हुई दर से चीनी का वितरण किया जाना संभव हो सकेगा।)

प्रदेश में विद्युत की अनियमित एवं अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(प्रदेश में विद्युत की मांग प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जबकि विद्युत उपलब्धता उसके अनुरूप नहीं बढ़ती है। फलस्वरूप बढ़ी हुयी मांग की आपूर्ति अधिक आयात तथा आपात कटौती के द्वारा ही करनी पड़ती है। वित्तय संसाधनों की कमी होने के कारण आयात भी एक सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों (बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर) में प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधन है। अन्य स्तर के समस्त नगरों में प्रतिदिन 24.00 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। विद्युत की मांग अपलब्धता से अधिक होने के कारण प्रणाली की सुरक्षा हेतु आपात कटौती करना आवश्यक हो जाता है।)

वर्तमान में आनपारा विद्युत गृह की इकाई संख्या-4 (500 मेगावाट) तकनीकी कारणों से बन्द हो जाने तथा सेन्ट्रल सिक्टर विद्युत गृहों में भी विद्युत उत्पादन में कमी के करण विद्युत उपलब्धता में गिरावट हो गयी है। इन इकाइयों के चालू हो जाने के फलस्वरूप आशा की जाती है कि विद्युत आपूर्ति में सुधार हो जायेगा।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत समय में मैनपुरी क्षेत्र की आपूर्ति निम्नवत् रही है :-

क्रम संख्या	स्तर	माह 1/99	माह 2/99	15.3.99 तक
1-	मुख्यालय स्तर	17.00	17.30	17.25
2-	तहसील स्तर	15.00	15.00	14.50
3-	ग्रामीण स्तर			
	(अ) बेवर	10.00	10.00	9.10
	(ब) भोगांव	9.30	9.10	9.00
	(स) सुल्तान गंज	9.20	8.50	8.30
	(द) आलीपुर खेड़ा	9.00	8.30	8.20

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को 72 घन्टे में बदलने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं और इस कार्य को परिषद् के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत पूरा करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकरियों/अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के भी आदेश दिये गये हैं।

क्षेत्र के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलने की स्थिति निम्नवत् रही :-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	माह 1/99		माह 2/99	
		खराब	बदले गये	खराब	बदले गये
1-	बेवर	3	3	5	3
2-	भोगांव	2	2	2	2
3-	सुल्तान गंज	4	4	1	1
4-	आलीपुर खेड़ा	--	--	1	--

वर्तमान में विद्युत उपलब्धता एवं मांग में काफी अन्तर होने के कारण जनपद मैनपुरी के बेवर, भोगांव, सुल्तानगंज एवं आलीपुर खेड़ा ग्रामों को मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 1999 तक विद्युत कटौती से मुक्त करना सम्भव नहीं है। तथापि वर्तमान नीति के अन्तर्गत इन ग्रामों में औसतन 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित रूप से शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माo सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-5। के अर्न्तगत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा मिलकर भारी पैमाने पर शासकीय धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1998-99 में उन्हीं सम्पर्क मार्गों पर ईट शोलिंग का कार्य करवाया है, जिस पर पहले से ईट शोलिंग का कार्य हो चुका है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा 22-1-99 को जिलाधिकारी गोण्डा को एक शिकायती-पत्र भी दिया था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जांच के निर्देश दिये थे, परन्तु अभी तक जांच कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 2 फरवरी, 99 को तहसील मनकापुर प्रांगण में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी को सभासदों तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र इसी सम्बन्ध में दिया गया था उसी समय जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गोण्डा को अनियमितता की जाचं के लिए भौतिक सत्यापन हेतु भेजा, सारे आरोप जांच के समय सही पाये गये, परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश है।

उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी. अध्यक्ष के विरुद्ध जांच में आंशिक रूप से दोषी पाये गये थे, जिसमें इन्हें भविष्य में सतर्क रहने एवं अधिनियम के अनुरूप कार्य करने के लिये सचेत किया जा चुका है। अध्यक्ष द्वारा छः सभासदों को मनमाने तरीके से निलम्बन कर दिये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बहाली के बावजूद नगर पंचायत की बैठक में जानबूझ कर नहीं बुलाया जाता है, तथा मनमाने तरीके से सभी प्रस्ताव पास करके शासकीय धन का दुरूपयोग करते हैं। इस तरीके से अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मनकापुर द्वारा नियम और कानून को ताक पर रखकर मनमाने ढ़ंग से कार्य किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा से जांच कराई गयी। जिलाधिकारी, गोण्डा की जांच आख्या दिनांक 14 मार्च, 99 में प्रकरण पर यह आख्या दी गयी है कि शानादेश संख्या-372ए/9-1-96-15 जनरल/96 दिनांक 28-6-96 द्वारा स्वीकृत मु0 5,00,000.00 रु0 साधारण सड़क अनुदान में से अवशेष धनराशि मु0 1,12,805.71 रु0 नगर पंचायत मनकापुर में निम्नलिखित कार्य वर्ष 1998-99 में कराये गये हैं:-

---

नोटः ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) पी0डब्लू0डी0 रोड से चिग्घन सेठ के घर होते हुए निसदाही घोसी के घर तक सोलिंग कार्य।

(2) श्री नूरहसन के घर से डा0 इरफान उल्लाह के घर तक सोलिंग व मिट्टी कार्य।

(3) जलकल पम्प हाऊस से पी0डब्लू0डी0 रोड तक रिसालिंग व मिट्टी कार्य।

उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में मा0 विधायक श्री राम विशुन आजाद का शिकायती-पत्र दिनांक 22.1.99 पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मनकापुर से आख्या प्राप्त की गई, उन्होंने अपनी आख्या दिनांक 29-1-99 में उल्लेख किया है कि जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य इसके पूर्व क्रमशः वर्ष 1989 में (नौ वर्ष पहले), वर्ष 1986-87 में (1 वर्ष पहले) तथा वर्ष 1991-92 में (छः वर्ष पहले) कराया गया था। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्य संख्या-1 व 2 वर्षा से घस कर खराब हो गया था तथा कार्य संख्या-3 जल निगम गोण्डा द्वारा पाइप लाइन बिछाने एवं पानी की टंकी से जोड़नें हेतु खोदकर खराब एवं क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि अपने निजी स्वार्थ हेतु उक्त निमार्ण कार्य नहीं कराया गया है और न ही शासकीय धनराशि का दुरूपर्योग किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं0-4, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा से करायी गई, उनकी जांच आख्या दिनांक 15-2-99 में उल्लेख किया गया है कि उक्त निर्माण कार्य, कार्य संख्या-1 व 2 तकनीकी दृष्टि से गलत हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि पुरानी सोलिंग उखाड़कर प्राप्त उपयोगी ईटों का प्रयोग किया जाता तो कार्य संख्या-1 में मु0-5,602.60 रु0 तथा कार्य संख्या-2 में मु0-5,130.00 रु0 कुल मु0-10,732.60 रु0 की अनुमानित बचत की जा सकती थी। उक्त धनराशि मु0 10,732.60 रु0 की बचत न करने के लिये जिलाधिकारी ने अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मनकापुर को दोषी पाया। साथ ही अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण करके कराये गये उक्त निर्माण कार्य को सन्तोषजनक बताया है।

जहां तक 6 सदस्य नगर पंचायत मनकापुर के सदस्यों के निष्कासन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-5-1998 के अनुपालन किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 2613/9-1-98-1 ई/98 दिनांक 9 सितम्बर, 1998 द्वारा जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

इस प्रकार शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1723/9-1-98 दिनांक 22 जून, 1998 द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर श्री राम कृपाल राहुल को दोष सिद्ध पाये जाने के कारण शासन द्वारा उन्हें भविष्य के लिये सतर्क रहने एवं अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्य करने हेतु सचेत किया गया है।

आगरा पश्चिम के क्षेत्र नौबस्ता, राजीव नगर के नालों की सफाई तथा धसी जमीन पर मिट्टी भरने की व्यवस्था के सम्बन्ध में डा0 रामबाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय सदस्य डा0 राम बाबू हरित ने आगरा पश्चिमी क्षेत्र के नौबस्ता, राजीव नगर नालों की सफाई तथा धंसी जमीन पर मिट्टी भरने की व्यवस्था हेतु संस्तुति की है ।

(2) इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आगरा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 12.50 लाख की आबादी है । आगरा नगर निगम द्वारा नगर में स्थित 180 से अधिक नालों की सफाई अपने संसाधनों से करायी जा रही है । नगर निगम आगरा द्वारा ताज ट्रेपेजियम योजना के अर्न्तगत ताज ईस्ट नाला, नाला भैरव, पालीवाल पार्क नाला तथा नाला मण्टोला की मरम्मत एवं सफाई की योजना बनाई गयी है जिसका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है । पूरे आगरा नगर की 6.60 करोंड़ अनुमानित लागत की ड्रेनेज योजना बनायी गयी है । यथा (1) ट्रांस यमुना नवलगंज नाला (2) मुस्तफा क्वार्टर से नामनेर तक नाला निर्माण (3) भीमनगरनाला (4) सिकनदारा नाला (आंशिक) निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं । आगरा ड्रेनेज के कार्यों हेतु अब तक रुपया 200.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को स्वीकृत की जा चुकी है । उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा वर्ष 1998-99 में आगरा नगर निगम को रुपया 35.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

(3) जहां तक आगरा नगर में व्याप्त गन्दगी का प्रश्न है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ताज ट्रेपेजियम योजनान्तर्गत "आगरा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना" अनुमानित लागत रुपया 749.00 लाख स्वीकृत हैं । इय योजना में नगर निगम आगरा को अब तक 642.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

(4) नालों की सफाई यमुना नदी की तरफ (टेल) से शुरू कर शहर में हेड तक करने विषयक माननीय सदस्य के सुझाव का तत्काल परीक्षण करके अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु नगर निगम आगरा को निदेशित कर दिया गया है । नगर निगम आगरा को यह भी निर्देश भेज दिये गये हैं कि वर्षा से पूर्व नालों की सफाई हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाये । नौबस्ता के एक मकान के नीचे जमीन धसने तथा मकान में दरार पड़ने के सम्बन्ध में जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी नगर निगम आगरा को निर्देश भेज दिये गये हैं । इस प्रकार शासन द्वारा आगरा नगर के नालों की सफाई तथा जलभराव की समस्या के समाधान हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0 31 व 32 स्थगित है।

(देखिये पीछे पृष्ठ 231 पर)

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ : 17 मार्च, 1999।

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

संलग्नक–1

विधान सभा–गैंसड़ी के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था	कार्य का प्रकार	वर्ष 1995-96			वर्ष 1996-97			वर्ष 1997-98			योग		
			कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कुल कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
विकास खण्ड–गैंसड़ी														
1	नि०खं० तीन, लो०नि० विभाग	सम्पर्क मार्ग	03	15.937	3/–	05	5.983	5/–	03	7.650	2/1	11	29.570	10/1
2	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सम्पर्क मार्ग	02	1.670	2/–	02	2.600	1/1	03	11.210	3/–	07	15.480	06/1
3	वन प्रभाग (उत्तर)	वृक्षारोपण/ अग्रिम मृदा कार्य	05	2.219	5/–	19	5.000	19/–	28	19.060	28/–	52	26.279	52/–
4	भूं०सं०अ(डीपीएपी–1)	भूमि संरक्षण कार्य	04	17,149	4/–	10	16.391	10/–	16	28.400	14/2	30	61.940	28/2
5	गन्ना विकास विभाग	सम्पर्क मार्ग	03	6.300	3/–	03	6.100	3/–	–	–	–	06	12.400	06/–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6–जिला पंचायत		सम्पर्क मार्ग	04	6.310	3/1	02	2.920	2/–	01	3.490	1/–	07	12.720	06/1
7–सिंचाई खण्ड		ड्रेन का निर्माण	...	...	...	01	1.000	1/–	...	...	...	01	1.000	01/–
8–खण्ड विकास अधिकारी		सम्पर्क मार्ग/ वि०भा०	07	10.127	7/–	07	0.673	7/–	02	0.422	2/–	16	11.222	16/–
9–ग्राम पंचायत		पंचायत भवन	...	...	...	...	...	...	04	1.080	4/–	04	1.080	04/–
		योग	28	59.712	27/1	49	40.667	48/1	57	71.312	54/3	134	171.691	129/5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–2

विधान सभा-नैंसड़ी के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था	कार्य का प्रकार	वर्ष 1995-96			वर्ष 1996-97			वर्ष 1997-98			योग		
			कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण	कुल कार्य की सं०	अवमुक्त धन०	पूर्ण/ अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
विकास खण्ड–पचपेड़वा														
1	नि०खं० तीन, लो०नि० विभाग	सम्पर्क मार्ग	03	10.836	3/–	01	0.215	1/–	01	5.000	1/–	05	16.051	05/-
2	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	सम्पर्क मार्ग	05	08.010	5/–	06	5.401	5/1	07	16.460	6/1	18	29.871	16/2 सेवा
3	वन प्रभाग (उत्तर)	अग्रिम मृदा कार्य/ वनीकरण	06	1.992	6/–	08	2.000	8/–	33	11.714	33/–	47	15.706	47/–
4	भूं०सं०अ (डीपीएपी–1)	भूमि संरक्षण कार्य	07	20.974	7/–	10	15.346	10/–	14	41.730	10/4	31	78.050	27/4
5	जिला पंचायत	सम्पर्क मार्ग	02	2.910	2/–	01	1.710	1/–	01	4.480	1/–	04	9.100	04/–

अतिरिक्त विधानसभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7–सिंचाई खण्ड		फीडरचैनल निर्माण	...	...	...	01	2.150	1/–	...	...	...	01	2.150	01/–
8–खण्ड विकास अधिकारी		सम्पर्क मार्ग	04	6.395	4/–	06	3.335	6/–	02	0.422	2/–	12	10.152	12/–
9–ग्राम पंचायत		पंचायत भवन	...	...	...	...	...	...	04	1.080	4/–	04	1.080	04/–
		योग	27	51.117	27/–	33	30.157	32/1	62	0.886	57/5	122	162.160	15/6

हरियाणा विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 पत्र का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)
अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर का संलग्नक

विकास खण्डवार - विवरण निम्नवत है :-

विकास खण्ड-चित्रकूट

1-शीतलपुर-तरौहर मार्ग
2-बनाड़ी सं0 मार्ग
3-चन्द्रगहना मार्ग
4-गढ़ीवा सं0 मार्ग
5-मानपुर-मडफा-ढोलबजा मार्ग
6-शिवरामपुर-पंडरी मार्ग
7-बांकेसिद्ध-सिद्धपुर मार्ग
8-खोही-लक्षमण पहाड़ी मार्ग
9-सरस्वती वेद विद्यालय मार्ग
10-अतरोली सं0 मार्ग
11-इटखरी सं0 मार्ग

विकास खण्ड-पहाड़ी

1-अकौ-बरद्वारा मार्ग
2-तिवारी पुरवा मार्ग
3-व्यासबन्ना मार्ग
4-सालिगपुर सं0 मार्ग
5-परमानन्द आश्रम मार्ग
6-समवारा सं0 मार्ग
7-मछुयागांव सं0 मार्ग
8-मैलहाबाबा मार्ग
9-लाहदा सं0 मार्ग
10-इटोरा-कपना मार्ग
11-अर्वी भदेदू सं0 मार्ग

विकास खण्ड-मानिकपुर

1-बड़ी मडैययन मार्ग
2-इरीफाटक-कल्याण केन्द्र मार्ग
3-डुडौली मार्ग
4-चर सम्पर्क मार्ग
5-मारकण्डेय आश्रम मार्ग
6-जमुनिहाई-अमरावसी मार्ग
7-धुरी रेलवे फाटक-कल्याण केन्द्र मार्ग
8-अहिरा-मगरहाई मार्ग
9-सरैयां-हनुवा मार्ग
10-मइहा पुरवा मार्ग
11-रुकमा बुजुर्ग सं0 मार्ग

विकास खण्ड-मऊ

1-भिटारी सं0 मार्ग
2-पूरब पताईसे बेलहामार्ग
3-बरियारी कला मार्ग
4-हनुमानगंज से कर्का मार्ग
5-बरहा कोटरा मार्ग

6-बियावल मार्ग
7-परानु बाबा मार्ग

विकास खण्ड-रामनगर

1-भखरवार से भैरम बाबा मार्ग
2-इंडिया-एरिया मार्ग
3-चकभडेसर मार्ग
4-तुलसी इ0 का0 मार्ग
5-सिरावल माफी मार्ग
6-प्रा0 पा0 धुनुवां मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"
संलग्नक

क्रमांक	ग्राम का नाम व वर्ष	ए0आर0पी0	एम0एन0पी0	स्थल
1	2	3	4	5
1.	पूरे पाण्डेय (98-99)	14	--	1-श्री बचई सिंह 2-श्री वंश बहादुर सिंह 3-पट्टी प्रतापगढ़ रोड 4-श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह 5-श्री लल्लू यादव 6-श्री वासदेव सिंह 7-श्री भारत भूषण 8-श्री राजाराम 9-श्री महाबीर सिंह 10-श्री बिजली सिंह 11-श्री बासदेव सिंह 12-श्री सूर्यबली पाण्डेय 13-श्री देव नारायण यादव 14-श्री कल्लू
2.	आसलपुर(98-99)	02	--	1-श्री रामाशंकर 2-श्री उदय राज
3.	खभोर(98-99)	01	02	1-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह 2-श्री विजय कुमार शुक्ला 3-प्रधान
4-	खमपुर(98-99)	--	--	
5-	चौखड़(98-99)	--	--	
6-	तौला(98-99)	04	--	1-श्रीराम नरेश तिवारी 2-श्री मोहन गडिरिया 3-श्री लतीफ 4-श्री वकील अहमद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
7-आइला(98-99)		--	02	1-श्री छोटे लाल 2-श्री शिव प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 18 वि0 सभा-16-3-2000-(2383)-813-(आफसेट)।